लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 6, सोमवार, 16 जून, 1980/26 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 102, 103, 105, और 107 से 110	1—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 104, 106, 111 से 117 और 119 से 121	29—37
अतारांकित प्रश्न संख्या 817, 819 से 822, 824 से 829, 831 से 856 और 858 से 941	37—154
सभा पटल पर रखे गये पत्र	154—158
समितियों के लिये निर्वाचन	158—159
(एक) भारतीय खान स्कूल धनबाद की महापरिषद्	158
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद्	159
(तीन) राजघाट समाधि समिति	159
रेल बजट, 1980-81—प्रस्तुत किया गया	
श्री कमलापति त्रिपाठी	159—171
नियम 377 के अधीन मामले	172—173
(एक) मथुरा में यमुना नदी पर नवनिर्मित रेल पुल पर पैदल पारपथ की आवश्यकता	
श्री दिगम्बर सिंह	172
(दो) बिहार के कुछ जिलों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णा साही	172
(तीन) हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास कम्पनी, आसनसोल और केरयू एंड कम्पनी, असावल में तालाबन्दी का समाचार।	
श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय	172

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे बालकों के शोषण को रोकने के लिये तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता	•
श्री मूलचन्द डागा	172
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) विधेयक	173—209
विचार करने का प्रस्ताव	
प्रो० रूपचन्द पाल	173
श्री मूलचन्द डागा	174
श्री एम० कंडास्वामी	177
श्री आर० मुथुकुमारन	178
श्री सतीश अग्रवाल	179
श्री पी० राजगोपाल नायडु	183
श्रीमती गीता मुखर्जी	185
श्री ओस्कर फर्नान्डीज़	187
श्री टी० आर० शमन्ना	189
श्री के० टी० कोसलराम	192
श्री ज़ेवियर अराकल	194
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	196
श्री आर० वेंकटरामन	197
खंड 2 से 21 तक और 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	
प्रो० एन० जी० रंगा	
कम्पनी सचिव विधेयक	209—217
विचार करने का प्रस्ताव	209
श्री पी० शिवशंकर	210
श्री टी० आर० शमन्ना	212
श्री सुनील मैत्रा	213
श्री नारायण चौबे	216—217
खंड 2 से 39 तक और 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री पी० शिवशंकर	217
लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस लिये जाने के बारे में वक्तव्य	
श्री सी० के० जाफ़र शरीफ	217

विषय	पृष्ठ
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	217—228
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री पी० शिवशंकर	217
श्री विजय कुमार यादव	219
श्री ज़ेवियर अराकल	220
श्री एडुआर्डो फैलीरो	221
श्री ज्योतिर्मय बसु	223
खंड 2, 3 और 1	228
पास करने का प्रस्ताव	
श्री पी० शिवशंकर	228
कार्यमंत्रणा समिति	228
पांचवां प्रतिवेदन	
आधे घंटे की चर्चा	228—238
सीमेंट—उद्योग संबंधी उच्चस्तरीय कार्यकारी दल	
श्री ज्योतिर्मय बसु	228
श्री चरणजीत चानना	232
श्री रामावतार शास्त्री	236
श्री मूलचन्द डागा	236

लोक सभा

सोमवार, 16 जून, 1980/26 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राज्यों को खाद्यान्न

*102. श्री समर मुखर्जी :

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य का खाद्यान्न का मदवार मासिक कोटा कितना है ;

(ख) गत चार महीनों में प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र से नियमित रूप से मासिक कोटे की सप्लाई का अनुरोध किया है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । इसमें मास जून, 1980 के लिए खाद्यान्नों के राज्यवार आबंटनों का ब्योरा दिया गया है । (विवरण-1) । इस प्रकार का कोई मासिक कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है । राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित की गई आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष मांगों, मण्डी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास आबंटन का हिसाब लगाया जाता है ।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों के उठान के बारे में इस समय सूचना फरवरी से अप्रैल, 1980 की अवधि के लिए ही उपलब्ध है और इस संबंध में एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है (विवरण-2) ।

(ग) असम और अन्य उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल जैसे कई एक राज्यों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं भेजे जा रहे हैं ।

विवरण-1

जून, 1980 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों की आवंटित मात्रा बताने वाला विवरण ।

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/अन्य	अनाज	जून, 1980
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	चावल	40.0
	गेहूं-पी०डी०	12.0
	मिल्स	16.0
	मोटे अनाज	—
	जोड़	68.0
असम	चावल	35.0
	गेहूं-पी०डी०	15.0
	मिल्स	7.5
	जोड़	57.5
बिहार	चावल	65.0
	गेहूं-पी०डी०	60.0
	मिल्स	45.0
	जोड़	170.0
गुजरात	चावल	5.0
	गेहूं-पी०डी०	5.0
	मिल्स	16.5
	मोटे अनाज	14.3
	जोड़	40.8
हरियाणा	चावल	—
	गेहूं-पी०डी०	5.0
	मिल्स	15.0
	मोटे अनाज	—
	जोड़	20.0

1	2		3
हिमाचल प्रदेश	चावल		0.55
	गेहूं-पी०डी०		2.0
	मिल्स		6.0
		जोड़	8.55
जम्मू और कश्मीर	चावल		11.8
	गेहूं-पी०डी०		9.5
	मिल्स		13.7
		जोड़	35.0
कर्नाटक	चावल		5.0
	गेहूं–पी०डी०		10.0
	मिल्स		36.0
		जोड़	51.0
केरल	चावल		135.0
	गेहूं-पी०डी०		10.0
	मिल्स		10.0
		जोड़	155.0
मध्य प्रदेश	चावल		60.0
	गेहूं-पी०डी०		70.0
	मिल्स		17.06
		जोड़	147.06
महाराष्ट्र	चावल		50.0
	गेहूं-पी०डी०		75.0
	मिल्स		50.0
		जोड़	175.0
मणिपुर	चावल		4,0
	गेहूं-पी०डी०		0.6
	मिल्स		0.6
		जोड़	5.2

1	2		3
मेघालय	चावल		4.0
	गेहूं-पी०डी०		1.0
	मिल्स		1.0
		जोड़	6.0
नागालैण्ड	चावल		4.0
	गेहूं-पी०डी०		0.5
	मिल्स		1.5
		जोड़	6.0
उड़ीसा	चावल		50.0
	गेहूं-पी०डी०		10.0
	मिल्स		26.13
		जोड़	86.13
पंजाब	गेहूं-पी०डी०		10.0
	मिल्स		35.0
		जोड़	45.0
राजस्थान	चावल		2.0
	गेहूं-पी०डी०		40.0
	मिल्स		10.0
		जोड़	52.0
सिक्किम	चावल		12.0
	गेहूं-पी०डी०		0.3
	मिल्स		0.25
		जोड़	12.55
तमिल नाडु	चावल		15.0
	गेहूं-पी०डी०		3.0
	मिल्स		65.0
		जोड़	83.0

1	2		3
त्रिपुरा	चावल		7.0
	गेहूं-पी०डी०		0.5
	मिल्स		1.5
		जोड़	9.0
उत्तर प्रदेश	चावल		50.0
	गेहूं-पी०डी०		100.0
	मिल्स		50.0
		जोड़	200.0
पश्चिमी बंगाल	चावल		150.0
	गेहूँ-पी०डी०		150.0
	मिल्स		55.0
		जोड़	355.0
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	गेहूं-पी०डी०		0.5
अरुणाचल प्रदेश	चावल		1.8
	गेहूं-पी०डी०		0.3
	मिल्स		0.01
		जोड़	2.11
चण्डीगढ़	गेहूं-पी०डी०		0.4
	मिल्स		3.3
		जोड़	3.7
दादर और नागर हवेली	चावल		0.02
दिल्ली	चावल		4.5
	गेहूं-पी०डी०		40.0
	मिल्स		42.0
		जोड़	86.5

1	2		3
गोआ	चावल		3.5
	गेहूं-पी०डी०		1.5
	मिल्स		1.9
		जोड़	6.9
दीव	चावल		1.0
पांडिचेरी	चावल		0.1
	गेहूं-पी०डी०		0.17
		जोड़	0.27
मिजोरम	चावल		6.0
	गेहूं-पी०डी०		0.05
		जोड़	6.05
जोड़	चावल		722.27
	गेहूं-पी०डी०		632.32
	मिल्स		525.95
	मोटे अनाज		14.3
	सकल योग		1894.84

विवरण–2

फरवरी, 1980 में अप्रैल, 1980 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों को उठान बताने वाला विवरण।

(1,000 मीटर टन में)

राज्य/प्राप्तकर्ता		फरवरी	मार्च	अप्रैल	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	चावल	9.5	14.2	15.4	39.1
	गेहूं	12.6	15.5	18.7	46.8
	जोड़	22.1	29.7	34.1	85.9
असम	चावल	21.1	19.9	10.4	51.4
	गेहूं	22.0	16.7	15.1	53.8
	जोड़	43.1	36.6	25.5	105.2

1		2	3	4	5
बिहार	चावल	1.6	1.4	1.3	4.3
	गेहूं	86.8	69.1	38.6	194.5
	जोड़	88.4	70.5	39.9	198.8
गुजरात	चावल	4.5	10.1	7.6	22.2
	गेहूं	32.3	31.8	37.4	101.5
	मोटे अनाज	0.3	0.7	0.5	1.5
	जोड़	37.1	42.6	45.5	125.2
हरियाणा	चावल	—	—	—	—
	गेहूं	15.8	12.1	6.6	34.5
हिमाचल प्रदेश	चावल	0.1	—	—	0.1
	गेहूं	5.2	6.9	6.7	18.8
	जोड़	5.3	6.9	6.7	18.9
जम्मू और कश्मीर	चावल	5.6	5.3	5.5	16.4
	गेहूं	11.9	11.8	14.1	37.8
	जोड़	17.5	17.1	19.6	54.2
कर्नाटक	गेहूं	27.8	31.9	28.3	88.0
केरल	चावल	54.7	45.3	55.7	155.7
	गेहूं	9.8	8.1	8.4	26.3
	जोड़	64.5	53.4	64.1	182.0
मध्य प्रदेश	चावल	23.9	25.4	27.7	77.0
	गेहूं	44.7	48.1	30.7	123.5
	जोड़	68.6	73.5	58.4	200.5
महाराष्ट्र	चावल	20.9	53.5	37.5	111.9
	गेहूं	76.6	86.8	71.8	235.2
	जोड़	97.5	140.3	109.3	347.1

1		2	3	4	5
मणिपुर	चावल	0.3	1.1	0.8	2.2
	गेहूं	0.5	0.1	0.5	1.1
	जोड़	0.8	1.2	1.3	3.3
मेघालय	चावल	5.4	6.2	2.4	14.0
	गेहूं	2.0	0.8	2.0	4.8
	जोड़	7.4	7.0	4.4	18.8
नागालैण्ड	चावल	3.4	1.6	0.4	5.4
	गेहूं	1.4	0.8	1.9	4.1
	जोड़	4.8	2.4	2.3	9.5
उड़ीसा	चावल	7.8	8.2	8.8	24.8
	गेहूं	17.1	12.2	13.0	42.3
	जोड़	24.9	20.4	21.8	67.1
पंजाब		37.1	33.7	33.7	104.5
राजस्थान	चावल	0.1	0.2	0.1	0.4
	गेहूं	28.0	23.6	12.4	64.0
	मोटे अनाज	नग•	—	—	नग•
	जोड़	28.1	23.8	12.5	64.4
सिक्किम	चावल	1.2	1.3	0.6	3.1
	गेहूं	0.3	0.1	—	0.4
	जोड़	1.5	1.4	0.6	3.5
तमिल नाडु	चावल	—	—	1.2	1.2
	गेहूँ	41.0	23.6	21.4	86.0
	जोड़	41.0	23.6	22.6	87.2
त्रिपुरा	चावल	5.9	4.3	4.7	14.9
	गेहूं	0.7	0.4	0.2	1.3
	जोड़	6.6	4.7	4.9	16.2

1		2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	चावल	42.8	38.9	24.7	106.4
	गेहूं	179.2	127.9	59.4	366.5
	जोड़	222.0	166.8	84.1	472.9
पश्चिमी बंगाल	चावल	63.2	71.8	71.7	206.7
	गेहूं	130.3	87.5	80.4	298.2
	जोड़	193.5	159.3	152.1	504.9
अण्डमान और निकोबार	चावल	0.7	0.3	0.4	1.4
	गेहूं	1.0	1.0	—	2.0
	जोड़	1.7	1.3	0.4	3.4
अरुणाचल प्रदेश	चावल	1.6	1.2	0.7	3.5
	गेहूँ	0.1	0.1	0.3	0.5
	जोड़	1.7	1.3	1.0	4.0
चण्डीगढ़	गेहूँ	3.1	4.4	0.9	8.4
दिल्ली	चावल	4.5	4.8	4.7	14.0
	गेहूँ	67.3	73.0	69.3	209.6
	जोड़	71.8	77.8	74.0	223.6
गोआ, दमन और दीव	चावल	2.0	2.6	2.8	7.4
	गेहूँ	0.8	0.8	0.6	2.2
	जोड़	2.8	3.4	3.4	9.6
मिजोरम	चावल	2.2	1.7	2.7	6.6
पांडिचेरी माहे सहित	चावल	0.3	0.3*	0.2	0.8
	गेहूँ	0.1	0.1	0.1	0.3
	जोड़	0.4	0.4	0.3	1.1
सकल जोड़	चावल	283.3	319.6	288.0	890.9
	गेहूं	855.5	728.9	572.5	2156.9
	मोटे अनाज	0.3	0.7	0.5	1.5
जोड़		1139.1	1049.2	861.0	3049.3

नग=50 मीटरी टन से कम

*अस्थायी इस में संशोधन हो सकता है ।

श्री समर मुखर्जी : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पश्चिम बंगाल की स्थिति तक ही सीमित रखूंगा। दूसरों की बात मैं नहीं जानता। केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा बताने वाले विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल को 1.5 लाख टन चावल, 1.5 लाख टन गेहूं, 55 हजार टन ज्वार बाजरा आबंटित किया गया। इन सभी अनाजों की कुल मात्रा 3.55 लाख टन होती है। विवरण में पश्चिम बंगाल द्वारा उठाये गये अनाज के दिये गये आंकड़े इस प्रकार हैं : फरवरी, 1.935 लाख टन, मार्च, 1.593 लाख टन और अप्रैल में 1.521 लाख टन। आबंटन और उठान के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा उपलब्ध नहीं हो रही है। इसलिए वहां गम्भीर संकट है। ऐसा क्यों है ? एक तो मेरा यह प्रश्न है। दूसरे ...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक ही अनुपूरक में अपने दोनों प्रश्नों को लेंगे।

श्री समर मुखर्जी : यह प्रश्न का (क) और (ख) भाग है। राज्य सभा में श्री सैमर शाहेदुल्लाह के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने बताया है। "काम के लिये अनाज, पहले सप्लाई किये अनाज की कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा उपयोग हो चुकने के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात् सप्लाई किया जाता है। अनाज के उपयोग के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से जो रिपोर्ट मिली उसमें उपयोग की मात्रा उस अनाज की मात्रा के 50 प्रतिशत से कम थी जो उनके पास वर्ष 1979-80 के दौरान उपयोग के लिये उपलब्ध थी ......" आबंटन तथा उठान के आंकड़े भिन्न हैं। परन्तु उन्होंने उक्त उत्तर दिया है। उन्होंने उत्तर में यह भी कहा है।

"......इस प्रकार राज्य सरकार चालू वर्ष में अनाज प्राप्त करने की हकदार नहीं है ..."

अर्थात्, क्योंकि उन्होंने सप्लाई किये गये अनाज की 50 प्रतिशत मात्रा के उपयोग का हिसाब नहीं दिया है, इसलिये उन्हें काम के लिये अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आगे की सप्लाई प्राप्त करने का हक नहीं है। पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री ने इसका विरोध किया है। मैं एक समाचारपत्र से पढ रहा हूँ, मंत्रीमहोदय स्थिति स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : आप निश्चित प्रश्न पूछिये।

श्री समर मुखर्जी : मैं निश्चित प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। यह एक बहुत विवादास्पद मामला बन गया है। आप आबंटन के बारे में स्वंय समझ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न पूछिये और मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे।

श्री समर मुखर्जी : यदि आबंटन के उपयोग के आंकड़े न दिये जाने के आधार पर यदि सरकार किसी राज्य को आबंटन से वंचित रखती है तब राज्य आबंटन का हिसाब नहीं देगा क्योंकि उठान आबंटन की तुलना में बहुत कम है। आप प्रश्न समझ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न समझता हूं।

श्री समर मुखर्जी : इसी कारण मैं पूरा स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। इसी कारण मैं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले शुक्रबार, 13 जून 1980 के बिजनेस स्टैन्डर्ड में प्रकाशित एक पत्र

को पढ़ रहा हूँ जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री, डा० अशोक मित्र द्वारा श्री बीरेन्द्र सिंह को लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे पढ़ा होगा।

श्री समर मुखर्जी : जी नहीं, उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है क्योंकि उन्होंने राज्य सभा में 11 जून 1980 को उत्तर दिया है। यह इस प्रकार है।

"डा० मित्र ने कहा है कि केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को वर्ष 1979-80 में 214,928 टन अनाज आवंटित किया गया। खाद्य निगम द्वारा वास्तव में 164,034 टन अनाज सप्लाई किया गया। भारतीय खाद्य निगम विभिन्न कारणों से शेष मात्रा की सप्लाई नहीं कर सका। सप्लाई की गई 164,034 टन मात्रा में से 123,000 टन उपयोग की रिपोर्ट कृषि मंत्री को भेज दी गई है। उन्होंने आगे बताया है कि 31 मार्च, 1980 तक रिपोर्ट में, उपयोग किये गये अनाज की मात्रा 134,849 टन हो जाती है।"

इसका तात्पर्य यह है कि उपयोग की मात्रा 80 प्रतिशत है। यह रिपोर्ट उन्हें भेज दी गई। उन्होंने उत्तर दिया है क्योंकि रिपोर्ट में उपयोग की मात्रा 50 प्रतिशत से कम है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक वक्तव्य बनता जा रहा है, अनुपूरक प्रश्न नहीं।

श्री समर मुखर्जी : इसमें आबंटन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। (व्यवधान)। उन्होंने राज्य सरकार को वंचित रखा है.........

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे सीधा प्रश्न पूछिये कि ऐसा क्यों हुआ है।

श्री समर मुखर्जी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जब तक उन्हें स्थिति का पता नहीं होगा तब तक वह उत्तर क्या दे सकेंगे। श्री शाहेदुल्लाह के प्रश्न का उन्होंने यह उत्तर दिया है : उन्हें वर्ष 1979-80 में उपलब्ध कराई गई कुल 2.45 लाख मीटरी टन मात्रा के विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार ने अब 1.23 लाख मीटरी टन उपयोग का हिसाब दिया है।" वह आबंटन के आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने वास्तव में किया यह है कि उन्होंने आवंटन की 80 प्रतिशत मात्रा का हिसाब दे दिया है। अतः इस आधार पर किसी राज्य सरकार को वंचित नहीं रखा जा सकता कि उसने कुल आवंटन के 50 प्रतिशत उपयोग का हिसाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री समर मुखर्जी : यहीं मेरा प्रश्न है। क्या आप स्थिति स्पष्ट करेंगे क्योंकि इससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। मंत्री महोदय ने...*...उत्तर सदन में रखा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं माननीय सदस्य की टिप्पणी का विरोध करता हूं।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि किसी उत्तर को...*... बताना संसदीय है अथवा असंसदीय (व्यवधान) वह 'सच नहीं' शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं समझता हूं माननीय सदस्य की टिप्पणी बहुत कटु है। हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हमने प्रत्येक संभव ढंग से उनकी सहायता करने का प्रयास किया है। जब मैंने यह कहा था कि काम के लिये अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किये गये अनाज के 50 प्रतिशत उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तब यह ठीक था। नवीनतम जानकारी के अनुसार कि उन्होंने 1.23 लाख टन अनाज के उपयोग का प्रमाणपत्र दे दिया हैं। परन्तु इस तथ्य के बावजूद भी कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की हैं, हमने उन्हें विशेष रूप से 20000 टन अनाज आवंटित कर दिया है ताकि कार्य चलता रहे। माननीय सदस्य यह बात भूल गये हैं। मैंने यह सदन में बताया था। अब उन्हें आश्वस्त रहना चाहिये कि हम काम के लिये अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज की आगे और मात्रा उपलब्ध करायी जायेगी। किसी विशेष महीने अनाज की सप्लाई का उस महीने के लिये की गई मांग से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। राज्य को अनाज सप्लाई करते समय हम भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य में राज्य सरकार के पास उपलब्ध अनाज की मात्रा का हिसाब लगाते हैं क्योंकि हमारे सामने कुछ बाधायें हैं। जहाँ कहीं अनाज की तुरन्त आवश्यकता होती है वहां अनाज बड़ी मात्रा में तुरन्त भेजा जाता है। हमारी दृष्टि में जहां स्थिति ठीक होती हैं हम अनाज अपेक्षाकृत कम मात्रा में भेजते हैं। यही कारण है कि हम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई मांग को पूरा नहीं कर सके।

मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि आज भी पश्चिम बंगाल सरकार के पास में भारतीय खाद्य निगम के पास 3.62 लाख टन अनाज उपलब्ध है अतः वहां अनाज की कमी नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के पास काफी मात्रा में अनाज उपलब्ध है अतः यह कहना गलत है कि अनाज उपलब्ध न होने के कारण काम के लिये अनाज कार्यक्रम में बाधा पड़ी है। पश्चिम बंगाल में काम के लिये अनाज कार्यक्रम हेतु जो भण्डार उपलब्ध था उसी से मांग पूरी की गयी।

अध्यक्ष महोदय : *...... शब्द असंसदीय है इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : मैंने उनके लिये नहीं कहा है ; मैंने कहा था कि उत्तर···*···है। इससे गलत धारणा पैदा हुई हैं। ठीक है, मैं अब उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है 'सच्चाई से परे'।

श्री समर मुखर्जी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पूरी मात्रा के उठान के मामले में जो बाधायें है उन्हें आप शीघ्रातिशीघ्र किस प्रकार दूर करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि लोगों की भूख भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज का भण्डार होने से तथा रेड़ियो पर सुनने से कि हमारे पास बहुत भण्डार है, शान्त नहीं हो सकती। जब तक भण्डार को उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हैं जिन्हें अनाज की आवश्यकता हैं अर्थात राज्यों को पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हैं, तब तक भण्डार का कोई लाभ नहीं है। इन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

मन्त्री महोदय : इन बाधाओं को कब तक और किस प्रकार दूर करने का विचार रखते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हम चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो। प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों का सामना करने के लिये प्रधानमन्त्री का 12 सूत्री कार्य-क्रम सभी राज्यों को भेजा गया था। राज्यों को अधिकतम मात्रा में अनाज खरीद करनी चाहिये और खरीदे गये अनाज को राज्य के पर्यवेक्षण में रखना चाहिये। प्रत्येक जिले में भण्डारण सुविधायें होनी चाहियें ताकि आपातस्थिति में अनाज पंजाब और हरियाणा से न भेजना पड़े। ऐसा किया जा रहा है, यह हमारी दीर्घावधि योजना है और इसे केवल राज्यों के सहयोग और सहायता से ही पूरा किया जा सकता है। मुझे आशा है पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही किया जायेगा जैसाकि अन्य राज्यों में किया जा रहा है। बाधायें अब तक लाने ले जाने के मामले में महसूस की गयी हैं। भूतकाल में प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पड़ा है। कभी कोयले की ढुलाई आवश्यक हो गई तो कभी चीनी की। कभी तुरन्त अनाज भेजना आवश्यक हुआ तो कभी देश के विभिन्न भागों में डीजल पहुंचाना पड़ा जहां इसकी अत्यधिक कमी थी। रेल द्वारा ढुलाई में यही मुख्य कठिनाई थी। डीजल की कमी के कारण सड़क द्वारा ढुलाई में कठिनाई आयी। हम इसी कारण राज्यों की मांग के अनुसार पूरी सप्लाई नहीं भेज सके। परन्तु अनाज की कमी के कारण किसी राज्य को भूखा नहीं रहने दिया जायेगा। हमने बार-बार बताया है कि देश में हमारे पास अनाज का पर्याप्त भण्डार है और इस कारण से कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में 2 करोड़ 46 लाख लोग अकाल से प्रभावित हैं। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जितना अनाज राजस्थान ने आपसे मांगा था क्या यह सच है कि उसका 50 प्रतिशत भी आपने उनको नहीं दिया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यह प्रश्न अनाज की सप्लाई के बारे में है, काम के लिये अनाज के बारे में नहीं। यदि माननीय सदस्य उस विषय पर निश्चित जानकारी चाहते हैं तो वह इसके लिये पृथक नोटिस दें।

श्री झारखंडे राय : फूडग्रेंज की मूवमेंट में कभी कभी निहायत जरूरी मौकों पर इस बात से बड़ी दिक्कत पड़ती है कि इनका स्टाक कुछ ही जगहों पर रखा जाता है। भारत के इतने बड़े विस्तार को ध्यान में रखते हुए क्या आप बड़े-बड़े गोड़ाउंज़ जिला हैडक्वाटर्ज़ पर या कम से कम डिविज़नल हैडक्वाटर्ज पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि फूडग्रेंज़ बहुत सी जगहों पर इकट्ठा रहें और भारत सरकार के एक आदेश पर बहुत शीघ्र ही वह चीज़ जहां पहुंचानी हो पहुंचाई जा सके ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए व्यापक कार्यक्रम है। भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्गत, केवल प्रभागीय मुख्यालय में ही नहीं बल्कि जिला और ब्लाक स्तर पर भी हम पर्याप्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहाँ रोजगार गारन्टी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है और वह काम के बदले अनाज से भी सम्बद्ध है, जिसके लिए

सौभाग्य से केन्द्र द्वारा सामान्य मजूरी के साथ-साथ सहायता भी दी जाती हैं, उन्हें वस्तुत: खाद्यान्न भी दिया जाता है। परन्तु महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रतिदिन प्रति किलो 30 पैसे की कटौती की जाती है और उससे 4 से 5 करोड़ रुपये की निधि बनाई गई है। उन व्यक्तियों ने, जो रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत काम कर रहे हैं, यह मांग की है कि इस निधि को श्रमिक कल्याण निधि में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जो शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपयोगी रहेगी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए और चूंकि इसके लिए केन्द्रीय सरकार पूरी सहायता दे रही है, क्या आप विभिन्न राज्यों को सामान्य मार्गदर्शी निर्देश जारी करेंगे कि इस विशिष्ट मांग को किस प्रकार पूरा किया जाय ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हम निश्चित रूप से सुझाव की जांच करेंगे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अभी-अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि बारह सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अपना भण्डार रखने की सलाह दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने कितने भण्डार की वसूली की है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : प्रत्येक राज्य के लिए पृथक वसूली के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य नया नोटिस देते हैं तो हम उन्हें जानकारी दे देंगे।

भारतीय हाकी टीम से सुरजीत सिंह का निकाला जाना

*103. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुविख्यात हॉकी खिलाड़ी सुरजीत सिंह को हाकी टीम से निकाल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, क्योंकि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के अध्यक्ष, श्री मानिक शा ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह बंगलौर गये थे और उनके पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं था कि वह श्री सुरजीत सिंह को शिबिर से बाहर भेजकर नवयुवक खिलाड़ियों के समक्ष एक उदाहरण पेश करें। यह वक्तव्य है। वक्तव्य से यह बहुत स्पष्ट है कि श्री सुरजीत सिंह को प्रशिक्षण शिविर से निष्कासित किया गया था। क्या मन्त्री महोदय का यह वक्तव्य है कि वह बगलौर में प्रशिक्षण शिविर में अभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि किसी खिलाड़ी का निष्कासन टीम में शामिल न किये जाने से भिन्न है। इस मामले में, मैं अभी भी यही कहता हूं कि सुरजीत सिंह को निष्कासित नहीं किया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के अध्यक्ष का वक्तव्य अभी पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने वक्तव्य पढ़ लिया है। उनका कहना है कि उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानों का बन्द किया जाना

*105. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देना बन्द कर दिया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार शेष निधियों के वितरण पर पुनर्विचार कर रही है?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि नेशनल एडल्ट एजूकेशन के लिये 200 करोड़ रुपया जो 5 साल के लिये नियत किया गया था, उसमें से कितना पैसा कौन-कौन सी आर्गेनाइज़ेशन्स को मिला और आर० एस० एस० को उसमें से कितना पैसा दिया गया?

एक माननीय सदस्य : आपको पता है।

श्री बी० शंकरानन्द : यह काफी लम्बी सूची है, जिसमें देश भर के हजारों केन्द्र दिए हुए हैं। इस आशय की शिकायतें हैं कि धनराशि कुछ साम्प्रदायिक संगठनों के हाथ में चली गई। मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : सदन को यह समझने का अधिकार है कि सरकारी पैसा कौन-कौन सी आर्गेनाइजेशन्स को मिला है। हमारा यह अधिकार है और हमें आफिशियल स्टेटमेंट चाहिये कि कितना पैसा किसको दिया गया है? बार-बार सिर्फ यह कह देना कि आर० एस० एस० को दिया, यह तो हमें अखबारों में पता लग जाता है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आवश्यक जानकारी दे दूंगा। यह लम्बी सूची है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मेरा यह प्रश्न है कि भारत जब सन् 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय हमारे देश में निरक्षर लोगों की आबादी कितनी थी, 1977 में कितनी रही और 1980 में अब कितनी है? पहले 30 सालों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रोग्राम में कितने लोगों को साक्षर बनाया गया?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि चूंकि देश में आबादी में वृद्धि हुई है, इसलिए निरक्षरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आंकड़े प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत कठिन है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : लेकिन इसका जवाब चाहिये कि 30 सालों में कितने लोगों को साक्षर बनाया, यह हमें देखना है।

अध्यक्ष महोदय : आप निश्चित जानकारी पूछ सकती हैं ।

श्री जगदीश टाईटलर : इन तथाकथित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में, जिन्हें जनता सरकार ने प्रारम्भ किया था, काफी मात्रा में धन खर्च किया था । क्या यह सच है कि उन्हें पढ़ाने के बजाय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का साहित्य और आर० एस० एस० के नेताओं के फोटोग्राफ वितरित किये गये और इस साहित्य की छपाई लागत की पूर्ति इस निधि से की गई ? यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से ऐसे संगठन हैं जिन्हें यह धन प्राप्त हुआ और क्या आर० एस० एस० साहित्य और आर० एस० एस० नेताओं के चित्रों के मुद्रण का व्यय भी इस निधि में से किया गया था, जिनका वितरण इन केन्द्रों में किया गया था ?

श्री बी० शंकरानन्द प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयम के बारे में सरकार को शिकायतें मिलती रही हैं । इस आशय की काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि धनराशि इस देश के कुछ साम्प्रदायिक संगठनों के हाथों में चली गई । मैं सभी शिकायतों की जाँच कर रहा हूँ ।

श्रीमती कृष्णा साही : प्रौढ़ शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार ने जो राशि आबंटित की थी, उसका कुछ प्रान्तों में इस प्रकार दुरुपयोग हुआ कि आर० एस० एस० की फिजिकल ट्रेनिंग पर खर्च किया गया । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे ।

श्री नारायण चौबे : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि उनके पास अभी तक इस बारे में आंकड़े नहीं हैं, कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने देश में प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त की है । उनका कहना है कि चूंकि आबादी में वृद्धि हो रही है इसलिए निरक्षर लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है । क्या यह सच नहीं है कि देश में निरक्षरता में उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, जिस अनुपात में आबादी में वृद्धि हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या यह सच है कि इस योजना के कार्यकरण की जांच करने के लिए पिछली सरकार ने एक समीक्षा समिति नियुक्त की थी और समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि यह योजना असफल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रौढ़ शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम की समीक्षा करेगी, जो तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी के निकट सम्पर्क वाले कुछ स्वैच्छिक संगठनों की सुरक्षा के लिए केवल उपकरण मात्र रहा है ?

श्री बी० शंकरानन्द : समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकार अध्ययन कर रहे हैं ।

राजस्थान में नये डाकघर तथा डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

*107. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान में कुल कितने नये डाकघर खोले जायेंगे ;

(ख) राजस्थान में कुल कितने शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में बदला जायेगा ; और

(ग) राजस्थान में कुल कितने उप डाकघरों को पूर्ण डाकघरों में बदला जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में लगभग 325 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। किन्तु तैयार की जा रही नई पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखकर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

(ख) और (ग) लगभग 10 विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उपडाकघर में बदला जा सकता है। आठ उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह जानना चाहता हूं कि आफिसिज को खोलने का आधार क्या है। पाली जिले में पालना स्टेशन पर आर० एस० एस० के लिए बराबर तीन साल से मांग की जा रही है। क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री कार्तिक उरांव : सबसे निचली श्रेणी के डाकघर का नाम विभागेतर शाखा डाकघर होता है और अगली श्रेणी के डाकघर का नाम विभागीय डाकघर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विभागेतर शाखा डाकघर खोलने का मानदण्ड यह है कि ग्राम या तो ग्राम पंचायत का मुख्यालय होना चाहिए या 2000 या अधिक की आबादी होनी चाहिए ; गांव वर्तमान डाकघर से 3 कि० मी० की न्यूनतम दूरी पर स्थित होना चाहिए और प्रस्तावित डाकघर की अनुमानित आय उसके अनुमानित लागत व्यय की कम-से-कम 25 प्रतिशत होनी चाहिए।

पहाड़ी आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के मामले में, गांव में डाकघर खोला जा सकता है, बशर्ते गांव या तो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है या वहां की न्यूनतम आबादी 1000 है, गांव वर्तमान डाकघर से 3 कि० मी० की न्यूनतम दूरी पर है और प्रस्तावित डाकघर की अनुमानित आय अनुमानित लागत व्यय की कम-से-कम 10 प्रतिशत है। इस प्रयोजन के लिए डेढ़ किलोमीटर का अर्ध-व्यास के अन्दर गांवों के एकीकृत समूह को भी हिसाब में लिया जा सकता है।

जहां तक रेल डाक सेवा का सम्बन्ध है, यह विचारार्थ एक सुझाव है।

पश्चिम बंगाल में सूखे के कारण फसल नष्ट होना

*108. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सूखे के कारण फसलों की कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(ख) किसानों को राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य ने कितनी सहायता मांगी है तथा केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य को कितनी सहायता दी ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक दी गई सहायता को अपर्याप्त समझा गया है और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल राज्य को और कितनी सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

भाग (क)	भाग (ख)	
पश्चिम बंगाल में सूखे से हुआ अनुमानित नुकसान	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई सहायता
1	2	3
1979-80	**1979-80**	**1979-80**
खरीफ से पूर्व	**खरीफ से पूर्व**	**खरीफ से पूर्व तथा खरीफ में**
4.75 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की सूचना मिली थी और 4.2 लाख हैक्टार क्षेत्र में बुवाई ही नहीं की गई। राज्य सरकार 225 करोड़ रुपये के मूल्य की फसल को नुकसान पहुँचाने का अनुमान लगाया था।	(1) राज्य सरकार ने 4352 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय की माँग की थी, जिसमें 1300 लाख रु० का अल्पकालीन ऋण भी शामिल है। (2) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 1.35 लाख मीटरी टन खाद्यान्न तथा रोजगार न देने योग्य श्रेणियों के व्यक्तियों व उनके परिवारों की सहायतार्थ 10,500 मीटरी टन खाद्यान्न भी मांगा गया था।	(1) जून, 1979 तथा दिसम्बर, 1979 में राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, खरीफ और खरीफ से पहले की अवधि के सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता के तौर पर कुल 2767 लाख रु० के अधिकतम खर्च की मंजूरी दी गई थी। (2) केन्द्रीय सरकार ने काम के बदले अनाज संबंधी सामान्य कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज संबंधी विशेष कार्यक्रम के तहत 2.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित करके निर्मुक्त किया, जिसमें पिछले वर्ष का बचा हुआ 0.30 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भी शामिल है। (3) रबी की फसलों के लिए 8 करोड़ रु० तथा खरीफ और खरीफ से पहले की अवधि के लिए
खरीफ	**खरीफ**	
7.05 लाख हैक्टार क्षेत्र में बुवाई ही नहीं की जा सकी तथा 8.50 लाख हैक्टार क्षेत्र के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गई थी। राज्य सरकार ने 467 करोड़ रु०	(1) राज्य सरकार ने 5022.40 लाख रु० की सहायता मांगी थी। (2) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 24500 मीटरी टन खाद्यान्न	

के मूल्य की फसल को नुकसान पहुंचाने का अनुमान लगाया था।	आवंटित किया गया।	5 करोड़ रु० का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया। (4) गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं वृद्ध, अशक्त, निराश्रित तथा अपंग व्यक्तियों और छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनाज के बदले पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6,700 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया।
1980-81	**1980-81**	**1980-81**
मई, 1980 के मध्य में राज्य सरकार ने सूचित किया कि चालू वर्ष के दौरान 10 जिलों में विभिन्न मात्रा में सूखे की स्थिति चल रही है। फसलों की अनुमानित क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।	राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है।	(1) केन्द्रीय सरकार ने काम के बदले अनाज संबंधी सामान्य कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज संबंधी विशेष कार्यक्रम के तहत 70,000 मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किया है। (2) खरीफ, 1980 के लिए 5 करोड़ रु० का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया। (3) भारत सरकार सख्त चट्टानी क्षेत्रों में पेय जल के कुओं का वेधन करने के लिए देशी विनिर्माताओं से रिगें खरीद रही है।

श्री पीयूष तिरकी : मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार ने 5022.40 लाख रु० की सहायता मांगी थी । केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के आधार पर जिन्होंने जून 1979 तथा दिसम्बर 1979 के दौरान राज्य का दौरा किया था तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 5,022.40 लाख रुपये की सहायता मांगी गई थी जबकि कुल 2,757 लाख रुपये की सहायता को स्वीकृति दी गई है । क्या मैं माननीय मंत्री से इस समिति के निष्कर्षों तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता का 50 प्रतिशत अस्वीकार किये जाने के बारे में जान सकता हूँ ।

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती । केन्द्रीय दलों ने जिन्होंने दौरा किया था, विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करने तथा इन सभी सूखाग्रस्त 11 राज्यों में केन्द्रीय सहायता की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की थी, तथा मेरा विचार है कि सूखे के कारण अन्य राज्यों को दी गई सहायता की तुलना में पश्चिम बंगाल सरकार को सबसे ज्यादा सहायता मिली है । जैसा कि मैंने सदन में बताया है कि पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित की गई अधिकतम सीमा 13 करोड़ रुपये थी जिसकी तुलना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश को केवल 10 करोड़ रु० मिले । अतः इस कारण से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ।

श्री पीयूष तिरकी : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि सामान्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आबंटित 70,000 मीटरी टन अनाज तथा 24,500 मीटरी टन के विशेष आबंटन में से पश्चिम बंगाल सरकार को पौष्टिक योजना के अन्तर्गत 6,700 मीटरी टन अनाज के आवंटन को मिलाकर अब तक वास्तव में कितना अनाज प्राप्त हुआ है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए आबंटित अनाज की सम्पूर्ण मात्रा पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी गई है तथा जहां तक मेरी जानकारी है उनके अनुसार उन्होंने सारी मात्रा का उपयोग कर लिया है, किन्तु जैसा कि मैंने बताया है हमें केवल 50 प्रतिशत अनाज का उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है ।

श्री संजय गांधी : क्या यह सच है कि इस संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सूखा राहत तथा अकाल राहत के लिए दी गई राशि का उपयोग भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्स) कार्ड-धारियों के लिए किया है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : महोदय यह सच है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है इस संबंध में हमें भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : महोदय यह सच है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को दिए गए अनाज की मात्रा के दुरुपयोग के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों की जांच करने के लिए हमने एक दल भेजा था तथा जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि पंचायतों में काम की देखभाल के लिए गॉवों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम के

बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से भुगतान किया गया तथा जैसा कि मैंने एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के उत्तर में पहले बताया है कि इस सहायता का उपयोग निजी भूमि के मालिकों के टैंको की मरम्मत के लिए भी किया गया है। यहां तक कि कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस अनुदान का उपयोग निजी भूस्वामियों के खेतों से रेत हटाने के लिए भी किया गया है। रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक ओर बहुत ही गंभीर अनियमितता यह की गई है कि वह कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार समितियों का गठन नहीं करने में असफल रही है। राज्य सरकार सत्तारूढ़ दल के विधायकों के अलावा अन्य दलों से सम्बद्ध विधायकों तक को शामिल करने के बारे में अनिच्छुक रही है। हम इन शिकायतों की जांच कर रहे हैं तथा हम जल्दी ही इस बात का निर्णय करेंगे कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र द्वारा निर्धारित किए गए मार्गनिर्देशों को मानने से इंकार करती है तो केन्द्र की नीति क्या रहेगी ?

श्री समर मुखर्जी : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री समर मुखर्जी : x x

श्री नारायण चौबे : माननीय मंत्री महोदय ने एक बहुत ही...xxx...प्रश्न जो एक बहुत बड़े व्यक्ति............(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये शब्द असंसदीय हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आक्षेप नहीं लगा सकते।

श्री नारायण चौबे : मुझे एक प्रश्न पूछना है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही सृजनात्मक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं यही बात चाहता हूं।

श्री नारायण चौबे : उन्होंने बताया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का इस्तेमाल निजी टैंकों की मरम्मत तथा निजी भूस्वामियों के खेतों से रेत हटाने तक के कार्यों हेतु किया गया है। जैसा कि आप जानते है कि वर्ष 1978 में पश्चिम बंगाल में भारी बाढ़ आई थी तथा सारे जिले जलप्लावित हो गए थे। लाखों एकड़ भूमि रेत से भरी गई थी तथा रेत और बाढ़ के मामले में केन्द्रीय सरकार के निदेशों का पालन नहीं किया जाता। ऐसी विनाश की स्थिति में जब लाखों एकड़ भूमि रेत से ढ़क गई हो तो क्या अनाज उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा रेत का हटवाना अनुचित था ?

---

xxकार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

xxxअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी करने की आदत है। उन्हें इसके लिए अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : राज्य सरकार की कृषकों की मदद करने के नीति को ध्यान में रखते हुए निजी भूस्वामियों के खेतों से रेत हटवाना आवश्यक हो सकता है, किन्तु कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तथा यह काम कार्य के बदले अनाज सहायता के उपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के विपरीत भी था।

श्री पीयूष तिरकी : चीनी, खाद्य तेलों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की धीमी सप्लाई के कारण, राज्य व्यापार निगम उद्योगों की कठिनाइयों को और बढ़ा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तित राशन दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह प्रश्न नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है तथा इसलिए माननीय सदस्य को अलग से प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को दिए गए धन अथवा अनाज का दुरुपयोग हुआ था। मैं यह जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार से धन की वसूली के लिए मंत्री महोदय क्या तरीका अपना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

पश्चिम बंगाल में काम के लिये अनाज कार्यक्रम के लिये खाद्यान्न की कमी।

*109. श्री नारायण चौबे : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से खाद्यान्न की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण पश्चिम बंगाल में काम के लिये अनाज कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के लिये खाद्यान्न का मांगा गया कोटा रिलीज करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 1979-80 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के पास लगभग 2,45 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा उपलब्ध थी। इसमें से, राज्य सरकार ने अब तक केवल 1,23 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उपयोग किए जाने के बारे में सूचित किया है। इस प्रकार, राज्य सरकार के पास खाद्यान्नों की काफी मात्रा है। इसके अलावा, वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य सरकार को 20,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की और मात्रा बंटित की गई है।

श्री नारायण चौबे : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को 2.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्न दिया गया है जिसमें से केवल 1.23 लाख मीटरी टन खाद्यान्न के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। पिछले प्रश्न के उत्तर में ही मन्त्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार ने उपलब्ध खाद्यान्न का पूरा उपयोग कर लिया था। इसे देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों उत्तर परस्पर विरोधी नहीं हैं। चूंकि केवल 50 प्रतिशत खाद्यान्न के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे खाद्यान्न का उपयोग नहीं किया गया है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : पश्चिम बंगाल सरकार के पास 2.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उपलब्ध था और उसमें से 1.23 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का उपयोग किया जा चुका है।

श्री नारायण चौबे : वास्तव में उन्होंने कितनी मात्रा का उपयोग किया। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि कितनी मात्रा के सम्बन्ध में उपयोग-प्रमाणपत्र दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों के साथ भी केन्द्र सरकार ऐसा ही व्यवहार करती है। क्या आप उनसे उपयोग प्रमाण-पत्र मांगते हैं और क्या यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही आप राज्यों को अनुदान देते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमारी यह प्रक्रिया रही है कि हम राज्यों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर ही इस बात का हिसाब लगाते हैं कि कितने खाद्यान्न का उपयोग हुआ है। पश्चिम बंगाल के मामले में 2.45 लाख मीटरी टन में से केवल 50 प्रतिशत का उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। जब मैं पश्चिम बंगाल गया था तो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने मुझे बताया कि जितना खाद्यान्न उन्हें दिया गया था वह समाप्त हो चुका है। यही उनका कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि काम के बदले अनाज कार्य-क्रम ठप्प हो गया है। कुछ जिलों में भयंकर सूखा पड़ा था और मानवीय आधार पर राज्य सरकार ने केन्द्र से कुछ और खाद्यान्न भेजने का अनुरोध किया था। उनके इस अनुरोध पर विशेष मामले के रूप में 20000 मीटरी टन खाद्यान्न की और मात्रा भेजी गयी यद्यपि अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सामान्यतः हम ऐसा नहीं करते। जहां तक हमें मालूम है केवल 50 प्रतिशत खाद्यान्न का ही उपयोग हुआ था क्योंकि इतनी ही मात्रा का उपयोग प्रमाणपत्र हमें प्राप्त हुआ है। हम खाद्यान्न की और मात्रा वहां भेजेंगे जिससे पश्चिम बंगाल में कार्य चलता रहे।

श्री समर मुखर्जी : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है······

अध्यक्ष महोदय : आप केवल पूरक प्रश्न कर सकते हैं। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : 2.45 लाख मीटरी टन के आवंटन में से हमें केवल 1.64 लाख मीटरी टन खाद्यान्न प्राप्त हुआ था। इसमें से 1.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्न के बारे में उपयोग प्रमाणपत्र दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे यह कहना है कि आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। आप स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। आप सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री समर मुखर्जी : राज्य सरकार को वास्तव में केवल 1.64 लाख मीटरी टन खाद्यान्न ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसमें से 80 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न के उपयोग किये जाने के बारे में सूचित किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री समर मुखर्जी : मेरा पूरक प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार को जितना खाद्यान्न दिया गया था उसमें से उन्होंने 50 प्रतिशत से कम का हिसाब दिया है......

अध्यक्ष महोदय : तो आपका प्रश्न क्या है ?

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न है कि उनको जितनी मात्रा मिली थी उसके 80 प्रतिशत से अधिक के सम्बन्ध में वे उपयोग प्रमाणपत्र दे चुके हैं और इस प्रकार वे उतनी मात्रा में खाद्यान्न लेने के हकदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं। श्री संजय गाँधी।

श्री नारायण चौबे : मैं दो पूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ। अभी मैंने केवल एक ही प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको दूसरा अवसर दूंगा।

श्री संजय गांधी : 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के नाम पर खाद्यान्नों के उपयोग में मार्क्सवादी सरकार के भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की बात सभी जानते हैं। क्या इसे देखते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसे कदम उठायेगी, जिससे और भ्रष्टाचार तथा दुरुपयोग न हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आक्षेप है। (व्यवधान)

श्री संजय गांधी : यह आक्षेप बिल्कुल नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जो अनियमिततायें पाई गई हैं उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले केन्द्र सरकार का प्रयास यह होगा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार से कहे कि वह इस बारे में धारणा का पता लगाये जाये और तभी हम आगे कोई निर्णय लेंगे। यदि तब भी वे इस तरह की अनियमिततायें करते रहेंगे तो हमें कोई और कार्यवाही करने का फैसला करना पड़ेगा।

श्री नारायण चौबे : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्ट प्रश्न करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया है कि 2.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। इस 2.45 लाख मीटरी टन में से पश्चिम बंगाल के पास वास्तव में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न पहुंचा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई खाद्यान्न की पूरी मात्रा राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार जब भी चाहे उसमें से खाद्यान्न ले

सकती है । पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टाक है । अतः इस कारण से खाद्यान्नों की सप्लाई न होने संबंधी कोई कठिनाई नहीं हो सकती । यह माना जा सकता है कि पूरी मात्रा निकाल ली गई है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं श्री संजय गांधी के कथन से उत्तेजित नहीं हुआ हूं क्योंकि वह जो कुछ बोलते हैं वह पार्टी प्रचार के रूप में होता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से सीधे-सीधे यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में विशेषकर धन के दुरुपयोग के बारे में जो बताया वह किस आधार पर बताया । इन सब बातों को बताने से पहले क्या माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह उनकी पुष्टि करवाने के बाद ही उनके बारे में कहे ? अन्यथा क्या यह पार्टी-प्रचार का हिस्सा नहीं बन जाता ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही वह बात कही थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय मेरे सीधे प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देंगे ? कितनी मात्रा में खाधान्नों का आवंटन किया गया था, कितनी मात्रा में खाद्यान्न पश्चिम बंगाल सरकार ने वास्तव में प्राप्त किया था उसमें से कितने का हिसाब अब तक दिया जा चुका है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह बात कई बार बताई जा चुकी है कि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए 2.45 लाख मीटरीटन खाद्यान्न आबंटित किया गया था और उसकी पूरी मात्रा राज्य सरकार के अधिकार में थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न यह है कि वास्तव में कितनी मात्रा उन्हें प्राप्त हुई ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : चूंकि राज्य के स्टाक में काफी खाद्यान्न है......

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं । पश्चिम बंगाल सरकार ने वास्तव में कितना खाद्यान्न प्राप्त किया ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वयं बताया, उसने खाद्यान्नों की पूरी मात्रा ले ली है और जहां भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न का स्टाक नहीं है वहां भी हमने.........(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक प्रश्न यह था कि कितनी मात्रा में......

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले दे चुके हैं, आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ;

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूछूंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : सबसे पहले, प्रश्न करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि वह यह नहीं कह सकते कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कदाचार किया है क्योंकि तत्संबंधी जांच के निष्कर्ष केन्द्र सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । आपको मालूम ही है कि भंयकर बाढ़ के दौरान तथा इस वर्ष भीषण सूखा पड़ने पर पश्चिम बंगाल में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई । सारे देश को, प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम है कि बाढ़ के समय......

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार को बहुत कम मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई के बावजूद उसने पश्चिम बंगाल में पड़े भीषण सूखे का डट कर मुकाबला किया ? ऐसी स्थिति में वहां 'कदाचार' का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या यह सही नहीं है कि मार्क्सवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बड़े-बड़े खेतों में उस गेहूँ का उपयोग किया गया है जो केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिया था ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं इन विशिष्ट शिकायतों पर विचार नहीं कर पाऊंगा। पश्चिम बंगाल में जांच के लिए गए दल ने जो सामान्यतः रिपोर्ट दी है उसके ही कुछ तथ्य मैंने सामने रखे हैं। यदि माननीय सदस्यों को 'कदाचार' और 'अनियमितताओं' शब्दों पर आपत्ति है और यदि उनके पास इनके लिए कोई हलका शब्द है तो इनके स्थान पर उसका प्रयोग करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि जहां किसी विशेष कार्यक्रम के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो वहां मेरे विचार से इन्हीं शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस बात के बावजूद कि 2.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्न राज्य सरकार के अधिकार में दे दिया गया था और यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया कि वह जब चाहे उसमें से खाद्यान्न ले और उसका उपयोग करे, राज्य सरकार ने क्यों खाद्यान्न नहीं लिया जिससे 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा ? क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया ? क्या ऐसा प्रशासनिक कारणों से हुआ या किन्हीं अन्य कारणों से ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री भागवत झा आजाद : नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह पहले बता चुका हूं कि यह मान लिया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्यान्न की पूरी मात्रा ले ली होगी और यह उसके पास होगी। जैसा कि उनका कहना है कि वे इसका उपयोग कर चुके हैं किन्तु हमें उपयोग-प्रमाणपत्र नहीं मिला है।

श्री बीजू पटनायक : क्या माननीय महोदय को पता है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय में जो कि राज्यों और भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों का आवंटन करता है, सुपुर्दगी में सामान्यतः तीन महीने से अधिक का समय लग जाता है और आबंटन व भारतीय खाद्य निगम को दिये गये निकासी आदेश तथा रेलवे या ट्रक से भेजने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय सदस्य ने सम्भवतः मेरी बात नहीं समझे। जैसे ही निकासी आदेश......

श्री बीजू पटनायक : मैं पूरी तरह से आपकी बात समझ गया हूं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए राज्य को दिए गए खाद्यान्न तथा राज्य में खाद्यान्न की ढुलाई के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए जैसे ही खाद्यान्न की कोई मात्रा जारी की जाती है वैसे ही राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम के किसी गोदाम में जाकर अपने आदेशों पर जिलावार खाद्यान्न ले सकती है। यदि भारतीय खाद्य निगम के पास कोई स्टाक न हो तब भी राज्य सरकार के पास कुछ स्टाक होता है जिसका वह इस कार्यक्रम के लिए उपयोग कर सकती है और बाद में उसकी पूर्ति कर दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री बीजू पटनायक : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री रामगोपाल रेड्डी।

श्री बीजू पटनायक : मंत्री महोदय को तथ्यों के बारे में गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। जब पश्चिम बंगाल या उड़ीसा जैसे किसी राज्य में भीषण सूखा या अकाल पड़ा हो या बाढ़ आई हो तो ऐसी स्थिति में......

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं अगले प्रश्न पर आ चुका हूं।

श्री बीजू पटनायक : यह बहुत अनुचित बात है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं।

सीधी टेलीफोन सेवा सुविधा के दुरुपयोग की शिकायतें

*** 110. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग को टेलीफोन उपभोक्ताओं से अवांछित व्यक्तियों द्वारा सीधी टेलीफोन सेवा सुविधा के दुरुपयोग की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : जी हां। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अनेक मामलों में जांच से पता चला है कि मीटर रीडिंग बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाई

गई तथा कोई अनधिकृत कनेक्शन नहीं पकड़ा गया। कुछ मामलों में अनधिकृत कनेक्शन पकड़े गए तथा अवैध कार्य में संलग्न पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई।

(ख) (1) अनधिकृत विपथन को बड़ा अपराध घोषित करने हेतु भारतीय तार कानून में संशोधन करने के लिए की जा रही कार्रवाई प्रगति पर है।

(2) कलकत्ता, बंबई, मद्रास तथा दिल्ली टेलीफोन जिलों में अचानक छापा मार कर किसी भी प्रकार के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्ते कायम किए गए हैं।

(3) इस प्रकार के मामलों को अधिक आसानी से पकड़ने के लिए चार्ज एनालाइजर आयात किए जा रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, कुछ अनधिकृत कनेक्शनों का पता लगाया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : इस संबंध में जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में मोटे तौर पर बता दिया गया हैं। हमारे पास सतर्कता दस्ता है जो इसकी तत्काल जांच करता है। इस संबंध में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी ठीक-ठीक संख्या मैं नहीं बता सकता। इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के बारे में मैं कह सकता हूँ कि 1-10-1979 से 31-3-1980 तक······

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या 21 दिन का नोटिस जानकारी एकत्र करने के लिए काफी नहीं था ? महोदय क्या इस सभा को इतना ही महत्व दिया जाता है ?

श्री सी०एम० स्टीफन : मुझे जानकारी एकत्र करने के लिए नहीं कहा गया है। मैंने केवल प्रसंगवश यह बात बताई है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 1-10-1979 से 31-3-1980 तक 55 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी शिकायतों की जांच की गई और तीन शिकायतों के मामले में यह पाया गया कि गलत कनेक्शन थे। एक मामले में कर्मचारी पकड़ा गया और उसे निलम्बित कर दिया गया। दूसरे मामले में जांच चलती रही किन्तु उसकी जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जा सकी। उसमें पाँच या छः व्यक्तियों का हाथ है और जांच अभी चल रही है। तीसरे मामले में जांच की जा रही है। जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है फौरन जांच शुरू कर दी जाती है। हमारा सतर्कता दस्ता उसकी जांच करता है। ऐसे मामले के कई पहलू होते हैं। पूरी चीज का विश्लेषण किया जाता है और हमारा भरसक प्रयास रहता है कि उसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ा जाए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : ऐसा बताया गया है कि ऐसे मामलों को और आसानी से पकड़ने के लिए 'चार्ज एनालाइजर' आयात किये जा रहे हैं। इनके आयात में कितना समय लग जायेगा।

श्री सी० एम स्टीफन : आयात के लिए विभिन्न चरणों पर कार्यवाही करनी होती है। हम अब अंतिम चरण में आ गये हैं, साख पत्र खोला जा चुका है और यह संभावना है कि वह हमें मिल जायेगा। मैं ठीक-ठीक यह नहीं कह सकता कि कब तक मिल जायेगा किंतु हम अंतिम चरण में हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था

*104. श्री छीतूभाई गामित : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पीने के पानी की समस्या हल करने के लिये विशेषकर अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में कुछ सहायता देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात में अकाल पीड़ित जिले कौन-कौन से हैं और केन्द्रीय सरकार वहां पेय जल की समस्या किस प्रकार हल करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

गुजरात सरकार के अनुसार, गुजरात के दस जिलों में 698 गांव सूखे से प्रभावित हैं जिनमें पेय जल पूर्ति का प्रबन्ध करना अपेक्षित है। जिलों के नाम और प्रभावित गांवों की संख्या इस प्रकार है :—

जिले का नाम	प्रभावित गांवों की संख्या
1. पंचमहल	243
2. साबर कण्ठा	233
3. बनासकण्ठा	37
4. कच्छ	38
5. अहमदाबाद	27
6. राजकोट	40
7. सुरेन्द्र नगर	36
8. भावनगर	30
9. जूनागढ़	4
10. डांग	10
योग	698

राज्य सरकार ने नए कुएं खोदने, मौजूदा कुओं को गहरा करने, पानी के टैंकरों और वाहनों के जरिये पानी की सप्लाई करने का एक प्रभावशाली कार्यक्रम चलाया है।

दालों का उत्पादन

*106. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान दालों का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) देश में बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 16.6.1980 को दालों के उत्पादन के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह वी० राठवा द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान देश में दालों के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया :—

वर्ष	उत्पादन दस लाख मीटरी टनों में
1977-78	11.97
1978-79	12.17

वर्ष 1979-80 के लिए दालों के उत्पादन के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रमुख उपाय नीचे दिये गये हैं :—

1. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दालों के विकास के लिए एक सघन कार्यक्रम 56 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जो देश में दालों की फसल के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई है। अन्य बातों के साथ-साथ इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है :— किसानों के खेतों पर प्रदर्शन करना, किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, रिजोबियम कल्चर का उत्पादन, बीज उत्पादन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और पौध रक्षण उपायों का विस्तार करना,

2. इसके अतिरिक्त, राज्य अपनी विधियों से दाल विकास शुरू कर रहे हैं ; और

3. उत्तरी राज्यों में गेहूं की कटाई के बाद ग्रीष्म मूंग की खेती और पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में चावल की परती भूमि में रबी मूंग/उड़द की खेती के विशेष अभियानों का आयोजन करके लोकप्रिय बनाया गया है।

राजस्थान में पेय जल के लिए सहायता

*111. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की पूरी लागत देने के लिए सहमत हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस क्षेत्र का ब्योरा क्या है जहां यह कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण राशि वापस किया जाना

*112. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन लोगों की धनराशि वापस करने का निर्णय किया है, जिन्होंने जनता पार्टी के शासन काल में मध्यम आय वर्ग, जनता और निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं। जब तक कि कोई पंजीयित व्यक्ति इसकी मांग न करें, जिसकी तब नियमानुसार अनुमति है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय बच्चों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष द्वारा खर्च की गयी राशि

*113. श्री पी०एम० सईद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष ने इस वर्ष भारतीय बच्चों के कल्याण के लिए भारत में लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस राशि को किन कार्यक्रमों में खर्च करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1980 के लिए भारत में कार्यक्रमों हेतु संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की सहायता प्राक्कलन नीचे दिए गए हैं :—

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के साधारण साधनों से कार्यक्रम धनराशियां	31.480 मिलियन डालर
नोटिड फण्ड्स	4.766 मिलियन डालर
जोड़	36.246 मिलियन डालर
	लगभग 30 करोड़ रुपए के बराबर

(ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष द्वारा बाल विकास के निम्नलिखित कार्यक्रमों को सहायता दी गई :-

(1) विकासात्मक और सहायक गतिविधियां ;

(2) समेकित बाल विकास सेवा तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम ;

(3) खाद्य और ग्राम टैक्नोलोजी ;

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ;

(5) जल और वातावरण की स्वच्छता ;

(6) प्राथमिक शिक्षा सुधार ;

(7) खाद्य और पोषाहार में उच्च शिक्षा ;

(8) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ;

(9) शहरी विकास (सामाजिक निवेशों की व्यवस्था) ;

(10) क्षेत्र विकास (सामाजिक निवेशों की व्यवस्था) ;

(11) बाढ़ राहत और पुनर्वास ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष से सहायता की व्यवस्था "मास्टर प्लान आफ ओपेरेशन्स" 1974-78" द्वारा नियन्त्रित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष तथा भारत सरकार द्वारा मिल कर क्रियान्वित किया जाता है। मास्टर प्लान आफ ओपेरेशन्स की अवधि को एक परिशिष्ट द्वारा 31 दिसम्बर, 1980 तक बढा दिया गया है । सम्बंधित मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के साथ परामंश से 1981-83 के तीन वर्षों के लिए एक नई मास्टर प्लान आफ ओपेरेशन्स तैयार की जा रही है।

पुस्तकालयों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति

*114. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पुस्तकालयों के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को पुस्तकालयों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विषयों में सरकार को परामर्श देने के लिए एक आयोग का गठन करने का है ,

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनाने तथा वर्तमान कानूनों को लागू करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शकंरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में जिलों (डिस्ट्रिक्ट टाउन) तथा राज्य की राजधानी के बीच टेलीफोन संबंध

*115. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सभी जिलों (डिस्ट्रिक्ट टाउन) को राज्य की राजधानी के साथ टेलीफोन सेवा से जोड़ किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी भी इस सेवा से जोड़ा जाना है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'सोलर पम्पो' का आयात

*116. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी कम्पनी से बिना सीमाशुल्क अदा किये 'सोलर पम्पों' के आयात के लिए उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है ; और

(ख) क्या उनके परीक्षण और उन्हें खेत में प्रयोग में लाकर देखने के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कोई सिफारिश की गयी है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं । इस मंत्रालय ने विदेशी कम्पनी से बिना सीमाशुल्क अदा किए सोलर पम्पों के आयात के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध नहीं किया है । तथापि, इस मंत्रालय ने बिना सीमा शुल्क अदा किए 100 सोलर पम्पों के घटकों के आयात

के लिए मैसर्स इण्डियन डैटोनेटरस लिमिटेड (श्राई० डी० एल०) कैमिकल्स लिमिटेड से प्राप्त एक प्रस्ताव की वित्त मंत्रालय से सिफारिश की थी।

(ख) जी नहीं। सोलर पम्पों के परीक्षण और उन्हें खेत में प्रयोग में लाकर देखने का कार्य मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है। तथापि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को सोलर पम्पों से सम्बन्धित परियोजना के गठन में पूर्ण रूप से सहयोजित किया गया है और उस विभाग का इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल में प्रतिनिधित्व है।

गुजरात में बाढ़, चक्रवात के कारण फसलों की क्षति

*117. श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि मंत्रि निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में 1978 तथा 1979 वर्षों के दौरान बाढ़, चक्रवात तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को कितनी क्षति हुई ;

(ख) क्या केन्द्रीय अध्ययन दल ने कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और केन्द्र द्वारा कितनी राज-सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) 1978 :– राज्य सरकार ने सूचित किया कि अगस्त 1978 में राज्य के कुछ भागों में भारी वर्षा हुई और बाढ़ें आई। जिससे लगभग 2.55 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ।

1979 :–अगस्त, 1979 में आई बाढ़ों से 4.75 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र के प्रभावित होने की सूचना मिली थी।

(ख) और (ग) 1978 :— 1978 की बाढ़ों के दौरान किसी भी केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा नहीं किया।

1979 :—केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के तौर पर 5060.28 लाख रुपए के अधिकतम खर्च की मंजूरी दी। इस धनराशि में से, 473 लाख रुपए की रकम छोटे और सीमांत किसानों छोटे मछुओं, दस्तकारों तथा छोटे व्यापारियों की राजसहायता तथा आंशिक रूप से/पूरी तरह क्षतिग्रस्त झोपड़ियों/मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए थी। अधिकतम खर्च का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है :—

खर्च की मद	(लाख रु०)
क. राहत	
1. सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए गए व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों की स्थापना करना तथा खाद्य, कपड़ा आदि की व्यवस्था करना	147.00
2. कीचड़/कूड़ा करकट आदि की सफाई करना	257.00

3.	निःशुल्क राहत	125.00
4.	दवायें वितरित करना	19.74
5.	मोरवी नगर में पानी की सप्लाई के लिए आपातकालीन उपाय	20.00
		568.74

ख. पुनर्वास

1.	कुओं/पम्पसेटों तथा कृषि औजारों की लागत के 25 प्रतिशत तथा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के हिसाब से छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए राज सहायता	40.00
2.	मृदा संरक्षण आदि के लिए लागत के 50 प्रतिशत के हिसाब से छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए राजसहायता	150.00
3.	छोटे तथा सीमांत किसानों को (जिसमें मालधारी भी शामिल हैं) पशुओं की खरीद के लिए लागत के क्रमशः 25 प्रतिशत तथा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के हिसाब से राज सहायता	100.00
4.	नौकाओं, जालों आदि को बदलने के लिए छोटे मछुओं अथवा उनकी सहकारी समितियों को एफ०एफ०डी० ए० पर राज सहायता	15.00
5.	मोरवी नगर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ी के लिए 200 रुपए तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त झोपड़ी/मकान के लिए 100 रु० के हिसाब से झोपड़ियों/मकानों की मरम्मत पुनर्निर्माण के लिए राजसहायता।	154.00
6.	औजारों को बदलने के लिए अनुदान के तौर पर 100 रु० तथा कच्चे माल की खरीद के लिए ऋण के तौर पर 150 रु० के हिसाब से दस्तकारों तथा छोटे किसानों को राज सहायता	14.00
7.	मोरवी नगर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रभावित गांवों में आवास-स्थलों का अधिग्रहण तथा विकास	25.00
8.	10 एकड़ से कम क्षेत्र में नमक बनाने वाले गैर-लाइसेंसशुदा निर्माण कार्यों के लिए नमक बनाने वाले कुओं/पैन्स से गाद मिट्टी निकालने व नमक बनाने संबंधी क्षेत्रों में पुश्तों, सड़कों की मरम्मत आदि के लिए प्रति एकड़ 200 रुपए के हिसाब से सहायता	15.00
9.	बाढ़ से प्रभावित निराश्रित व्यक्तियों के लिए कालोनी का पुनर्वास	55.00

10.	मोरवी-मालिया क्षेत्रों में आवास-स्थलों का विकास, अवस्थापना सुविधाओं तथा सेवाओं का सृजन, संस्थागत वित्त को जुटाने के लिए उत्प्रेरक धनराशि तथा बाढ़ों से नष्ट/क्षतिग्रस्त हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज के लिए राजसहायता	700.00
		1268.00
ग.	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्व्यवस्था	3223.54
	क+ख+ग का सकल योग	5060.28

हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला में अलग डाक तार सर्किल

*119. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला में अलग से प्रस्तावित डाक तार सर्किल के लिए भारत सरकार द्वारा-मंजूरी दिए जाने पर 15 दिन के भीतर आवास उपलब्ध करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश के बारे में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ; और

(ग) सर्किल की मंजूरी कब तक दी जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में "मजीठिया भवन" जिसमें 16,900 वर्गफुट स्थान है, देने की पेशकश की है परन्तु इसमें स्थान कम है जबकि कम से काम 26,000 वर्गफुट स्थान की आवश्यकता है । तदुपरान्त राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक भी क्वार्टर देने की पेशकश नहीं की है । प्रस्तावित डाक तार सर्किलों के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से 26,000 वर्गफुट स्थान कार्यालय हेतु तथा कम कम कर्मचारियों हेतु 70 क्वार्टर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

यमुना पार क्षेत्र, दिल्ली के लिए ले-आउट प्लान

*120. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना पार क्षेत्र का ले-आउट प्लान अनुमोदित कर दिया है तथा उसे प्रकाशित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वहां से ऐसे कितने लोगों को हटाने का विचार है जो वहां वर्षों से बसे हुए हैं;

(ग) क्या उन मकानों के बदले उनके लिये कोई अन्य वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई है;

(घ) ले-आऊट प्लान कब क्रियान्वित किये जाने का विचार है; और

(ङ) उसका ब्योरा क्या है?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुनापार क्षेत्र में 68 अनधिकृत कालोनियों के ले-आउट नक्शों का मसौदा अनुमोदित कर दिया है और जनता से सुझाव/ आपत्तियां मांगने के लिये उनके द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है।

(ख) इन ले-आऊट नक्शों के मसौदों के अनुसार लगभग 550 संरचनाएं प्रभावित होती हैं।

(ग) अभी नहीं।

(घ) तथा (ङ): किसी समय सीमा का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है लेकिन हम इसे शीघ्र करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

जनसंख्या के आधार पर राज्यों के लिए चीनी का कोटा निर्धारित करना

*121. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को खाद्यान्न का वितरण करने का मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार राज्यों के लिये चीनी का कोटा जन संख्या के आधार पर निर्धारित करने पर विचार कर रही है जैसाकि पश्चिम बंगाल सरकार ने मांग की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) (क): राज्य सरकारों द्वारा बतायी गई जरूरतों के अनुसार विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, केन्द्रीय भण्डार में समूची उपलब्धता, मंडी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रख कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए केन्द्रीय भंडार से विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के आबंटन प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते है।

(ख) और (ग) लेवी चीनी के वर्तमान राज्यवार-आबंटन 1-4-1978 के लिए उल्लिखित जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किए जाते हैं। इस मौसम में चीनी के उत्पादन में भारी कमी होने और आगामी मौसम के शुरू होने तक स्टाक को सुरक्षित रखने की आवश्यकता की दृष्टि में वर्तमान जनसंख्या के संदर्भ में पूरे आबंटन करना और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करना सम्भव दिखाई नहीं देता है।

राजस्थान में स्थान का कार्यकाल पूरा करने वाले मंत्रालय के अधिकारी

817. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर (राजस्थान) में संचार मंत्रालय के अधीन निदेशक के पद तक के ऐसे कितने

राजपत्रित अधिकारी हैं जो 4 वर्ष की अवधि और 6 वर्ष का स्थान (स्टेशन) का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अधिकारियों का किन-किन आधारों पर स्थानान्तरण नहीं किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 8 अधिकारियों ने 6 वर्ष का स्थान (स्टेशन) कार्यकाल तथा 5 अधिकारियों ने 4 वर्ष की पदावधि पूरी कर ली है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिकारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। स्थानान्तरण केवल पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने अथवा किन्हीं बहुत खास वैयक्तिक कारणों की स्थिति में ही किए जाते हैं।

विवरण

अनुबंध

(1) श्रीमती जे० के० नीलम, सहायक पोस्टमास्टर जनरल, जयपुर—14-1-74 से 8-5-75 तक और निदेशक डाक सेवा–14-7-75 से आगे।

(2) श्री वी० पी० कौशल, पोस्टमास्टर जयपुर मुख्य डाकघर—11-6-73 से आगे।

(3) डा० (श्रीमती) विमला जैन, महिला चिकित्सा अधिकारी, डाक तार औषधालय जयपुर 14-11-72 से आगे।

(4) श्री ए० एल० चोपड़ा, उपमंडल अधिकारी, दूरसंचार—जून 1973 से आगे।

(5) श्री आर० एन० दास, सहायक इंजीनियर—जुलाई 1972 से आगे।

(6) श्री आर० एन० सिंह, सहायक इंजीनियर—सितम्बर 1972 से आगे।

(7) श्री बी० एस० सक्सैना, सहायक निदेशक—सितम्बर 1973 से आगे।

(8) श्री डी० के० गुप्ता, जिला प्रबन्धक, टेलीफोन—1972 से आगे।

(9) श्री टी० वी० एन० गुप्ता, कल्याण अधिकारी—24-1-75 से आगे।

टिप्पणी :— 1. उपरोक्त पहले आठ अधिकारियों ने उस स्थान (स्टेशन) पर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।

2. सूची में क्रम सं० 1 से 4 तक तथा क्रम सं० 9 के पांच अधिकारियों ने 4 वर्ष की पदावधि पूरी कर ली है।

भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास को खाली करना

819. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भूतपूर्व संसद् सदस्यों ने सरकारी आवास खाली नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भूतपूर्व संसद् सदस्यों की ओर दिनांक 1 अप्रैल, 1980 को किराए के रूप में कितनी धनराशि बकाया थी और इन भूतपूर्व संसद् सदस्यों ने लोक सभा भंग हो जाने अथवा राज्य सभा से अपनी सदस्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् कितनी-कितनी अवधि तक सरकारी आवास को अपने कब्जे में रखा;

(ग) यदि हां, तो इन आवासों को खाली करवाने और बकाया की वसूली करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे कितने वर्तमान संसद् सदस्य हैं जो नियमित सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) छठी लोक सभा के उन भूतपूर्व संसद् सदस्यों के नामों और 1-4-80 को उनसे देय किराये के बकाया की राशि का विवरण संलग्न है जो सरकारी वास के अभी तक दखल में हैं। राज्य सभा के भूतपूर्व संसद् सदस्यों के नाम शामिल नहीं किये गये हैं क्योंकि उनकी सदस्यता की अवधि केवल 2 अप्रैल, 1980 को समाप्त हुई है।

(ग) उन भूतपूर्व संसद् सदस्यों के मामले को छोड़कर जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां 7वीं लोकसभा के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, इन सभी मामलों में मकानों को खाली करवाने के लिये लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की वेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत वेदखली की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। जहां तक किराये के बकाया की वसूली का संबंध है, इन संसद् सदस्यों का हिसाब तब चुकता किया जाएगा जब उन से मकान खाली करवा लिये जाएंगे, और यदि कोई राशि देय पाई गई तो उन संसद् सदस्यों को अदा की जाने वाली राशि में से उसे काटने के लिये लोक सभा को सूचित कर दिया जाएगा। यदि फिर भी कोई बकाया राशि वसूल करने के लिये रह जाती है तो बकाया राशि को वसूल करने के लिये उपर्युक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।

(घ) संसद् सदस्यों को वास का आबंटन संबंधित संसदीय आवास समिति द्वारा किया जाता है। उन जिन मौजूदा संसद् सदस्यों के पास नियमित सरकारी वास नहीं है उनकी संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

लोक सभा के उन भूतपूर्व संसद् सदस्यों के ब्यौरों और 1-4-1980 को किराये के बकाया यदि कोई हो, का विवरण, जिन्होंने सरकारी वास खाली नहीं किया है।

क्रम स०	भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम	रिहायश	1-4-80 को देय राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	सर्वश्री		(रुपये)	
1.	आर० एल० कुरील	52-ए०, 54 सी० नार्थ एवेन्यू	4,176.41	
2.	भगवान दास राठौर	150-ए०, नार्थ एवेन्यू	3,404.26	

1	2	3	4	5
3.	के० पी० देब बर्मन	12, तीन मूर्ति लेन	-शून्य-	
4.	एम० एम० जोशी	39, मीना बाग	-शून्य-	
5.	श्रीमती प्रमलाभाई डी० चव्हाण	सी० 112, हुमायू० रोड	-शून्य-	
6.	पी० वी० प्रियस्वामी	80, 82 नार्थ एवेन्यू	6,340.92	
7.	अमृत नहाता	127-129, साउथ एवेन्यू	-शून्य-	
8.	के० एल० महाला	144-146, साउथ एवेन्यू	5,093.30	
9.	एस० आर० दमणी	13 जनपथ	-शून्य-	
10.	नरेन्द्र सिंह	79, साउथ एवेन्यू	3,188.92	
11.	पुण्डलिक हरि दण्वे	115-117 साउथ एवेन्यू	3,280.09	
12.	अहमद हुसैन	151, साउथ एवेन्यू	292.14	(असम के भूतपूर्व संसद
13.	पी० एन० सिन्हा	33, मीना बाग	667.93	(सदस्यों को उस समय
14.	डी० के० बरुआ	23, तुगलक रोड	-शून्य-	(तक वास रखने की अनु-
15.	तरुण गोगोई	76-सी०, नार्थ एवेन्यू, सर्वेन्ट क्वार्टर 103 तथा गैराज 114, नार्थ एवेन्यू	266.34	(मति दे दी गई है जब (तक उस राज्य में चुनाव (प्रक्रिया पूरी नहीं हो
16.	बिरेन सिंह इंग्ती	77बी, नार्थ एवेन्यु, सर्वेन्ट क्वार्टर 64, नार्थ एवेन्यू	-शून्य-	(जाती।
17.	गंगासिंह (लाहौलस्पीती)	82, साउथ एवेन्यू	327.30	चुनाव नहीं हुआ
18.	श्याम सुरेन्द्र गुप्ता	33, केनिंग लेन	5,333.25	
19.	वयालार रवि	19, फिरोजशाह रोड तथा गैराज नं० 4, नार्थ एवेन्यू	95.40	बंगला 20-3-80 को खाली हुआ।
20.	हुकम चन्द कछवई	19, विंडसर प्लेस तथा गैराज नं० 16, जनपथ	3,641.97	बंगला 12-3-80 को खाली हुआ परन्तु गैराज खाली नहीं किया।
21.	हरिलाल प्रसाद सिन्हा	सर्वेन्ट क्वार्टर 19, साउथ एवेन्यू गैराज एस 25 साउथ एवेन्यू	567.87	फ्लैट नं० 20 साउथ एवेन्यू 12-1-80 को खाली किया गया लेकिन गैराज खाली नहीं किया

1	2	3	4	5
22.	बी० एस० रामूवालिया	सर्वेन्ट क्वार्टर 10-बी० वेस्टर्न कोर्ट	—	मीना बाग का बंगला नं० 10, 21-5-80 को खाली कर दिया गया है लेकिन सर्वेन्ट क्वार्टर खाली नही किया।
23.	कृष्ण कांत	गैराज नं० 2190, टेलीग्राफ लाइन	4,280.64	टेलीग्राफ लेन का बंगला नं० 2, 7-3-80 को खाली किया गया।
24.	भागीरथ भव्वर	214-एफ०, नार्थ एवेन्यू तथा सर्वेन्ट क्वार्टर-56, नार्थ एवेन्यू	2,754.95	लेकिन गैराज खाली नहीं हुआ।
25.	एन० के० सुन्दरम	24-केनिग लेन	-शून्य-	
26.	फतेह सिंह राव गायकवाड़	7-डुप्लेक्स लेन	-शून्य-	
27.	बी० ए० सईद मोह०	23-अशोक रोड	13,095.92	
28.	भारत भूषण	3-तालकटोरा रोड	-शून्य-	
29.	श्रीमती रेणुका देवी बरगटकी (असम)	ए० बी० 19, मथुरा रोड	764.38	चुनाव अभी होना है।
30.	बी० पी० मण्डल	21-जनपथ	5,350.95	वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कमीशन के अध्यक्ष हैं तथा निवास स्थान के नियमितीकरण का मामला विचाराधीन है।
31.	के० चिकलिगेया	सूट नं० 34, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	2,432.95	2-6-80 को बास सील कर दिया गया।
32.	एल० के० डोली (असम)	सूट नं० 7 तथा 115 गैराज नं० 5, वी०पी० हाऊस	1,427.40	चुनाव अभी होना है।
33.	पी० मोहनरंगन	10-डा० बी० डी० मार्ग	3,683.11	17-3-80 को बंगला खाली कर दिया गया है लेकिन संलग्न सर्वेन्ट क्वार्टर और गैराज खाली नहीं किया गया।

1	2	3	4	5
34.	राम किशन	18-महादेव रोड	1,718.77	11-2-80 (अपराह्न) को खाली कर दिया गया था। दो सर्वेन्ट क्वार्टर खाली नहीं किये गये।

टिप्पणी :— उन भूतपूर्व मंत्रियों के नाम विवरण में नहीं दिये गये जिन्होंने वास अभी खाली नहीं किया है।

गुजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए संस्थाओं का पुनरीक्षण तथा निरीक्षण

820. श्री नवीन रवाणी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जिन 112 संस्थानों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुदान दिए गए हैं उनका चालू वर्ष में कोई पुनरीक्षण तथा निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनरीक्षण तथा निरीक्षण का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि आबंटित अनुदानों का उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है; और

(ग) गुजरात राज्य में केन्द्र-वार इस योजना के अन्तर्गत कितने निरक्षरों को साक्षर बनाया गया ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क), (ख) और (ग) चालू वर्ष में गुजरात की उन 112 संस्थाओं में कोई विशिष्ट पुनरीक्षण अथवा निरीक्षण नहीं किया गया है जिन्हें "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना" के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। तथापि, गुजरात की 47 स्वैच्छिक एजेंसियों का जिन्होंने अगस्त 1978 में अपने क्षेत्र कार्यक्रम के छह माह पूरे कर लिए थे, सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद द्वारा तत्काल मूल्यांकन किया गया। गुजरात राज्य के 10301 केन्द्रों में 31 जनवरी, 1980 को कुल दाखिलों की संख्या 3,25,227 थी। स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान दिए जने से पहले राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्रों को भारत सरकार के पास भेजने से पहले अलग-अलग जांच करें। अलग-अलग आवेदन पत्रों की जांच इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा गठित सहायता-अनुदान समिति द्वारा की जाती है। अनुदान की अगली राशि जारी किए जाने से पहले एजेंसियों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट और लेखों के विवरण भी प्राप्त किए जाते हैं। राज्य सरकारों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र अधिकारियों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करें। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समीक्षा समिति ने, जिसने 13-4-1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इस संबंध में निर्णय समिति की अन्य सिफारिशों के साथ किया जाएगा।

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों में फालतू अध्यापक और चपरासी

821. श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 जुन, 1980 को अलग-अलग कितने पुरुष एवं महिला स्नातकोत्तर अध्यापक, स्नातक अध्यापक (विज्ञान) स्नातक अध्यापक (सामान्य), सहायक अध्यापक, कार्य-अनुभव अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक फालतू थे; और

(ख) दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 जून, 1980 को कितने पुरुष एवं महिला चपरासी फालतू थे ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में 1-6-1980 को विभिन्न श्रेणियों के फालतू शिक्षकों की स्थिति निम्नलिखित है :—

श्रेणी	पुरुष	महिला
1. स्नातकोत्तर शिक्षक	52	22
2. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विज्ञान)	1	—
3. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामान्य)	14	2
4. सहायक अध्यापक	11	18
5. कार्यशाला अनुभव शिक्षक	—	—
6. प्रयोगशाला सहायक	—	—

(ख)

श्रेणी	पुरुष	महिला
चपरासी	17	—

संस्थाओं में विकलांग बच्चों को रियायत

822. श्री के० मालन्ना : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्राइवेट, पब्लिक और सरकारी संस्थाओं को यह अनुदेश दिए हैं कि विकलांग बच्चों की फीस में रियायतें दी जाएं और उनके दाखिले के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में विभिन्न पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाने वाले विकलांग बच्चों की आयु वार संख्या कितनी है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे विकलांग बच्चों की संख्या इस प्रकार है :—

स्कूल का नाम	विकलांग छात्रों की संख्या
1. मार्डन स्कूल	एक - कक्षा V
2. एयर फोर्स सैन्ट्रल स्कूल	कोई नहीं
3. सावन पब्लिक स्कूल	एक - आयु-14 वर्ष
4. दिल्ली पब्लिक स्कूल	एक

दक्षिणी क्षेत्र में तकनीकी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

824. श्री ऑस्कर फर्नान्डीस : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा स्तरों के कुछ तकनीकी संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष सीधी वित्तीय सहायता मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) 1976-77 से आरम्भ होने वाले गत चार वर्षों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र की तकनीकी संस्थाओं को दिए गए अनुदानों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	(लाख रुपए)
आन्ध्र प्रदेश	15.35
तमिलनाडु	82.70
कर्नाटक	32.25
केरल	34.14
पांडिचेरी	3.50

खर्च के ब्यौरे के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार केवल तमिलनाडु राज्य ने ही धन का संतोषजनक रूप से उपयोग किया है। योजना के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों के निष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन अभी किया जाना है।

पुस्तक प्रदान अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय को प्रकाशनों की सप्लाई

825. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई और पुस्तक प्रदान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, प्रकाशकों से कितने प्रकाशन प्राप्त कर सका ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ने पुस्तक और अखबार संवितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत 58,139 पुस्तकें प्राप्त की। तथापि, संदर्भाधीन किसी वर्ष की प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या का पता लगाना संभव नहीं है।

सरकारी आवास

826. श्री भीखाभाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाईप-3 सरकारी आवासों के आबंटन के लिए वेतन की पात्रता को 500 रुपये-669 रुपये को 500 रुपये-999 रुपये तक बढ़ा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियमों में इस परिवर्तन के कारण टाईप—3 श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में बहुत वृद्धि हो गई है ;

(ग) क्या सरकार टाईप—3 आवास पर पढ़ने वाला भार कम करने के लिए टाईप-2 आवास की वेतन सीमा में वृद्धि करने का विचार करेगी ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि टाइप-3 आवास की तुलना में आवास टाइप-2 आवास के आबंटन की स्थिति वेहतर है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां। टाइप-3 के लिए पहले पात्रता, उन सरकारी कर्मचारियों को थी जिनका वेतन 700 रुपये से कम किन्तु 500 रुपये से कम न था। 1-12-78 से टाइप—3(सी) क्वार्टरों की पात्रता संशोधित कर दी गई है जिन कर्मचारियों का वेतन 1000 रुपये से कम किंतु 500 रुपये से कम न हो।

(ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इसका टाइप —2 वास के पात्र, निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) जी, नहीं। टाइप—2 में परितुष्टि की प्रतिशतता टाइप—3 से अपेक्षाकृत कम है।

सरकारी आवास रहित सरकारी कर्मचारी

827. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी में बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के ऐसे

कर्मचारी हैं जिनकी सेवावधि बहुत हो गई है किन्तु उन्हें अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है तथा वे बहुत अधिक किराया देकर गैर सरकारी मकानों में रह रहे हैं ;

(ख) विभिन्न आवास-श्रेणियों के अन्तर्गत एक जनवरी, 1980 को प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी है ;

(ग) राजधानी में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की आवास की मांग तथा उपलब्धता में अंतर कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) सेवा निवृत/सेवा से निकाले गए सरकारी अधिकारियों के अभी तक अनधिकृत कब्जे में कितने सरकारी मकान हैं तथा उन्हें यथाशीघ्र खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) राजधानी में बहुत से सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल वास नहीं दिये गए हैं। ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए गए निजी प्रबंध और दिए जा रहे किरायों के बारे में मालूम नहीं है।

(ख) भिन्न-भिन्न टाइपों में प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :—

टाईप ए	6133	टाईप बी	24646
टाईप सी	14397	टाईप डी	3068
टाईप ई	1546	टाईप ई-1	872
टाईप ई-2	141	टाईप ई-3	90

(ग) सरकार ने दिल्ली में मुख्यतया टाईप ए, बी और सी में सामान्य पूल के लिए 15300 रिहायशी एककों का निर्माण करने का एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है। इनमें से 9919 एकक निर्माणाधीन हैं।

(घ) इस समय 379 क्वार्टर अनधिकृत दखल में हैं। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत मकान खाली करवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। किन्तु, सेवा निवृत कर्मचारियों के मामले में जिसका पुत्र/अविवाहित पुत्री/पति, पत्नी सामान्य पूल से वास के आबंटन का पात्र हैं, यह निर्णय लिया गया है कि उस समय तक वास्तविक बेदखली रोक दी जाए जब तक कि ऐसे पात्र व्यक्तियों को तदर्थ आबंटन देने के पूर्ववर्ती रियायत जिसे मई, 1978 में वापस ले लिया गया था, का पुनरीक्षण पूर्ण नहीं हो जाता और सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता।

तुरा, मेघालय में माइक्रोवेव स्टेशन

828. श्री पी० ए० संगमा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार तुरा, मेघालय में एक माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि धुबरी से सम्पर्क जोड़ने के लिए तुरा में एक यू० एच० एफ० रेडियो रिले स्टेशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। मार्ग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा प्राक्कलन की मंजूरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। यू० एच० एफ० योजना के 1982-83 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

यमुना, बिहार, दिल्ली में पाइप बिछाना

829. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक कालोनी यमुना बिहार के सभी ब्लाकों में पीने के पानी के लिए नल तथा मल-जल निकास के लिए लाइनें बिछा दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) पीने के पानी के लिए नल तथा मल-जल निकास के लिए लाइनें बिछाने के कार्य कब तक पूरे हो जाने की संभावना है और वे कब तक काम करना प्रारम्भ कर देंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) **जलपूर्ति** : कुल 17 ब्लाक हैं (सी०-1 से सी०-12 तक) (बी०-1 से बी०-5 तक)। सी०-1 से सी०-4 तक के ब्लाकों में पीने के पानी की पाइप लाइन बिछा दी गई है। शेष ब्लाकों में यह कार्य प्रगति पर है।

मल-जल निकास : सी०-1 से सी०-6 तक के ब्लाकों में सीवर डाल दिए गए हैं। शेष ब्लाकों में यह कार्य प्रगति पर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यह विलम्ब दिल्ली नगर निगम द्वारा योजना के अनुमोदन में देरी करने के कारण हुआ।

(ग) यह आशा है कि पानी और सीवर लाइनों का कार्य पूरा हो जायेगा और 1980 के अन्त तक ये काम करना आरम्भ कर देंगे बशर्ते कि भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध हो जाए।

पश्चिम बंगाल में सूखा-राहत सम्बन्धी लेखा-जोखा

831. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूखा-राहत कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले 50,000 टन खाद्यान्न के तदर्थ अनुदान को भेजना तब तक के लिए रोक दिया है, जब तक कि गत वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत न कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुए ऐसे कितने राज्यों को और तदर्थ अनुदान प्रदान कर दिया गया है, जिन्होंने आंशिक रूप में भी अपने यहां का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया है ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार आंशिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में असफल रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 20,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा विशेष मामले के रूप में पहले ही आंटित की जा चुकी है, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष के पूर्ण लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल को छोड़कर, किसी भी राज्य सरकार, जिसने गत वर्ष में आंटित खाद्यान्नों की कम-से-कम 50 प्रतिशत मात्रा को उपयोग में लाने की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी को खाद्यान्नों की कोई और मात्रा नहीं दी गई है।

(ग) जी हां। अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1979-80 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें उपयोग के लिए उपलब्ध की गई लगभग कुल 2.45 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा के मुकाबले में 1.23 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उपयोग में लाए जाने के बारे में सूचित किया है।

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में उर्वरकों की कमी

832. डा० फरूक अब्दुल्ला :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य को अप्रैल-मई 1980 के दौरान उर्वरकों की भारी कमी का सामना करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में उर्वरकों की कमी का इस वर्ष की फसल पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य की कुल मांग क्या थी और कितने उर्वरक की सप्लाई की गई ;

(घ) उर्वरक संकट को दूर करने के लिए राज्य को उसकी सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) जम्मू-कश्मीर राज्य को अब तक कितने उर्वरक सप्लाई किये गये हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) राज्य सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में उर्वरक की कमी से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग), (घ) तथा (ङ) राज्य को खरीफ, 1979 में वास्तविक खपत, खरीफ 1980

के लिए अनुमानित आवश्यकता, दिनांक 1-2-1980 को राज्य के पास अनुमानित आदिशेष, कुल निवल आवश्यकता, आबंटित मात्रा तथा सप्लाई की गई मात्रा से सम्बन्धित आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(आंकड़े हज़ार मीटरी टन में)

मद	एन	पी	के	एन+पी+के
(क) खरीफ, 1979 में वास्तविक खपत	11.21	2.09	0.56	13.86
(ख) खरीफ, 1980 के लिए अनुमानित आवश्यकता	17.00	2.23	1.50	20.73
(ग) 1-2-1980 को राज्य के पास अनुमानित आदिशेष	3.47	0.64	0.55	4.66
(घ) मार्गस्थ भण्डार के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए कुल निवल आवश्यकता	14.88	1.76	1.04	17.68
(ङ) आबंटित की गई मात्रा (खरीफ : फरवरी-जुलाई, 1980)	20.90+	5.30+	1.54+	27.74+
(च) सप्लाई की गई मात्रा (फरवरी-मई, 1980)	15.25	2.00	0.10	17.35

+राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त अनुरोधों पर आबंटित की गई अतिरिक्त मात्रा।

शेष सप्लाई जून-जुलाई, 1980 के दौरान किए जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि वैगन उपलब्ध हों और राज्य सरकार के पुन: अबंटियों द्वारा वित्तीय व्यवस्था कर दी जाए।

ग्रामों में पेय जल की कमी

833. श्री जय नारायण रौत : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1980 से आज तक पेयजल की कमी के कारण राज्यवार कितने ग्रामों को संकट झेलना पड़ा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : राज्यों में उन ग्रामों की संख्या नीचे दी जाती है जो वास्तविक रूप से सूखे की स्थिति से प्रभावित हैं और जहां पेय जल की आवश्यकता है :—

बिहार	6767
मध्य प्रदेश	20,374
उड़ीसा	15,200
राजस्थान	3,251
उत्तर प्रदेश	5,570
पश्चिम बंगाल	8,896

उर्वरकों का आयात

834. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्षों में सरकार का उर्वरक आयात करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो यह आयात किन देशों से किया जाएगा और कितने मूल्य का किया जाएगा ;

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

सूखा प्रभावित गांवों में पेयजल की सप्लाई

835. श्री के० पी० सिंह देव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पेयजल की सप्लाई की दिशा में गत तीन मास में उससे अधिक काम किया है कितना कार्य गत तीन वर्षों के दौरान किया गया ; और

(ख) सरकार गावों में पेयजल की सप्लाई की समस्या को कब तक हल करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यह सही है कि सूखे से राहत सम्बन्धी व्यवस्था पर प्रधान मंत्री के 12 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर, केन्द्र व राज्य सरकार के सभी संसाधनों तथा सभी प्रकार के दीर्घावधि व अल्पावधि उपायों को पिछले अगस्त से चली आ रही सूखे की इस स्थिति का सामना करने के लिए तीव्र किया गया है।

(ख) देश में सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में 1980–85 की अवधि के दौरान पेय जल की सप्लाई करने का विचार है।

पेयजल की उपलब्धता के संबंध में सर्वेक्षण

836. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1978 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश के 5.7 लाख गावों में से 1.5 लाख गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप 15 करोड़ लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पेयजल की सप्लाई के लिये 1980 में भी सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कितने गावों में पेयजल की अब भी कमी है और इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग) भारत सरकार के कहने पर 1972 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह विदित हुआ है कि देश में कुल 5.76 लाख गांवों में से लगभग 1.53 लाख ग्राम समस्याग्रस्त है । (अर्थात् वे गांव जिनमें 1.6 कि० मी० की दूरी तक कोई जल स्रोत नहीं है या 15 मीटर की गहराई के अन्दर जल उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध जल प्रयोग के लिये उपयुक्त नहीं है ।) इसके बाद राज्य, समय-समय पर सूचित करते आ रहे हैं कि 'समस्याग्रस्त' गांव इनसे भी और अधिक हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि 1-4-1980 तक ऐसे गांवों की संख्या जिन्हें अभी भी सुरक्षित पेय जल देने की व्यवस्था की जानी है, 2 लाख के लगभग है और इनकी आबादी लगभग 12.25 करोड़ की है ।

राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के संसाधनों से वर्ष 1980-85 के दौरान शेष समस्या ग्रस्त गांवों में पेयजल का प्रबन्ध करने का विचार है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पानी

837. श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार का सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हाथ के पम्प लगाने का कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो अब तक लगाये गये हाथ के पम्पों तथा लगाये जाने वाले हाथ के पम्पों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हाथ के पम्प लगाये गये हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का भविष्य में वहां हाथ के पम्प लगाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इस मामले की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है । तथापि, केन्द्रीय सरकार (i) कठोर चट्टानी क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिए डी० टी० एच० रिगों की संख्या उनके भण्डार बढ़ाने, (ii) सूखाग्रस्त राज्यों को अग्रिम प्लान सहायता देने, (iii) समस्यग्रस्त गावों में पेयजल मुहैया करने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का नियतन करने (iv) हैण्डपम्प बनाने के लिए उच्च अग्रता आधार पर इस्पात प्राप्त करने में, और (v) प्रभावित क्षेत्रों को पानी की सप्लाई के लिए आकस्मिकता प्लान बनाने में मार्गदर्शन दे करके राज्यों की सहायता कर रही है ।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों का कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

सूखाग्रस्त राज्यों के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में किए जाने वाले नलकूपों का लक्ष्य एवं कार्य निष्पादन

17-5-1980 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक की प्रगति

क्रम सं०	राज्य	उन सूखाग्रस्त ग्रामों की सं० जिनमें पेयजल की सप्लाई की जाती है	अप्रैल के अन्त तक उपलब्ध रिगों की संख्या	लगाए जाने वाले नलकूपों की संख्या	दिसम्बर, 79 के अन्त तक पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	जनवरी—मार्च के दौरान पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	अप्रैल के दौरान पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	17 मई को समाप्त होने वाले सप्ताह तक मई, 80 के दौरान पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	17 मई को समाप्त होने वाले सप्ताह तक पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	शेष नलकूपों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11 (5—10)
1.	बिहार	6767	32	2054	708	479	180	123	1490	564
2.	मध्य प्रदेश	20374	117	8246	1531	2616	419	295	4861	5385
3.	उड़ीसा	15200	21 ख	6518 क	3207	1575	585	115	5522	996
4.	राजस्थान	3251	26	380 ख	—	—	—	—	195 ख	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	उत्तर प्रदेश	5570	21	520	6ग	152ग	95ग	—	222 ग	298
6.	पश्चिम बंगाल	8896	30	2800	741ग	628ग	230ग	—	1442	1378

क) मार्च, 80 तक लक्षित प्रगति 5462 थी। जुलाई, 80 के अन्त तक मार्च, 80 तक नान-कवरेज के स्पिलओवर सहित 1736 नलकूपों को आरम्भ करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। योग 6518 होता है।

ख) अब ये आंकड़े राज्य सरकार द्वारा भेजे गए हैं और उस पर केन्द्रीय दल के साथ विचार विमर्श किया गया था जिसने वर्तमान सूखे के सन्दर्भ में पिछले आंकड़ों के अधिक्रमण में वर्तमान लक्ष्य तथा प्रगति के लिए सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 28 अप्रैल, पहली मई, 1980 के दौरान राज्य का दौरा किया था।

ग) पहले आंकड़ों में सफल बोरों को शामिल किया गया था, किन्तु उन्हें हैण्डपम्पों के साथ नहीं लगाया गया था।

मद्यनिषेध के कारण हानि

838. **श्री निरेन घोष** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मद्यनिषेध के कारण सरकारी खजाने को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) उस अवधि के दौरान राज्यों ने राज्य-वार कितना घाटा वहन किया ; और

(ग) इस कारण केन्द्र ने राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता दी ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) शराब पर उत्पाद-शुल्क राज्य विषय होने के कारण इस मंत्रालय के पास सभी राज्यों से सम्बद्ध आंकड़े नहीं हैं।

2. तो भी भारत सरकार ने कुछ राज्यों को जिन्होंने मद्यनिषेध को लागू करने के परिणाम स्वरूप उत्पाद शुल्क की हानि का आधा भाग क्षतिपूर्ति के रूप में मांगा था, "आम एकाउंट" अदायगी की है। इन राज्यों द्वारा जो हानियां बताई गई थीं, 1977-78 के उत्पाद राजस्व को मूल मान कर उनकी क्षतिपूर्ति कर दी गई है।

राज्य		"आम एकाउन्ट" अदायगी की धनराशि लाखों में	
		1978-79	1979-80
1		2	3
1.	असम	11.05	6
2.	बिहार	209.44	1041
3.	हरियाणा	2222.39	शून्य
4.	हिमाचल प्रदेश	65.50	95
5.	मनीपुर	शून्य	2
6.	नागालैंड	0.77	शून्य
7.	उड़ीसा	शून्य	17

	1	2	3
8.	पंजाब	41.89	शून्य
9.	राजस्थान	55.60	553
10.	उत्तर प्रदेश	893.36	1243
	जोड़	1500.00	2957

वर्ष 1980–81 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय

839. **श्री दारुर पुलय्या :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980–81 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई और आबंटित धनराशि की तुलना में उपयोग की गई धनराशि का प्रतिशत क्या रहा, और

(ख) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कितनी राशि खर्च की गई और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न बैंकों का निष्पादन क्या रहा ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) व (ख) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को लघु कृषक तथा सीमान्त कृषक विकास एजेंसियों, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एजेंसियों, कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसियों, और बहुत सी अन्य जिला व खण्ड स्तरीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आमतौर पर, वित्तीय वर्ष से संबंधित निधियों के उपयोग के बारे में स्थिति केवल आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में उपलब्ध होती है। यद्यपि, वित्तीय वर्ष 1979-80 के बारे में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय के आंकड़े अब उपलब्ध है, फिर भी, वर्ष 1980-81 के तत्संबंधी आंकड़े केवल वर्ष 1981-82 की प्रथम तिमाही में उपलब्ध होंगे।

प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रीय आयोग

840. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण रोकने के लिये राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छपाई लेखन सामग्री तथा प्रकाशन कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोग

841. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

श्री के० लकप्पा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या छपाई, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन कार्यालय में विभागीय पदोन्नति तथा स्थानान्तरण आदि के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नामों पर समुचित विचार नहीं किया जाता ;

(ख) यदि नहीं तो 1971 से 1979 के दौरान लेखा पाल, सहायक मैनेजर (प्रशासन तथा सहायक नियन्त्रक के रूप में (वर्ष-वार) पदोन्नत किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की तथा अन्य लोगों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या पदोन्नति के पश्चात् दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की प्रतिशतता गैर अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की तुलना में अधिक है और यदि हां, तो 1971 से 197 के संबंध में (वर्ष-वार) आंकड़े क्या हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ङ) इस प्रकार का निर्णय करने के कौन-कौन प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी हैं और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भूमि अधिकतम सीमा अधिनियमों की क्रियान्विति

842. श्री छीतूभाई गामित :

श्री पीयूष तिरकी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 के बाद विभिन्न राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा अधिनियमों को लागू करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कृषि श्रमिकों को शामिल करने के बारे में विचार किया है ; और

(ग) इस संबंध में राज्यों को दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) राज्य सरकारें संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों को लागू करती हैं । उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे कार्यान्वियन की गति में तेज़ी लाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि आवंटियों के अधिकृत क्षेत्र में बाधा न आए ।

(ख) व (ग) अधिकतम सीमा कानूनों के कार्यान्वियन का मुख्य उद्देश्य भूमि हीन कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है । राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह प्रावधान है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को वितरित करते समय भूमि हीन कृषि श्रमिकों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । ग्राम एवं खण्ड स्तरों पर लाभभोगियों की समितियों के गठन की सिफारिश की गई है ।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में भर्ती

843. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी संवर्धन योजना के लिये बनाये गये नये पदों पर भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में जुलाई, 1979 में 23 कापी-होल्डर और 8 मशीन एटेंडेंट का चयन किया गया था ;

(ख) क्या 8 कापी-होल्डरों और एक मशीन एटेंडेट को काम पर ले लिया गया है तथा शेष व्यक्तियों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रोजगार नहीं दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार इसकी समीक्षा करेगी और शेष व्यक्तियों को रोजगार देगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ग) जुलाई, 1979 और जून, 1979 में, क्रमशः कापी होल्डरों के लिये 23 और मशीन एटेंडेंटों के लिये 7 उम्मीदवारों के नाम चयन सूची में रखे गये थे । ऐसा उस समय मोजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों के आधार पर किया गया था । किन्तु वास्तविक रिक्तियों के आधार पर केवल 8 कापी होल्डर और एक मशीन एटेंडेंट नियुक्त किये जा सके । अतः अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

844. श्री पी० के० कोडियन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी, खाद्य तेल, दाल, आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हाल में विशेषकर पिछले दो महीनों में वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो अप्रैल-मई, 1979 और इस वर्ष अप्रैल-मई के दौरान् क्या मूल्य थे : और

(ग) मूल्यों में कमी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) चीनी, वनस्पति और देशी खाद्य तेलों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई थी लेकिन आयातित खाद्य तेलों और दालों के मूल्य पिछले दो महीनों में स्थिर रहे थे।

(ख) तीन विवरण संलग्न हैं जिनमें अप्रैल-मई, 1979 और अप्रैल-मई, 1980 के दौरान प्रमुख केन्द्रों पर चीनी, खाद्य तेलों और दालों के औसत खुदरा मूल्य दिए गए है (विवरण 1,2 और 3)।

(ग) सरकार ने उपभोक्ता मूल्यों को नीचे लाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं :–

चीनी :

1. मान्यता प्राप्त व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा कम करना।
2. राज्य सरकार प्राधिकारियों के माध्यम से स्टाक रखने की सीमा को कड़ाई से लागू करना और जमा स्टाक को निकलवाने के उपाय करना।
3. एक थोक व्यापारी से दूसरे थोक व्यापारी को ऐसी चीनी की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना जहां सौदों के साथ स्टाक की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी नहीं होती है।
4. मान्यता प्राप्त व्यापारियों पर 10 दिन की अवधि के अन्दर स्टाक को बेचने के लिए प्रतिबन्ध।
5. चीनी मिलों के लिए खुली बिक्री की चीनी की बिक्री और उसके प्रेषण से सम्बन्धित सूचना को भेजने को अनिवार्य बनाना। उन्हें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों को साप्ताहिक बिक्री और प्रेषणों का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।
6. मई और जून, 1980 के लिए खुली बिक्री के अतिरिक्त कोटे जारी करना।
7. 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय लेना।

खाद्य तेल :

1. मांग-पूर्ति के बीच-अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आयात करना।
2. विभिन्न उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आयातित तेल सप्लाई करना।
3. बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का अधिक आवंटन करना।
4. देशी तेलों पर दबाव कम करने के लिए वनस्पति के निर्माण में 95 प्रतिशत तक आयातित तेलों के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है।
5. राज्य सरकारों को आवश्यक जिन्सों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिनियमों/आदेशों के उपबन्धों का उपयोग करने के लिए बार-बार कहा गया है।
6. वायदा व्यापार आयोग तिलहनों और तेलों के गैर कानूनी और वायदा व्यापार पर निगरानी रखने के लिए छापे मार रहा है।

विवरण-1

अप्रैल, मई, 1979 और 1980 के दौरान प्रमुख केन्द्रों पर चीनी और खाने योग्य तेलों के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति किलो)

केन्द्र	चीनी				मूंगफली का तेल				सरसों का तेल			
	1979		1980		1979		1980		1979		1980	
	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई
1. अहमदाबाद	2.60	2.60	5.80	6.20	7.70	8.00	10.40	10.40	11.00	12.00	14.00	16.00
2. बंगलौर	2.55	2.60	5.80	6.70	7.60	7.40	9.70	9.90	13.40	13.50	15.50	16.00
3. कलकत्ता	3.00	3.00	5.80	6.00	10.70	10.70	16.00	16.00	10.50	10.50	12.50	13.00
4. दिल्ली	2.95	2.90	6.00	6.75	9.50	9.25	12.00	12.00	9.50	9.50	11.40	12.00
5. मद्रास	2.60	2.60	5.50	5.60	7.40	7.50	9.80	9.70	12.50	13.00	16.00	16.00

विवरण-2

अप्रैल, मई, 1979 और 1980 के दौरान प्रमुख केन्द्रों पर दालों (दली हुई) के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति किलो)

केन्द्र	अरहर की दाल				मूंग की दाल				मसूर की दाल				उर्द की दाल			
	1979		1980		1979		1980		1979		1980		1979		1980	
	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई
1. अहमदाबाद	4.75	4.70	4.50	4.50	5.30	5.50	5.25	5.50	3.10	3.10	3.70	3.80	4.60	4.60	4.20	4.30
2. बंगलौर	5.00	5.00	^.30	4.10	4.60	5.10	4.50	4.75	—	—	—	—	—	—	—	—
3. कलकत्ता	5.20	2.20	5.20	5.20	5.00	5.40	5.40	5.60	4.00	4.00	4.20	4.40	4.00	4.00	4.40	4.40
4. दिल्ली	4.40	4.40	4.40	4.20	5.50	5.80	5.40	5.80	3.60	3.60	3.80	4.20	4.80	4.80	4.60	4.80
5. कोयम्बटूर	4.60	4.80	4.90	4.80	5.20	5.20	5.30	5.25	3.75	3.90	3.80	3.90	3.80	3.90	3.80	3.80

विवरण—3

वनस्पति और आयातित खाद्य तेलों के मूल्य बताने वाला विवरण

	अप्रैल-मई, 1979 में खुदरा मूल्य	अप्रैल-मई, 1980 में खुदरा मूल्य
1. वनस्पति	15.5 किलो टिन का 167/- रुपये	15.5 किलो टिन का 189/- और 192/- रुपये
2. आयातित खाद्य तेल		
i) आर०बी०डी० ताड़ का तेल और पामोलिन (जून, 1979 के अन्तिम सप्ताह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से देना शुरू किया गया।)	8.25 रुपये प्रति किलो	8.25 रुपये प्रति किलो
ii) परिष्कृत तोरिया का तेल	8.50 रुपये प्रति किलो	8.50 रुपये प्रति किलो

नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइंड द्वारा दिया गया ज्ञापन

845. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइंड द्वारा कुछ मास पूर्व प्रधान मंत्री को दिए गए ज्ञापन में पेश मांगों की सरकार ने जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा. स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अन्ध महासंघ द्वारा दिए गए ज्ञापन से संगत उद्धरण विवरण में संलग्न हैं।

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेत्रहीनों के हितों को किस प्रकार से सबसे अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है और उनके कल्याण की व्यवस्था की जा सकती है उठाए गए मुद्दों की जांच कर रही है।

विवरण

1. नेत्रहीनों को पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए तथा उन्हें वही अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाएं जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रदान की जाती है।
2. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नेत्रहीनों के लिए पद आरक्षित किए जाएं तथा इन आरक्षणों को सांविधानिक मंजूरी दे दी जाए।

3. इन सांविधानिक आरक्षणों को लागू कराने के लिए सख्त तथा शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

4. नेत्रहीनों के लिए रोजगार के नये मार्गों का विकास करने के उद्देश्य से टेक्नोलोजिकल अनुसधान में काफी धनराशि लगाई जाए ।

5. नेत्रहीनों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जाए तथा उनकी शिक्षा संस्थाओं को उतनी ही सहायता दी जाए जितनी साधारण शिक्षा संस्थाओं को, विशेषक जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए हैं, दी जाती हैं ।

6. साधारण जनता को शिक्षित करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेत्रहीनों के सामर्थ्य और योग्यताएं दर्शाने वाले वृत चित्र बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रबन्ध किया जाए ।

7. नेत्रहीनों की कुल जनसंख्या का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर आंकने के लिए पूरे देश में नेत्रहीनों के पंजीकरण हेतु प्रबंध किए जाएं ।

8. ब्रेल पुस्तकों की कमी से उत्पन्न समस्या पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुरूप देश में नेत्रहीनों के सभी स्कूलों के लिए अध्ययन के एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए ।

9. निजी प्रबन्धों द्वारा चलाए जा रहे सभी स्कूलों/संस्थाओं/केन्द्रों/शेल्टर्ड वर्कशापों को सरकार तुरन्त अपने हाथ में ले ले क्योंकि हम महसूस करते हैं कि देश में नेत्रहीनों की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए वे कुछ हद तक जिम्मेदार रहें ।

10. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नेत्रहीनों को उन्हीं के गांवों में शिक्षा या प्रशिक्षण, जैसा मामला हो, देने के प्रबंध किए जाएं ताकि वे वहीं अपनी जीविका कमा सकें ।

11. विभिन्न कारखानों में इस समय काम कर रहे नेत्रहीनों कामगरों की एक अलग कानून द्वारा पुष्टि की जाए।

पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के पदेन चेयरमैन

846. श्री मनोरंजन भक्त : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान के उप आयुक्त पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका के पदेन चेयरमैन हैं और क्या पूरे देश में यही प्रणाली व्याप्त है अथवा केवल केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के नगर पालिका अधिनियम ने ही नगर पालिका में पदेन चेयरमैन के होने का प्रावधान किया हैं;

(ख) क्या जनता ने गैर सरकारी व्यक्ति के चेयरमैन होने की मांग की है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां। अण्डमान के उपायुक्त पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं।

सारे देश में एक ही पद्धति नहीं चलती। लगभग सभी नगर स्थानीय निकायों में, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं म्यूनिसिपल बोर्ड/परिषद का अध्यक्ष/प्रेसिडेंट चुनने की पद्धति है।

(ख) जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

चावल का संचित भण्डार

847. श्री के० रामूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 10 लाख टन चावल निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो चावल के संचित भण्डार में कितनी कमी होगी; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि चावल उपभोक्ता राज्यों की आवश्यकताएं संचित भण्डार से पूरी होंगी ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) बासमति चावल का निर्यात करने के अलावा, जो कि पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल० 3) के अन्तर्गत आता है, सरकार 1980-81 के दौरान 10 लाख मी० टन चावल का निर्यात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज और अन्य योजनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद सरकार के पास उपलब्ध कुल स्टाक की तुलना में चावल की निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित मात्रा मामूली बैठती है और इसलिए इसका आन्तरिक जरूरतों के लिए उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सही किस्म के उर्वरकों की उपलब्धता तथा अनाज का उत्पादन

848. श्री आर० के० महालगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के गांवों में समय पर सही किस्म के तथा सही मात्रा में उर्वरक उपलब्ध न होने के कारण अनाजों का उत्पादन गिरा है;

(ख) वर्ष 1980 के पहले चार महीनों में कितनी कमी आई है; और

(ग) अनाज के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) वर्ष 1980 के प्रथम चार महीनों के दौरान देश में उर्वरकों की कमी की कोई रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। देश में 650 से भी अधिक केन्द्रों में उर्वरकों का भारी भण्डार बनाया जा रहा है ताकि अचानक बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

1979-80 (जुलाई-जून) के दौरान अनाज के उत्पादन में राज्यवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

"डी० डी० ए० कम्ज डाउन ग्रान लैण्ड रैकेटियर्स" शीर्षक से समाचार

849. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 27 मई, 1980 में "डी० डी० ए० कम्ज डाउन ग्रान लैण्ड रैकेटियर्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने ऐसी कुप्रथाओं के संबंध में कोई उच्चस्तरीय जांच के आदेश किए हैं और इस बात की जांच की है कि क्या इस प्रकार के मामले पहले भी हुए थे;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और दोषी अधिकारियों एवं लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भविष्य में इस प्रकार के धोखा-धड़ी को रोकने के लिए किस प्रकार के तन्त्र की स्थापना की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ) भूमि की गैर कानूनी बिक्री को रोकने तथा ऐसे मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन में एक पुलिस उपायुक्त के अधीन एक विशेष कक्ष बनाया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया कि दिल्ली भूमि (अन्तरण पर रोक) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत पिछले तीन महीनों में भूमि की धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध 40 शिकायतें दर्ज की गई और लगभग 130 पिछली शिकायतों को स्थानीय पुलिस को दर्ज कराया गया। पिछले एक महीने के दौरान भूमि की गैर कानूनी बिक्री के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ड्यूटी की लापरवाही के लिए आठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की।

जनता टाइप कालकाजी फ्लैटों के निवासियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस

850. श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जनता टाइप कालकाजी के डी० डी० ए० के फ्लैटों के उन निवासियों को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के जरिए, "अन्तिम नोटिस" जारी करके परेशान किया जा रहा है, जो फ्लैट की प्रीमियम राशि के रूप में मासिक किस्त अदा कर चुके हैं और जिनके पास मासिक किस्त अदा करने की रसीदें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि यहां के निवासियों को कोई और आगे असुविधा न हो ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नोटिसों के जरिये फ्लैटों के मूल्य से संबंधित किस्तों के बकाया की वसूली

की प्रक्रिया में, कुछ ऐसे मामले उनके ध्यान में आए हैं, जहां अदायगी पहले ही की जा चुकी थी। नोटिसों में यह व्यवस्था है कि यदि भुगतान पहले ही किया जा चुका हो, तो बैंक चालान की एक फोटोस्टेट प्रतिलिपि भेज दी जाए ताकि आबंटी के लेखे को सही किया जा सके। अत आबंटियों को परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आबंटियों से देय राशि की उचित जांच करने के बाद, उन्होंने बकाया की सूची तैयार करने के पहले ही कदम उठा लिये हैं।

कमजोर वर्गों के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा ऋण

851. श्री सुधीर गिरि : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और राज्यवार कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट बनाने के लिए आवास और शहरी विकास निगम द्वारा मंजूर की गई ऋण की कुल राशि कितनी है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सूचना, संलग्न विवरण-I तथा II में दी गई है।

विवरण-I

अनुलग्नक-I

आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में श्रेणीवार मंजूर किया गया कुल ऋण

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	1979-80 रकम	प्रतिशतता	1978-79 रकम	प्रतिशतता	1977-78	प्रतिशतता
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	39.61	(28.46)	27.15	(25.14)	27.43	31.15
निम्न आय वर्ग	40.57	(29.15)	27.96	(25.89)	20.42	23.19
मध्यम आय वर्ग	33.57	(24.12)	31.78	(29.43)	20.00	22.71
उच्च आय वर्ग	6.52	(4.68)	3.14	(2.91)	6.95	7.90
किरायेदारी	17.80	(12.79)	13.60	(12.59)	2.56	2.91
सामान्य	1.13	(0.80)	4.35	(4.04)	10.69	12.14
योग	139,20	(100.00)	107.98	(100.00)	88.05	100.00

विवरण-II

आवास तथा नगरविकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में राज्यवार मंजूर किया गया ऋण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	5.02	8.79	22.81
असम	0.59	0.64	0.96

1	2	3	4
बिहार	5.91	2.16	2.07
गुजरात	6.23	15.62	27.63
हरियाणा	7.87	3.77	5.65
हिमाचल प्रदेश	0.14	1.54	—
जम्मू तथा कश्मीर	0.95	0.32	—
कर्नाटक	8.06	4.85	6.45
केरल	11.16	6.42	6.20
मध्य प्रदेश	2.08	6.59	4.70
महाराष्ट्र	11.96	4.54	3.04
उड़ीसा	1.47	8.05	2.01
पंजाब	1.54	1.70	4.75
राजस्थान	4.85	10.43	9.12
तमिल नाडु	4.31	9.79	11.77
उत्तर प्रदेश	9.16	12.69	15.63
पश्चिम बंगाल	3.92	3.59	5.55
संघ राज्य क्षेत्र			
चण्डीगढ़	1.26	1.83	5.63
दिल्ली	1.57	4.55	5.23
गोआ, दमण तथा दीव	—	0.11	—
पांडिचेरी	—	—	—
योग	88.05	107.98	139.20

अनुसंधान संस्थानों तथा निर्जलीकरण एककों के बीच समन्वय का अभाव

852. श्री के॰टी॰ कोसलराम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि देश में अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग के 8 निर्जलीकरण एककों के बीच समन्वय के अभाव में लगभग 4 करोड़ के निवेश वाले एकक निर्जलीकृत सब्जियों के निर्यात से । रुपये की विदेशी मुद्रा ही कमा पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

इन दोनों एककों के बीच एक घनिष्ठ समन्वय है। अनुसंधान संस्थानों तथा देश के निर्जलीकरण एककों के उद्योगों के बीच समन्वय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर) दोनों के बीच अनुसंधान गतिविधियां शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दायित्व प्रमुखतया निर्जलीकरण के लिए उपयुक्त सब्जी की किस्मों का विकास करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने कई वर्षों के अनुसंधान के बाद दो सफेद प्याजों की किस्मों यानी "पूसा व्हाइट फ्लैट" तथा "पूसा व्हाइट ग्लोब" का विकास किया है जोकि निर्जलीयकरण के लिए उपयुक्त है और जिनका परीक्षण (अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार प्रायोजना के अंतर्गत किया गया है तथा कार्यशाला द्वारा इनकी सिफारिश की गई है। कुछ निर्जलीकरण एककों के कारखानों में परीक्षण के लिए बड़े पैमाने पर इनका संवर्धन किया जा रहा है। प्याज के अतिरिक्त, मटर और निर्जलीकरण के लिए सिफारिश की गई कुछ उपयुक्त किस्मों पर निर्जलीकरण के लिए अनुसंधान की गयी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा उद्योग के निर्जलीकरण एककों के बीच कारगर समन्वय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रदर्शनी/किसान मेले/संगोष्ठी/ कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं जिनमें अनुसंधान कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त फल और सब्जी संरक्षण उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और उद्योग की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान प्रयोजनाओं का सुधार किया गया।

औद्योगिक नमूनों की गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित विश्लेषण किये जा रहे हैं और उद्योग की प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में बड़ी संख्या में प्राप्त तकनीकी जांच पड़ताल का समाधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय खाद्य संरक्षण संघ की कार्यकारी समिति में है ताकि वह उद्योग के सामने पेश आने वाली तकनीकी समस्याओं को जान सकें और उनके सम्भावित हल बता सके।

वर्ष 1973-74 से 1978-79 तक, विभिन्न देशों को 7.54 करोड़ रुपये की निर्जलीकृत सब्जियां निर्यात की गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में पेयजल के लिए उपाय

853. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के लगभग, 50,000 ग्राम सूखे की स्थिति के कारण पेयजल की भारी कमी से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस मामले में दुखी लोगों को सार्थक राहत पहुंचाने में असफल रही हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या अल्प कालिक उपाय और दीर्घ कालिक उपाय आरम्भ किये गये हैं ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । इसके विपरीत, सूखे से राहत संबंधी प्रधान मंत्री के 12 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर, राज्यों और केन्द्र के सभी सम्भव साधनों और दीर्घावधि और अल्पावधि के सभी तीव्र स्तर पर किया गया है ।

(ग) प्रधान मंत्री की अपील पर सूखा ग्रस्त राज्यों में कुएं खोदने के लिये अन्य राज्यों से 70 से अधिक रिंग लिए गए हैं । आयातित रिंग और प्राइवेट साधनों से रिंग भी जुटाये गये हैं । फिलहाल, 4000 कुएं खोदने की मासिक क्षमता वाले लगभग 300 तेज गति वाले और 1000 धीमी गति वाले रिंग सूखा ग्रस्त राज्यों में दिन रात कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार इससे पेयजल की पुरानी समस्या स्थायी तौर पर हल हो जायेगी । केन्द्रीय सरकार ने भी पेयजल की योजनाओं के लिये बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता दी है । अल्पावधि के उपायों में टैंकरों के जरिये जल पहुंचाना, कैनवस बैग, ड्रम बैरल आदि शामिल हैं । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जहां आवश्यक हो, वे पेय जल की सप्लाई के लिए सेना की सेवा प्राप्त करें । उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रेलवे ने पानी ले जाने के लिए विशेष रेल गाड़ियां भी चलाई हैं ।

नये विश्वविद्यालय

854. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्य-वार कितने नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये ; और

(ख) (1) डाक्टरी शिक्षा (2) इंजीनियरिंग (3) कृषि और (4) सामान्य विषय के कितने नये कालेज खोले गये हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना दी गई के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान आरम्भ गए विश्एविद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है :–

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4
1. विश्वविद्यालय	शून्य	3	1
2. इंजीनियरी कालेज	2	2	7

1	2	3	4
3. चिकित्सा (आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी तथा नर्सिंग) कालेज	14	5	6
4. कृषि तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज	1	1	1
5. सामान्य (कला, विज्ञान तथा वाणिज्य) कालेज	41	77	84

1978-79 के दौरान गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु में एक-एक विश्व-विद्यालय के हिसाब से तीन विश्वविद्यालय खोले गए। 1979-80 में दिल्ली की एक संस्था को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित किया गया।

दृष्टिहीनों को रोजगार देने के लिये द्रुत कार्यक्रम

855. श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दृष्टिहीनों को रोजगार देने के लिए एक द्रुत कार्य-क्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत उनमें से अधिक अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उच्चतर श्रेणियों में सरकारी रोजगार दिया जायेगा।

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उसको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नेत्रहीनों के लिए "ग" और "घ" श्रेणियों में एक प्रतिशत पद/सेवाएं आरक्षित करने के शासकीय आदेश जारी कर दिए हैं।

विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति शामिल हैं, ऊंची श्रेणियों में नौकरियां देने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

पेयजल के प्लायंट की स्थापना

856. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान पेय जल के कुल कितने प्लायंट स्थापित किए गए ; और

(ख) केन्द्र ने इस मद में उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की तथा वितरित की ;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) प्रगति का प्रबोधन उन ग्रामों के आधार पर किया जाता है जिन में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है और न कि पेयजल के प्वाइन्टों के आधार पर उन ग्रामों की संख्या का विवरण संलग्न हैं जिनमें पिछले 3 वर्षों में पेयजलकी व्यवस्था की गई है (विवरण I)।

(ख) राज्यवार सूचना का विवरण संलग्न है (विवरण II)।

विवरण–I

उन ग्रामों की संख्या जिनमें पेयजल की व्यवस्था की गई हैं।

	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	478	360	X
2. असम	390	1478	X
3. बिहार	4333	3140	X
4. गुजरात	309	782	816
5. हरियाणा	125	130	182
6. हिमाचल प्रदेश	497	1289	1302
7. जम्मू व कश्मीर	177	216	215
8. कर्नाटक	3666	3924	3864
9. केरल	31	15	24
10. मध्य प्रदेश	1857	1654	5315
11. महाराष्ट्र	261	2010	2635
12. मणिपुर	18	29	X
13. मेघालय	8	28	X
14. नागालैंड	47	74	X
15. उड़ीसा	898	2993XX	X
16. पंजाब	202	136	135
17. राजस्थान	365	353	X
18. सिक्किम	शून्य	119	X

1	2	3	4
19. तमिलनाडु	2006=	1485=	X
20. त्रिपुरा	784	300	513
21. उत्तर प्रदेश	859	1585	X
22. पश्चिम बंगाल	1415	432	X
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	9	4	18
24. अरुणाचल प्रदेश	69	69	X
25. दिल्ली	शून्य	11	20
26. गोआ, दमन एण्ड द्वीव	12	2	X
27. मिजोरम	6	2	X
28. पांडिचेरी	10	12	14
	18,832	22,632	15,053

XX आंशिक रूप से सम्मिलित गांव

=हैमलेट भी शामिल है

X इन राज्यों से 79-80 की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-II

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण पेयजल पूर्ति कार्यक्रम 1977-78, 1978-79, 1979-80 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई निधियां।

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	1977-78	1978-79	1979-80
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	152.30	351.11	215.60
2.	असम	57.60	149.57	323.15
3.	बिहार	242.80	504.20	680.45
4.	गुजरात	332.80	260.85	127.80

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	142.10	200.79	260.19
6.	हिमाचल प्रदेश	222.60	425.12	392.86
7.	जम्मू और कश्मीर	152.80	200.00	182.05
.	कर्नाटक	142.30	107.70	69.00
9.	केरल	102.00	278.00	282.35
10.	मध्य प्रदेश	252.80	290.00	357.15
11.	महराष्ट्र	312.80	403.97	378.30
12.	मणिपुर	52.50	53.57	53.55
13.	मेघालय	25.00	103.77	111.60
14.	नागालैंड	77.50	97.00	139.57
15.	उड़ीसा	182.80	218.00	209.00
16.	पंजाब	102.10	174.90	68.40
17.	राजस्थान	252.30	353.27	205.00
18.	सिक्किम	36.50	43.13	26.00
19.	तमिलनाडु	217.30	408.00	219.37
20.	त्रिपुरा	80.50	113.50	97.15
21.	उत्तर प्रदेश	352.80	617.50	709.55
22.	पश्चिम बंगाल	242.80	534.01	672.72
23.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	32.00	46.20
24.	गोआ, दमन तथा द्वीव	10.00	9.50	11.95
25.	मिजोरम	15.00	18.50	19.05
26.	पांडिचेरी	10.00	17.00	12.00
27.	अण्डमान तथा निकोबार	20.00	18.50	15.50
28.	दिल्ली	10.00	14.00	13.10
	योग	3820.00	5998.46	5898.61

इन आंकड़ों में प्रबोधन और जांच एककों पर खर्च सम्बन्धी दी गई निधियां भी शामिल हैं।

शक्तिनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में वर्षा में खुली पड़ी चीनी और चावल की बोरियां

858. श्री तारिक अनवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 7 और 8 मार्च, 1980 को भारतीय खाद्य निगम के शक्ति नगर गोदाम में चीनी की 150 बोरियां और चावल की 200 बोरियां वर्षा में भीग गई ;

(ख) इसके लिये कौन-कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी उत्तरदायी है ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को भीगी हुई चीनी और चावल की डिलीवरी लेने के लिये बाध्य किये जाने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) यह सही है कि 7 मई, 1980 को अचानक वर्षा होने के कारण चीनी की 144 बोरियां गीली हो गई थीं। तथापि, इनमें चावल की कोई बोरी नहीं थी।

(ख) उचित दर के दुकानदारों को चीनी की बोरियां जारी की गई थीं और जब वे उन बोरियों को अभी उठाने की तैयारी ही कर रहे थे, तब अचानक वर्षा होने के कारण वे बोरियां गीली हो गई थीं। इन परिस्थितियों में निगम के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर के दुकानदारों को वर्षा से प्रभावित चीनी के बोरों को उठाने के लिए बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि बोरे पहले से ही उनके अधिकार में थे। तथापि, दिल्ली प्रशासन के हस्तक्षेप करने पर भारतीय खाद्य निगम ने विशेष मामले के रूप में यह मान लिया कि वर्षा से प्रभावित बोरों को तुरन्त नहीं दिया जाएगा लेकिन इन बोरों के स्थान पर चीनी के ठीक बोरे इस शर्त पर दिए जाएंगे कि संबंधित उचित दर के दुकानदार अपनी भविष्य की निर्मुक्तियों के प्रति वर्षा से प्रभावित इन बोरों को 1:10 के अनुपात के आधार पर उठाएंगे। वर्षा से प्रभावित स्टाक की चीनी के तोल में जो कमी हुई होगी, भारतीय खाद्य निगम ने उसे विशेष मामले के रूप में पूरा करेगा।

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं क्योंकि दिल्ली प्रशासन के हस्तक्षेप से यह विवाद भारतीय खाद्य निगम और उचित दर के दुकानदारों के बीच शान्तिपूर्वक तय हो गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को अनुदान

859. श्री एम० के० शेजवलकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान देने के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष–वार विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को कितनी-कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया ; और

(ग) चालू वर्षों का विश्वविद्यालय—वार कितनी-कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को सम्पूर्ण योजनागत अवधि के लिए पुस्तकों तथा पत्रिकाओं हेतु अनुदान, विजिटिंग समितियों की सिफारिशों पर स्वीकृत करता है, जो उनके विकास प्रस्तावों की जांच करती हैं । आयोग खर्च की प्रगति के आधार पर इस प्रकार स्वीकृत अनुदान की सीमाओं के अन्दर, उनको समय-समय पर धन राशि प्रदान करता है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) पाँचवी योजना के दौरान स्वीकृत किए गए अनुदान विश्वविद्यालयों के लिये उपयोग हेतु 31 मार्च, 1981 तक उपलब्ध हैं । आयोग विश्वविद्यालयों को उनके छठी योजना के आबंटनों के अन्तर्गत 1980-81 में कुछ मूल अनुदानों के तदर्थ आवंटन के प्रश्न पर अभी भी विचार कर रहा है ।

विवरण

(लाख रुपए में)

विश्वविद्यालय का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4
केन्द्रीय विश्वविद्यालय			
अलीगढ़	10.96	0.23	2.37
बनारस	13.45	17.00	4.25
दिल्ली	1.90	5.00	7.50
विश्व-भारती	12.20	6.00	0.40
हैदराबाद	—	—	9.81
जवाहरलाल	—	—	1.00
विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं			
बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान	8.10	3.20	2.00
गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	0.50	0.30	0.70
जामिया मिलिया इस्लामिया	1.00	3.32	1.96
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	2.00	1.75	1.25
गुजरात विद्यापीठ	—	7.00	—

1	2	3	4
केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान	...	...	0.97
राज्य विश्वविद्यालय			
आन्ध्र प्रदेश			
आन्ध्र	13.47	10.96	0.90
उस्मानिया	13.27	15.45	0.69
श्री वेंकटेश्वर	7.80	7.17	—
असम			
डिब्रूगढ़	6.25	8.50	4.25
गोहाटी	3.00	9.25	7.50
बिहार			
भागलपुर	2.07	2.90	1.50
बिहार	6.20	8.00	6.49
पटना	2.50	7.49	0.50
रांची	...	5.00	5.00
मगध	...	11.00	...
गुजरात			
गुजरात	6.30	0.80	9.80
एम० एस० बड़ौदा	5.15	...	28.50
सरदार पटेल	1.50	5.25	0.76
दक्षिण गुजरात	4.90	3.42	3.40
सौराष्ट्र	...	4.80	0.68
हरियाणा			
कुरुक्षेत्र	5.00	3.85	...
हिमाचल प्रदेश			
हिमाचल प्रदेश	2.00	4.10	...
जम्मू और कश्मीर			
जम्मू	9.00	3.10	3.50
कश्मीर	3.30	20.10	3.00

1	2	3	4
कर्नाटक			
बंगलौर	6.50	14.25	11.20
कर्नाटक	5.00	10.00	10.00
मैसूर	...	...	9.46
केरल			
कालिकट	13.20	1.50	4.48
केरल	1.50	5.00	1.95
कोचीन	1.00	6.60	7.05
महाराष्ट्र			
बम्बई	7.85	9.62	7.42
मराठवाडा	4.00	5.00	2.00
नागपुर	18.40	0.10	6.00
पूना	14.00	3.00	0.30
एस. एन. डी. टी. महिला	2.27	4.64	0.55
शिवाजी	1.65	4.70	0.59
मध्य प्रदेश			
ए० पी० सिंह	...	2.00	4.00
भोपाल	...	1.50	0.95
इन्दिरा कला	0.50	1.00	...
इन्दौर	8.00	2.50	1.00
जबलपुर	3.00	11.50	1.00
जिवाजी	3.00	6.70	0.70
रवि शंकर	4.70	5.60	4.70
सागर	...	19.00	3.90
विक्रम	3.50	2.50	...
उड़ीसा			
बरहामपुर	6.12	2.41	2.00

1	2	3	4
सम्बलपुर	0.50	4.10	6.10
उत्कल	2.97	5.00	5.68
पंजाब			
गुरु नानक देव	5.00	6.00	0.35
पंजाब	6.75	27.00	9.68
पंजाबी	10.00	6.42	...
राजस्थान			
जोधपुर	5.00	5.89	0.51
राजस्थान	4.35	15.00	4.20
उदयपुर	3.00	6.00	2.00
तमिलनाडु			
अन्नामलै	2.35	5.45	2.69
मद्रास	10.30	5.00	9.10
मदुरै	6.75	10.00	...
उत्तर प्रदेश			
आगरा	3.00	...	4.00
गोरखपुर	2.92	12.20	0.20
इलाहाबाद	1.00	30.10	1.99
कानपुर	...	2.00	2.50
काशीविद्यापीठ	1.00	2.00	...
लखनऊ	10.00	11.90	5.00
रुड़की	5.40	23.99	6.61
मेरठ	...	2.00	5.25
संपूर्णानन्द संस्कृत	—	3.00	2.43
पश्चिम बंगाल			
बर्दवान	3.00	4.00	1.00
कलकत्ता	10.70	23.70	10.38

1	2	3	4
जादवपुर	5.16	21.90	7.95
कल्याणी	8.63	1.87	...
उत्तर बंगाल	...	8.50	1.10
रबिन्द्र भारती	0.50	1.00	2.00
कुल :-	356.35	536.08	281.72

उड़ीसा में सूखा-सहायता

860. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1980 के अन्त तक केन्द्र ने उड़ीसा में सूखा-राहत कार्यों के लिए 1400 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति दी थी,

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1980 तक सूखा-राहत पर मद-वार और जिले-वार कितना-कितना व्यय हुआ,

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा के सूखा-राहत कार्यों के लिए 17.39 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितना खर्च हो चुका है और मद-वार कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है।

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारत सरकार ने 1979-80 के दौरान 14.05 करोड़ रुपए के खर्चे की स्वीकृति दी थी।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी,

(ग) जी हां।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैट

861. श्री पी० जे० कुरियन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न टाइपों के कितने आवासीय फ्लैटों का निर्माण करवाया ; और

(ख) इन फ्लैटों के आबंटन का ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) यह सूचना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन गरीब लोगों के लिए रोजगार की योजनाएं

862. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमिहीन गरीब लोगों के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने संबंधी योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) व (ख) जी हां । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को चुने लक्षित वर्गों जिनमें अन्य लोगों के साथ-साथ भूमिहीन ग्रामीण भी शामिल हैं, के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने व उनके आय स्तर को ऊंचा उठाने के मुख्य उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

कार्यक्रम को अब लघु कृषक विकास एजेंसी/सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/कमाण्ड क्षेत्र विकास क्षेत्रों के 2000 खण्डों तथा इन कार्यक्रम क्षेत्रों के अलावा 600 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है । कार्यक्रम का सभी 5000 खण्डों में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है ।

ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) को 15 अगस्त, 1979 से इस प्रमुख उद्देश्य से शुरू किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से भूमिहीनों को नए अवसर सुलभ किए जाएं । योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलता तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर है ताकि वे अपना रोजगार ढूंढ़ सकें । प्रस्ताव है कि समन्वित ग्राम विकास तथा गैर-समन्वित ग्राम विकास, दोनों क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख ग्रामीण युवकों को विभिन्न कुशलताओं में प्रशिक्षित किया जाए ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम को विशेष रूप से भूमिहीन गरीबों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है । कार्यक्रम को ग्रामीण लोगों जिनमें भूमिहीन गरीब भी शामिल हैं, के लिए नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थायी स्वरूप का बनाया जा रहा है ।

उर्दू के बारे में गुजराल समिति

863. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्दू के विकास के बारे में गुजराल समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उक्त सिफारिशों का क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है तो निर्णय शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उक्त सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया कब तक बन जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) प्रतिवेदन प्रकाशित करने में विलम्ब के क्या कारण है तथा इसे कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) क्योंकि गुजराल समिति की अनेक सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य-सरकारों को करना होगा, अतः इस समिति की रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गयी है, तथा उनसे विभिन्न सिफारिशों की जांच करने का अनुरोध किया गया है। क्योंकि सिफारिशों का क्षेत्र व्यापक है, इसलिए अधिकांश राज्य सरकारों ने जांच करने और अपने विचारों से अवगत कराने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, गुजराल समिति की रिपोर्ट की उन सिफारिशों पर विचार करने के लिए, जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है जिसकी जांच की जा रही है। गुजराल समिति की रिपोर्ट संसद में दोनों सदनों के पटल पर 21-2-79 को रख दी गई थी जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विकलांग/अपंग बच्चों की संस्थाओं को वित्तीय सहायता

864. श्री नारायण चंद पराशर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, विकलांग/अपंग बच्चों की किन-किन संस्थाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र दिये थे लेकिन उनके दावे सरकार द्वारा नामंजूर कर दिये गये थे ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित संगठनों को सहायता देने की योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों से सम्बंधित स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों, जिनमें बच्चे भी शामिल है, से सम्बंधित प्रस्ताव आते हैं। एक विवरण, जिसमें उन संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, जिन्हें 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान सहायता मिली, संलग्न है। (अनुबंध-1)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 897/80]

(ख) और (ग) रद्द किए गए प्रस्तावों के सम्बंध में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं तथा फायलों को आवधिक रूप से रिकार्ड कर दिया जाता है ; उनकी छटाई कर दी जाती है। तो भी सुलभ फायलों से तैयार किया गया एक विवरण जिसमें उन संगठनों के नाम जिनसे 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उन्हें रद्द कर दिया गया था, तथा प्रस्ताव रद्द किए जाने के कारण दिए गए हैं संलग्न है, (अनुबन्ध-2)।

राजनीतिक पार्टियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में प्राथमिकता

865. श्री नारायण चंद पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में प्राथमिकता दी जाती है, और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राजनीतिक दलों को दी गई प्राथमिकता का स्वरूप क्या है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) प्राथमिकता के आधार पर बिना बारी के राजनीतिक पार्टियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के नियमों में कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। तथापि, विशेष श्रेणी के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया जा सकता है। इस श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी टेलीफोन सलाहकार समितियां तथा सरकार कर सकती है।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

866. श्री नारायण चंद पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मई, 1980 को देश में राज्यवार डाक और तार प्राधिकारियों के पास विभिन्न श्रेणियों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत थे और प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित थे ;

(ख) दिनांक 31 मई, 1980 तक विभिन्न श्रेणियों में जिन अंतिम व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत हो गए थे, उनके नाम और प्रतीक्षा-सूची में क्रमांक क्या हैं ;

(ग) सभी श्रेणियों की वर्तमान प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित सब व्यक्तियों को किस तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की संभावना है ; और

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) टेलीफोन मांग के पंजीकरण से संबंधित आंकड़े दूर संचार प्रशासकीय यूनिटों यानी दूरसंचार सर्किलों तथा टेलीफोन जिलों के अनुसार हर छह महीने बाद एकत्र किए जाते हैं। 31.3.80 तक की अद्यतन सूचना उपलब्ध है।

विभिन्न दूरसंचार सर्किलों तथा टेलीफोन जिलों में तारीख 31.3.80 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदनों की संख्या दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। नए प्रशासकीय यूनिटों के अंतर्गत आने वाले संघीय क्षेत्र भी इसमें दर्ज है।

(ख) देश में 7000 से अधिक एक्सचेंज हैं। टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के संबंध में एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में स्थिति भिन्न है। समय-समय पर स्वीकृत किए गए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज टेलीफोन कनेक्शनों के क्रमांकों के बारे में आंकड़े एक स्थान पर केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। तथापि संबंधित एक्सचेंजों के प्रकार अधिकारियों से सूचना तत्काल उपलब्ध की जा सकती है। बड़े एक्सचेंजों के संबंध में सूचना टेलीफोन निर्देशिकाओं में प्रकाशित की जाती है तथा दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिसों के जरिए प्रसारित भी की जाती है।

(ग) आशा है कि 31.12.79 तक दर्ज निम्नलिखित किस्म की मांगों के कुछ भाग को छोड़कर अधिकांश आवेदकों को 1982-83 के अंत तक उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

... बड़े शहरों के कुछ क्षेत्रों में मागें जहां नए एक्सचेंज खोलने में भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण अपेक्षित है तथा इनके पूरा होने में कुछ अधिक समय लगाना है।

... एक्सचेंजों से दूरवर्ती बहुत लम्बी दूरी के कनेक्शन

... बडे शहरों में सामान्य श्रेणी आवेदन पत्रों को यदि ओ वाई टी की अधिकांश मात्रा में नई मांगे पंजीकृत होने पर

(घ) मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाकर तथा पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहे एक्सचेंजों के क्षेत्र में नए एक्सचेंज खोलकर एक्सचेंज क्षमता बढ़ाई जा रही है।

विवरण

अनुबंध-1

31.3.80 तक की प्रतीक्षा सूची की विवरणी

क्रम सं०	दूरसंचार सर्कल तथा टेलीफोन जिलों के नाम तथा उनके द्वारा सेवित राज्यों के नाम	31.3.80 तक की प्रतीक्षा सूची ओवाईटी	गैर ओवाईटी	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश (हैदराबाद टेलीफोन जिलेसहित) आन्ध्र प्रदेश को सेवा प्रदान कर रहा है।	730	10048	10778
2.	बिहार (पटना टेलीफोन जिले सहित) बिहार को सेवा प्रदान कर रहा है	153	2507	2660
3.	गुजरात अहमदाबाद, वड़ौदा, राजकोट तथा सूरत टेलीफोन जिलों सहित) गुजरात, दमन, दीव, दादरा एवं नागर हवेली को सेवा प्रदान कर रहा है।	909	19550	20459
4.	जम्मू व कश्मीर जम्मू व कश्मीर को सेवा प्रदान कर रहा है।	600	2201	2801

1	2	3	4	5
5.	कर्नाटक (बंगलौर टेलीफोन जिले सहित) कर्नाटक को सेवा प्रदान कर रहा है ।	173	10629	10802
6.	केरल (कोयंबट्टर, त्रिवेन्द्रम तथा एर्नाकुलम जिलों सहित) केरल को सेवा प्रदान कर रहा है ।	884	17021	17905
7.	महाराष्ट्र (नागपुर, बम्बई तथा पुणे जिलों सहित) महाराष्ट्र को सेवा प्रदान कर रहा है ।	10577	116470	127047
8.	मध्य प्रदेश (इंदौर टेलीफोन जिले सहित) —मध्य प्रदेश को सेवा प्रदान कर रहा हैं ।	305	3963	4268
9.	उत्तर पूर्व असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश को सेवा प्रदान कर रहा है ।	412	2426	2838
10.	उत्तर पश्चिम (अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर तथा लुधियाना टेलीफोन जिलों सहित) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को सेवा प्रदान कर रहा है ।	1385	16629	18014
11.	उड़ीसा उड़ीसा को सेवा प्रदान कर रहा है ।	114	1676	1790
12.	राजस्थान (जयपुर टेलीफोन जिले सहित) राजस्थान को सेवा प्रदान कर रहा है ।	423	6774	7197
13.	तमिलनाडु (मद्रास एवं मदुरै टेलीफोन जिलों सहित) तमिलनाडु को सेवा प्रदान कर रहा है ।	910	12849	13759
14.	उत्तर प्रदेश (कानपुर, लखनऊ तथा आगरा टेलीफोन जिलों सहित) उत्तर प्रदेश को सेवा पदान कर रहा है ।	577	10893	11470

1	2	3	4	5
15.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता टेलीफोन जिले सहित) पं० बंगाल को सेवा प्रदान कर रहा है।	145	23908	24053
16.	दिल्ली	876	58831	59707
	योग	19173	316375	335548

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिये योजना

867. श्री नारायनचंद पाराशर : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये इस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारत सरकार के पास वर्ष 1980-81 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। ग्रामीण सड़कें राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई हैं।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। वर्ष 1980-81 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 6.85 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जानी है। कुल मिलाकर 1173 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इसमें 245 कि० मी० लम्बी कच्ची मोटर योग्य सड़कें 18 कि० मी० लम्बी जीप चलाने योग्य सड़कें, 130 कि० मी० 4 फुट चौड़े रास्ते, 102 किलोमीटर में जल निकास निर्माण कार्य तथा 117 किलोमीटर लम्बी सड़कों का पक्का करना व तारकोल बिछाना शामिल है।

खरगोश का वाणिज्यिक पालन

868. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा गोश्त, खाल तथा ऊन के लिये खरगोशों के वाणिज्यिक पालन को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्थान के खाल विभाग द्वारा खरगोशों की विदेशी नस्लों के साथ संकरण के द्वारा स्थानीय नस्ल को सुधारने के भी प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान। यह सच है कि केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा गोश्त, फर तथा ऊन के लिए खरगोशों के वाणिज्यिक पालन को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) खरगोशों की विदेशी नस्लों के साथ संकरण के द्वारा स्थानीय खरगोशों का सुधार अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि गोश्त, फर तथा ऊन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भारत में खरगोशों की पालतू देशी नस्लें नहीं हैं। तथापि, खरगोशों की विदेशी तथा देशी नस्लों के संकरण का कार्य भविष्य में अपेक्षित है।

मेंढक पालन

869. श्री ए० नीलालोहिथादसन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय मेंढ़क पालन किया जाता है; और

(ख) 1977-78 में 1979-80 के दौरान भारत से कुल कितने मूल्य की मेंढक की टांगों का निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी संस्थान, बैरकपुर में सिर्फ प्रयोगात्मक स्तर पर मेंढक पालन किया जा रहा है। इस समय भारत में मेंढकों के व्यापार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक भारत से निर्यात की गई मेंढक की टांगों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

1977-78	667·39 लाख रुपए
1978-79	991·63 लाख रुपए
1979-80	633.67 लाख रुपए

बर्दवान विश्वविद्यालय के अधीन कालेजों को दी गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राशि

870. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बर्दवान विश्वविद्यालय के अधीन कालेजों के विकास के लिये गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की; और

(ख) उन कालेजों के नाम क्या है और कालेज वार कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए विकास अनुदान मंजूर किए जाते हैं न कि वर्षानुवर्ष आधार पर। पांचवीं योजना के दौरान, आयोग ने भवन, उपस्कर, पुस्तकें, स्टाफ आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बर्दवान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 23 कालेजों के 67·77 लाख रुपए की कुल लागत के विकास प्रस्तावों को अनुमोदित किया था। इन कार्यक्रमों के लिए अनुदानों में से आयोग के हिस्से में 42.26 लाख रुपये आते हैं। आयोग कालेजों द्वारा समय समय पर बताए गए खर्च के ब्यौरों के आधार पर अनुदान जारी करता है। इसके अलावा, आयोग ने 10 अन्य कालेजों के लिए अध्यापक शिक्षावृत्तियां मंजूर की थीं, जिनके लिए आयोग द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

(ख) बर्दवान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास योजनाओं के लिए दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राशि रुपयों में

	कालेज का नाम	प्रयोजन	अनुमोदित कुल लागत	दिया गया अनुदान		
				1977-78	1978-79	1979-80
	1	2	3	4	5	6
1.	ए० के० पी० सी० महाविद्यालय, हुगली	भवन	2,68,487/	50,000	—	10,000
2.	आसनसोल कन्या कालेज, आसनसोल	वही तथा अध्यापक शिक्षा वृत्ति	1,44,505/	—	12,000	6,000
3.	बी० एन० महाविद्यालय, इटाचुना	पुस्तकें, उपस्कर तथा शिक्षक शिक्षावृत्ति	1,00,000/	9.095	12,000	95,000
4.	हुगली महिला कालेज, हुगली	भवन	1,10,301/-	—	29,000	—
5.	कलना कालेज, कलना	भवन, पुस्तकें उपस्कर	5,66,331/-	—	74,000	—
6.	काटवा कालेज, काटवा	भवन तथा उपस्कर	5,64,745/-	2,00,000	66,000	12,000
7.	खलीसानी महाविद्यालय, खलीसानी	भवन, पुस्तकें	3,32,628/-	20,000	—	25,000
8.	नेताजी महाविद्यालय, आराम बाग	भवन	1,54,412/-	—	—	—
9.	निखिल बंगा शिक्षण महाविद्यालय, बिशनपुर	भवन, पुस्तकें उपस्कर	2,03,300/-	10,000	—	—
10.	पंचमुरा महाविद्यालय, पंचमुरा	भवन	3,02,760/-		90,000	—
11.	रामानन्द कालेज, विशनुपुरा	भवन, पुस्तकें उपस्कर	3,72,558/-	44,448	1,27,000	50,000
12.	रामानन्द शताब्दी कालेज, सोलारा	पुस्तकें उपस्कर	1,30,000/-	—	30,000	—
13.	रामपुरहत कालेज, रामपुरहत	भवन तथा अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	2,25,772/-	6,202	42,231	22,035

	1	2	3	4	5	6
14.	सालदिहा कालेज, सालदिहा	पुस्तकें उपस्कर	3,30,000/-	75,000	65,000	...
15.	शम्भूनाथ कालेज, लबपुर	भवन, पुस्तकें उपस्कर	5,71,715/-	2,35,000	1,18,750	73,000
16.	सोनामुखी कालेज, सोनामुखी	भवन, पुस्तकें	2,05,000/-	60,000	...	8,750
17.	आर० के० शारदा विद्या-महापीठ, हुगली	भवन, पुस्तकें उपस्कर तथा अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	8,92,679/-	...	1,20,000	1,01,600
18.	श्री आर० के० शारदा शिक्षा मन्दिर, अनुर	भवन, पुस्तकें उपस्कर	1,75,000/-	27,500	...	15,000
19.	श्री विद्या सागर कालेज, सूरी	भवन	1,94,778/-	...	30,000	50,000
20.	विवेकानन्द महाविद्यालय, बर्दवान	भवन और अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	5,09,072/-	4,394	56,000	6,000
21.	चन्दर नगर कालेज, चन्दर नगर	भवन और पुस्तकें उपस्कर	2,67,400/-	40,000	...	40,000
22.	बनवारी लाल भालोशिया कालेज, आसनसोल	भवन, उपस्कर तथा अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	1,19,914/-	26,931	52,800	39,400
23.	श्याम सुन्दर कालेज, श्याम सुन्दर	फुटकर योजनाएं	36,000	18,000	...	...
24.	अभेदानन्दन महाविद्यालय, सांथिया	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	...	1,385	...
25.	बांकुरा क्रिश्चियन कालेज, बांकुरा	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	...	6,500	...
26.	बांकुरा समीलानी कालेज, बांकुरा	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	2,992	3,530	12,000
27.	बोलपुर कालेज, बोलपुर	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	11,500	39,192	...

28.	महाराजाधिराज उदयचन्द महिला कालेज, बर्दवान	अध्यापक शिक्षा वृत्तियाँ	...	4,000	24,000	12,000
29.	रघुनाथपुर कालेज, पुरूलिया	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	1,532	10,000	19,174
30.	राजा राम मोहनराय महाविद्यालय, नांगल पारा	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	...	18,448	21,696
31.	गोपाल बेनर्जी कालेज, बागती	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	...	...	18,000
32.	हुगली, मोहसिन कालेज, चिन्हुसुरा	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	...	...	26,000
33.	कृष्णा चन्दर कालेज, हेतमपुर	अध्यापक शिक्षा वृत्तियां	...	...	18,000	6,000

टिप्पणी : शिक्षक शिक्षावृत्ति की लागत, 250/–रु० के मासिक भत्ते, 1500/-रु० के एक वार्षिक अनुदान तथा जिस शिक्षक को शिक्षावृत्ति प्रदान की गई है उसके स्थान पर नियुक्त एवजी के वेतन के आधार पर परिकलित की जाती है ।

सूरतगढ़ फार्म में उत्पादित बीज

871. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ के यन्त्रीकृत फार्म में कितने बीज का वार्षिक उत्पादन हो रहा है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह बीज रियायती दरों पर समीपवर्ती किसानों को बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म में उत्पादित विभिन्न फसलो के बीजों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) दलहनों को छोड़कर केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म सूरतगढ़ में उत्पादित सभी बीज राजस्थान राज्य बीज निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम को ऐसी दरों पर बेचे जाते हैं, जो इन निगमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । इन निगमों द्वारा ये बीज बिना राज सहायता के किसानों को बेचे जाते हैं । 1978-79 के दौरान (1979-80 के दौरान प्रयोग करने के लिए) फार्म द्वारा उत्पादित दलहनों के कुल 42,700 क्विंटल बीजों में से 5320 क्विंटल बीज राजस्थान राज्य में किसानों में वितरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई 150 रुपये प्रति क्विंटल की राज सहायता पर राजस्थान सरकार को बेचे गए थे ।

विवरण

गत तीन बर्षों के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में उत्पादित बीज की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(उत्पादन क्विंटल में)

क्रम सं०	फसल	1976-77	1977-78	1978-79
1.	धान	42.554	74.260	50.915
2.	गेहूँ	47.692	37.246	48.100
3.	चना	25.344	25.122	42.700
4.	अन्य	738	...	150
योग :–		1,16,328	1,36,628	1,41,865

सूरतगढ़ के यंत्रीकृत फार्म के लिये ट्रैक्टर किराये पर लेना

872. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्यों के लिए सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म के लिए गत दो वर्षों में गैर-सरकारी ट्रैक्टर किराए पर लिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) ट्रैक्टर किराये पर लेने पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथय इस बारे में अन्य व्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) फार्म में मशीनें उपलब्ध न होने के कारण, कुछ आवश्यक कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कुछ प्राइवेट ट्रैक्टरों को किराये पर लेना पड़ा।

(ग) संक्रियागत वर्ष 1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान सूरतगढ़ फार्म में हैरो चलाने तथा बीज वपित्रण (सीडड्रिलिंग) कार्यों के लिए प्राइवेट ट्रैक्टरों के किराए पर 5.73 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई थी। संक्रियागत वर्ष 1979-80 (जुलाई-जून) के दौरान इस कार्य के लिए 2.92 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया था।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी संयुक्त आवासीय समितियों को भूमि का आबंटन

873. श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में पंजीकृत सहकारी संयुक्त आवासीय समितियों को भूमि आबंटित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को भूमि कौन सी जगह तथा कितने समय के अन्दर दिए जा' की संभावना है;

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा मामला किस स्थिति में पहुंचा है; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी इन संयुक्त आवासीय समितियों से ली जाने वाली भूमि की कीमत निर्धारित कर ली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) सदस्यता की जांच का मामला पंजीकार, सहकारी समितियों के पास है और इसलिए ली जाने वाली लागत के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

वेतनभोगी वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

874. श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य भवन निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि 75,000/- अथवा 75 मास का वेतन, जो भी कम हो, है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस समय "मध्यम आय वर्ग" और निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के लिए ली जा रही फ्लैट की लागत ग्राह्यता की सीमा से बहुत अधिक है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट अब वेतनभोगी व्यक्तियों की पहुंच के बाहर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फ्लैटों की कीमत कम करने का है जिससे कि निर्धारित वर्ग के फ्लैट नियत आय वर्गों वाले व्यक्तियों की पहुंच में हो सके; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या वेतनभोगी वर्ग को दिल्ली में मकान दिलवाने में सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुमेय गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि 75 माह का मूल वेतन या 70,000 रुपये या फ्लैट की वास्तविक लागत या कर्मचारी की वापस करने की क्षमता, इसमें से जो भी कम हो, है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में सूचित किया है कि मार्च 1980 में उसके द्वारा दिये गये विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों की लागत निम्नलिखित है :—

मध्यम आय वर्ग	64,600	से	1,06,700 रुपये तक
निम्न आय वर्ग	46,900	से	67,300 रुपये तक
जनता	19,600	से	26,700 रुपये तक

किसी फ्लैट के निर्माण की लागत मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री की कीमत, कुर्सी क्षेत्र, इत्यादि पर निर्भर है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम की मंजूरी केवल वित्तीय सहायता है। अग्रिम लेने वाले कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संसाधनों से भी धन की व्यवस्था करें।

सितम्बर 1979 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको की पद्धति पर चलाई गई नई योजना के अनुसार, पंजीकरण के समय कीमतों के आधार पर इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट की निर्माण लागत निम्नलिखित होगी :—

फ्लैटों की श्रेणी	अनुमानित निर्माण लागत (रुपये)
मध्यम आय वर्ग	42,000
निम्न आय वर्ग	18,000
जनता	8,000

उपर्युक्त लिखी कीमतें केवल सांकेतिक हैं, और इसका पुनरीक्षण/संशोधन किया जा सकता है जो कि नक्शे, निर्माण की लागत, निर्माण सामग्री के मूल्य वृद्धि, श्रम इत्यादि पर निर्भर है।

(घ) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजीकृत व्यक्तियों को डी० डी० ए० फ्लैटों का आबंटन

875. श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग की श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को देने के लिए इस समय कुछ डी० डी० ए० फ्लैट निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में फ्लैटों की अनुमानित संख्या क्या है और वे कहां स्थित हैं;

(ग) इनको आबंटन के लिए कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि करने का भी है, यदि हां, तो कितनी, और

(ङ) सरकार को प्रथम, द्वितीय और विशेष (1976) पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत डी० डी० ए० में पंजीकृत सभी व्यक्तियों को फ्लैट कब तक दिए जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माणाधीन फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :—

मध्यम आय वर्ग	3387
निम्न आय वर्ग	6698

उनकी जगहों के नाम अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) अधिकतर फ्लैटों की 1980-81 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

(घ) फ्लैटों की विक्रय लागत उनके पूर्ण होने पर वास्तविक लागत के आधार पर की जाती है।

(ङ) चूंकि पंजीयितों को क्षेत्र विशेष के लिए पंजीकरण कराने का विकल्प है और उनमें से अधिकतर दक्षिण दिल्ली की कालोनियों को पसन्द करते हैं इसलिए ठीक तारीख बतलाना संभव नहीं है कि कब जिस तक सभी फ्लैट आबंटित कर दिए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	स्थान	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
1	2	3	4
1	राजोरी गार्डन	256	—
2	—वही—	—	696
3	शालीमार बाग बी-I ए पाकेट डी	402	230
4	शेख सराय	—	264

1	2	3	4
5	बोडेला	261	990
6	लारेंस रोड	288	—
7	त्रिलोकपुरी	708	708
8	दिलाशाद गार्डन	200	200
9	बोडेला	—	228
10	शालीमार बाग बी-I ए पाकेट I	162	96
11	शालीमार बाग बी-I ए पकेट II	144	88
12	शालीमार बाग बी-I ए पाकेट III	108	66
13	शालीमार बाग बी-I ए पाकेट IV	126	76
14	शालीमार बाग बी-I ए/पाकेट एन	204	120
15	शालीमार बाग बी-I बी पाकेट भार	—	204
16	शालीमार बाग बी-I डी पाकेट डी	—	240
17	शालीमार बाग बी-I ए पाकेट जी	—	192
18	अशोक विहार फेज-I बी-I एच	—	168
19	पीतमपुरा (पूर्वी) पाकेट एल	—	384
20	पीतमपुरा पाकेट एन	—	480
21	पश्चिमपुरी बी-I ए	—	264
22	सराय खलील	24	24
23	जेल रोड	—	112
24	जनकपुरी पाकेट सी 4/ई	—	56
25	जनकपुरी पाकेट ए 4/सी	—	52
26	जनकपुरी पाकेट एI/बी	—	40
27	राजौरी गार्डन जी-8	—	720
28	पीतमपुरा (उत्तरी) पाकेट भार	504	—
		3387	6698

इण्डियन पोटाश लिमिटेड के बारे में रिपोर्ट

876. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधि और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा मैसर्स इन्डियन पोटास लिमिटेड के कार्य-कलापों पर भेजी गई कम्पनी ला बोर्ड की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैसर्स इण्डियन पोटाश लिमिटेड के कार्यों के सम्बन्ध में कम्पनी कानून बोर्ड की रिपोर्ट की कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा जांच की गई थी और वे इस बात से सन्तुष्ट थे कि कम्पनी के कर्मचारियों की नीयत बुरी नहीं थी। कम्पनी अधिनियम के तकनीकी उल्लंघन को, जैसाकि रिपोर्ट में संकेत किया गया था, ठीक कर दिया गया था। विधि तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय को स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

भारतीय पोटाश अनुसंधान संस्थान

877. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय पोटाश अनुसंधान संस्थान की स्थापना सरकार ने की थी तथा सरकार इसे सहायता देती है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि संयुक्त क्षेत्र संगठन की एक कम्पनी ने, जिसका नियंत्रण कृषि मंत्रालय के हाथों में है इस संस्थान को 70 लाख रुपयों से अधिक राशी का चन्दा दिया है, और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पोटाश अनुसंधान संस्थान द्वारा इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ;

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पोटाश अनुसंधान संस्थान, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत लाभ न कमाने वाली एक पंजीकृत अनुसंधान समति है। इसको मैसर्स भारतीय पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है न कि भारत सरकार द्वारा। तथापि, जिस उद्देश्य के लिए संस्थान की स्थापना की गई है उसके लिये सरकार का समर्थन है।

(ख) मैसर्स भारतीय पोटाश लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है और इसमें सहकारी समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का शेयर 73.34 प्रतिशत तक है। कम्पनी ने अपने बोर्ड और शेयरधारकों की स्वीकृति से 1979-80 के अन्त तक संस्थान को 90 लाख रुपयों का योगदान किया है। संस्थान के कार्यकलापों का नियंत्रण शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

(ग) धन का उपयोग भूमि, भवन, उपकरणों पर पूंजीगत लागत को वहन करने और संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाना है,

अर्थात :-

1. पोटाश और सम्बंधित प्लान्ट फुड पर अनुसंधान और प्रायोगिक कार्य करना और व्यावहारिक जानकारी का प्रसारण करना :

2. विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कृषि अधिकारियों से पोटा के प्रयोग हेतु अनुसंधान में समन्वय तथा सहयोग सुनिश्चित करना ;

3. पोटाशियम के प्रयोग पर वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत में अथवा विदेशों में अन्य एजेंसियों, संगठनों या एसोसिएशनों से सहयोग करना, तथा

4. पोटाशियम के प्रयोग के लिए सूचना के आदान प्रदान हेतु एक माध्यम के तौर पर कार्य करना।

खादी ग्रामोद्‌योग आयोग

878. श्री निहाल सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्‌योग आयोग द्वारा अनुमोदित 22 वस्तुओं में से केवल 5-वस्तुओं को ही खादी भवन में बेचा जाता है तथा क्या दिल्ली और बाहर की लगभग 15 फर्म की वस्तुओं को बाजार में उनके मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है,

(ख) क्या चन्दन की लकड़ी, हाथी दांत, पीतल, लकड़ी और अन्य धातुओं आदि की बनी वस्तुओं को अधिकारियों द्वारा अननुमोदित निजी फर्मों से अथवा अपने संबंधियों से मनमाने मूल्यों पर खरीदा जाता है, और

(ग) यदि हां, तो उन अनुमोदित और अननुमोदित फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे वस्तु खरीदी गई हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) खादी ग्रामोद्‌योग भवन, नई दिल्ली सूती खादी सिल्क खादी, ऊनी खादी और दस्तकारी की वस्तुओं के अलावा, ग्रामोद्‌योग के दस उत्पादों को बेचता है। खादी क्षेत्र के उत्पाद खादी और ग्रामोद्‌योग आयोग की प्रमाणन समिति के अनुमोदन तथा उसके द्‌वारा निर्धारित दरों के अनुसार बेचे जाते हैं। शेष वस्तुएं बाजार भाव तथा इस प्रकार की विख्यात दुकानों में प्रचालित बिक्री मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी आधार पर बेची जाती हैं।

(ख) जी नहीं। खादी ग्रामोद्‌योग भवन खादी तथा ग्रामोद्‌योग के उत्पाद खादी तथा ग्रामोद्‌योग आयोग द्‌वारा प्रमाणीकृत और वित्तपोषित संस्थाओं और/अथवा राज्य खादी ग्रामोद्‌योग बोर्डों से खरीदता है। जहां तक दस्तकारी की वस्तुओं का संबंध है, वे दस्तकारी व्यापार करने वाली फर्मों से खरीदी जाती हैं। खादी तथा ग्रामोद्‌योग आयोग ने उन फर्मों अथवा विक्रेताओं जिनसे ये वस्तुएं खरीदी जा सकती हों, की कोई सूची अभी तक तैयार अथवा निर्धारित नहीं की है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्‌योग आयोग द्‌वारा प्रमाणीकृत संस्थाओं की सूची तथा खादी और ग्रामोद्‌योग भवन को दस्तकारी की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली फर्मों की सूची क्रमशः अनुबंध 1 व 2 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 898/80]

गैर सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क

879. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विशेषकर दिल्ली/नई दिल्ली में गैर-सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को दाखिले के लिए भारी धनराशि की मांग की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारण गरीब लोगों के बच्चों को गैर-सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला मिल सके, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ स्कूल दाखिले के समय चन्दा लेते हैं। सरकार इसे रोकने के लिए कानूनी तौर पर यथा संभव कदम उठाएगी।

नेत्रहीनों को रोजगार

880. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार में नेत्रहीनों को रोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख है ;

(ख) क्या विभिन्न उपक्रमों में अपंगों को रोजगार देने हेतु कुछ प्रतिशत आरक्षित किया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से इस पर विचार करने के लिए कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभागों में "ग" और "घ" श्रेणियों में 3 प्रतिशत पद/सेवाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने के लिए शासकीय आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं, जिन में से 1 प्रतिशत नेत्रहीनों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) जी, हां। भारत सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिस द्वारा भी ऐसे ही आदेश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) विकलांग व्यक्तियों का, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति शामिल हैं, रोज़गार सामर्थ्य बढ़ाने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया गया है।

महीदपुर रोड़ शूगर मिल्स, मध्य प्रदेश द्वारा देय गन्ने का मूल्य

881. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महीदपुर रोड शूगर मिल्स, मध्य प्रदेश द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री के लिए बहुत बड़ी राशि दी जानी है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों को कुल कितनी राशि देय है , और

(ग) देय राशि का भुगतान कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) महिदपुर रोड शुगर मिल द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार 22 जनवरी, 1980 को गन्ना उत्पादकों को कुल देय राशि 8.71 लाख रुपये है ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि खासकर खुली बिक्री की चीनी के अच्छे दामों की दृष्टि में गन्ने के मूल्य की देश राशि को शीघ्र कम किया जाए ।

सस्सन गोदी में मत्स्य-हार्बर का विकसित किया जाना

882. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने सस्सन गोदी में मत्स्य-हार्बर को विकसित करने का कार्य जारी रखा हुआ है ?

(ख) क्या "बोम्बे एनवायारनमेन्टल एक्शन ग्रुप" द्वारा प्रस्तुत याचिका अस्वीकृत कर दी गई हैं : और

(ग) बम्बई के सामरिक महत्व के क्षेत्र के इतने समीप मत्स्य हार्बर बनाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) 2 मई, 1980 के आदेश के अन्तर्गत, बम्बई उच्च न्यायालय ने बम्बई बन्दरगाह ट्रस्ट को पहले से बनाये जा चुके बांध को सुदृढ़ करने, दो क्षेत्रों को और पहले से सुधारे गए ढलान पर पत्थर डालने के अलावा भूमि सुधार का कोई अन्य कार्य करने से रोक दिया गया है ।

(ख) जनवरी, 1980 में बम्बई पर्यावरण कार्यवाही दल द्वारा दायर की गई रिट याचिका बम्बई उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी, 1980 को खारिज कर दी थी । इसके बाद अभ्यर्थियों ने एक समीक्षा याचिका दायर कर दी ।

(ग) सस्सन डोक फिशिंग हारबर का चयन महाराष्ट्र सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय तथा रक्षा मन्त्रालय के साथ परामर्श करके किया गया था । समुन्द्र तक पहुंचने, निर्माण की लागत, गाद से मुक्ति, मत्स्यन की दृष्टि से उपयुक्तता और इस क्षेत्र के मछली उतारने की पुरानी परम्परा के सम्बंध में विचार करने के बाद मत्स्यन बन्दरगाह की स्थापना के लिए सस्सन डोक के स्थान का चयन किया गया था । इस बन्दरगाह परियोजना की स्वीकृति से पहले सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा मन्त्रालय से विशेष मंजूरी प्राप्त की गई थी ।

अंधों के लिए रोजगार की व्यवस्था

883. श्री ओस्कर फर्नान्डीस : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधों को रोजगार देने तथा उनमें जो अच्छी अर्हता वाले हैं उन्हें ऊंची श्रेणियों में सरकारी नौकरियां देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने विकलांगों संबंधी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति शामिल हैं, ऊंची श्रेणियों में नौकरियां देने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

पेय जल का अभाव

884. डी०पी० जदेजा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और गुजरात के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें देश में सूखे के कारण पेय जल की कमी की समस्या का सामना किया जा रहा है ; और

(ख) उन क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) एक सूची संलग्न है ।

(ख) सूखा राहत के प्रबंध पर प्रधान मंत्री के 12 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी संसाधनों तथा दीर्घावधि तथा अल्पावधि दोनों ही प्रकार के सभी संभव उपायों को सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए तेज किया गया है ।

प्रधान मंत्री का 12 सूत्री कार्यक्रम भी पता लगाए गए ग्रामों में जल सप्लाई करने तथा टैंकरों, ट्रकों, ड्रमों, डीजल इत्यादि के प्रबंध करने के लिए अगली कार्यवाही करने के लिए आकस्मिक योजना बनाने पर बल देता है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने रिगों को जुटाया है तथा बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में कुएं खोदने तथा उनको गहरा करने जैसे पेयजल कार्यक्रमों को तेज करने के लिए राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया है ।

विवरण

1979-80 के दौरान सूखे से प्रभावित राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्यों के जिलों के नाम।

मध्य प्रदेश

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. बालाघाट
4. भोपाल
5. बेतुल
6. भिण्ड
7. छिन्दवाड़ा
8. छत्तरपुर
9. दुर्ग
10. दमोह
11. दतिया
12. देवास
13. धार
14. ग्वालियर
15. गुना
16. होशंगाबाद
17. इन्दौर
18. जबलपुर
19. झबुआ
20. खरगोना
21. खंडवा
22. मांडला
23. मुरैना
24. मन्दसौर
25. नरसिंहपुर
26. पन्ना
27. रायपुर
28. राजन्दगांव
29. राजगढ़
30. रीवा
31. रायसेन
32. रायगढ़
33. रतलाम
34. सरगूजा
35. सतना
36. सीधी
37. शाहदोल
38. सूनी
39. सिहोर
40. सागर
41. शिवपुरी
42. शाजापुर
43. टिक्कमगढ़
44. उज्जैन
45. विदिशा

राजस्थान

1. अजमेर
2. अलवर
3. बांसवाड़ा
4. बारमेर
5. भरतपुर
6. भीलवाड़ा
7. बीकानेर
8. बुन्दी
9. चित्तौड़गढ़
10. चुरू
11. डुंगरपुर
12. गंगानगर
13. जयपुर
14. जैसलमेर
15. जालोर
16. झालावाड़
17. झूंझनू
18. जोधपुर
19. कोटा
20. नागोर
21. पाली
22. सवाई माधोपुर
23. सीकर
24. सीरोही
25. टोंक
26. उदयपुर

उत्तर प्रदेश

1. अलीगढ़
2. आगरा
3. इलाहाबाद
4. आजमगढ़
5. अलमोड़ा
6. बुलन्दशहर
7. बिजनोर
8. बरेली
9. बदायूं
10. बान्दा
11. बलिया
12. बस्ती
13. बहराइच
14. बाराबंकी
15. चमौली
16. देवरिया
17. देहरादून
18. एटा
19. इटावा
20. फरूखाबाद
21. फतेहपुर

22. गाजियाबाद	38. मथुरा	54. वाराणसी
23. गोरखपुर	39. मैनपुरी	55. फैजाबाद
24. गाजीपुर	40. मुरादाबाद	56. सुलतानपुर
25. गढ़वाल	41. मिर्जापुर	
26. गोंड़ा	42. नैनीताल	गुजरात
27. हमीरपुर	43. पीलीभीत	1. पंचमहल
28. हरदोई	44. पिथौरागढ़	2. साबरकठा
29. झाँसी	45. प्रतापगढ़	3. बनासकठा
30. जालौन	46. रामपुर	4. कच्छ
31. जौनपुर	47. रायबरेली	5. अहमदाबाद
32. कानपुर	48. सहारनपुर	6. राजकोट
33. खेड़ी	49. शाहजहांपुर	7. सुरेन्द्रनगर
34. ललितपुर	50. सीतापुर	8. भावनगर
35. लखनऊ	51. टिहरी गढ़वाल	9. जूनागढ़
36. मुजफरनगर	52. उत्तरकांशी	10. डांग
37. मेरठ	53. उन्नाव	

सरणीकृत मद के रूप में गन्ने का निर्यात

885. श्री छीतू भाई गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरणीकृत मद के रूप में गन्ना निर्यात करने तथा चीनी आयात करने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय किन कारणों से लेना पड़ा ; और

(ग) सरकार गम्भीर स्थिति पर कब तक काबू करने तथा आयात बंद करने की आशा रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) गन्ने के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने देश में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया है।

(ख) चीनी का आयात करने का निर्णय देश में चीनी की कीमतों में वृद्धि को रोकने और चीनी की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में से एक उपाय के रूप में किया गया है।

(ग) निश्चित तारीख देना मुश्किल है, परन्तु चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। हमारे पास घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन होते ही आयात बन्द कर दिया जायेगा।

किसानों को दिये गये ऋण को माफ करने हेतु उड़ीसा को केन्द्रीय अनुदान

886. **श्री के० पी० सिंह देव:**

श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भयंकर सूखे को देखते हुए उड़ीसा के किसान सहकारी समितियों को अपनी ऋण वापस अदा करने की स्थिति में नहीं हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ऋण ग्रस्त छोटे किसानों के ऋणों को बट्टेखाते में डालने के लिए केन्द्रीय क्षतिपूर्ति के रूप में 22.30 लाख रुपये की राशि दी जाए ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कर्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजे गए अपने एक पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सूखे से निरंतर प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के गरीब किसानों द्वारा कृषि ऋण एवं अन्य सम्बद्ध देयताओं को अदा न कर पाने की उनकी असमर्थता का उल्लेख किया था। उड़ीसा सरकार ने बकाया ऋणों को माफ करने के लिए 22.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया था। सूखा-राहत हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को भेजे गए ज्ञापन में भी इसका हवाला दिया गया था।

(ग) सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिस केन्द्रीय दल ने उड़ीसा का दौरा किया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने अन्य मदों के अतिरिक्त, कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि, जो प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में अल्पावधिक, ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने के लिए उपयोग की जाती है, में राज्य के योगदान के लिए 62 लाख रुपए की गैर-योजना व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए 100 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की एक योजना भी मंजूर की गई है जिससे कि वे सहकारी समितियों के पात्र सदस्य बन सकें।

प्राकृतिक आपदाओं के मामले में ऋणों को माफ करने से सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास आदि जैसी परियोजना-क्षेत्र में गत सहकारी-वर्ष के दौरान छोटे एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किए गए अतिरिक्त अल्पावधि ऋणों के मामले में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 'जोखिम निधि' के लिए 2 प्रतिशत की तथा प्राथमिक समितियों को 4 प्रतिशत की राज सहायता प्रदान करती रही है। सहकारी ऋण संस्थानों को उपलब्ध ऐसी सहायता को कमजोर वर्गों के ऋण/ब्याज माफ करने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनःस्थापन के लिए 25.10 लाख रुपए तक के सहायक-अनुदान भी प्रदान किए गए। यह सहायता छोटे किसानों से वसूल न हो सकने वाले ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, उड़ीसा सहित देश के कई भागों में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति होने के कारण, 1979 के खरीफ मौसम के दौरान सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों

में छोटे किसानों को दिए गए लघु-अवधि उत्पादन ऋणों पर ब्याज को माफ करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ हिस्सा बटाने का निर्णय किया। अनुदान की पहली किश्त के तौर पर उड़ीसा राज्य के लिए 11.00 लाख रुपए की एक राशि नियुक्त की गई। तथापि, ऋणों को बड़े पैमाने पर बट्टे खाते में डालना राज्यों के दीर्घकालिक हित में नहीं है, क्योंकि यह ऋणों की वसूली के वातावरण को प्रभावरहित कर देगा और ऋण देने वाले संस्थानों की कार्यक्षमता को समाप्त कर देगा।

इराक में भूमि को खेती योग्य बनाने की परियोजनाओं के लिए कृषि विशेषज्ञ

887. श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक सरकार ने इराक के रेगिस्तान में भूमि को खेती योग्य बनाने की परियोजना में भाग लेने हेतु कुछ भारतीय कृषि विशेषज्ञों को प्रति नियुक्त करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) बगदाद (इराक) में मृदा तथा भूमि सुधार के लिए राज्य संगठन के तहत विभिन्न नियुक्तियां करने के लिए योग्य भारतीय विशेषज्ञों का चयन किया जा रहा है।

भारतीय हाकी टीम से सुरजीत सिंह को निकालने के बारे में भारतीय हाकी संघ के उपाध्यक्ष की प्रतिक्रिया

888. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी संघ के उपाध्यक्ष ने भारतीय हाकी टीम से सुरजीत सिंह को निकाले जाने पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट की थी और सिफारिश की थी कि भारतीय हाकी के हितों को देखते हुए उक्त कार्यवाही को रद्द किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) पंजाब हाकी संघ के अध्यक्ष तथा भारतीय-हाकी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जे० एस० आनन्द ने भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में, जिसकी प्रतिलिपि शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय को भेजी गई थी, सुझाव दिया है कि बंगलोर के हाकी प्रशिक्षण शिविर से श्री सुरजीत सिंह को वापस भेजने की कार्यवाही को हाकी के हित में निरस्त कर दिया जाए।

(ख) सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई विचार नहीं है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर 1979-80 में किया गया व्यय

889. श्री अमर सिंह बी० राठवा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु 1979-80 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) वास्तविक व्यय कितना हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि यह योजना असफल सिद्ध हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार कुछ सुधारों के साथ इस योजना को जारी रखेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ष 1979-80 के लिए 36·95 करोड़ रुपए की राशि, केन्द्रीय क्षेत्र में 20.75 करोड़ रुपए तथा राज्य क्षेत्र में 16.20 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी आर्थिक कटौतियों के कारण, केन्द्रीय क्षेत्र में आबंटन को बाद में घटाकर 15.33 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में 12.97 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी। राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) से (च) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अक्तूबर, 1979 में डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में, नियुक्त एक समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13-4-80 को प्रस्तुत कर दी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है तथा कार्यक्रम में किए जाने वाले संशोधनों से सम्बन्धित निर्णय, समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

सहकारी खेती

890. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के लिये गत वर्ष क्या कदम उठाए गए,

(ख) सरकार द्वारा खेती के लिये सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई,

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सहकारी खेती के प्रति विशेष रुचि प्रकट की, और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो सहकारी खेती की दिशा में सफलता नहीं प्राप्त कर सके ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) तथा (ख) 1969-70 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में सहकारी खेती का कार्यक्रम बंद हो जाने से केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि नहीं दी है। अतः प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) तथा (घ) विभिन्न राज्यों में सहकारी खेती समितियों की संख्या, उनकी सदस्यता, उनके कमान क्षेत्रों, राज्य सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता तथा वित्तीय परिणामों के विषय में ब्यौरा अनुबन्ध में दे दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समितियों की संख्या*	सदस्यता	कमान क्षेत्र (हैक्टार में)	राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता (हजार रुपये) ऋण	अंशपूंजी	समितियों की संख्या लाभ	हानि	लाभ अथवा हानि रहित	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1663	92032	102504	9278	673	219	881	563	
2.	असम	388	15845	13002	1420	330	103	181	104	
3.	बिहार	346	12635	35226	340	476	162	90	94	
4.	गुजरात	354	13227	24738	1041	130	102	144	108	
5.	हरियाणा	335	6610	20020	446	106	22	189	124	
6.	हिमाचल प्रदेश	5	109	405	9	—	2	2	1	
7.	जम्मू तथा कश्मीर	8	184	220	7	2	—	1	7	
8.	कर्नाटक	596	22422	54996	6904	994	111	245	240	
9.	केरल	66	8924	5186	2021	969	9	54	3	
10.	मध्य प्रदेश	2116	43330	79750	2177	1600	254	97	1765	
11.	मणिपुर	192	10045	40295	5639	589	162	201	304	
12.	महाराष्ट्र	667	17327	2910	—	—	69	49	74	
13.	नागालैंड	62	1920	104	25	8	7	12	43	
14.	उड़ीसा	50	1978	2556	505	64	18	13	19	

*इसमें संयुक्त खेती तथा सामुहिक खेती समितियां शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	पंजाब	750	12414	45787	1186	305	126	227	397	
16.	राजस्थान	401	7320	33404	805	166	18	2	381	
17.	तमिलनाडु	4	136	208	121	55	—	2	2	
18.	त्रिपुरा	2	325	781	7	2	—	—	2	
19.	उत्तर प्रदेश	1505	31014	114812	4358	1040	474	357	674	
20.	प० बंगाल	295	13074	3545	552	35	51	77	167	
21.	अरुणाचल प्रदेश	2	59	4	29	12	1	—	1	
22.	गोवा	6	253	79	46	8	2	2	2	
23.	अण्डमान तथा निकोबार	24	642	672	373	12	7	4	13	
	योग	9837	311825	581204	37289	7626	1919	2830	5088	

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

891. श्री मूल चन्द डागा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाने के संबंध में कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) गत वर्ष कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे और उस अवधि में कितने कनेक्शन दिये गये ;

(ग) इन आंकड़ों के आधार पर किसी व्यक्ति को एक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने में कितना समय लगता है ; और

(घ) क्या छठी योजनावधि के अन्त में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करना संभव है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) तारीख 1-4-1980 को 7,197

(ख) तारीख 1-4-1979 को प्रतीक्षा-सूची ,3328 थी, जिसके बदले में 1979-80 के दौरान 4,581 नए टेलीफोन कनेक्शन दिये गए।

(ग) उपरोक्त (ख) में आंकड़ों के आधार पर औसत प्रतीक्षा अवधि एक वर्ष से कम प्रतीत होती है। फिर भी, वास्तविक प्रतीक्षा अवधि विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग है जोकि बहुत बड़े शहरों और ग्रामीण एक्सचेंजों से लंबी दूरी के कनेक्शनों के मामलों में सबसे अधिक है।

(घ) ऐसी उम्मीद है कि 1-4-80 तक दर्ज अधिकांश आवेदकों को 1982-83 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे

चावल आयात तथा उसमें आत्मनिर्भरता

892. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या देश में चावल की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश को आत्म-निर्भर बनाने हेतु एक नई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश की चावल संबंधी आवश्यकताओं को पहले ही घरेलू उत्पादन से पूरा किया जा रहा है। तथापि, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों से संबंधित कार्यक्रम, सामुदायिक नर्सरियों, मिनीकिट तथा किसानों को प्रशिक्षण देने तथा शिक्षा प्रदान करने विषयक कार्यक्रमों

जैसी योजनाओं को दीर्घकालीन आधार पर जारी रखा जा रहा है ताकि चावल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

उत्तर प्रदेश के बदायुं क्षेत्र में आलुओं का सड़ना

893. श्री पीयूष तिरकी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बदायुं जिले के शीतागारों में पड़े लगभग 20 करोड़ रु० के आलू बिजली की कमी के कारण सड़ रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टल बनाना

894. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए देश के विभिन्न भागों में होस्टल बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार नौकरी करने वाली महिलाओं के होस्टलों के लिए पहले ही एक योजना चला रही है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा "नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टल योजना" पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

सूरतगढ़ फार्म

895. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म का क्षेत्रफल कितना है तथा फार्म के कितने क्षेत्र में सड़कें हैं,

(ख) प्रति वर्ष कितनी भूमि बंजर रहती है, और

(ग) सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म की गत तीन वर्षों की लाभ अथवा हानि का विवरण क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सूरतगढ़ फार्म के अधिकार में कुल 11,131 हैक्टार क्षेत्र है, जिसमें से 447 हैक्टार क्षेत्र में सड़कें हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म का लाभ नीचे दिया गया है :-

1976-77	(+) 3.85 लाख रुपए
1977-78	(+) 21.18 लाख रुपए
1978-79	(+) 73.14 लाख रुपए

सूरत गढ़ फार्म के लिए मशीन ।

896. श्री मनफूल सिह चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ के मशीनीकृत फार्म को हाल ही में सोवियत रूस से उपहार के रूप में कुछ मशीनें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इन मशीनों की अनुमानित लागत और उपयोगिता क्या है ;

(ग) क्या इसमें से कुछ मशीने चालू हालत में नहीं हैं ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या इन में से कुछ मशीनें सूरतगढ़ से अन्य स्थानों को भी भेजी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई में इन मशीनों की बीमा भाड़ा सहित लागत 59 लाख रुपए आयी। ये सभी मशीनें विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। उपहार स्वरूप प्राप्त हुई कुछ मशीनें कुछ फार्मों में अस्थाई रूप से प्रयोग में लाई जा रही है, ताकि अन्य एजेंसियों से इस प्रकार की मशीनों के किराए सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय से बचने के साथ साथ इन फार्मों में कृषि संबन्धी कार्य समय पर पूरे किये जा सकें। ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	मशीनरी का विवरण	प्राप्त की गई मशीनों की संख्या	जेतसर (राजस्थान)	हिसार (हरियाणा)	लाधोवाल (पंजाब)	रायचूर कर्नाटक)
1.	एम० टी० जेड ट्रैक्टर 80	25	5	—	—	6
2.	ग्रेन हारवेस्टर एन० आई० वी० ए० कम्बाईन	15	2	—	1	—
3.	फर्टिलाइजर सीवर	20	3	2	2	—
4.	ट्रक	5	1	1	—	—
5.	बीज पृथक करने वाली मशीन	5	1	1	1	—

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की संख्या

897 : श्री छीतूभाई गामित :

श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे प्राइवेट स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्हें कम वित्तीय सहायता द गई है अथवा जिन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है : और

(ख) इन स्कूलों के लिये पाठ्य-पुस्तकों और पाठ्यचर्या का अनुमोदन कौन-सा प्राधिकार करता है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) वित्तीय सहायता दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 के उपबन्धों के अनुसरण में दी जाती है। इसमें आवर्ती रख-रखाव का 95% खर्चा और उपस्कर फर्नीचर आदि के कुल खर्च का दो तिहाई खर्च शामिल होता है। इस सहायता को मामूली नहीं बताया जा सकता।

दिल्ली के सहायता प्राप्त न करने वाले मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :

सीनियर माध्यमिक स्कूल	माध्यमिक स्कूल	मिडिल स्कूल	कुल
39	25	49	113

(ख) सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें तथा पाठ्यचर्या कक्षा 1 से VIII तक शिक्षा निदेशालय द्वारा तथा कक्षा IX से XII तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, सुअर पालन तथा डेरियों की सुविधा।

898. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट फार्मों, डेरी फार्मों तथा सुअर पालने के फार्मों को बढ़ावा देने की योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। पशु पालन राज्य का विषय है। कुक्कुट पालन, डेरी और सुअर-पालन को बढ़ावा देने से सम्बन्धित कार्य की देख-भाल राज्य सरकार और उनके निगमों द्वारा की जाती है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित यजोनाओं के अन्तर्गत, छोटे किसानों, सीमान्त किसानों भूमिहीन कृषि मजदूरों और अन्य परिवारों की डेरी, कुक्कुट-पालन और सुअर-पालन के लिए राजसहायता दी जाती है। इन कार्य कलापों की सहायता पहुंचाने के लिए अवस्थापना का विकास करने हेतु इन योजनाओं की

निधियों का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा है कि ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। इनके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने किसानों को अपने फार्मों की स्थापना करने अथवा अपने स्टाक की नस्ल सुधारने के लिए अच्छी किस्म के पशुओं और पक्षियों की व्यवस्था करने हेतु पशु, कुक्कुट-पालन और भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना की है।

छोटे फार्मों के लिये सौर पम्प

899. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र के कुछ वैज्ञानिकों ने रबी के मौसम के दौरान गेहूं का उत्पादन करने वाले एक छोटे फार्म पर छोटे सौर पम्पों के साथ कुछ सफल प्रयोग किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने हेतु इस प्रयोग को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र के विज्ञानियों द्वारा सौर पम्प के साथ एक छोटा परीक्षण किया गया।

(ख) इस परीक्षण में एक छोटे फार्म (0.6 हेक्टर) पर एक सौर पम्प की कार्य-निष्पन्नता और व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया गया। इसके अध्ययन में, सोलार इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल, वाशिंगटन (यू० एस० ए०) द्वारा विकसित सौर पम्प के एक नमूने का प्रयोग किया गया। इस सौर पम्प को 27 सैं० मी० व्यास के नलकूप के साथ लगाया गया था। पम्पिंग सैट में 2 वर्ग मीटर के आकार की एक सौर पेनल लगा हुआ था जिसमें सिलिकन सैल (फोटो-वोल्टेइक) थे जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते थे। ये पेनल जमीन के तल पर थे जो कुएं के पास लगाये गये थे। पेनल द्वारा बनी विद्युत एक छोटे बिजली के मोटर को चलाती थी जिसमें एक सेंट्रीफ्यूगल पम्प लगा था। यह पम्प और मोटर यूनिट कुएं में पानी के स्तर से नीचे लगी थी। सौर पेनल द्वारा प्राप्त शक्ति 150 से 180 वाट के बीच रही जबकि अधिकतम दर 240 वाट की होनी चाहिए थी। पम्प में 5 मीटर की गहराई तक से पानी उठाने की क्षमता थी। पानी की निकासी 0.9 से 2.5 लिटर प्रति सैकिन्ड रही। यह निकासी 1.2 से 3 लिटर प्रति सैकिंड के बीच होनी चाहिए थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली के फार्म में वर्ष 1979-80 के दौरान रबी के मौसम में इस सौर पम्प का प्रयोग करके 0.6 हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई की गयी थी। पम्प के पानी को मेंढ़दार नालियों के द्वारा खेत तक पहुँचाया गया। पम्प लगभग 7 घंटे तक चला और प्रति दिन 0.06 हेक्टर क्षेत्र को भरता रहा। 15 दिनों का अन्तर रखते हुए भिन्न-भिन्न समयों पर बीजाई की पद्धति अपना कर इस पम्प से 0.06 हैक्टर गेहूँ की फसल को सिंचाई हो सकी जिसमें इस फसल में चार पानी दिए जा सके। गेहूं का उत्पादन 2.7 टन प्रति हैक्टर रहा।

इस परीक्षण ने यह भी दिखा दिया है कि जिस नमूने की जांच की गयी उसमें मोटर को लीक प्रूफ बनाना था क्योंकि उसमें पानी घुस जाने से वह रुक जाता था। इससे पम्प और मोटर के जुड़ने में भी अपेक्षा से कम कार्यकुशलता आई। यह पम्प खुले पानी के लिए था। लेकिन हमारे परीक्षणों से पता चला कि यह 27 सें० मी० के आकार के नलकूपों के लिए भी उपयुक्त था। मोटर के व्यास के डिजाइन में सुधार 10 सें० मी० के नलकूपों के लिए जरूरी है जो गांवों में आम तौर पर मिलते हैं।

(ग) यद्यपि परीक्षणों के परिणाम रोचक हैं तो भी सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए इस पम्प में सुधार की आवश्यकता है। अंतिम निर्णय सौर पम्प की कार्यकुशलता और मितव्ययता पर आधारित होगा जो परीक्षण की इस अवस्था में बता पाना कठिन है।

राज्यों में निःशुल्क भोजन, रोजगार तथा पेयजल के लिये व्यवस्था

900. श्री पी० एम० सईद।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूखाग्रस्त राज्यों में 10 लाख से अधिक पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के लिये प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है,

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों को सूखा ग्रस्त राहत के लिये कितना अतिरिक्त आवंटन किया गया था,

(ग) इसमें कितनी धनराशि उपयोगी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये आबंटित की गई थी और कितनी पेयजल के लिये आबंटित की गई थी,

(घ) मई 1980 के लिये कुल कितनी राशि आबंटित की गई और राज्यों द्वारा इसमें से कितनी राशि व्यय की गई, और

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने और अधिक राशि की मांग की है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पोषाहार हेतु खाद्यान्न कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं, छह वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों तथा वृद्धों, अशक्त और विकलांग निस्सहायों जिन्हें कहीं नियोजित नहीं किया जा सकता है, के निःशुल्क आहार के लिए सूखा प्रभावित राज्यों में एक लाख मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि खाद्यान्नों की यह मात्रा ऐसे 67 लाख लाभभोगियों हेतु छह महीने तक के लिए पर्याप्त होगी। राज्य सरकारों के पास निस्सहायों को नकद अथवा वस्तु रूप में निःशुल्क राहत पहुंचाने का अपना कार्यक्रम भी है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 9.4 लाख व्यक्ति इस प्रकार के राहत उपायों के अन्तर्गत लाए गए।

(ख) व (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) व (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सूखा प्रभावित राज्यों में से, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, और राजस्थान के 8 राज्यों ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए मांग की और मई, 1980 तक इन राज्यों में से छह के लिए 177.37 करोड़ रुपये के व्यय की और अधिकतम सीमा संस्वीकृत की गई थी। इन निधियों को उपयोग में लाए जाने की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा । 1979–80	1980 81	योग	रोजगार सृजनकारी योजनाओं के लिए कालम (4) में से आबंटन	पेय जल योजना हेतु कालम (4) में से आबंटन ।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आन्ध्र प्रदेश	22.05	19.64	41.69	27.50	9.10
राजस्थान	28.75	20.10	48.85	21.50	8.60
मध्य प्रदेश	22.80	47.90	70.70	46.25	14.64

इसके अलावा, सामान्य और विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन राज्यों को खाद्यान्न नीचे दर्शाए अनुसार आबंटित किए गए थे :

राज्य का नाम	सामान्य और विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के अन्तर्गत बंटित खाद्यान्न ।	सामान्य और विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्न
	(लाख मीटरी टनों में) 1979-80	(लाख मीटरी टनों में) 1980-81
आन्ध्र प्रदेश	2.58	0.63
राजस्थान	3.20	1.10
मध्य प्रदेश	3.51	1.99

विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सुविधा

901. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उनका ध्यान विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में टाटा समाज विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार सर्वेक्षण की सिफारिश के अनुसार स्थिति का सुधार करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर टाटा समाज-विज्ञान संस्थान, बम्बई, ने भारत के विश्वविद्यालयों और कालेज छात्रावासों के विद्यार्थियों के रहन-सहन की स्थिति का सर्वेक्षण किया था ।

(ख) रिपोर्ट पर अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाना है ।

राज्यों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत आवेदन-पत्र

902. श्री डी० पी० जदेजा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1978 को देश में, राज्यवार, टेलीफोन कनेक्शनों के कितने आवेदन-पत्र प्रतीक्षा-सूची में थे ,

(ख) वर्ष 1979 के दौरान कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1979 तक पंजीकरण कराने वालों को कब तक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) विभिन्न दूरसंचार प्रशासनिक यूनिटों में 31.12.1978 को चालू टेलीफोनों और प्रतीक्षा सूची में दर्ज टेलीफोनों की संख्या और जिसमें सेवित राज्यों के नाम भी दर्शाए गए हैं, का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1979 वर्ष के दौरान पंजीकृत टेलीफोन कनेक्शनों की मांग बढ़कर 2,27,579 हो गई ।

(ग) सामान्य तौर पर यह आशा की जाती है कि 31-12-79 तक दर्ज अधिकांश आवेदकों को 1982-83 के अंत तक उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन मात्र कुछ निम्न प्रकार की आनुपातिक मांगों को छोड़कर दे दिए जाएंगे :

...टेलीफोन एक्सचेंज से दूरवर्ती लंबी दूरी के कनेक्शन

...कुछ स्थानों पर यदि ओ वाई टी की नई मांग अधिक मात्रा में होगी तब सामान्य श्रेणी के आवेदकों को।

...बड़े नगरों के कुछ क्षेत्रों में जहां सहायक एक्सचेंजों के खोलने के लिए जमीन का अधिग्रहण, इमारत निर्माण जैसा कार्य चल रहा हो ।

विवरण

प्रतीक्षा सूची चालू कनेक्शनों एवं मांग में वृद्धि की विवरणी

क्र०सं०	दूर संचार सर्किलों तथा टेलीफोन जिलों का नाम तथा उनके द्वारा प्रेवित राज्यों के नाम	31.12.78 को		31.12.79 को		पंजीकृत मांग में हुई वृद्धि
		चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची	चालू कने-क्शन	प्रती-क्षा सूची	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद टेलीफोन जिला सहित) आन्ध्र प्रदेश की सेवा कर रहा है।	108277	6056	120917	9846	16430
2.	बिहार (पटना टेलीफोन जिला सहित) बिहार की सेवा कर रहा है।	51522	1578	53634	2517	3051
3.	गुजरात (अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत टेलीफोन जिलों सहित) गुजरात, दमन, दिव दादर और नगर हवेली की सेवा कर रहा है।	162938	16920	176305	23424	19871
4.	जम्मू व कश्मीर जो जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहा है।	12174	1684	12724	2635	1501
5.	कर्नाटक (बंगलौर टेलीफोन जिला सहित) कर्नाटक की सेवा कर रहा है।	102351	7391	112648	10201	13107
6.	केरल (कोयम्बटूर, त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम टेलीफोन जिलों सहित) केरल की सेवा कर रहा है।	92959	12809	102394	18338	14964
7.	महाराष्ट्र (नागपुर, बंबई और पुणे टेलीफोन जिलों सहित) महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है।	359875	78329	386646	117773	66214

1	2	3	4	5	6	7
8.	मध्यप्रदेश (इन्दौर टेलीफोन जिला सहित) मध्यप्रदेश की सेवा कर रहा है।	64924	1411	67999	3656	5320
9.	उत्तर पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की सेवा कर रहा है।	31524	1377	32816	2659	2574
10.	उत्तर पश्चिम अमृतसर, चंडीगढ़ और लुधियाना टेलीफोन जिलों सहित) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सेवा कर रहा है।	106478	16814	116719	20429	13856
11.	उड़ीसा उड़ीसा की सेवा कर रहा है।	22802	255	23837	1370	2150
12.	राजस्थान जयपुर टेलीफोन जिला सहित) राजस्थान की सेवा कर रहा है।	56275	4504	61696	6076	6983
12.	तमिलनाडु (मद्रास टेलीफोन और मदुरै टेलीफोन जिले सहित) तमिलनाडु की सेवा कर रहा है।	166359	8034	176928	14684	17219
14.	उत्तर प्रदेश (कानपुर और लखनऊ टेलीफोन जिलों सहित) उत्तरप्रदेश की सेवा कर रहा है।	129343	7115	135050	11374	9966
15.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता टेलीफोन जिला सहित) पश्चिम बंगाल की सेवा कर रहा है।	183740	25896	195118	25927	11409
16.	दिल्ली	146711	42852	164048	48479	22964
	कुल योग :	1798252	233025	1939438	319388	227579

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

903. श्री डी० पी० जदेजा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 31 दिसम्बर, 1976 को कितनी और कौन-कौन-सी अनधिकृत कालोनियां विद्यमान थी ;

(ख) कितनी और कौन-कौन-सी अनधिकृत कालोनियां गत तीन वर्षों के दौरान नियमित कर दी गई हैं ;

(ग) कौन-कौन-सी कालोनियां 31 दिसम्बर, 1976 को अनधिकृत हैं ;

(घ) कौन-कौन-सी कालोनियां नियमित किए जाने हेतु सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 31 दिसम्बर, 1976 को दिल्ली में विद्यमान अनधिकृत कालोनियों की सूची बनाई नहीं गई थी ।

(ख) से (ङ) जैसा कि अनुलग्नक I में दिखाया गया है दिल्ली में 611 अनधिकृत संघटीकरण हैं जिनमें कालोनियों तथा ग्रामों के एक्सटेंशन सम्मिलित हैं, इनको इस विषय पर सरकार के आदेशानुसार नियमित किया जाना है । दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसने अनुलग्नक II में दिखाई गई 136 कालोनियों (दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई 17 कालोनियों सहित) को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसने पहले ही 118 कालोनियों के विन्यास नक्शे अनुमोदित कर दिये थे, ने सूचित किया है कि 33 कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया है, और इन शेष कालोनियों के नियमितीकरण को अंतिम रूप, जनता से प्राप्त सुझावों/आपत्तियों की जांच करने के पश्चात् दिया जायेगा ।

अनुमोदित की जाने वाली कालोनियों के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 899/80]

छोटे किसानों और सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के अधीन तिलहनों की खेती

904. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यदि तिलहनों की खेती को सरकार तथा छोटे एवं सीमांत किसानों, जो अधिकतर वर्षा-सिंचित जमीन में फसल उगाते हैं, के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में माना जाये तो विद्यमान उत्पादन प्रौद्योगिकी से ही तिलहनों का उत्पादन बढ़ सकता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार केवल तिलहनों और दाल के बीजों से ही खेती करने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम की भांति नया बीज निगम स्थापित करने का है ।

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सरकार का विचार है कि वर्तमान उत्पादन टैक्नालोजी से देश में तिलहनों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है । ऐसे विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिनसे तिलहन की खेती करने वाला समुदाय, जिसमें अधिकतर लघु और सीमांत कृषक होते हैं, उपलब्ध टैक्नालोजी अपनाकर लाभ उठा सकें । अच्छी किस्म के प्रमाणीकृत बीज की लागत पर राजसहायता देना, वनस्पति रक्षण रसायनिकों और प्रचालन संबंधी शुल्क, कृषकों के खेतों में उन्नत प्रबंध प्रणालियों के सबंध में प्रदर्शनों का आयोजन करना, बीज की नई किस्मों के मिनिकिट नि:शुल्क सप्लाई करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना इन उपायों में शामिल हैं ।

तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों का गठन करके उत्पादन, परिसंस्करण तथा विपणन के एकीकरण से सम्बंधित एक योजना भी शुरू की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में चोरी

905. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हुई कितनी चोरियों का पता चला है और कितने मूल्य (रुपयों में) की पुस्तकें पुस्तकालय से चोरी हो गई है ;

(ख) क्या कुछ फैसिट और आई० बी० एम० मशीनें भी चोरी हो गई हैं ;

(ग) इन चोरियों के लिए कौन लोग जिम्मेदार पाए गए हैं ; और

(घ) अपराधियों/चूककर्ताओं के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गईसूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय पुस्तकालय में चोरी के पांच मामलों का पता चला। पुस्तकालय की पुस्तकों की प्रत्यक्ष जांच की जा रही हैं। प्रत्यक्ष जांच पूरी हो जाने के बाद ही पुस्तकों की क्षति की राशि निर्धारित की जा सकती है। चोरियों के अन्य ब्यौरे और विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही इस प्रकार है :-

चोरी की घटनाएं

(1) रतन टाटा पुस्तकालय में नवम्बर, 1977 में एक फोटो कोपिंग प्लेट के खो जाने का पता चला था जिसकी कीमत 605/-रु० थी ।

(2) कैंम्पस विधि पुस्तकालय के उप-भवन से 27 जुलाई, 1979 को छत के चार पंखों की चोरी होने का पता चला जिसकी कीमत 1300/- रु० (अनुमानित) थी ।

(3) विश्वविद्यालय पुस्तकालय से 16-11-1979 को एक फैसिट टाईपराइटर के खो जाने का पता चला जिसकी कीमत 3415.06 रु० थी।

(4) केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के परिचालन अनुभाग से 22 जनवरी, 1980 को एक रोकड़ बक्से की जो चोरी हो गई थी जिसमें लगभग 200/- रु० थे।

(5) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में दो दुर्लभ ग्रंथों के न मिलने का पता चला था।

(की गई कार्यवाई)

(1) क्षति की जांच करने के लिए एक विभागीय जांच समिति नियुक्त की गई थी। समिति जिम्मेदारी तय करने के किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। तथापि, इसका यह विचार था कि पुस्तकालय के जिन दो कर्मचारियों के इसने नाम दिए हैं, उन्हें अपनी गलती के लिए चेतावनी दे दी जाए और भविष्य में उन्हें उस सामग्री को पुरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो उनके पास है। सम्बन्धित कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गई है।

(2) कुलपति ने 27 जुलाई, 1979 को चोरी की रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी। पुलिस अभी तक अपराधियों का पता नहीं लगा सकी है।

(3), (4) और (5) कुलपति ने पुस्तकाध्यक्ष द्वारा एकत्रित प्रमाण की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति नियुक्त की है। इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

गुजरात में कम लागत वाले मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता

906. श्री अहमद एम० पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिनमें वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान गुजरात राज्य में कम लागत वाले मकानों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को दी गई वित्तीय एवं अन्य सहायता का ब्यौरा दिया गया हो ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता सम्पूर्ण राज्य योजना के लिए समेकित अनुदानों और समेकित ऋणों के रूप में दी जाती है, और यह विकास के किसी शीर्ष विशेष या योजना से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए यह बतलाना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान गुजरात सरकार को निम्न लागत मकान बनाने के लिए कितनी सहायता दी गई।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के ग्रामीण खण्ड ने ग्रामीणों के लिए मकान बनाने में सहायता देने के लिए, गुजरात राज्य के कतिपय स्थानों पर पर्यावरणीय सुधार सहित प्रदर्शन मकानों की रचना करके सहायता दी। मुख्यतया आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय

वर्ग के लिए बनाई गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं तथा आवास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जीवन बीमा निगम तथा सामान्य जीवन बीमा निगम ऋण तथा हुडको से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी गई है। जो इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1978-79	1979-80
जीवन बीमा निगम	1.25	2.76
सामान्य बीमा निगम	0.70	1.60
हुडको	15.62	27.63
	(स्वीकृत)	(स्वीकृत)

वन क्षेत्र की घटना

907. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल में वन क्षेत्र घटता जा रहा है, और

(ख) क्या कुल वन क्षेत्र में कमी को संतुलित करने अथवा उसे रोकने हेतु सुरक्षात्मक अन्तरापण के लिए किसी योजना को प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मेंढ़क पालन तथा मेंढ़कों की टांगों का निर्यात

908. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेंढ़क की टांगों के निर्यात की वृद्धि की क्या सम्भावनाएं हैं ; और

(ख) क्या सरकार का मेंढ़क पालन अथवा खाने योग्य मेंढ़कों की वर्ण संकर नस्लों का विकास करने का कोई कार्यक्रम है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) मेंढ़क की टांगों (फ्राग लेग) के निर्यात में वृद्धि हो रही है, जो 1977, 1978 और 1979 में क्रमश: 2834 मीटरी टन, 3570 मीटरी टन तथा 3764 मीटरी टन रहा। चूंकि भारत में मेंढ़क की टांगों की व्यावहारिक रूप से कोई मांग नहीं होती है, अत: पकड़े गए मेंढ़कों की सम्पूर्ण मात्रा का परिसंस्करण निर्यात के लिए किया जाता है। उत्तरी राज्यों में मेंढ़कों के प्रग्रहण में विस्तार करके तथा मेंढ़क पालन की तकनीकों को अपना करके इसमें और वृद्धि करने की सम्भावना है।

(ख) केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान में वाणिज्यिक महत्व की मेंढ़क की नस्लों का चुनिन्दा प्रजनन करने और संकरीकरण के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम चालू है। इस संस्थान ने 'टिग्रिना' और 'क्रासा' की एक संकर नस्ल के विकास में सफलता प्राप्त कर ली है।

नारियल-रोग

909. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक केरल में नारियल "पाम" के पत्तों के पीले हो जाने का विनाशक रोग नियंत्रणाधीन नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रोग की वर्तमान स्थिति तथा इस बीमारी से हुई नारियल की वार्षिक हानि संबंधी विवरण सभा पटल पर रखने का है ; और

(ग) क्या उक्त रोग के आतंक पर नियंत्रण पाने हेतु अनुसंधान में 'रेडियो एक्टिव आईसोटोप' का उपयोग किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान । (संभवतया यह प्रश्न जड़ "मुरझान" रोग के संबंध में है, जिसका लक्षण पत्तों का पीला होना है) ।

(ख) केरल में लगभग 2.5 लाख हैक्टर नारियल के बाग इस रोग से ग्रसित हैं जो केरल में नारियल के लिए कुल क्षेत्र का करीब 1/3 क्षेत्र है । रोग ग्रसित क्षेत्रों में यह रोग लगभग 60% वृक्षों में मौजूद है जिससे लगभग 350 मिलियन गिरी का उत्पादन प्रतिवर्ष घट रहा है । हाल में तमिलनाडु के निकटवर्ती जिलों में भी यह रोग पाया गया है। यह रोग बहुत जटिल प्रकृति का है और इसके कारणों में अनेक जैविक कारकों (एजेंट्स) का संदेह है । रोग ग्रसित वृक्षों को अच्छे प्रबंध से लाभ पहुंचा है जिसमें उर्वरक, सिंचाई, निराई गुडाई और मिश्रित खेती शामिल हैं। रोग मुक्त पट्टी बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस प्रयोजन के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र भी स्थापित किया गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान । फलों को उतारने, उनको लाने ले जाने और पोषकों का उपयोग में परीक्षणों के लिए रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जा रहा है जिससे इस रोग को रोकने के उपाय खोजने हेतु किये जा रहे परीक्षणों में सहायता मिलेगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के लिए पंजीकरण

910. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों ने मकानों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करवाया है उन्हें कब तक मकान दे दिए जाएंगे ; और

(ख) इन मकानों की वर्गीकरण के हिसाब से क्या कीमत होगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने आवास कार्यक्रम को चरणों में आरम्भ किया है । इसलिए इस अवस्था में निश्चित समय बताना कठिन होगा कि कब तक सभी पंजीकृतों को मकान आबंटित किए जायेंगे ।

(ख) फ्लैटों के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद उस पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर उनकी बिक्री की कीमत का हिसाब लगाया जाता है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में पुस्तकाध्यक्ष का पद

911. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में 1971 से कोई स्थायी पुस्तकाध्यक्ष नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में जून 1975 में पुस्तकाध्यक्ष के एक पद का सृजन किया गया था । अब यह पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति करके भर दिया गया है ।

पश्चिमी बंगाल के लिए आवास और शहरी विकास निगम द्वारा दिए गए ऋण में वृद्धि

912. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु आवास और शहरी विकास निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से उनके राज्य में मकान बनाने के लिए निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास तथा नगर विकास निगम के ऋण बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

किन्तु, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा निर्धारित विभिन्न आवास श्रेणियों के लिए अधिकतम लागत सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था । चूंकि आवास तथा नगर विकास की अधिकतम लागत सीमा लाभ भोगियों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी, जो देशभर की सभी योजनाओं पर लागू होती है । इसलिए, राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं हैं ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति तथा भोजन तथा पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन

913. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम में प्रतिदिन कितने व्यक्ति नियुक्त हैं,

(ख) क्या सरकार ने बूढ़े और अशक्त लोगों, निराश्रितों, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों को भोजन तथा पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत नि:शुल्क भोजन देने के लिये भी प्रबन्ध किये हैं, और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है तथा लोगों की सहायता करने के लिये सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को अन्य सहायता भी दी जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) विवरण (संख्या-1) संलग्न है।

(ख) जी हां। पोषाहार हेतु खाद्यान्न कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखे से प्रभावित 11 (ग्यारह) राज्यों में जनता के अत्याधिक असुरक्षित वर्गों जैसे 6 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों, गर्भवती और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं, निस्सहायों, वृद्धों व अशक्त एंव अपंग व्यक्तियों को एक महीने में 25 दिनों के लिए प्रतिदिन पूरक पोषाहार सुलभ करने के लिए प्रबंध किए गए हैं।

(ग) यह कार्यक्रम सूखे से प्रभावित ग्यारह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है। आबंटित खाद्यान्नों तथा राज्य सरकारों द्वारा पूरक व्यय हेतु अपेक्षित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण (संख्या-2) में दर्शाए गए हैं।

जहां तक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को सुलभ की जा रही अन्य सहायता का संबंध है, इस बारे में जानकारी दर्शाने वाला विवरण (संख्या-3) संलग्न है।

विवरण-1

क्र० संख्या	राज्य	काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसमें विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शामिल है, में जुटे व्यक्तियों की औसत संख्या। (व्यक्ति लाख में)
1.	बिहार	4.72
2.	हरियाणा	0.20
3.	हिमाचल प्रदेश	0.40*
4.	मध्य प्रदेश	6.46
5.	उड़ीसा	3.55*
6.	राजस्थान	7.65
7.	उत्तर प्रदेश	4.65
8.	पश्चिम बंगाल	8.00*
9.	जम्मू तथा काश्मीर	अप्राप्य
10.	गुजरात व आन्ध्र प्रदेश	अप्राप्य

*इसका संबंध सभी रोजगार सृजन योजनाओं जिनमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम और विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शामिल है, से हैं।

विवरण-2

कार्यक्रम की लागत

क्र० संख्या	राज्य	लाभभोगी (लाख में)	आहार केन्द्रों की संख्या	सरकार द्वारा सप्लाई किए गए गेहूं/चावल की लागत को छोड़कर छः महीने के लिए आहार की लागत	भोजन की मात्रा (मीटरी टनों में)	
					चावल	गेहूं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.50	4500	135	6700	—
2.	बिहार	8.30	8300	249	12000	500
3.	हरियाणा	2.80	2800	84	—	4200
4.	जम्मू तथा कश्मीर	2.30	2300	69	3500	—
5.	मध्य प्रदेश	13.30	13300	399	15000	5000
6.	मेघालय	0.15	150	4.5	150	—
7.	उड़ीसा	4.50	4500	135	6700	—
8.	पंजाब	0.15	150	4.5	—	150
9.	राजस्थान	3.90	3900	117	900	5000
10.	उत्तर प्रदेश	22.30	22300	669	28350	5150
11.	पश्चिम बंगाल	4.50	4500	135	6700	—
	योग	66.70	66700	2001	80000	20,000

संख्या–3

केन्द्रीय दल जिसने मौके पर जाकर मूल्यांकन करने हेतु सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया, की रिपोर्टों तथा उच्च स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने सूखा से प्रभावित 11 राज्यों को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिये 156.95 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की उच्चतम सीमा अनुमोदित की थी। इसमें निस्सहाय व्यक्तियों को 12.50 करोड़ रुपये की सीमा तक निःशुल्क राहत देने हेतु अनुदान तथा ग्रामीण गरीबों में समर्थ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं हेतु 99.91 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान शामिल है।

सामान्य तथा विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 28 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित/बंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त पोषाहार हेतु खाद्यान्न

कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों को एक लाख मीटरी टन खाद्यान्न उपलब्ध किए गए थे ताकि दूध पिलाने वाली तथा गर्भवती, माताओं, स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले बच्चों, वृद्ध और अपंग व्यक्तियों तथा शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों जैसे जनता के अधिकतम कमजोर वर्गों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

वर्ष 1979-80 के खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों के लिए कृषि निवेश सुलभ करने हेतु 136 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण संस्वीकृत किए गए थे।

विशेष रियायतें : भारत सरकार ने न केवल लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा समन्वित ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों में लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों जहां फसलों 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है, के लिए भी बीजों, कीटनाशक दवाइयों तथा उर्वरकों, जिनमें नाइट्रोजनी उर्वरक भी शामिल हैं, के लिए उपदान की अनुमति दी है। छोटे किसानों आदि के लिए नाइट्रोजनी उर्वरकों पर उपदान की अनुमति पहली बार दी गई थी।

छोटे तथा सीमान्त किसानों पर ऋण का काफी बोझ पड़ा है, के लिए राहत देने हेतु उन क्षेत्रों जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है, में खरीफ ऋणों पर ब्याज की देयता को समाप्त कर दिया था बशर्ते कि ऋण दोबारा निर्धारित तारीखों को वापस कर दिए गए हों। इस पर व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।

पशुओं के चारे का निर्यात पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया था। तिलहनों की खली तथा तेल निकाली गई चावल की भूसी व संयोजित पशु तथा मुर्गी चारे का निर्यात भी बन्द कर दिया गया था।

बिजली तथा विद्युत शक्ति (पावर) आपूर्तियां

जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला तब राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि रबी के मौसम में एक अथवा दो सिंचाइयों को सुलभ करने हेतु किसानों को कम से कम 50 प्रतिशत डीजल निर्धारित किया जाना चाहिए तथा वास्तव में सुलभ किया जाना चाहिए। चूंकि डीजल रबी के मौसम में किसानों के लिए एक अनिवार्य निवेश है इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारी दिक्कतों के बावजूद भी पहले कोटे के अलावा, अतिरिक्त आबंटन किए थे और अतिरिक्त आबंटन का काफी भाग सूखा प्रभावित राज्यों को प्राप्त हुआ था।

राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा सलाह दी गई है कि तापभट्टियों, रोलिंग मिलों आदि जैसे अधिक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की खपत को घटाकर ग्रामीण क्षेत्रों को, यदि अनिवार्य हो, तो कम से कम 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बिजली उपलब्ध की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय तथा कोयला विभाग ने विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में ऊष्मीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्तियों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए।

राज्य सरकारों ने भूमि राजस्व की वसूली को रोकने के लिए आदेश जारी किए थे और भूमि राजस्व के स्थगन/भूमि राजस्व के बकाया को मुआफ करने के लिए भी आदेश जारी किए थे।

वर्ष 1980-81 के दौरान

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने सूखे की स्थिति का मौके पर जाकर मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल-मई, 1980 के दौरान केन्द्रीय दल भेजे थे। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा इससे सम्बन्धित उच्च स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए 177.37 करोड़ रुपये के व्यय की उच्चतम सीमा को अनुमोदित किया है। इस धनराशि में निःशुल्क राहत स्वास्थ्य देखभाल आदि के अनुदान के लिए 34.45 करोड़ रुपये, रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 79.59 करोड़ रुपये तथा पेय जल प्रबन्धों के लिए 37 84 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। केन्द्रीय दलों ने हाल ही में गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और उनकी रिपोर्टों के आधार पर इन राज्यों को सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान सभी सूखा प्रभावित राज्यों तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघशासित क्षेत्रों को कुल 6.90 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा उपलब्ध कराई गई है। यह मात्रा सामान्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 3.10 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के अलावा है। वर्ष 1979-80 के दौरान शुरू किए गए पोषाहार हेतु खाद्यान्न कार्यक्रम को सितम्बर, 1980 के अन्त तक जारी रखा जा रहा है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार को पूरक व्यय के लिए मार्जिन मनी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। समाज कल्याण मंत्रालय ने भी उन स्थानों जहां संगठनात्मक आधारभूत ढांचे की कमी है, पर बिना पकाए खाद्य के वितरण की अनुमति देकर विशेष परिस्थितियों में पकाया गया खाद्य सुलभ करने के लिए छूट दी है।

केन्द्र सकार ने सूखा प्रभावित राज्यों की महिलाओं, बच्चों आदि को भोजन देने के लिए 2500 मीटरी टन खाद्य तेल तथा 1500 मीटरी टन स्किमड दुग्ध पाउडर उपलब्ध किया है।

भारत सरकार ने खरीफ मौसम के दौरान कृषि निवेश सुलभ करने के लिए सूखा से प्रभावित 11 राज्यों को कुल 38.60 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण संस्वीकृत किए हैं।

एक फसल वाले सूखा प्रभावित क्षेत्रों जहाँ कोई भी रबी की फसल उगाई नहीं जा सकती में छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि निवेशों (नाइट्रोजनी उर्वरक सहित) से सम्बन्धित वर्तमान उपदान को सितम्बर, 1980 के अन्त तक बढ़ा दिया गया है।

पेय जल

सूखा प्रभावित राज्यों में पेय जल की समस्या युद्ध-स्तर पर हल की जा रही है। वर्ष 1980-81 के दौरान संस्वीकृत केन्द्रीय सहायता में आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए 37.84 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बोरिंग कुओं हेतु देशी पुर्जों की राज्य सरकारों को आपूर्ति करने के प्रबन्ध के लिए तथा तीव्र ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य प्रावधान को बढ़ाने के लिए 11 करोड़ रुपये निर्माण तथा आवास मंत्रालय को सौंपे गये हैं।

इसके अलावा स्वीडेन से उपहार आधार पर 10 पुर्जे स्वीकार करने हेतु पूरक निधियों के रूप में 4 करोड़ रुपये निर्माण तथा आवास मंत्रालय को सौंपे गये हैं।

रेलवे ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जल पहुंचाने का प्रबंध किया है।

रक्षा मंत्रालय टंकी ट्रकों, ड्रमों, बैरलों, कैन्वस टैंकों आदि की आपूर्ति द्वारा प्रभावित गांवों में पेय जल पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के सूखे से प्रभावित राज्यों को सभी संभव सहायता दे रहा है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के सूखे के प्रबन्ध हेतु 12-सूत्रीय कार्यक्रम में देश की विद्यमान अप्रत्याशित सूखे की परिस्थितियों का मुकाबला युद्धस्तर पर करने हेतु मूलभूत रूप-रेखा और कार्यवाही की योजना का प्रावधान है। इसमें अत्यधिक गम्भीर रूप से प्रभावित जिलों में पूर्ण-कालिक राहत अधिकारियों की नियुक्ति, राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रबोधन सैलों के गठन, खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने, कमी के हालात से फायदा उठाने का प्रयास करने वाले समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही, पंचायत सर्किल के स्तर पर योजनाओं के शेल्फ को सुनिश्चित करते हुए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन तथा विशाल वनरोपण कार्यक्रम को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध करते हुए उसे बढ़ाने का प्रावधान है। कार्यक्रम में प्रभावित गांवों में जल की आपूर्ति हेतु आनुषांगिक योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन तथा टैंकरों, ट्रकों, ड्रमों, बैरलों आदि के प्रबन्ध हेतु अग्रिम कार्यवाही पर भी जोर दिया जाता है। मानव जनसंख्या को संकट से राहत दिलाने के अलावा, कार्यक्रम में मवेशी शिविरों के गठन की व्यवस्था है। 12-सूत्री कार्यक्रम सही ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसके द्वारा सभी स्तरों पर राज्य मशीनरी को प्रेरित किया गया है।

प्रबोधन : कृषि विभाग में कार्यकारी दल तथा खाद्य विभाग में प्रबोधन दल भी खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, डीजल के आबंटन, पेय जल प्रबन्धों आदि की नियमित देखभाल करता है। कृषि मंत्रालय में एक नियंत्रण-कक्ष की स्थापना की गई है, ताकि सूखा राहत कार्यों का प्रबोधन किया जा सके तथा राज्य सरकारें सूखा राहत कार्यों पर तत्परता से ध्यान दे सकें।

दीर्घकालीन उपाय : सिंचाई

सूखे की स्थिति को कम करने के लिए प्रस्तावित दीर्घकालीन उपायों में से एक उपाय सिंचाई सुविधाएं मुहैया करना है। लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर के कुल अनुमानित शस्य क्षेत्र में से मार्च, 1980 के अन्त तक बृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र 52 मिलियन हेक्टेयर था। अनुमान है कि जून, 1980 के अन्त तक सभी सिंचाई कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित सम्भाव्यता 57 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगी जबकि 1951 में सृजित सम्भाव्यता 22.6 मिलियन हेक्टेयर थी।

ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्रालय ने बृहद तथा मध्यम योजनाओं से 1980-81 की योजना के दौरान 8.5 मिलियन हेक्टेयर के सम्भावित सृजन लक्ष्य का अनंतिम रूप से प्रस्ताव किया है।

लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 8.5 मिलियन हैक्टेयर की और सम्भाव्यता सृजित हो जाएगी। मौजूदा दीर्घावधि उद्देश्य यह है कि 2000 ई० के अन्त तक लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर की समूची सिंचाई सम्भाव्यता का सृजन किया जाए।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

भारत सरकार ने वर्ष 1970-71 से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया है जो इन राज्यों के 74 जिलों तथा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम में अनेक आधारभूत ढांचे सम्बन्धी और आन-फार्म विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से इन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया है तथा इसका मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों को आवर्ती सूखे से मुक्त कराना है। नीति के मुख्य घटक ये हैं: (1) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध, (2) भूमि और नमी संरक्षण तथा वनरोपण, (3) फसल प्रतिमान की पुनः संरचना तथा चरागाह विकास तथा (4) छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को उपदान के माध्यम से सहायता।

कार्यक्रम के लिए वर्ष 1979-80 के दौरान, 4177.50 लाख रुपये का केन्द्रीय अंश था तथा वर्ष 1980-81 हेतु 3960 लाख रुपये का प्रावधान है। कार्यक्रम की लागत केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन की जाती है।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

मरुभूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ किया गया है, ताकि गुजरात हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश (लाहुलस्पीति) तथा जम्मू व कश्मीर (लद्दाख) के 18 जिलों के सूखे इलाकों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। कार्यक्रम के मुख्य घटक ये हैं: (1) वनरोपण, सुरक्षा क्षेत्र, चरागाह विकास तथा रेत बालू स्थिरीकरण; (2) भू-जल विकास और उपयोग; (3) जल संचयन ढांचों का विकास; (4) ग्रामीण विद्युतीकरण; (5) कृषि पशुपालन तथा बागबानी का विकास, तथा (6) व्यक्तिगत लाभभोगी योजनाएं। 15 लाख रुपये प्रतिखण्ड सुलभ किए जाते हैं, जिसे केन्द्र और सम्बन्धित राज्यों के बीच बराबर के आधार पर बांटा जाता है। वर्ष 1979-80 के दौरान लाभभोगी राज्य हेतु केन्द्रीय आबंटन 9.77 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1980-81 के दौरान 8.00 करोड़ रुपये का था। राज्य सरकारों से बराबर के आधार पर योगदान की अपेक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता

914. श्री पी० के० कोडियन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखने के लिए कदम उठाए गए हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कक्षा 9, 10, 11, तथा 12 के लिए प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें इस वर्ष जुलाई में स्कूलों के खुलने पर छात्रों को उपलब्ध की जा सकें; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष कुछ श्रेणियों के छात्रों को पुस्तकों के उपलब्ध न होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा था ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा IX से XII तक की कक्षाओं के लिए प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें 15 जुलाई, 1980 तक उपलब्ध हो जाएं, जब स्कूल पुन: खुलेंगे । तथापि नार्वेजियन मुद्रण कागज के पहुंचने में विलम्ब, यातायात संबंधी कठिनाइयों और दिल्ली में असामान्य बिजली की कटौती के कारण कुछ पुस्तकों के कुछ सप्ताह देर से उपलब्ध होने की संभावना है । लेकिन यह विलम्ब भी अभिशंसित पुस्तकों के बारे में ही होगा, निर्धारित पुस्तकों के संबंध में नहीं ।

(ख) गत वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने जुलाई, 1979 तक 170 पुस्तकें उपलब्ध कराई थी । केवल दो पुस्तकें देर से उपलब्ध हुई थीं ।

आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा मकानों का निर्माण

915. **श्री कृष्णचन्द हाल्दर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हुडको द्वारा अपनी 79 योजनाओं के अन्तर्गत अब तक राज्यवार कितने मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : 1979-80 की योजना में हुडको द्वारा मंजूर किए गए मकानों की राज्यवार संख्या का विवरण संलग्न है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत रिहायशी मकानों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	48026
असम	325
बिहार	1197
गुजरात	33210
हरियाणा	1903
हिमाचल प्रदेश	...
जम्मू व कश्मीर	...
कर्नाटक	44500
केरल	10306
मध्य प्रदेश	3055
महाराष्ट्र	2558
उड़ीसा	1221

1	2
पंजाब	5685
राजस्थान	6536
तमिलनाडु	20680
उत्तर प्रदेश	12245
पश्चिम बंगाल	4475
संघ राज्य क्षेत्र	
चण्डीगढ़	3013
दिल्ली	3906
गोवा, दमन तथा द्वीव	...
पांडिचेरी	...
योग	202841

दिल्ली में दाखिले के लिए प्रबन्ध

916. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखने के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं कि दिल्ली में कालेजों में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार है कि लगभग 25,000 छात्रों को, जिन्होंने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की वर्ष 1980 की वरिष्ठ स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जो कला, सामाजिक-विज्ञान, विज्ञान और गणित के अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के पात्र हैं, उन्हें नियमित छात्रों के रूप में दाखिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पात्र छात्रों को विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत शिक्षा विद्यालय अथवा गैर कालेज महिला शिक्षा में प्रवेश लेने का विकल्प प्राप्त होता है। जो छात्र नियमित छात्रों के रूप में दाखिला लेने के पात्र नहीं होते हैं, उन्हें बाह्य छात्रों के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का विकल्प प्राप्त होता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में वनों तथा वन्य जीवन के संबंध में प्रधान मंत्री का निदेश

917. श्री के० पी० सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों से अनुरोध किया है कि वे वनों तथा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने की योजनाएं आरम्भ करें ?

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा इस संबंध में किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) क्या सामाजिक वनप्रांत का विकास करने पर बल दिया गया है और क्या केन्द्र द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जानी है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। प्रधान मन्त्री ने न केवल पूर्वोत्तर राज्यों से वनों तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने की योजना आरम्भ करने का अनुरोध किया है, बल्कि भारत के सभी राज्यों से ऐसा करने का अनुरोध किया है।

(ख) जी हां।

(ग) (1) जी हां। सामाजिक वानिकी के विकास पर बल दिया गया है।

(2) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सामजिक वानिकी कार्यक्रम वर्ष 1975-76 से आरम्भ किया गया था। प्रारम्भिक अवस्था में "अवक्रमित वनों की पुनः वनरोपण" से सम्बन्धित योजना के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता 50:50 तथा "पंचायती भूमि एवं बेकार भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण" से सम्बन्धित योजना के लिए 75:25 प्रतिशत के अनुपात में उपलब्ध थी। उसके पश्चात दोनों प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सहायता बढ़ाकर अधिकतम 1000 रुपये प्रति हैक्टार कर दी गई थी। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 1979-80 से इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी जानी चाहिए तथा यह निधि राज्यों को अतिरिक्त राशि के रूप में हस्तान्तरित कर दी जानी चाहिए, सिवाए संघ राज्य क्षेत्रों में जहां यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखी जा रही है। 1980-81 से केन्द्र द्वारा 'ग्राम ईंधन वृक्षारोपण" से सम्बन्धित एक योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

व्यापारियों द्वारा जमाखोरी के कारण चीनी के अधिक मूल्य

918. श्री के० पी० सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेईमान व्यापारियों द्वारा की जा रही जमाखोरी से देश में प्रायः चीनी के मूल्यों में वर्तमान वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि ऐसे समाज विरोधी तत्वों से निपटने के लिये वे केन्द्र के साथ मिल कर कार्य करें ; और

(ग) यदि हां, तो गत चार महीनों में दिल्ली में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) चीनी के चल रहे ऊंचे मूल्य मुख्यतया 1979-80 मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने और अपेक्षाकृत कम

उपलब्धता तथा अन्य स्वीटनिंग एजेंटों अर्थात् गुड़ और खण्डसारी के मूल्य अधिक होने के कारण हैं। तथापि यह सम्भव है कि व्यापारियों की सट्टेबाजी की गतिविधियों से भी मूल्यों में तेजी आने को बल मिलता है।

(ख) जी, हां।

(ग) पांच।

कृषि अनुसंधान के लिये धन

919. श्री के० पी० सिंह देव क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रति वर्ष कृषि अनुसंधान कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये के बजट की देखरेख करती है;

(ख) यदि हां, तो इसमें से वास्तविक रूप में अनुसंधान कार्यों पर कितना खर्च होता है और संस्थापन पर कितना;

(ग) इस धनराशि का फसलवार बटवारा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का दालों और खाद्य तेलों जिनकी देश में कमी है, के आबंटन में वृद्धि करने का विचार है।

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का वर्ष 1979-80 के दौरान कुल बजट परिव्यय रु० 8110,01 लाख था।

(ख) संस्थानों में कार्यरत सभी स्टाफ और भवनों, उपकरणों आवर्ती आकस्मिक परिव्यय आदि के रूप में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, जिनके लिए उपरोक्त (क) के उत्तर में प्रावधान किए गए हैं, वे अनुसंधान चलाने के लिए तथा शिक्षा कार्यक्रमों को सहायता पहुंचाने के लिए हैं। इस प्रकार से, परिषद् का समस्त परिव्यय कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करने तथा शिक्षा देने के लिए हैं। तथापि, उपरोक्त (क) पर दर्शाये गये बजट परिव्यय में से रु० 2069.00 लाख रुपये की राशि संस्थानों और मुख्यालय के विज्ञानियों तथा प्रतिष्ठान के अन्य सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों की पूर्ति करने के लिए था।

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए शाखावार बजट परिव्यय निम्न प्रकार से था :—

	रु० लाखों में
i) कृषि	6438.14
ii) पशुपालन	807.50
iii) डेरी	342.61
iv) मत्स्य पालन	521.76
	8110.01

विभिन्न फसलों, पण्यों और शाखाओं पर अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न संस्थानों तथा अखिल भारतीय समान्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं और तदर्थ प्रायोजनाओं में की जाती हैं जिनको कृषि उत्पाद उपकर निधि से सहायता प्राप्त होती है। कृषि विश्वविद्यालय तथा अनेक अन्य संस्थान भी ऐसी प्रयोजनाओं/कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं। अकेली किसी फसल अथवा पण्य पर अनुसंधान के सम्बन्ध में खर्च का पता केवल अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं से चल सकता है। मुख्य फसलों के लिए अखिल समान्वित भारतीय अनुसंधान प्रायोजना के अधीन वर्ष 1979-80 के लिए फसलवार बजट परिव्यय निम्नप्रकार से था :–

		रु० लाखों में
i)	चावल	30.00
ii)	गेहूं	20.00
iii)	तिलहन	60.00
iv)	दालें	58.00
v)	मक्का	30.00
vi)	मोटा अनाज	18.00
vii)	गन्ना	12.00
viii)	तम्बाकू	12.00
ix)	जूट	9.00
x)	बागबानी फसलें	85.00

(घ) दालों और तिलहनों पर अनुसंधान भा० कृ० अ० प० के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में प्रगति पर है। इन अनुसंधान कार्यक्रमों को गहनता भा० कृ० अ० प० की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जो योजना संसाधनों और उपकर निधि के माध्यम से दी जाती है। दालों और तिलहनों पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के द्वारा निर्धारित राशि वर्ष 1974-78 की अवधि के बीच 463 लाख रुपये थी और वर्ष 1978-83 की अवधि के लिए 750 लाख रुपये है। हाल ही में, सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में दालों और तिलहनों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण को गहन बनाने की प्रायोजना के लिए, जिसकी लागत 322 लाख रुपये है उपकर निधि से स्वीकृति मिली है। राशि के ये निर्धारण उन राशियों के अतिरिक्त हैं जो भा० कृ० अ० प० के संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है।

सूखे से प्रभावित राज्यों के लिए धन राशि एकत्र करना

920. श्री एन० ई० होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कतिपय संगठनों के माध्यम से अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(ख) राज्यों में उसका वितरण किस प्रकार का है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) :(क) भारत सरकार ने देश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसी भी संगठन के माध्यम से कोई धनराशि एकत्र नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केरल के विजंगम मत्स्य पत्तन के लिये केन्द्रीय सहायता

921. श्री ए० नीलालोहिथादसन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कभी भारत सरकार से विजंगम मत्स्य पत्तन के निर्माण अथवा विकास हेतु सहायता अथवा सहयोग के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने कभी इसे सहायता अथवा सहयोग दिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार विर्जंगम पत्तन के लिये कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : जी हां । केरल सरकार ने विर्जंगम मत्स्यन पत्तन के प्रथम तथा द्वितीय चरण के निर्माण के लिये भारत सरकार से सहायता के लिये अनुरोध किया है ।

(ख) जी हां । भारत सरकार ने विर्जंगम मत्स्यन पत्तन के प्रथम चरण को पूरा करने के लिये 173 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए हैं ।

(ग) विर्जंगम मत्स्यन पत्तन के दूसरे चरण के निर्माण के लिये 480 लाख रुपए की अनुमानित लागत का परियोजना संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । योजना आयोग के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है ।

10+2 शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी समिति के निष्कर्ष

922. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता के बारे में उनके मंत्रालय ने स्वयं अथवा किसी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले तथा ये कहां तक सफल सिद्ध हुए ; और

(ग) क्या सरकार का एकरूपता लाने के लिये इसे समूचे देश में आरम्भ करने का विचार है ?

शिक्षा. स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) शिक्षा की 10+2 प्रणाली की सिफारिश शिक्षा आयोग द्वारा 1966 में की गई थी । राष्ट्रीय एकीकरण समिति के निर्देशों के अन्तर्गत नियुक्त की गई शिक्षाविदों और छात्र नेताओं की समिति ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया था । भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित संकल्प में भी इस प्रणाली को समान रूप से अपनाने का समर्थन किया गया था । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, जो देश की राष्ट्रीय नीति से सम्बन्धित सर्वोपरि निकाय है, इसका समर्थन किया था । शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के सम्मेलनों ने भी इस प्रणाली के पक्ष में

बार-बार संकल्प पारित किए हैं। अतः, इस नई प्रणाली को काफी विचार-विमर्श के बाद ही लागू किया गया था।

इस प्रणाली को लागू करने का पहला कदम 1975 में उठाया गया था। अतः, छात्रों के प्रथम बैच ने + 2 पाठ्यक्रम 1979 में पूरा किया था। इस स्थिति में किसी भी प्रकार से इस प्रणाली की उपयोगिता का मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं आया है।

(ग) सरकार ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रणाली को समान रूप से अपनाना स्वीकार कर लिया है। अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इसे पहले ही लागू कर दिया है। अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र भी इसे अपनाने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गए हैं।

अगस्त, 1977 में हुए शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि स्कूल शिक्षा की 10+2 की प्रणाली को छठी योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही देश भर में कार्यान्वित किया जाए।

भारत–चीन खेल कूद

92२. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन खेल कूदों के आयोजन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो एशियाई क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत और चीन के बीच, खेलों के क्षेत्र में, हाल ही में विनिमय हुए हैं। चीन के दलों और प्रतियोगियों ने भारत में हुए निम्नलिखित खेलों में भाग लिया :-

(1) भारत में अक्तूबर-नवम्बर, 1977 में हुई अन्तर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता।

(2) 1978 में हुई भारतीय फुटबाल संघ शील्ड प्रतियोगिता।

(3) कलकत्ता में फरवरी, 1980 में हुई पहली एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता।

(4) कलकत्ता में मई, 1980 में हुई एशियाई टेबिल टेनिस प्रतियोगिता।

नंजिंग में नवम्बर, 1979 में हुई दूसरी एशियाई हैंडबाल प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबाल दल ने भाग लिया।

(ख) एशियाई क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) हर चौथे वर्ष एशियाई खेल आयोजित किए जाते हैं। पिछले एशियाई खेल दिसम्बर, 1978 में बैंकाक हुए थे, और अगले एशियाई खेल अक्तूबर-नवम्बर, 1982 में भारत में होंगे।

(2) एशिया के विभिन्न सदस्य देशों में विभिन्न खेलों में थोड़ी-थोड़ी अवधि के बाद एशियाई चैम्पियनशिप आयोजित की जाती है। हाल ही में, कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी और टेबिल-टेनिस में ऐसी चैम्पियनशिप भारत में आयोजित की गई। ऐसी ही चैम्पियनशिप एशिया के अन्य देशों में भी आयोजित की जाती है।

(3) अन्य महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं भारत तथा एशिया के अन्य देशों में समय-समय पर आयोजित की जाती हैं जिनमें एशिया के कुछ देशों के प्रतियोगी और दल भाग लेते हैं। कुछ एशियाई देशों द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एशिया के अन्य सदस्य देशों को भी निमंत्रित किया जाता है।

(4) एशियाई खेल संघ, जिसका मुख्यालय अब भारत में स्थानान्तरित हो गया है को सक्रिय बनाया जा रहा है और आशा है वह इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाएगा। अन्य कार्यकलापों में यह एशिया के विभिन्न देशों में विभिन्न खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के समेकित पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रयत्न कर रहा है जिसमें भाग लेने के लिए इस क्षेत्र के विभिन्न देशों से सम्बन्धित प्रशिक्षकों और अधिकारियों को निमंत्रित किया जाएगा।

अधिक उत्पादन के लिये चने की नई किस्म

924. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष चने की फसल बहुत कम हुई है जिससे चने के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) इस वर्ष अनुमानतः कितनी मात्रा में चने का उत्पादन हुआ और क्या सरकार ने चने का भी कोई सुरक्षित भण्डार बनाया है, यदि हां, तो कितना; और

(ग) इसका अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु चने की नई किस्म निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 के लिये चने के क्षेत्र और उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुये हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चने के उत्पादन में कुछ कमी होने की सम्भावना है। चने के थोक मूल्यों का सूचकांक, जो जनवरी, 1980 के प्रथम सप्ताह में लगभग 240.2 और अप्रैल, 1980 के प्रथम सप्ताह में 234.1 था, मई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में बढ़कर 278.3 हो गया।

सरकार चने के बफर स्टॉक को नहीं रख रही है।

(ग) चने के बारे में अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना के अन्तर्गत अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान सम्बन्धी प्रयत्नों के फलस्वरूप, 1979 में चने की दो किस्मों, अर्थात पन्त जी 114 तथा बी० जी० 209 का पता लगाया गया है। इन किस्मों से उपज में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

"पैलेस एन्टीक फैंच रुपीज 8 करोड़" शीर्षक से समाचार

925. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाइम्स आफ इंडिया दिनांक 29 मई, 1980 दिल्ली संस्करण में "पैलेस एन्टीक फैंच रुपीज 8 करोड़" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या ये पुरातन वस्तुएं भारत सरकार के पास पंजीकृत थीं ;

(ग) क्या इनसे प्राप्त धनराशि भारत लाई जायेगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ;

(घ) इन पुरातन वस्तुओं को कौन बेच रहा है ; और

(ङ) क्या वे इस मामले की जांच करायेंगे और सौदे के सारे तथ्य सभा पटल पर रखेंगे ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार साउथ बी के नीलाम कर्ताओं द्वारा बेचा गया साज-सामान इन्दौर के महाराजा स्वर्गीय यशवन्त राव होलकर का था जिसका डिजाइन उन्होंने वर्तमान शताब्दी के 30 से 39 वर्ष के मध्य फ्रांस तथा अन्य स्थानों के कारीगरों द्वारा तैयार करवाया था। तदनुसार ये साज-सामान 100 वर्ष से कम समय का होने के कारण पुरावशेष नहीं हैं और इसलिए इन्हें पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कमजोर वर्गों के लिए आवास तथा नगरीय विकास निगम का ऋण

926. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए फ्लैटों का निर्माण करने हेतु आवास तथा नगरीय विकास निगम को ऋण की मंजूरी देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहनों और दालों का उत्पादन

927. **श्री नवीन रवाणी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस समय इन वस्तुओं की मांग और स्वदेशी संसाधनों से सप्लाई कितनी है ; और

(ग) सरकार का विचार खाद्य तेल का आयात कब रोकने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : तिलहनों तथा दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) दलहन तथा तिलहनों से संबंधित अलग-अलग केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दलहन के लिए 56 जिलों में तथा तिलहनों के लिए 90 जिलों में एक गहन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । अन्य बातों के साथ-साथ इन योजनाओं के उद्देश्य इस प्रकार है :– कृषकों के खेतों पर प्रदर्शनों का आयोजन करना, बीज उत्पादन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, वनस्पति रक्षण उपायों का विस्तार करना, राइजोबियम कल्चर का उत्पादन तथा कृषकों एवं विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

(2) इसके अतिरिक्त राज्य अपनी निधि से दलहन तथा तिलहन विकास कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित कर रहे हैं :

(3) मध्यवर्ती-फसलों एवं अन्तदर्शी फसलों के जरिए दलहन एवं तिलहनों की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना :

(4) अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(ख) इस समय देशी स्रोतों से दलहन एवं तिलहनों की मांग एवं आपूर्ति के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य तेलों के आयात को बन्द करने से सम्बंधित निर्णय तभी लिया जा सकता है, जबकि मांग तथा पूर्ति के अन्तर को पूरा कर लिया जाएगा ।

दिल्ली में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

928. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन हैं और ऐसे कनेक्शन अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी अवधि के लिये होते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी अस्थायी कनेक्शनों की किसी निश्चित अवधि के बाद स्थायी लाइनों में बदलने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) दिल्ली टेलीफोन के अन्तर्गत अस्थायी रूप से कार्य कर रहे टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 2112 है। इन कनेक्शनों की कम-से-कम तथा अधिक-से-अधिक अवधि तीन महीने तथा 9 वर्ष, चार महीने है ;

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में काम कर रहे व्यक्ति

929. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में इसके गठन की तारीख से काम कर रहे कार्मिकों का ब्यौरे क्या है ; और

(ख) इस विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) इस मंत्रालय में काम कर रहे कार्मिकों के ब्यौरे संलग्न विवरण (अनुबन्ध-1) में दर्शाए गए हैं।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची संलग्न है (अनुबन्ध-2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 900/80]

छोटे और सीमान्त किसानों के लिये ग्रामीण बैंक

930. **श्री पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे और सीमान्त किसानों तथा दस्तकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु और अधिक ग्रामीण बैंक खोलने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 1980 से दस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनमें से उत्तर प्र० में पांच, बिहार में तीन और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक-एक हैं। इस प्रकार बैंकों की कुल संख्या सत्तर हो गई है, जिनके अन्तर्गत 122 जिले आते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य ग्यारह बैंकों को स्थापित करने के लिये व्यवस्था की गई है।

ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

931. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि 2,05,000 ग्रामों में 14.5 करोड़ व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता ; और

(ख) यदि हां, तो इन ग्रामों को स्वच्छ पेय जल की निम्नतम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भारत सरकार के कहने पर 1972 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह विदित हुआ है कि देश में कुल 5.76 लाख गावों में से लगभग 1.53 लाख ग्राम 'समस्याग्रस्त' है । अर्थात् वे गांव जिनमें 1.6 कि० मी० की दूरी तक कोई जलस्रोत नहीं है या उपलब्ध जल प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है । इसके बाद राज्य समय-समय पर सूचित करते आ रहे हैं कि 'समस्याग्रस्त' गांव इनसे भी और अधिक है । यह अनुमान लगाया है कि 1-4-1980 तक ऐसे गांवों की संख्या जिन्हें अभी भी सुरक्षित पेय जल देने की व्यवस्था की जानी है , 12 लाख के लगभग है और इनकी आबादी लगभग 12.25 करोड़ की है ;

(ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के संसाधनों से वर्ष 1980-85 के दौरान शेष समस्याग्रस्त गांवों का प्रबन्ध करने का विचार हैं ।

पश्चिमी बंगाल के लेवी चीनी का कोटा उठाना

932. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लेवी चीनी के कोटे को महाराष्ट्र की मिलों से उठाना पड़ता है ;

(ख) क्या परिवहन की कठिनाइयों के कारण भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल को समय पर चीनी का कोटा देने में असफल है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलों से चीनी का कोटा उठाने की अनुमति दी जाये ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) पश्चिमी बंगाल, जो कि चीनी के उत्पादन के मामले में कमी वाला राज्य है, के लेवी चीनी के मासिक कोटे का अधिकांश भाग महाराष्ट्र की चीनी फैक्ट्रियों से पूरा किया जाता है ।

(ख) 17-12-1979 से चीनी पर फिर से आंशिक नियंत्रण लागू करने के तुरन्त बाद परिवहन की अड़चनों से उत्पन्न कुछ परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ आई थीं जो कि विशेषकर रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता, डीजल की कमी आदि के कारण आई जिससे शुरू में फैक्ट्रियों से चीनी के उठाने/संचलन की गति में बाधा पड़ी थी । तथापि, बाद में, ये कठिनाइयां काफी हद तक दूर कर ली गई थी और भारतीय खाद्य निगम ने महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों से स्पेशल रैकों द्वारा पश्चिमी बंगाल को लेवी चीनी भेजने की व्यवस्था की थी । इससे फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की गति में तेजी आई और 31 मई, 1980 तक भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिमी बंगाल को 1,03,230 मीटरी टन लेवी चीनी भेजी थी जबकि पश्चिमी बंगाल को अब तक लेवी चीनी का किया गया कुल आवंटन 1,40,192 मीटरी टन हैं जिसमें जून, 1980 का 22,018.5 मीटरी टन का कोटा शामिल है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में लैवी चीनी की अधिशेष उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल के मासिक कोटे के प्रति उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों से भी कुछ स्टाक उठाया जाता है क्योंकि बिहार चीनी के मामले में कमी वाला राज्य है और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र से लेवी चीनी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर रहा है, इसलिए पश्चिमी बंगाल को सप्लाई करने के लिए बिहार से लेवी चीनी का आबंटन करना सम्भव नहीं है ।

आवासीय माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

933. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त आवासीय माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन जारी करने के लिए इस वर्ष विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मंजूर की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियां मंजूर करने के लिए अपनायी गयी कसौटी क्या है तथा कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 500 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है । योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों को पर प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित कसौटी अपनाई गई :

(i) 50% छात्रवृत्तियां अर्थात् 250 छात्रवृत्तियां उम्मीदवारों को अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर दी जाती है । अन्य 250 छात्रवृत्तियां जनसख्या के आधार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उम्मीदवारों को दी जाती हैं ।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15% तथा 5% छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं ।

(iii) जिन बच्चों के अभिभावकों की आय 500/-रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं ।

(iv) चयन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर 11-12 आयु-वर्ग के बच्चों में से किया जाता है, जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा के निष्पादन के आधार पर की जाती है ;

(v) छात्रवृत्ति शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक की अवधि के कार्य है ;

(iv) छात्रवृत्तियों का नवीकरण वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर किया जाता है ।

लिखने की कापियों की कमी

934. श्री नन्द किशोर शर्मा :

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में इस समय स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लिखने की कापियों की अत्याधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों को कापियां ठीक समय पर मिल सकें तथा लिखने की पुस्तिकाओं की बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या वे निजी विनिर्माता, जिन्हें कापियां बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, सरकार को निश्चित संख्या में कापियां दे रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) स्कूल के बच्चों के लिए कापियों की भारी कमी सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) स्कूल के बच्चों को कापियां और पाठय पुस्तकें उचित दामों पर उपलब्ध हो जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार के पास, राज्य सरकारों को रियायती सफेद मुद्रण कागज देने का एक कार्यक्रम है । सरकार ने कापियां तैयार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को जनवरी-मार्च, 1980 की तिमाही के लिए 19517 टन एवं अप्रैल-जून, 1980 की तिमाही के लिए 14,883 टन कागज आबंटित किया है । उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कापियों के लिए राज्य सरकारों की कागज सम्बन्धी मांग को पूर्णरूपेण पूरा करना संभव नहीं हो सका है, परन्तु तत्काल और अत्यन्त जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आबंटन कर दिया गया है । कागज प्राप्त करने, अपने पर्यवेक्षण में इसे कापियों में परिवर्तित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी समितियों, स्कूलों और जहां कहीं आवश्यक हो प्राईवेट खुदरा व्यापारियों के माध्यम से इनको वितरित करने के लिए एक केन्द्रीय कृत राज्य एजेन्सी आरम्भ करने की भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है । उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रबन्ध पर पूरी तरह से निगरानी रखे कि बच्चों को कापियां ठीक समय पर और अधिसूचित दामों पर उपलब्ध हो ।

(ग) शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ प्राईवेट निर्माताओं ने राज्य एजेन्सियों को निर्धारित संख्या में कापियां मुहैया नहीं की हैं ।

(घ) सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी है कि केन्द्रीयकृत राज्य एजेन्सी कागज को कापियों में परिवर्तित करने और इनके वितरण पर पूरी निगरानी रखे । राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम का व्यापक रूप से निरीक्षण करें और उन निर्माताओं के विरुद्ध अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्रवाई करें जो समय पर या पूरी मात्रा में कापियां मुहैया नहीं करते ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मेघालय में गारो-हिल्स का अध्ययन

935. श्री पी० ए० संगमा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मेघालय में गारो-हिल्स का कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और उन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों पर आधारित विकास प्रायोजनाओं को बनाने सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1978 में मेघालय के गारो हिल्स जिलों की समाकलित संसाधन सूची तैयार की हैं।

(ख) संसाधन सूची में क्षेत्र के प्राकृतिक साधनों जैसे कि मृदा, जलवायु, पानी, खनिजों तथा वनों, कृषि की वर्तमान प्रणाली तथा परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं बैंकिंग, कारखानों, शक्ति तथा प्रशासनिक ढांचे की वर्तमान आधारिक संरचना की सुविधाओं पर सूचना उपलब्ध है। यह समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पाने वाले समुदायों अर्थात् सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, स्त्रियों, बच्चों, कारीगरों तथा कबीलों के लिए भी आंकड़े देती है।

उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु उत्पादन उन्मुख कार्यक्रम विकसित करने के लिए वर्तमान उपयोग और संभावित संभावना के बीच की दूरी का अध्ययन करने के लिए विभिन्न संसाधनों का विश्लेषण किया गया। जहां तक कृषि का संबंध है, अध्ययनों से पता चला है कि बदल-बदल कर खेती करने (सर्मिंग) के स्थान पर वैकल्पिक कृषि पद्धति को अपनाने और स्थापित कृषि को उत्साहित करने के लिए भूमि की सावधिक पद्धति को सुधारने की बहुत आवश्यकता हैं। भूमि के कटाव को रोकने और मिट्टी की उत्पादकता में सुधार करने के लिए ढलानों के अनुरूप उपयुक्त वनरोपण, कृषि चरागाह पद्धति, कृषि बागवानी पद्धति और फसल उत्पादन की तरफ रूझान बढ़ाना जरूरी है। स्थापित कृषि को बेहतर बनाने के लिए मिलवा खेती और कृषि आधारित उद्योग सहायक होंगे। क्योंकि यह क्षेत्र अनानास, नींबू वंश और अन्य फल वृक्षों के लिए अत्यन्त उपयुक्त है इसलिए इसमें फल संरक्षण और डिब्बा बन्दी उद्योगों की बहुत गुंजाईश है।

संसाधन सूची का लक्ष्य केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों को समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रायोजनाओं का विकास करने में सहायता पहुंचाना है।

चीनी का उत्पादन नियतन रिलीज और बचा हुआ स्टाक

936. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अप्रैल, 1979 से अप्रैल, 1980 तक चीनी का महीने वार उत्पादन क्या है ;

(ख) अप्रैल, 1979 से अप्रैल, 1980 तक महीने वार प्रत्येक राज्य को निर्यात की गई खुले बाजार में बिक्री की चीनी और लेवी चीनी की मात्रा कितनी है ;

(ग) अप्रैल 1979 से अप्रैल, 1980 तक महीने वार प्रत्येक राज्य को खुले बाजार में बिक्री के लिये वास्तव में कितनी चीनी रिलीज की गई तथा वास्तव में कितनी लेवी चीनी सप्लाई की गई ; और

(घ) चीनी मिलों के पास इस समय कितना स्टाक बचा हुआ है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) आंकड़े इस प्रकार है :

(लाख मीटरी टन में)

मास	चीनी का उत्पादन
1	2
1979	
अप्रैल	7.55
मई	3.57
जून	0.84
जुलाई	0.21
अगस्त	0.20
सितम्बर	0.19
अक्तूबर	0.22
नवम्बर	2.73
दिसम्बर	7.69

1	2
1980	
जनवरी	9.96
फरवरी	8.84
मार्च	6.15
अप्रैल	2.41

(ख) और (ग) जहां तक मुक्त बिक्री की चीनी का सम्बन्ध है, इसका आबंटन राज्यों को नहीं किया जाता है और इसकी निर्मुक्ति प्रत्येक मास फैक्ट्रियों को की जाती है ताकि वे इसे देश के किसी भाग के लाइसेंसशुदा व्यापारियों को बेच सकें और सुपुर्द कर सकें। अप्रैल और मई, 1979 में सरकार द्वारा किसी प्रकार की निर्मुक्ति प्रणाली को नहीं अपनाया गया था। जून, 1979 से अप्रैल, 1980 तक उत्पादक राज्यों की फैक्ट्रियों से मुक्त बिक्री की चीनी की मास वार निर्मुक्तियों के आंकड़ों को बताने वाला विवरण परिशिष्ट-I पर है।

जहां तक राज्यों को लेवी चीनी का आबंटन करने का सम्बन्ध है, केवल 17 दिसम्बर, 1979 से, जबकि चीनी पर आंशिक नियंत्रण लागू किया गया था, उचित दर की दुकानों से चीनी का वितरण करने के लिए विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी के मासिक कोटे आबंटित किए गए थे। 17 से 31 दिसम्बर, 1979 की अवधि के लिए निर्मुक्त की गई एक लाख मीटरी टन लेवी चीनी में से विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई लेवी चीनी की मात्रा और जनवरी से अप्रैल, 1980 तक 2.71 लाख मीटरी टन की मासिक लेवी निर्मुक्ति से राज्यों को आबंटित किए गए लेवी चीनी के मासिक कोटे की मात्रा का ब्यौरा परिशिष्ट-II पर दिए गए विवरण में दिया गया है। जहां तक वास्तव में सप्लाई की गई लेवी चीनी का संबंध है, 17 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जोकि फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था स्वयं करते हैं, के मामले में अप्रैल, 1980 तक आबंटित कोटों के प्रति जो शेष मात्रा 30-4-1980 तक नहीं उठायी गई थी, वह लगभग 21,000 मीटरी टन थी। जहां तक शेष 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का सम्बन्ध है, जिनके लिए फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम करता है, अप्रैल, 1980 तक आबंटित कोटे के प्रति 30-4-80 तक जो शेष मात्रा नहीं उठायी गयी थी वह लगभग 1.22 लाख मीटरी टन थी, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

(घ) 31-5-1980 को फैक्ट्रियों के पास लगभग 20.34 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था।

"सोशल हाउसिंह स्कीम" के लिए केन्द्रीय सहायता

937. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977-78 से वर्ष 1978-79 तक उनके मंत्रालय ने "सोशल हाउसिंह स्कीमों" के लिए प्रयोजनवार और राज्यवार कितनी कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की ;

(ख) वर्ष 1980-81 में कितनी धनराशि की सहायता दिए जाने की योजना है ;

(ग) वर्ष 1976-77 से वर्ष 1979–80 की अवधि के दौरान "सोशल हाउसिंग स्कीम" के अन्तर्गत राज्यवार कितने–कितने मकानों का निर्माण किया गया ;

(घ) क्या इस क्षेत्र में कुछ राज्य अन्य राज्यों से पीछे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) यह मंत्रालय बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजनाओं के लिए ही वित्तीय सहायता देता है जो केन्द्रीय क्षेत्र में है। इस योजना को कार्यान्वित करने वाले 6 राज्यों को 1977-78 से 1979-80 तक दी गई इस प्रकार की सहायता के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं। वर्ष 1980-81 के लिए, इस योजना के अन्तर्गत 1.80 करोड़ रुपये की राशि देने का प्रस्ताव है।

यह मंत्रालय विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्यों को जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम ऋण भी नियतन करता है। 1977-78 से 1979-80 तक के दौरान किया गया नियतन विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1980-81 के लिए नियतन अभी भी विचाराधीन है।

(ग), (घ) तथा (ङ) आवास राज्य का विषय है इसलिए विभिन्न आवास योजनाओं का कार्यान्वयन करना राज्यों की जिम्मेवारी है और उन्हें स्वविवेक से अपनी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं पर निधियों का निर्धारण करना होता है जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी शामिल है। अतः राज्यों के कार्य निष्पादन की तुलना करना संभव नहीं है। राज्यों को नीति मार्ग निर्देशन जारी करने और उन्हें इस प्रकार की वित्तीय सहायता से मदद करना जैसा कि उपलब्ध संसाधनों के भीतर संभव हो सके, केन्द्रीय सरकार की भूमिका इतनी ही सीमित है।

वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक के दौरान विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा बनाए गए आवासों की संख्या विवरण-III में दी गई है।

विवरण-1

निम्नलिखित वर्षों के दौरान संस्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता

राज्य	1977-78			1978-79			1979-80		
	ऋण	सहायता	योग	ऋण	सहायता	योग	ऋण	सहायता	योग
				(लाख रुपयों में)					
असम	40.00	45.00	85.00	35.00	35.00	70.00	40.00	22.00	62.00
पश्चिम बंगाल	64.50	30.00	94.50	54.50	23.00	77.50	68.00	38.00	106.00
त्रिपुरा	1.50	1.00	2.50	—	—	—	—	—	—
केरल	14.00	14.00	28.00	5.50	7.00	12.00	2.00	10.00	12.00
कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल :	120.00	90.00	210.00	95.00	65.00	159.50	110.00	70.00	180.00

(विवरण -2)

क्रम सं०	राज्य का नाम	जीवन बीमा निगम ऋण			सामान्य बीमा निगम ऋण*		टिप्पणी
		1977-78	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आंध्र प्रदेश	190.00	193.00	294.00	50.00	170.00	*सामान्य बीमा निगम ने 1978-79 से ऋण देना आरम्भ किया।
2.	असम	30.00	30.00	33.00	20.00	20.00	
3.	बिहार	100.00	120.00	345.00	100.00	100.00	
4.	गुजरात	90.00	125.00	276.00	70.00	160.00	
5.	हरियाणा	60.00	60.00	98.00	50.00	60.00	
6.	हिमाचल प्रदेश	55.00	55.00	70.00	40.00	—	
7.	जम्मू व कश्मीर	55.00	55.00	65.00	10.00	10.00	
8.	कर्नाटक	110.00	120.00	265.00	95.00	100.00	
9.	केरल	120.00	120.00	186.00	100.00	20.00	
10.	मध्य प्रदेश	140.00	140.00	154.00	75.00	86.00	
11.	महाराष्ट्र	90.00	100.00	215.00	100.00	100.00	
12.	मणिपुर	20.00	—	25.00	10.00	—	
13.	मेघालय	15.00	16.00	21.00	5.00	—	
14.	नागालैंड	—	—	—	5.00	—	
15.	उड़ीसा	140.00	140.00	408.00	100.00	—	
16.	पंजाब	85.00	70.00	100.00	50.00	62.00	
17.	राजस्थान	120.00	120.00	132.00	60.00	—	

18. सिक्किम	5.00	6.00	7.00	50.00	—
19. तमिलनाडु	140.00	137.00	384.00	100.00	170.00
20. त्रिपुरा	25.00	—	63.00	10.00	11.00
21. उत्तर प्रदेश	187.00	200.00	745.00	150.00	31.00
22. पश्चिम बंगाल	173.00	185.00	268.00	150.00	—
कुल :	1950.00	1992.00	4154.00	1400.00	1400.00

विवरण-3

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 1976-77 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान बनाए गए आवासों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	557
2.	असम	5476
3.	बिहार	4254
4.	गुजरात	1640
5.	हरियाणा	660
6.	हिमाचल प्रदेश	2088
7.	जम्मू व कश्मीर	908
8.	कर्नाटक	1419
9.	केरल	3593
10.	मध्य प्रदेश	3338
11.	महाराष्ट्र	724
12.	मणिपुर	134
13.	मेघालय	205
14.	नागालैंड	1162
15.	उड़ीसा	928
16.	पंजाब	6304
17.	राजस्थान	1843
18.	सिक्किम	...
19.	तमिलनाडु	8528
20.	त्रिपुरा	142
21.	उत्तर प्रदेश	1251
22.	पश्चिम बंगाल	9044
		54198
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	...

1	2	3
3.	चंडीगढ़	344
4.	दादर व नागर हवेली	48
5.	दिल्ली	2679
6.	गोआ, दमण व दीव	581
7.	लक्षद्वीप	17
8.	मिजोरम	—
9.	पांडिचेरी	258
		3933
	कुल योग :	58131

प्राथमिक शिक्षा का संवर्धन और विकास

938. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1976-77 से 1979-80 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा बांटी गई ; और

(ख) 1976-77 से 1979-80 के दौरान राज्य वार और वर्ष वार कितने नये प्राथमिक स्कूल खोले गये और कितने अध्यापक भर्ती किए गए ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, प्राथमिक शिक्षा के लिए, धनराशियां न तो संस्वीकृत करती है और न ही वितरित। क्षेत्रीय कार्यदलों की चर्चा के आधार पर केवल योजना आयोग ही परिव्ययों को अनुमोदित करता है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रायोजित "9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं" नाम की योजना के अन्तर्गत शैक्षिक तौर पर पिछड़े 9 राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1979-80 के दौरान राज्यों को 1, 99,75,973/-रुपये की राशि मुक्त की गई थी। राज्य वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रायोजित "9-14 आयु वर्ग के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं" नाम की योजना के अंतर्गत राज्य

सरकारों को मुक्त की गई धनराशि ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	मुक्त की गई धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	37,84,190
2.	असम	4,12,500
3.	बिहार	43,47,383
4.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
5.	मध्य प्रदेश	31,75,100
6.	उड़ीसा	13,25,000
7.	राजस्थान	11,01,600
8.	उत्तर प्रदेश	36,61,600
9.	पश्चिम बंगाल	21,68,600
	जोड़	1,99,75,973 रु०

भवन निर्माण सामग्री की लागत

939. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जुलाई, 1979 को और 30 अप्रैल, 1980 को भवन निर्माण की प्रत्येक सामग्री का क्या क्या मूल्य था ,

(ख) भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों को उचित स्तर तक नीचे लाने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिनांक 31 जुलाई, 1979 को और 30 अप्रैल, 1980 को भवन निर्माण की प्रत्येक सामग्री का मूल्य उपलब्ध नहीं है तथापि 28 जुलाई, 1979 तथा 26 अप्रैल, 1980 की स्थिति अनुसार भवन निर्माण की सामग्री का एक विवरण तैयार किया गया है और इस उत्तर के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) इस मंत्रालय का भवन निर्माण सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि यह कहा जाता है कि वर्तमान अत्यधिक वृद्धि आंशिक रूप से सामान्य मूल्य वृद्धि के कारण तथा आंशिक रूप से इन सामग्रियों की मांग की तुलना में कमी होने के कारण हैं राष्ट्रीय भवन निर्माण सगंठन, आवास के लिए सस्ती निर्माण सामग्री जैसे द्वितीय किस्म की लकड़ी, विकृत छड़ें, बुझा चूना, बले पोजोलाना तथा नालीदार चादरों के प्रयोग करने पर बल देता रहा है ।

विवरण

भारत में निर्माण सामग्री के थोक मूल्य का सूचकांक

(आधार 1970-71=100)

क्रमांक	सामग्री का नाम	28 जुलाई, 79 को समाप्त हुआ सप्ताह	26 अप्रैल, 1980 को समाप्त हुआ सप्ताह
1.	ईंटें	350.0	418.5 (अनन्तिम)
2.	सीमेंट	229.2	233.4 (अनन्तिम)
3.	शीट ग्लास	359.2	342.4 (अनन्तिम)
4.	सेनीटरी वेयर	260.0	302.0 (अनन्तिम)
5.	लट्ठे तथा इमारती लकड़ी	408.2	411.5 (अनन्तिम)
6.	पेन्ट तथा वारनिश	222.9	258.7 (अनन्तिम)
7.	छड़ें तथा सरिये	315.1	315.1

राष्ट्रीय डेरी विकास निगम और अमरीकी सहकारी संघ में समझौता।

940. **श्री नवीन रवाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा अमरीकी सहकारी संघ के साथ खाने के तेलों की उपहारस्वरूप आपूर्ति के सम्बन्ध में किए गये व्यापारिक समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ख) उपहारस्वरूप प्राप्त हुए तेलों की बिक्री द्वारा अब तक अर्जित वर्ष-वार राशि कितनी है ;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में कितना धन व्यय किया गया है ; और

(घ) उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए क्या ठोस परिणाम प्राप्त किये गये हैं और उद्देश्यों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्री **(श्री बीरेन्द्र सिंह राव)** : (क) खाने के तेल और तिलहन उत्पादन और विपणन की फिर से व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई परियोजना के अन्तर्गत, बोर्ड 1979-80 से 8 वर्ष की अवधि के दौरान अमरीकी सहकारी संघ से उपहार के तौर पर 1,60,000 मीटरी टन वनस्पति तेल प्राप्त करेगा।

उपरोक्त करार की शर्तों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपहार तेल जून 1979 में आना शुरू हुआ और इसका वितरण जुलाई, 1979 में शुरू हुआ। 15 मई, 1980 तक तैयार हुई धनराशि 21.37 करोड़ रुपये है।

(ग) 15 मई, 1980 तक योजना के क्रियान्वयन पर व्यय की गई राशि 2.04 करोड़ रुपये है।

(घ) परियोजना के अन्तर्गत आयातों का उद्देश्य यह है कि उपहार स्वरूप प्राप्त हुए तेलों की बिक्री से धनराशि अर्जित की जाये और इस प्रकार अर्जित धनराशि का उपयोग देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाए। इस उद्देश्य के लिए उत्पादकों की सहकारी समितियों के एक फैडेरेशन को संगठित करके तिलहनों के उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन का समन्वय किया जाएगा। इस प्रकार उत्पादन की उन तकनीकों को अपनाने में उत्पादकों की मदद की जाएगी, जो कि उत्पादन को बढ़ाते हुए तिलहन की फसलों की जलवायु की विभिन्नता के प्रति प्रतिसंवर्दनशीलता को कम करेगी और वर्षानुवर्ष कीमतों में स्थिरता लायेगी। इस तरह उत्पादकों की आय बढ़ेगी।

अब तक प्राप्त किए गए परिणाम निम्नलिखित हैं :—

1) गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में एक एक सहकारी तिलहन उत्पादक फैडेरेशन की स्थापना की गई है और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में इस प्रकार के फैडेरेशनों की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2) परिसंस्करण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

3) बाजार अनुसंधान और निरन्तर सूचना देने की योजना सम्बन्धी अध्ययन शुरू किए गए हैं।

विवरण

खाने के तेल की सप्लाई के आयात के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अमरीकी सहकारी संघ के बीच हुए करार की शर्तें।

1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आयातित उपहार तेल की बिक्री से अर्जित धनराशि का उपयोग खाने के तेल और तिलहनों की कथित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों की सहकारी समितियों का संगठन करके तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना और बेहतर विपणन, परिसंस्करण इत्यादि के जरिये कृषकों की आय में सुधार करना है।

2) विद्यमान भारतीय-अमरीकी करार (5 दिसम्बर, 1968) के अनुसार परियोजना के अन्तर्गत अमरीकी सहकारी संघ द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं, आपूर्तियों या उपकरणों पर कोई शुल्क, मार्गकर या कर नहीं लगाए जाएंगे।

3) अमरीकी सहकारी संघ द्वारा व्यय की गई कार्यक्रम प्रशासन लागत में उपहार स्वरूप प्राप्त वस्तुओं की बिक्री से अर्जित रुपयों के एक हिस्से का भारतीय रिजर्व बैंक के जरिये अमरीकी डालर में उपयोग करना शामिल है। यह व्यय किसी की निर्धारित

वर्ष में, किसी भी हालत में उस वर्ष में, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त उपहार सामग्री के आयातित मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4) इस परियोजना के प्रवासी कार्मिकों को कर व शुल्क की रियायतें दी जाएंगी जैसे कि भारत में विद्यमान अमरीकी सहकारी संघ को प्रवासी कार्मिकों को पहले से ही दी जा रही हैं।

5) तथापि, अर्जित धनराशि का प्रयोग वनस्पति तेल की बाजार कीमतों को प्रत्यक्ष राज-सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया जाएगा।

गन्ने की पिराई क्षमता में विस्तार की योजना

941. श्री नवीन रवाणी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्ने की पिराई करने की क्षमता का विस्तार करने की सरकार की क्या योजना है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए सहकारिता क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितनी नई क्षमता की योजना बनाई गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और।

(ङ) निजी राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी नई क्षमता की योजना है ?

कृषि मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सरकार ने नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर चीनी उद्योग की पिराई क्षमता में विस्तार करने का निर्णय किया है। लाइसेंस ऐसे चीनी यूनिटों को ही दिए जाएंगे जिनकी फैक्ट्री के इर्दगिर्द के सुसम्बद्ध क्षेत्रों में आश्वस्त सिंचाई सुविधाओं के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हों।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने विषयक वर्तमान नीति को जारी रखा जाएगा। सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र से कोई अनुरोध प्राप्त न होने पर यदि संयुक्त स्टाक सैक्टर द्वारा नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के बारे में अनुरोध किया जाता है, तब उस पर विचार किया जाएगा। जिस नयी क्षमता के लिए लाइसेंस दिये जाने हैं, उसका कोई सैक्टर-वार आबंटन नहीं किया गया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) हमने होटल में हरिजन हत्या के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूं। मैंने तथ्य मांगे हैं। मैं आपको बताऊंगा...

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपने गृह मंत्री का वक्तव्य समाचार पत्रों में देखा

होगा जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी दी है। जब संसद का का अधिवेशन चल रहा तो तब वह संसद से बाहर ऐसा वक्तव्य किस प्रकार दे सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान्, मैंने भी नोटिस दिया है। पार्सल का दर एक रुपया बढ़ा दी गई है। सदन का सत्र चल रहा है, इसकी घोषणा सदन में ही होनी चाहिये थी। आपने पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं। मैंने तथ्य मांगे हैं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर, 1977-78, गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद, 1977-78, महाराष्ट्र कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बम्बई, 1977-78, गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद, 1978-79, उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक, 1970-71, आंध्रप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड हैदराबाद, 1976-77 आदि

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 864/80)

(ख) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 865/80)

(ग) (एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 866/80)

(घ) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी* संस्करण)।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 867/80)

(ङ) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1970-71 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी** संस्करण)

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग लिमिटेड, कटक का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी** संस्करण), लेखापरीक्षित का लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 868/80)

(च) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी* संस्करण)

(दो) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 869/80)

(छ) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 870/80)

---

*दस्तावेजों का अंग्रेजी संस्करण 28 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

**दस्तावेजों का अंग्रेजी संस्करण 5 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था।

*प्रतिवेदन तथा समीक्षा का अंग्रेजी संस्करण 2 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उर्वरक के समान वितरण सम्बन्धी सा० सां० नि० 141 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) गेहूं बेलन मिल (लायसेंस देना और नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1980, जो दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 242 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा० सां० नि० 304 (ङ), जो दिनांक 8 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उर्वरकों के उस प्रति टन अधिकतम मूल्य के सम्बन्ध में है जिस पर वे चाय, काफी रबर बागानों अथवा कृषकों को बेचे जायेंगे। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 871/80)

लेखापरीक्षित लेखे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 1978-79, विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, विश्व-भारती शांति निकेतन, 1978-79, विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, इलाहाबाद, 1978-79 आदि।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपयुक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 872/80)

(2) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति।

(दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (**हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी संस्करण)। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 873/80)

(3) (एक) मोतीलाल नेहरू रिजनल इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

---

*दस्तावेजों का अंग्रेजी संस्करण 28 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

**प्रतिवेदन तथा समीक्षा का अंग्रेजी संस्करण 2 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) मोतीलाल नेहरू रिजनल इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद के वर्ष 1978-79 के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल• टी• 874/80)

(4) मौलाना आजाद प्रौद्योगिक महाविद्यालय, भोपाल के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 875/80)

(5) भारतीय तकनीकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति।

(एक) भारतीय तकनीकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 876/80)

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 877/80)

(6) (एक) विश्वेश्वरय्या क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) विश्वेश्वरय्या क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं († हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 878/80)

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) (संशोधन) नियम, 1980 की एक प्रति

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 224(ङ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 879/80

भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1979 की एक प्रति

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1855 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 872 में प्रकाशित हुये थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एम० टी० 880/80

†दस्तावेजों के अंग्रेजी संस्करण 28 मार्च, 1980 को सभा-पटल पर रखे गये थे।

वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, 1978-79 और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1958 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1978-79 के लेखाओं की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उक्त (1) में दिये गये पत्रों को सभा पटल पर रखते हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 881/80

समितियों के लिए निर्वाचन

भारतीय खान स्कूल धनबाद की महापरिषद्

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय खान स्कूल, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 4(दो) से (चार) और 15 के उपबन्धों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय खान स्कूल, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 4(दो) से (चार) और 15 के उपबन्धों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद्

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार परिषद् में चार वर्ष के कार्यकाल के लिये सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार परिषद् में चार वर्ष के कार्यकाल के लिये सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राजघाट समाधि समिति

निर्माण और आवास मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (एक) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (एक) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रेल बजट 1980–81

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री।

रेल मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : अध्यक्ष महोदय,

मैं सदन के समक्ष, वर्ष 1980-81 के रेलवे के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

2. सदन को स्मरण होगा कि 11 मार्च, 1980 को केवल अन्तरिम अनुमान पेश किये गये थे और उस समय, मैंने उन कारणों का भी जिक्र किया था जिनकी वजह से ऐसा करना पड़ा था। तब से अब तक, सरकार को, इस बात की जाँच करने का अवसर मिला है कि पिछली सरकार से विरासत में मिली अर्थ-व्यवस्था को कितनी गम्भीर क्षति पहुंची है और उसने उन पहलुओं पर विचार किया है जिनकी वजह से आर्थिक अवरुद्धता की स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को फिर से गतिशील बनाने के उद्देश्य से योजना कार्यों की प्राथमिकताओं की पुनरीक्षा की गयी है और यह विनिश्चय किया गया है कि 1980-81 के दौरान परिव्यय की राशि में वृद्धि की जाय।

माल परिवहन

3. 11 मार्च, 1980 के अपने भाषण में, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 1976-77 के बाद से माल यातायात में उत्तरोत्तर कमी हुई है। मैंने माल के परिवहन में सुधार के लिए किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का भी उल्लेख किया था। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले कुछ महीने देश के लिए कठिनाई के महीने रहे हैं। एक ओर तो इस अवधि में बिजली की भारी कटौती होती रही और दूसरी ओर, अनेक राज्यों में भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गयी। इन महीनों में रेलों को माल परिवहन के काम में काफी तेजी लानी पड़ी ताकि बिजली घरों के लिए कोयला और सूखा-पीड़ित राज्यों के लिए अनाज की जोरदार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मांगों को पूरा किया जा सकें। देश के विभिन्न भागों में पैट्रोल, तेल और स्नेहक पदार्थों, चीनी, खाद्य तेल आदि की कमी को पूरा करने की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक थी। अतः रेलों को इन अनिवार्य वस्तुओं की तत्काल ढुलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ी।

4. पिछले तीन वर्षों में रेल संचालन में जो गिरावट आयी है, उसकी वजह से कार्य कुशलता को 1976-77 के स्तर पर लाने में कुछ और समय लगेगा। लेकिन मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि हमने समस्या पर कुछ हद तक काबू पा लिया है। अब तस्वीर उतनी धूमिल नहीं रही है जितनी कि कुछ महीने पहले दिखायी पड़ती थी।

5. इन महीनों में, बिजली घरों के लिए कोयले की ढुलाई पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया ताकि बिजली की कटौती से उत्पन्न संकट को कम किया जा सके और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिजली घरों के लिए कोयले से लदे माल डिब्बों की सख्या पिछले वर्ष की तुलना में, लगभग 500 माल डिब्बे प्रतिदिन अधिक हो रही है। बिजली घरों को अधिक मात्रा में कोयले की इस ढुलाई का परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश बिजली घरों के पास कोयले का स्टाक जमा हो गया है। जो बिजली घर स्टाक जमा नहीं कर पाये हैं, उन्हें भी अब काफी मात्रा में कोयला मिल रहा है। हालांकि भीषण गर्मी के कारण परिचालन की कठिन परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं लेकिन इसके बावजूद बिजली घरों के लिए कोयले के लदान का यह ऊंचा स्तर बनाये रखा गया है।

6. सूखे की स्थिति के कारण उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भारी पैमाने पर अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस कमी को बहुतायत वाले राज्य पंजाब और हरियाणा से सप्लाई

द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सम्बन्धित एजेंसियों से निकट सम्पर्क बना कर इस वर्ष जनवरी से मई तक के महीनों में पूर्व के सूखाग्रस्त राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम तथा मध्य प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60% अधिक अनाज शीघ्रता से पहुंचाया गया। यहां तक कि इस वर्ष अप्रैल के महीने में रेलों ने 8.12 लाख मीटरिक टन अनाज का परिवहन किया। चीनी का दैनिक औसत लदान दिसम्बर, 1979 के 53.5 माल डिब्बे से बढ़कर अप्रैल, 1980 में 228 माल डिब्बे हो गया। खाने के तेल की दैनिक औसत ढुलाई भी इस वर्ष अप्रैल में 1,000 माल डिब्बे से अधिक रही जबकि जनवरी 1980 में प्रति दिन औसतन 677 माल डिब्बों की ढुलाई हुई थी। माननीय सदस्य असम राज्य की असामान्य स्थिति से अवगत हैं किन्तु मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि अनेक रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद, इस दुर्गम क्षेत्र में भी अनाज की ढुलाई अपेक्षित स्तर तक बनाये रखी गयी है

7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों के बन्द हो जाने के कारण रेलों पर एक नया बोझ आ पड़ा क्योंकि जिन क्षेत्रों को इन तेल शोधक कारखानों से सप्लाई मिलती थी, उनके लिए अधिक दूर स्थित अन्य स्थानों से ढुलाई करनी पड़ी। पेट्रोलियम पदार्थों को टंकी माल डिब्बों में ही ढोया जा सकता है और इनकी संख्या सीमित है। अतः इनका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए गहन नियंत्रण व्यवस्था करनी पड़ी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डीजल, मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसी अनिवार्य वस्तुओं की अधिक दूर स्थित नये-नये स्रोतों से ढुलाई करके इनकी आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सका है।

8. इस वर्ष गर्मी असाधारण रूप से कुछ अधिक रही है और रेलों को कुछ विपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए रेलवे की टंकियों में पीने का पानी पहुंचा कर सहायता करनी पड़ी है। रेलों ने इन क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पीने के पानी की ढुलाई का काम अपनी ओर से निःशुल्क किया है।

9. सदन इस बात से भी सहमत होगा कि कठिनाई के इन महीनों में, रेलों ने कमी वाले राज्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य वस्तुओं को शीघ्र ढुलाई करके मूल्य-वृद्धि को रोकने में उल्लेखनीय सहयोग दिया है। इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकारों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से निकट समन्वय बनाये रखा गया। माल को भेजने में जो तत्परता दिखायी गयी, उसकी उन राज्य सरकारों ने भी सराहना की है जिन्हें यह माल भेजा गया था।

10. रेल परिचालन के लिए, कानून और व्यवस्था की समस्या बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई है, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में जहां भारतीय रेलों पर होने वाले कुल यातायात का लगभग 60% यातायात होता है। थोड़े-थोड़े समय के लिए प्रादेशिक सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल तैनात करने से स्थिति सम्हालने में कुछ हद तक सहायता मिली है। अब चूंकि लगभग सभी राज्यों का प्रशासन चुनी गयी लोकप्रिय सरकारों के हाथ में है, इसलिए हम आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा और अनुशासन की अच्छी भावना उत्पन्न होगी और इस तरह, कार्य संचालन के लिए उचित वातावरण बनेगा जिससे रेलें राष्ट्र का काम करने में समर्थ होंगी।

11. मैं यह बात भी सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि योजनाओं में पर्याप्त व्यवस्था न किये जाने और विभिन्न राज्यों में बिजली की भारी कटौती के परिणामस्वरूप रेल इंजनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के अनुरक्षण का काफी काम बकाया पड़ गया है। इस मामले की ओर भी पिछले तीन वर्षों में समुचित ध्यान नहीं दिया गया। बिजली की कमी के कारण रेलवे कारखानों, सवारी और माल डिब्बा डिपुओं, इंजन शेडों और मार्शलिंग यार्डों में कार्य निष्पादन की मात्रा घटी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मरम्मत के लिए रुके हुए चल स्टाक की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी है। हमें आशा है कि मानसून के आ जाने से और परिणामतः अधिक पन-बिजली पैदा होने से बिजली की स्थिति में सुधार हो जायेगा और चल स्टाक की बिगड़ती हुई स्थिति को सम्हाला जा सकेगा और उन्हें फिर से काम लायक बनाने के सभी संभव प्रयास किये जा सकेंगे। मरम्मत और अनुरक्षण के लिए और अधिक धन की व्यवस्था भी की जायेगी।

यात्री यातायात

12. यात्री यातायात के क्षेत्र में भी रद्द की गयी अनेक गाड़ियों को पिछले चार महीनों के दौरान फिर से चलाया गया है। 26 नयी अनुपनगरीय गाड़ियां चलायी गयी हैं और 10 अन्य गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है। नयी चलायी गयी गाड़ियों में नयी दिल्ली और पुरी के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली नीलांचल एक्सप्रेस, मैसूर और बेंगलूरू, मदुरै और तिरुच्चि के बीच एक-एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां, नयी दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ और रांची, जयपुर और जोधपुर के बीच तथा सियालदह और माल्दा के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली गाड़ियां प्रमुख हैं। इस वर्ष हमने गर्मी के दिनों की भीड़ की निकासी के लिए 1,400 स्पेशल गाड़ियों के माध्यम से लगभग 12 लाख अतिरिक्त शायिकाओं और सीटों की व्यवस्था की है।

13. भारतीय रेलों पर यात्री यातायात बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मेरा यह प्रयास रहा है कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जाय। इस समय हम बम्बई और वाराणसी के बीच सप्ताह में दो दिन एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने, के० के० एक्सप्रेस में दो इंजन लगाने, दक्कन क्वीन और महालक्ष्मी एक्सप्रेस में और अधिक सवारी डिब्बे लगाने जैसे प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं जिससे कि इन तेज और लोकप्रिय गाड़ियों में और अधिक यात्रियों को स्थान उपलब्ध हो सके।

14. जनवरी से मई तक के महीनों में, विभिन्न मेलों और समारोहों के अवसर पर जैसे देवबन्द में दारुल उलूम शताब्दी समारोह, कुम्भकोणम् में महामगम मेला, हरिद्वार में अर्ध-कुम्भ मेला, उज्जैन में सिंहस्थ मेला और अजमेर में उर्स के अवसर पर यात्रियों के आने-जाने के लिए विशेष प्रबन्ध किये गये। इन अवसरों पर स्पेशल गाड़ियां चलाकर, नियमित गाड़ियों में अधिक संख्या में सवारी डिब्बे लगाकर और अतिरिक्त टिकट घर आदि खोलकर रेलों द्वारा व्यापक व्यवस्था की गयी।

15. यात्री गाड़ियों के समय पालन की स्थिति सुधारने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता रहा हूं। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि अत्यधिक गर्मी, भीषण सूखा और खतरे की जंजीर खींचने की असामान्य रूप से अधिक घटनाओं जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद समय पालन में कुछ सुधार हुआ है।

आरक्षण

16. मार्च, 1980 में बजट प्रस्तुत करते समय मैंने सदन को बताया था कि आरक्षण के मामले में यात्री जनता को अधिक संतोषजनक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अतिरिक्त आरक्षण काउंटर खोले गये हैं, किराया वापस करने के अलग काउंटर बनाये गये हैं और यात्रियों से ब्यौरे-वार मांग पत्र भरवाये बिना दिन की गाड़ियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। आरक्षण रद्द कराने से सामान्यत: जो जगहें खाली होती है, उन्हें देखते हुए शायिकाओं के सामान्य कोटे से अधिक शायिकाओं के पक्के आरक्षण भी किये जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा अचानक और छद्म वेश में महत्वपूर्ण आरक्षण कार्यालयों की जांच करने की प्रणाली शुरू की गयी है। आरक्षण का हस्तान्तरण रोकने के लिए मौके पर जांच भी की जाती है।

17. 1980-81 में आरक्षण कार्यालयों में बैठने की जगह, पीने के पानी, शौचालय और शिकायत काउंटर खोलने जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से एक करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि रेलें अपने सम्मानित ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ हों।

संरक्षा

18. सरकार के न्यायाधीश एस० एम० सीकरी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त रेल दुर्घटना जांच समिति नियुक्त की थी। समिति द्वारा 31 मई, 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की जा रही है और मुझे विश्वास है कि इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन से रेलें परिचालन के क्षेत्र में और अधिक संरक्षा के उपाय ढूंढने की अपनी निरन्तर तलाश में काफी हद तक सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो सकेंगी।

अब 1980-81 के बजट के अनुमानों और उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों की चर्चा करने से पहले मैं सदन की सूचना के लिए रेलों की वित्त व्यवस्था और कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों का भी उल्लेख करना चाहूंगा।

रेल अभिसमय समिति

19. मैंने मार्च, 1980 में सदन को सूचित किया था कि अगस्त, 1979 में लोक सभा के भंग हो जाने से पिछली रेल अभिसमय समिति अधिकारहीन हो गयी है। मैं इस समिति के पुनर्गठन के लिए वर्तमान सत्र में एक संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

दावा अधिकरण

20. प्राक्कलन समिति (1977-78) ने भारतीय रेलों पर हानि और क्षति के दावों के सम्बन्ध में विचार करते समय एक दावा अधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इस महत्वपूर्ण सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अब मैंने यह निश्चय किया है कि इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि इससे दावों का शीघ्र अन्तिम निबटारा सुनिश्चित करने में काफी सहायता मिलेगी और परिणामत: सम्बन्धित पार्टियों की परेशानियां भी काफी हद तक कम हो जायेंगी। इस निर्णय के कार्यान्वयन के स्वरूप के संबंध में, विशेष रूप से इससे सम्बन्धित वाणिज्यिक, वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के बारे में, इस समय एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

कार्यपरक बजट

21. प्राक्कलन समिति (1978-79) ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया था कि ब्यौरेवार कार्यपरक बजट प्रणाली यथाशीघ्र लागू की जानी चाहिए। मैंने रेलवे बोर्ड को निदेश दिये हैं कि इस दिशा में इस वर्ष से ही शुरुआत कर दी जाय।

मंडलीय गठन

22. कुछ वर्षों से कुछ मंडलों पर कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है। बेहतर परिचालन और व्यापारियों और राज्य सरकारों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए अब कुछ मंडलों का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, बेंगलूरू और भोपाल में नये मंडल कार्यालयों की स्थापना करने और वर्तमान दिल्ली मंडल का विभाजन करने के लिए इस वर्ष के बजट में व्यवस्था की जा रही है।

अनुसंधान और विकास

23. हमारी सरकार की यह नीति है कि रेलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाये। इस नीति के अनुरूप लखनऊ स्थित रेलवे के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन की अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस संगठन को जिन विशिष्ट समस्याओं से सम्बन्धित काम सौंपा गया है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—लम्बी दूरी वाले यात्रियों के लिए अधिक आरामदेह सवारी डिब्बे चलाना, रेल परिचालन में संरक्षा के स्तर में सुधार, रेल इंजनों की रफ्तार में वृद्धि और अधिक डिब्बों वाली माल गाड़ियां चलाना।

राइट्स

24. मार्च, 1980 के बाद, मेरे मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात् 'रेल इन्डिया टेक्निकल एंड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड' ने इराक गणतंत्र रेलों को अभिकल्प एवं इंजीनियरी सम्बन्धी सामान्य सेवाएं देने के लिए इराक सरकार के साथ एक करार किया है। अकाबा रेल निगम प्रणाली के कार्य निष्पादन के लिए तकनीकी और प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के लिए जोर्डन सरकार के साथ भी एक करार किया गया है।

कर्मचारी कल्याण

25. मेरा लक्ष्य यह होगा कि रेल प्रशासन एक आदर्श नियोक्ता बने। मैं यहां कर्मचारियों में कल्याण से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

चिकित्सा सुविधाएं

26. पूरे देश में इस समय 101 रेलवे अस्पताल और 560 स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां पहले से उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिनकी सभी ने सराहना की है। नयी विस्तार योजनाओं में 55 अतिरिक्त खाटों की व्यवस्था, मौजूदा अस्पतालों के सेवा विभागों का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण और अतिरिक्त एम्बुलेंस गाड़ियों की व्यवस्था करने के काम शामिल हैं। लगभग दस साल पहले एक नीति विषयक निर्णय यह लिया गया था कि अखिल भारतीय स्तर पर कुछ चुने हुए रेलवे अस्पतालों में उच्च-विशेषज्ञ सेवाओं की व्यवस्था की जाये। पिछली बार, 1975 में भायखला के सेन्ट्रल रेलवे अस्पताल में प्लास्टिक शल्यक्रिया में इस

प्रकार की विशेषज्ञ सेवा शुरू की गयी थी। इसी नीति का अनुसरण करते हुए, वाराणसी में स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के अस्पताल का विस्तार करके वहां कैंसर के इलाज के लिए उच्च विशेषज्ञ सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पर 59 लाख रुपये की लागत आयेगी और इसे इस वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

खेल-कूद

27. पिछली परम्पराओं को बनाए रखते हुए इस बार रेल परिवार के 42 पुरुषों और 27 महिलाओं ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया और 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। दो रेल कर्मचारियों को 1979-80 का 'अर्जुन पुरस्कार' भी प्रदान किया गया।

अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के पावने का भुगतान

28. अपने सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप इस समय रेल प्रशासन अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लगभग 90% मामलों में सेवा-निवृत्ति के तीन दिन के भीतर और शेष मामलों में 10 दिन के भीतर उनके पावने का भुगतान करने में समर्थ हैं। अब क्षेत्रीय रेलों को निदेश दिये जा रहे हैं कि स्थिति में और सुधार करने के लिए विशेष कदम उठाये जायें और जहां-कहीं व्यावहारिक हो, सेवा निवृत्ति की तारीख के दिन ही इस पावने का भुगतान कर दिया जाये।

संवर्गों की पुनर्संरचना

29. मार्च, 190 में मैंने ग्रुप 'ए' के संवर्गों की पुनर्संरचना करने और उसके परिणामस्वरूप ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के अधिकारियों की पदोन्नतियां करने से सम्बन्धित सरकार के निर्णय का उल्लेख किया था। इस निर्णय पर अमल करने का काम पूरा हो चुका है और अब चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। लेखा कार्यालयों में अनुभाग अधिकारियों और वरिष्ठ क्लर्क ग्रेड के पदों और सिविल इंजीनियरी विभाग में निरीक्षण कार्य से सम्बन्धित पदों की संख्या बढ़ाने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

विभिन्न विभागों में एक सतत प्रक्रिया के रूप में संवर्गों की पुनर्संरचना का काम किया जा रहा है।

अब मैं 1980-81 के योजना परिव्यय और नई लाइनों, आमान परिवर्तन और सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की चर्चा करूंगा।

1980-81 के लिए योजना परिव्यय

30. 1980-85 की अवधि के लिए नये सिरे से योजना तैयार करने के सरकार के हाल ही के हाल के निर्णय को देखते हुए, और उसके बाद योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से की गयी पुनरीक्षा के आधार पर रेलवे के 1980-81 के योजना परिव्यय की राशि 1979-80 के 650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 760 करोड़ रुपये की जा रही है। योजना परिव्यय में यह जो 110 करोड़ रुपये की राशि बढ़ायी जा रही है, उसका उपयोग मुख्यत: रोजगार प्रदान करने वाली परियोजनाओं और स्वीकृत तथा चालू योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किया

जाएगा। चल स्टाक और लाइन क्षमता के कार्यों (जिसमें आमान परिवर्तन और दोहरी लाइनें बिछाना शामिल है) से सम्बन्धित योजना शीर्षों के अन्तर्गत रखी गयी राशि को 269.66 करोड़ रुपये और 90.65 करोड़ रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 340.00 करोड़ रुपये और 111.00 करोड़ रुपये किया जा रहा है। बेंगलूरू के निकट येलहंका में निर्माणाधीन पहिया एवं धुरा संयंत्र के लिए 1980-81 में परिव्यय की राशि भी 8.0 करोड़ रुपये और बढ़ायी जा रही है।

नयी लाइनें, आमान परिवर्तन और सर्वेक्षण

नयी लाइनें

31. पिछले मार्च में दिये गये संकेतों के अनुसार और चालू निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से, तिरुनेलवेल्लि-नागरकोइल और शामली-सहारनपुर नयी लाइनों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है ताकि इन्हें चालू वर्ष में यातायात के लिए खोला जा सके। रोहतक-भिवानी खंड को पहले ही 3 जून, 1980 से यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस समय जिन अन्य नयी रेलवे लाइनों पर काम हो रहा है, उनमें भी तेजी लाई जा रही है। आशा है कि बसई रोड़-दिवा, आप्ता-पेन, कैरेला रोड-जयन्त (काकरी तक), बीबीनगर-नडिकुडे (नालगोंडा तक), भद्राचलम रोड-मानगुरु, हवडा से आमता (बड़गछिया तक) और जखपुरा-दैतारी लाइनों का काम भी चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में छः नयी रेल लाइनों, अर्थात् गुवाहाटी-बर्नीहाट, धर्मनगर-कुमारघाट, बालीपाड़ा-भालुकपोंग, सिलचर-जिरीबाम, आमगुडी-तुली और लालाघाट-भैराबी के निर्माण के काम में भी तेजी लाई जाएगी क्योंकि इनके लिए भी और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार, वाणी-चनाका (पिम्पलकोठी तक), अलप्पी-एर्णाकुलम, मानिकगढ़-चन्दूर और तलगड़िया-तुपकाडीह नयी रेल लाइन परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है ताकि इन्हें जल्दी पूरा किया जा सके। रामपुर-न्यू हल्द्वानी, सकरी-हसनपुर रोड़, हवड़ा-शियाखला और कपड़वंज-मोड़ासा नयी रेलवे लाइनों की स्वीकृत परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है। किऊल-भागलपुर खंड पर आंशिक रूप से दोहरी लाइन बिछाने का काम भी इस वर्ष के बजट में शामिल कर लिया गया है। अनुसंधान केन्द्र, रुड़की विश्वविद्यालय और केन्द्रीय जल अनुसंधान स्टेशन, पुणे द्वारा किये जा रहे तकनीकी नमूना अध्ययनों के परिणाम प्राप्त होने के तुरन्त बाद, छितौनी-बगहा रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के काम के अंग के रूप में, गड़क नदी पर एक नये पुल का निर्माण इसी वर्ष के भीतर शुरू किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में बोनाकलु से जगैयापेट्टा और चित्तौडगढ के रास्ते कोटा से नीमच तक बडी लाइन की की अन्य नयी रेल-परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।

दैतारी से बांसपानी, ढल्ली राजहरा से जगदलपुर, करूर-डिंडिगुल-मदुरै-तूतीकोरिन-तिरुनेलवेल्लि; चित्रदुर्ग-रायदुर्ग और तेलापुर-पाटनचेरू के बीच नयी रेलवे लाइनों की व्यवस्था करने की मांगों पर विचार किया जा रहा है।

आमान परिवर्तन

32. जहां तक आमान परिवर्तन की परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गुजरात राज्य में वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर आमान परिवर्तन की योजना के पहले चरण, अर्थात् वीरमगाम से हापा तक की लाइन को इस महीने यातायात के लिए खोलने

का कार्यक्रम है। समस्तीपुर-बाराबंकी और न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी के आमान परिवर्तन का काम 1981 में पूरा हो जाएगा और बरौनी-कटिहार का काम उसके एक वर्ष बाद पूरा होगा। मनमाड़ औरंगाबाद, गुंतकल्लु-बेंगलूरू, नड़ियाड-कपड़वंज और बेंगलूरू-मैसूर परियोजनाओं के काम में भी तेजी लायी जा रही है। वाराणसी-भटनी, मुरादाबाद-रामनगर और काशीपुर-लालकुआं-न्यू हल्दवानी आमान परिवर्तन की जिन परियोजनाओं को कुछ वर्ष पहले स्वीकृति प्रदान की गयी थी उन पर अब इस वर्ष काम शुरू किया जाएगा। वाराणसी से इलाहाबाद और बलिया के रास्ते औंड़िहार से छपरा तक की मौजूदा मीटर लाइनों के आमान परिवर्तन पर भी विचार किया जा रहा है।

33. अन्तरिम बजट में जिन नये सर्वेक्षणों का प्रस्ताव रखा गया था, उनके अलावा इस वर्ष के बजट में निम्नलिखित सर्वेक्षण भी शामिल किये गये हैं :—

सर्वेक्षण

(1) गुना-शिवपुरी-ग्वालियर-इटावा ;

(2) ब्यास-गोन्दवाल साहिब ;

(3) येलहंका-बेंगारपेट्टै ;

(4) देवरिया-पढ़रौना ;

(5) दरभंगा-जयनगर ;

(6) मिरज-बेंगलूरू, सम्बन्धित शाखा लाइनों सहित ;

(7) परासिया-छिन्दवाड़ा, खिरसादोह-बरकुही शाखा लाइन सहित ;

(8) गांधीधाम-भुज-लखपत,

(9) गुंतकल्लु-गुंटूर ,

(10) पाटनचेरू-पेड्डापल्लि, सांगारेड्डी और मेड़क के रास्ते ;

(11) मिर्जापुर-भदोई- बाबतपुर ;

(12) आरा-सासाराम ;

(13) निजामाबाद- रामगुण्डम ; और

(14) कालका-परवानू ।

नगंल से तलवाड़ा तक बड़ी लाइन और हजारीबाग टाउन के रास्ते रांची से गिरीडीह तक और बालाघाट के रास्ते गोंदिया से जबलपुर तक तथा बजबज से नामखाना तक की नयी रेलवे लाइनों की लागतों को अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण का काम जल्दी पूरा किया जा रहा है और इनकी ओर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

महानगरों में द्रुत परिवहन प्रणाली

34. पिछले सत्र में, कलकत्ता के महानगर रेल परियोजना के काम की गति तेज करने पर जोर दिया गया था। कलकत्ता के नागरिकों को जो असुविधा हो रही है, उसे देखते हुए इस

परियोजना के लिए इस वर्ष का परिव्यय पिछले वर्ष के 19.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23.03 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इससे सुरंग बिछाने का काम भी काफी पहले हो सकेगा और अब आशा है कि इसे अगस्त, 1980 में शुरू किया जा सकेगा। इसी प्रकार, उत्तरी क्षेत्र में दम-दम और बेलगछिया के बीच, अगले वर्ष के मध्य तक चल स्टाक और सिगनल उपस्करों का परीक्षण करने की तैयारियां की जा रही हैं।

अंधेरी-बांद्रा खंड के दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से, मध्य रेलवे के बीच के गलियारों को मिलाने की व्यवस्था करने के लिए बम्बई में, बांद्रा में एक फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। आशा है, काम अगले वर्ष के मध्य तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली के शहरी क्षेत्र में दैनिक यात्रियों के लिए बिजली गाड़ियां चलाने की एक योजना भी तैयार की जा रही है।

बिजलीकरण

35. इस समय वाल्तेरू-किरांदुल, तिरुवल्लूर-अरकोणम, दिल्ली-मथुरा, वडोदरा-रतलाम और गोधरा-आनन्द खंडों पर कुल 1010 मार्ग किलोमीटर में बिजलीकरण का काम किया जा रहा है। ऊर्जा के साधनों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता और तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए बिजलीकरण के काम में तेजी लाने के उपाय शुरू कर दिये गये हैं।

बजट अनुमान, 1980-81

अब मैं वर्ष 1980-81 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

आमदनी

36. चालू वर्ष के अन्तरिम बजट अनुमान, 2145 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये थे। लेकिन प्रत्याशा के विपरीत, इस अवधि में रेलवे को अयुक्तियुक्त यातायात अधिक मात्रा में करना पड़ा है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आन्दोलन जारी रहने के कारण काफी बड़ी संख्या में माल डिब्बे वहां रुके रह गये। आशा की जा रही है कि मानसून के आ जाने से और पन-बिजली अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाने पर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में फिर से नवजीवन आ जाएगा और इसलिए अन्तरिम बजट का 2145 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात का लक्ष्य बनाये रखा जा रहा है। परिणामतः इस समय लागू किराया और भाड़ा संरचना के आधार पर, यातायात से कुल प्राप्तियों का अनुमान भी उसी स्तर पर अर्थात् 2545.35 करोड रुपये रहने दिया गया है।

संचालन व्यय

37. अन्तरिम बजट में संचालन व्यय के अन्तर्गत 1990.47 करोड़ रुपये (शुद्ध) की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, बढ़े हुए ईंधन बिल और 1979 में बेतहाशा मुद्रास्फीति के कारण भंडार की लागत में आम बढ़ोतरी के खर्च को पूरा करने के लिए अब इसमें 122.00 करोड़ रुपये की वृद्धि करना जरूरी हो गया है। बहरहाल, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग को उसी स्तर पर अर्थात् क्रमशः 220.00

करोड़ रुपये और 84.00 करोड़ रुपये पर बनाये रखा जा रहा है जैसा कि अन्तरिम बजट में व्यवस्था की गयी थी। लाभांश सम्बन्धी राहत और सामान्य राजस्व से सहायता जैसी अन्य रियायतों में मामूली समायोजन के बाद, निधियों में विनियोग सहित कुल खर्च 2384.64 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार शुद्ध राजस्व केवल 160.71 करोड़ रुपये मिलेगा, जो कि 322.24 करोड़ रुपये की लाभांश सम्बन्धी दायिता को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा। अतः विकास निधि से 36.04 करोड़ रुपये के व्यय के अलावा, बजट व्यवस्था में कुल मिलाकर 161.53 करोड़ रुपये का अन्तर रह जायेगा।

आस्थगित लाभांश दायिता

38. वित्त वर्ष 1979-80 के अन्त में रेलों की आस्थगित लाभांश दायिता 162.31 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बहरहाल, इस सत्र के दौरान गठित की जाने वाली रेल अभिसमय समिति द्वारा स्थिति की समग्र समीक्षा होने तक यथा-स्थिति बनाये रखी जा रही है।

प्रस्ताव

अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता

39. इस वर्ष के अन्तरिम बजट में 38.12 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे की प्रत्याशा थी। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह चुका हूं, अब संचालन व्यय के अन्तर्गत 122.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था और भी करनी है। इसके अलावा, विकास निधि से 36.04 करोड़ रुपये के खर्च और लाभांश की 1.41 करोड़ रुपये (शुद्ध) की बढ़ी हुई दायिता को पूरा करने की भी व्यवस्था की जानी है। अतः कम से कम 197.57 करोड़ रुपये के अतिरक्त साधन जुटाना अपरिहार्य हो गया है और जानते बूझते हुये भी हमने यदि यह व्यवस्था न की तो इसका न केवल रेलवे के वित्त पर, बल्कि यात्री और माल यातायात के परिवहन की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार की दीर्घकालिक योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

40. रेल दर सूचि जांच समिति की रिपोर्ट अभी हाल में प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट का सारांश बजट प्रलेखों के साथ दिया जा रहा है और रिपोर्ट की प्रतियां पुस्तकालय में रखी जा रही है। माननीय सदस्य देखेंगे कि समिति की शिफारिशें एक समेकित दृष्टिकोण पर आधारित है और रेलों की वर्तमान किराया और भाड़ा संरचना पर उनका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। इस समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों की जांच का काम रेलवे बोर्ड कार्यालय के एक विशेष स्कन्ध को सौंपा गया है और इन सिफारिशों के सम्बन्ध में जल्दी निर्णय लिये जायेंगे।

लेकिन, इस बीच, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बजट व्यवस्था के अन्तराल को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने हेतु कुछ अन्तरिम उपाय करना अपरिहार्य हो गया है। अब मैं इस संबंध में अपने प्रस्तावों की चर्चा करूंगा।

यात्री यातायात

41. 1-4-1979 से उपनगरीय मासिक सीज़न टिकटों के किराये में मामूली संशोधन को छोड़कर, यात्री किरायों में पिछला संशोधन 1974-75 में किया गया था। इस तथ्य पर बल

देने की आवश्यकता नहीं है कि 1974-75 के बाद से विभिन्न साधन-सामग्रियों की लागत बेतहाशा बढ़ चुकी है। इसके अलावा, इन वर्षों में गाड़ियों में और स्टेशनों पर काफी हद तक बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के कारण संचालन व्यय भी बढा है। अतः यात्री किराये की दरों में बहुत पहले ही वृद्धि करना अपेक्षित था। मैं विभिन्न दर्जों के वर्तमान किरायों में वृद्धि के जो प्रस्ताव रख रहा हूं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) पहला दर्जा वातानुकूल, पहला दर्जा और वातानुकूल 2 टियर शयनयान पर 20 प्रतिशत ;

(2) वातानुकूल कुर्सी यान और डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरे दर्जे पर 12.5 प्रतिशत ;

(3) साधारण दूसरे दर्जे पर 10 प्रतिशत ;

(4) 50 किलोमीटर तक के यात्री यातायात पर 5 प्रतिशत ; और

(5) तिमाही और मासिक सीज़न टिकटों पर 15 प्रतिशत।

इन प्रस्तावों को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों पर इस प्रस्तावित वृद्धि का बोझ कम से कम पड़े।

माल यातायात

42. मैं सभी प्रकार के माल यातायात पर 15 प्रतिशत की समान दर से अतिप्रभार लगाने का भी प्रस्ताव रख रहा हूं। लेकिन नीचे लिखी जिन वस्तुओं का आम आदमी के दैनिक जीवन से सीधा सम्बन्ध है, उन्हें इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त रखा जा रहा है :—

1. घरेलु उपयोग के लिए नमक ;
2. चीनी ;
3. खाद्यान्न ;
4. दालें ;
5. मिट्टी का तेल ;
6. खाद्य और हाइड्रोजनेटिड़ तेल ;
7. रासायनिक खाद (उर्वरक) ;
8. जलाने की लकड़ी ; और
9. लकड़ी का कोयला।

बजट प्रलेखों के साथ एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें इन प्रस्तावों का ब्योरा दिया गया है।

वित्तीय परिणाम

43. मैंने यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि के जिन प्रस्तावों का उल्लेख किया है, उनके परिणामस्वरूप यात्री यातायात से 73.31 करोड़ रुपये और माल यातायात से 130.93

करोड़ रुपये अर्थात कुल 204.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की सम्भावना है। इस तरह से अन्तरिम बजट में 38.12 करोड़ रुपये के जिस घाटे की प्रत्याशा की गयी थी, वह 42.71 करोड़ रुपये के अधिशेष में बदल जाएगा। इसमें से 36.04 करोड़ रुपये विकास निधि में प्रभार्य खर्च को पूरा करने और पिछले वर्ष के लिए गए 189.50 करोड़ रुपये के शेष ऋण पर 11.04 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाये जायेंगे। शेष 6.67 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल आस्थगित लाभांश की आंशिक दायिता को चुकाने के लिए किया जायेगा। इस तरह सामान्य राजस्व से और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

44. अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, विगत कुछ समय में रेलों के परिचालन कार्य पर विभिन्न कारणों से बड़ा दबाव पड़ता रहा है। इसके बावजूद, हर स्तर पर रेल कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाई है। औद्योगिक सम्बन्ध सामान्यतः सन्तोषजनक रहे हैं। दुर्भाग्यवश, गैर-मान्यताप्राप्त कर्मचारी समूहों द्वारा छोटी-छोटी बातों पर आन्दोलन किए जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस बात को भुलाया नहीं जाना चाहिए कि रेल कर्मचारियों का काम बड़ा कठिन है और इसे तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है जब सभी रेल कर्मचारी जी-जान से काम करें और हमेशा यह ध्यान रखें कि देश का हित बाकी हर बात से ऊपर है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कर्तव्यनिष्ठा और त्याग की भावना में रेल कर्मचारी किसी से पीछे नहीं रहेंगे और पहले की तरह, वे अपनी योग्यता का पूरा परिचय देते रहेंगे। पिछले पांच महीनों में सभी रेल कर्मचारियों और माननीय संसद् सदस्यों से मुझे जो सहायता और सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले, आभार प्रकट करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्तर्बाधा न डालें। श्री दिगम्बर सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाय। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया व्यवधान न डालें। नियम 377 के अधीन मामलों को मुझे लेने दें।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मथुरा में यमुना नदी पर नवनिर्मित रेलवे पुल पर पैदल पार पथ की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में यमुना के रेलवे के पुराने पुल पर जनता के लिए पैदल चलने की गैलरी बनी हुई थी। नये पुल बनते समय गैलरी नहीं रही। तब से लोग पुल से ही निकलते हैं। इसके कारण अनेक व्यक्तियों की रेल से कट कर मृत्यु हो चुकी है। 28 मई, 80 को भी चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और भी अनेकों व्यक्ति जमना के अन्दर बह जाते हैं और मृत्यु हो जाती है।

रेलवे मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से गैलरी बनाने की आर्थिक सहायता मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वह देना स्वीकार कर लिया है। फिर भी वह गैलरी नहीं बन रही। इस प्रकार अनेक व्यक्तियों की बलि गैलरी के नाम पर चढ़ चुकी है जिनमें से बहुतों का रेलवे को पता नहीं लगता।

माननीय रेल मंत्री दयावान हैं और धार्मिक भी। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि गैलरी बनने के लिये कितने व्यक्तियों की और बलि चढ़ने की आवश्यता है।

(दो) बिहार के कुछ जिलों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के मुंगेर, संथाल परगना, रांची, सिंहभूमि एवं पलामू जिले के अधिकांश भाग में पीने का पानी का व्याप्त अभाव से भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि सरकार द्वारा यदि समय पर कारगर कदम नहीं उठाये गये तो पानी के अभाव में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जायेगी। अतः सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई करे।

(तीन) हिन्दुस्तान पिल्किग्टन ग्लास कम्पनी, आसनसोल और कैर्यु एण्ड कम्पनी असावल में तालाबन्दी का समाचार

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : नियम 377 के अधीन मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

हिन्दुस्तान पिल्किग्टन ग्लास कम्पनी आसनसोल, पश्चिम बंगाल और कैर्यु एण्ड कंपनी, आसावल में प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी की घोषणा कर दी गई है। 2000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। इन्टक और सीटू—दोनों ने संयुक्त रूप से तालाबन्दी को गैर-कानूनी ठहराया है। श्रम विभाग को तालाबन्दी खत्म करने के लिए प्रबन्धकों को राजी कराना चाहिए अथवा तालाबन्दी को गैर-कानूनी घोषित करना चाहिए और कारखाने को खोलने के लिए प्रबन्धकों को बाध्य करना चाहिए। मजदूरों के मई, 1980 के बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए।

(चार) विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे बालकों के शोषण को रोकने के लिये तुरंत उपाय करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आज देश में लाखों और करोड़ों की संख्या में छोटे-छोटे बच्चे जिन पर देश का भविष्य निर्भर है होटलों, फैक्टिरियों और घरों तथा कारखानों

में काम करते दिखाई देते हैं और उनका बुरी तरह से शोषण होता है। कई ऐसे उद्योग हैं जहां छोटी उम्र में, सात सात, आठ आठ वर्ष की आयु में काम पर उनको लगा लिया जाता है। गलीचे बनाने के कारखानों में उनको लगाया जाता है और उनको मिनिमम वेजिज एक्ट के अन्तर्गत निश्चित वेतन से भी कम पैसा दिया जाता है। आज चार से छः वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 13.04 प्रतिशत है और चार से आठ वर्ष की आयु के बच्चों की 31.54 प्रतिशत है। बच्चों की उम्र और तन्दुरुस्ती को देखते हुए उन पर काम का भार ज्यादा होता है और 1.50 रुपये से 2.00 तक की मजदूरी उनको दी जाती है जबकि बच्चों से बड़े लोगों को उसी समय तक काम करने के लिए चार रुपये से पांच रुपये तक मिलता है। इस प्रकार गरीब घरों में आय के साधन कम होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों को काम करने पर मजबूर किया जाता है और श्रम का शोषण होता है। श्रम मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं और आशा करता हूँ कि वह उचित और अविलम्ब कदम उठाएंगे।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सदन में अब बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक पर आगे विचार होगा। प्रो० रूप चन्द पाल, जो बोल रहे थे, अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, पिछले शुक्रवार को मैं विदेशी बैंकों के बारे में बता रहा था, जो हमारे देश में विशाल सम्पत्ति संचित कर रहे हैं और मैंने कहा था कि उनका राष्ट्रीयकरण करना ही होगा। विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए बगैर कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा इन छः बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य की पूर्ति भी एक बड़ी सीमा तक नहीं होगी। मैंने भारत में चल रहे ग्रिंडलेज बैंक का उदाहरण दिया था जिसकी राष्ट्र विरोधी नीति हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रही है। इस बैंक के कर्मचारी पिछले वर्ष 5 नवम्बर से लगातार 3 महीने तक हड़ताल पर रहे।

आज देश में कुछ उच्च मूल्य की निधियां परिचालन में कार्यरत हैं। मैं जानता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ऐसी 3 या 4 निधियां हैं। इस प्रकार की एक निधि 'संचयिता' है। इस पर दी जाने वाली ब्याज की दर बहुत आकर्षक है—निवेश की गई राशि का 48%। यह एक बहुत ही खतरनाक बात है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद इतना अत्यधिक काला धन साथ-साथ परिचालन में है। इस निधि की यह राशि तस्करों, फिल्म निर्माताओं तथा फिल्म उत्पादकों द्वारा ली जाती है तथा लोगों द्वारा इसका उपयोग सट्टा व्यापारों में किया जाता है. इस प्रकार से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कि धन को सट्टा बाजार में जाने से रोका जाए, समाप्त हो जाता है।

एक और छोटा मामला है, जो काफी महत्वपूर्ण भी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में मनोनयन प्रणाली के बारे में अनेक बार मांग की गई है किंतु राष्ट्रीयकृत बैंकों में आज तक कोई मनोनयन प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 14 करोड़ रु० निष्क्रिय खातों (डैड एकाउंट) में पड़ा है। यह धन गरीब विधवाओं, लावारिसों तथा असहाय लोगों का है। ये निष्क्रिय खाते आगे इसलिये

चल नहीं सकते क्योंकि मनोनयन के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे इस संबंध में कुछ व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि इन छः बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, जिन उद्देश्यों को लेकर इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था क्योंकि पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारा अनुभव यह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से केवल अमीर लोगों को लाभ होगा तथा गरीब लोगों को, जिनके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, कोई लाभ नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे योग्य और विद्वान वित्त मंत्री जी इस बिल को पेश करते समय इस बिल के उद्देश्यों का वर्णन कर रहे थे, मैं चाहता था कि अगर वह अपने उद्देश्यों का वर्णन गांव के शिल्पी और छोटे काश्तकारों या श्रमिकों के सामने पेश करते तो उनका जवाब यह होता कि बड़े-बड़े मंत्री और नेता लोग जो कानून बनाते हैं, वह ऊंचे मकानों में बैठकर बना लेते हैं और जमीन पर लाने का काम नौकरशाही का है।

1969 में बैंक नेशनलाइजेशन का काम शुरू हुआ और आज भी लोगों को जो कर्ज़ा मिलना चाहिये, जिनके लिये बैंकों के रास्ते और दरवाज़े खुलने चाहिये थे, वह खुल नहीं रहे हैं। जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं आज उनकी हालत यह हो रही है कि उनमें जो कर्मचारी मैं, वह बड़ी तनख्वाहें मांगने की कोशिश करते हैं, ओवरटाइम अलाउन्स या समयोपरि भत्ता मांगते हैं। कई बार बैंकों के लोग हड़ताल करते हैं और बैंकों का स्टैंडर्ड दिनोंदिन गिरता जा रहा है।

आज बैंकों में जिस प्रकार की हालत हो रही है उसके बारे में राज कमेटी ने तो यहां तक कहा है कि बैंकों में 20 परसैंट स्टाफ ज्यादा है। यह राज कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि बैंकों की हालत क्या है। इसमें लिखा है :-

"सांख्यिकीय आंकडों में बैंकों का विकास आश्चर्यजनक लगेगा। किन्तु यहां कक बैंकों की सेवाओं का प्रश्न हैं, उसमें निरन्तर ह्रास हुआ है। प्रबंधकीय कार्यकुशलता तथा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के गिरते स्तर तथा इन समस्याओं को हल करने की कमी अथवा अपने पुराने अथवा नये ग्राहकों की सेवा करने के ढंग निकालने की कमी को देखते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकाल सकता है?"

आज बैंकों की जो हालत हो रही है और बैंकों के मामले में गरीबों को जो निराशा मिलती है, जब मैंने इसके आंकड़े इकट्ठे किये तो मुझे मालूम हुआ कि राजस्थान और दूसरे प्रान्तों में भी जो गरीबों को बैंकों से धनराशि मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। रिक्शा पुलर्स, गरीब आर्टिजन और गांव में काम करने वाले छोटे काश्तकार को जो लोन मिलने की बात कही जाती है, मैं समझता हूं कि उसका परसैन्टेज बहुत कम है और मेरे ख्याल में वह परसैन्टेज 2.7 भी नहीं पहुंचा पा रहा है। आज छोटे काश्तकार को सब से पहले तो पटवारी तंग करता है। उसके बाद उसे तहसीलदार को भी नज़राना पेश करना पड़ता है। तीस साल के बाद भी आज हालत यह है कि बैंकों के फार्मों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाया है और लोन देने का तरीका भी एक नहीं है। इस बारे में राज कमेटी का कहना है :-

"यह बड़े दुःख की बात है कि, बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि बैंकों के संचालन तथा इण्डियन बैंकस् एसोसिएशन, दी इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स तथा दी नेशनला

इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट जैसे संगठनों के होने के बावजूद 30 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, इनके फार्मों, कागजातों तथा पद्धतियों में कोई मानकीकरण नहीं है। यह विविधता का एक जंगल है तथा इनके मानकीकरण की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।"

वैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी वैंकों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं ने माननीय वित्त मंत्री को पाली जिले के मारवाड़ ग्रामीण बैंक के बारे में शिकायत भेजी थी। मंत्री महोदय ने मुझे जो जवाब दिया था, वह मैं ने सम्भाल कर रखा हुआ है। मैं देखूंगा कि कब तक उस के बारे में जांच की जायेगी।

मेरे पत्र के उत्तर में मंत्री महोदय ने लिखा था :-

"मारवाड़ी ग्रामीण वैंक के बारे में मुझे आपका दिनांक 5 जून, 1980 का पत्र प्राप्त हुआ। मैं इस मामले की जांच करवा रहा हूं।"

पाली जिले के मारवाड़ ग्रामीण बैंक के बोर्ड के सब मेम्बर एक ही जाति के हैं। उन्होंने बैंक की शाखाओं में जिन लोगों को एम्पलायमेंट दिया है, वे एक ही जाति के हैं। जो लोग काम पर लगाये गये हैं, उनमे से 80 प्रतिशत लोग कोई काम करना नहीं जानते हैं। उन्होंने गरीब लोगों को कोई लोन नहीं दिया है, और रिश्वत लिये बगैर कर्ज़ा नहीं दिया है। प्रश्न यह है कि जिन उद्देश्यों के लिए 1969 में इस बैंक की स्थापना की गई थी, क्या उनकी पूर्ति हुई है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस बात की जांच करें कि इस प्रकार के बैंक गांवों में गरीब लोगों को लोन नहीं देते हैं। वे प्राफ़िटियर्ज, ब्लैक-मार्कटियर्ज़, स्मगलर्ज़ और सट्टा करने वालों को लोन देते हैं।

इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को करोड़ों रुपये का लोन दिया जाता है, जबकि एग्रीकल्चर सैक्टर का परसेंटेज कम है। बैंकों की शाखायें खोलने की बात अलग है। लेकिन क्या वित्त मंत्री ने बैंकों की सर्विस को सुधारने के बारे में सोचा है ? आज विभिन्न बैंकों में बिल्कुल कोआर्डिनेशन नहीं है। बैंकों के कर्मचारी 11 बजे दफ़तर आते हैं। कस्टमर्ज के साथ उनका व्यवहार मानवता से परे और मानवता से शून्य होता है। जो लोग बैंकों में आते हैं, उनके साथ कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं होता है।

इस बारे में इंडियन एक्सप्रैस में 21 मार्च को एक लैटर छपा था। बैंकों की इनएफ़िशेंसी के बारे में इस पूरे लैटर को पढ़ने में तो समय लगेगा, इसलिए मैं उसके कुछ अंश को पढ़ देता हूं :-

"बैंक कर्मचारी 10.30 बजे के बाद काम पर आते हैं, कुछ घण्टे काम करते हैं तथा 4 बजे सांय चले जाते हैं।"

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

इसके पश्चात मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 21-5-80 का एक पत्र पढ़ रहा था, उसके थोड़े से कटेन्ट्स और पढ़ने हैं :

"कलकत्ता में, प्रायः सभी बैंक 50 रु० के नोटों से कम की प्राप्तियाँ यह कहते हुए स्वीकार नहीं करते कि भारतीय रिजर्व बैंक 10 रु० 5 रु० आदि के नोटों को नहीं लेते। कई बैंक यह

कहते हुए कि पर्याप्त कर्मचारी नहीं है नकद राशि के बदले डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी नहीं करते। इस कारण कि 'स्थान नहीं है' वे नये खाते नहीं खोलते। स्थान के कारण वे दो अलग-अलग भवनों से बैंक चला रहे हैं तथा ग्राहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है।

इन मामलों में, प्रबंधक तथा अधिकारी सहायता करने में असमर्थ हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक से 10 रु० के बंडल स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकते। वे कर्मचारियों को प्रात: 10 बजे आने के लिए नहीं कह सकते तथा वे अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए बड़ा भवन नहीं ले सकते। वे पूरी तरह से असहाय है।"

मैं बता रहा था कि नेशनलाइज्ड बैंक्स की हालत कितनी गिर गई है। मैं बम्बई एक दफा गया था तो वहां देखा कि छोटा सा कमरा था जिसके लिए एक बैंक की ब्रांच 17 हजार रुपया किराया देती है। इस तरह से बैंकों में रुपया खर्च किया जाता है। 14 करोड़ रुपया बैंकों में विडोज़ और इन्फैन्ट्स का पड़ा हुआ है, मुझे नहीं मालूम उसका क्या उपयोग हो रहा है। आज बैंकों पर पार्लमेन्ट का कोई कन्ट्रोल नहीं है। देश का इतना बड़ा वित्तीय साधन होते हुए भी उस पर पार्लमेन्ट का कोई कन्ट्रोल नहीं है। जिस तरह से काफी बोर्ड, टी बोर्ड और दूसरे बोर्ड बनाए जाते हैं उसी तरह से यहां पर भी, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में लोक-सभा और राज्य सभा के सदस्यों को नामिनेट किया जाए ताकि जो हमारा आब्जेक्ट है उसको अचीव किया जा सके। आज भी मेरी समझ में नहीं आया कि 100 करोड़ से ऊपर के जो बैंक हैं उनको नेशनलाइज़ क्यों नही किया गया है। मैं चाहूंगा कि एक पार्लमेन्टरी कमेटी बनाई जाए जो सर्वेक्षण करे कि नेशनलाइज्ड बैंक्स ने क्या आब्जेक्टिव्ज़ अचीव कर लिए हैं।

जैसा कि मैं पहले कह रहा था, चेयरमैन और एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक स्टेट्यूटरी बैंकिंग कमीशन होना चाहिए, जो सर्विस कमीशन से ऊपर हो और जिसका निर्णय फाइनल हो। जो एप्वाइन्टमेन्ट्स बैंकों में हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनएफीशिएन्ट और अयोग्य आदमी रख लिए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बैंकों में एप्वाइन्टमेन्ट्स के मामले में भी इस बात की व्यवस्था की जाए। एक नेशनल ग्रिड जो आपकी काउंसिल है, उसको भी रिवाइव किया जाए और उसका स्कोप भी बढ़ाया जाए। उसके चेयरमैन हमारे वित्त मंत्री होने चाहिए। ये मेरे सुझाव थे।

समाज के पिछड़े हुए लोगों को, कमजोर लोगों को आज भी कर्जा नहीं दिया जा रहा है और जो कर्जा दिया जा रहा है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उन आंकड़ों को देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था, जिसका उत्तर हमारे वित्त मंत्रालय से आया था। उस उत्तर से आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से हम को कर्जा दिता जाता है और बैंक क्या करते है। 1978-79 में जो क्वश्चन किया था और वित्त मंत्री ने जो लिख कर जवाब दिया था, उस में मैंने बतलाया था कि राजस्थान में इन्डियन बैंक में हमारे डिपोजिट्स 3.75 करोड़ रु० थे और एग्रीकल्चर में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और जो छोटी-छोटी स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें केवल 20 लाख रु० कर्ज के रूप में दिया। दूसरे बैंकों की भी हालत इसी प्रकार है। राजस्थान में यूनियन बैंक आफ इंडिया में डिपोजिट्स हैं 11 करोड़ 25 लाख रु०, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको दिया गया है 93 लाख रु० और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में 1 करोड़ 20 लाख रु०। अब मैं आपको इलाहाबाद बैंक की स्थिति बता रहा हूं। इलाहबाद बैंक में डिपाजिस्ट्स हैं 4 करोड़ 66 लाख रु० और उनको एग्रीकल्चर में

राशि दी गई है केवल 18 लाख रु० और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में 0.49 करोड़ रु० दिया गया है। इन सारे आंकड़ों को देखकर मुझे बड़ी निराशा होती है। बैंक नेशनलाइजेशन का लाभ नीचे के लोगों को देने की बजाय ऐसा मालूम होता है कि पूंजीपतियों को देते हैं। देना बैंक की स्थिति के बारे में देख रहा हूं कि वहां पर एक करोड़ 96 लाख रु० जमा है, जब कि राजस्थान को एग्रीकल्चर सैक्टर में 0.04 करोड़ रु० और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में 65 लाख रु० दिया गया है, सिन्डीकेट बैंक में 7.79 करोड़ रु० जमा है, केवल स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज में 47 लाख रुपया दिया गया है और एग्रीकल्चर सैक्टर में कुछ भी नहीं दिया गया है। ये सारे आंकड़े मैंने रिफ्रेन्स सैक्शन से इकट्ठे किए हैं। इन सब आंकड़ों को देख कर एक बात मालूम हुई कि एक तरफ स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज, मार्जिनल फार्मर्स, स्माल फार्मर्स के नाम हैं, और दूसरी तरफ घोषणा कर दी है कि देश के अन्दर बैंकों का नेशनलाइजेशन करके हम बहुत बड़ा काम कर रहे है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार बैंक्स की...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, चर्चाधीन विधेयक बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण तथा स्थानान्तरण) विधेयक है।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बैंक का नेशनलाइज़ेशन का उद्देश्य है, जो आब्जैक्ट है, उसको ऐचीव करें, लेकिन वह उद्देश्य एचीव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। इससे सदन को लाभ होगा तथा मंत्री महोदय भी उत्तर देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

मैं उद्धरण देता हूँ :

> "अब समय आ गया है जब कि इस ठोस सच्चाई को बता दिया जाना चाहिए कि सरकार को बैंकिंग उद्योग के मालिक के रूप में अपने उच्च सिंहासन से नीचे उतर कर आना चाहिए और आर्थिक सिद्धांत की इस सच्चाई को महसूस करना चाहिए कि विश्व में कहीं भी वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति, कार्यकुशल सेवा और लाभप्रदता के व्यापारिक सिद्धांतों पर कुठाराघात करके नहीं की जा सकती।"

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो बिल लाए है, उसकी भावना तो ठीक है, लेकिन उसकी पद्धति में सुधार होना चाहिए।

* **श्री एम० कंडास्वामी** (तिरुचेंगोडे) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान मंत्री ने आम लोगों के हित के एकमात्र उद्देश्य से हाल ही में छः वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। अपनी ओर से और अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं बैंककारी कम्पनी अर्जन विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब 1969 में हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चौदह वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और प्रगतिशील आर्थिक नीतियों को

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

क्रियान्वित किया, तब हमारे नेता, डा० कलायगमार करुणानिधि ने, जो उस समय तमिलनाडु में शासक दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता थे, हमारी प्रधान मंत्री को अपना बिना शर्त समर्थन दिया था। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य हमारे समाज के कमजोर वर्गों की सेवा सुनिश्चित किया जाना है। मुझे यह कहते हुए दुख है कि इस उद्देश्य को अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका है यद्यपि 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और अब अन्य छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि समाज के निम्नतम स्तर के आम आदमी को वित्तीय सहायता दी जाए।

अब छः बैंकों का, जिनमें से प्रत्येक की जमाराशि 200 करोड़ रुपए है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। मेरा यह अनुरोध है कि उन बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए जिनकी जमाराशि 200 करोड़ रुपए से कम हैं। इसी तरह चिट फंडों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक अन्य दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हमारे किसानों को समय पर ऋण सुविधाएं मिलें। हमारे देश के अनेक भागों में किसान इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं। उदाहरणार्थ मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि तमिलनाडु के सेलम जिले के पेरुनगुलम गांव में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने से इंकार कर दिया गया है। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए समान रूप से सहायक नहीं रहे हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में असंतुलन है। इसको ठीक किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक आवश्यकताएं देश भर में समान हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं विचाराधीन विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आर० मुथु कुमारन (कुड्डालोर) : महोदय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आबादी की आवश्यकताओं को और अधिक पूरा करने के लिए छः बैंककारी कंपनियों के अर्जन और उपक्रमों के अन्तरण के इस विधेयक को लाने हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई शुरुआत का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कोई भी व्यक्ति मौजूदा विधेयक को वापस करवाने के लिए एकाधिकार प्राप्त व्यापारियों और औद्योगिक घरानों द्वारा डाले गए दबावों की कल्पना कर सकता है। फिर भी इस सदन में विधेयक को पारित कराने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने साहसिक रुख अपनाया है। मैं चाहता हूं कि दूसरे सदन के सदस्य भी विधेयक को पारित करेंगे।

अब मै समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऋण सुविधाओं एवं वित्तीय सहायता के मामले में दयनीय दशा का उल्लेख करूंगा। एक साधारण मनुष्य से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह यह देखने के लिए कि उसे उसके कार्यों में सफलता मिली है अथवा नहीं, हर समय इधर से उधर दौड़ता रहे। एक साधारण से ऋण के लिए उसे कई बार बैंक अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। जब तक वे (बैंक अधिकारी) सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में सहयोग नहीं करते तब तक इस आवश्यक विधेयक के पारित होने के बाद भी कोई लाभकारी परिणाम नहीं निकल सकते।

सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों को उनका अपना उचित हिस्सा दिलाने में सहायता की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के काफी समय बाद भी ऐसे लोग हैं जिनकी बैंक अधिकारियों द्वारा पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। कुछ लोगों को उचित समय में ही भारी धनराशि की ऋण सहायता प्राप्त हो जाती है जबकि एक साधारण दुकानदार, छोटे व्यापारी आदि को मामूली सहायता देने से भी इन्कार कर दिया जाता है। बैंक अधिकारियों के इस तरह के रवैये को समाप्त किया जाना चाहिए और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति दिखाने और उनको समुचित सम्मान देने के संबध में वे बैंक अधिकारियों को स्थायी निर्देश दें। केवल तभी सदन में कानून बनाने और विधेयक पारित करने का उद्देश्य प्राप्त हो सकता है।

मैं एक बार फिर, बैंककारी कंपनियों अथवा उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण सम्बन्धी इस विधेयक को पुनःस्थापित करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सुझाव दूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, इसके लिए एक ऐसी सलाहकार समिति गठित करें जिसमें संसद सदस्यों और विधायकों का प्रतिनिधित्व हो ताकि गरीब लोग समुचित सहायता प्राप्त कर सकें।

धन्यवाद।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा होता हूं, और इस विधेयक पर बोलते समय मैं समयाभाव के प्रति काफी सजग हूं। इसलिये मैं अपने विचार संक्षिप्त में प्रकट करूंगा और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सारे सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिन पर सरकार द्वारा अविलम्ब विचार किए जाने की आवश्यकता है।

जुलाई, 1969 में किसी समय चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल, 1980 को छः और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और इसका आधार 14 मार्च, 1980 को 200 करोड़ रुपए से अधिक जमाराशि था। इस सम्बन्ध में विचार के लिए पहला प्रश्न यह उठता है कि यदि सरकार 15 अप्रैल, 1980 को इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही थी तो उसने 14 मार्च, 1980 को 200 करोड़ रुपए जमाराशि का आधार क्यों रखा? इसके पीछे आधार क्या था? यह पहली बात है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब राष्ट्रीयकृत ढांचे के अंतर्गत हम बैंक उद्योग की कुल जमाराशि का 91 प्रतिशत रखने वाले बैंकों को लाए थे तो अब राशि 200 करोड़ रुपए क्यों निर्धारित की गई? पहले यह राशि 50 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। यह राशि 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक क्यों नहीं निर्धारित की गई? 200 करोड़ रुपए निर्धारित करने के पीछे क्या आधार था? तीसरा प्रश्न यह है कि अध्यादेश जारी किए जाने की क्या आवश्यकता थी। ऐसा संसद की बैठक के दौरान किया जा सकता था। संसद की बैठक होने के एक माह पूर्व अप्रैल में इसके किए जाने की क्या आवश्यकता थी?

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से इन बैंकों के कार्यकरण, क्षमता और अर्थव्यवस्था के विकास में उनके सहयोग का किसी तरह का कोई मूल्यांकन किया है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अर्थव्यवस्था के विकास में थोड़ा बहुत योगदान किया है। सरकार द्वारा निर्धारित अथवा सरकार द्वारा वांछित मात्रा में धनराशि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं लगाई गई हैं, कुछ धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में

भी लगाई गई है। कुछ धनराशि कृषि क्षेत्र को, अर्धशहरी क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, दस्तकारों को दी गई है; इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु क्या सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंकों के योगदान उनकी क्षमता और कार्य निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है।

सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुर्भाग्य से वर्तमान प्रणाली के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय विषमताएं पैदा हुई हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। वित्त मंत्री महोदय इसे जानकर चकित रह जाएंगे। इस समय जमाराशि के राष्ट्रीय औसत का अनुपात लगभग 72 प्रतिशत है। दिसम्बर 1977 में भी यह इतना ही था। मैं जानना चाहता हूँ कि तीन राज्यों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम के लिए यह 45 प्रतिशत से कम क्यों है। इन राज्यों द्वारा जुटाई-जा रही धनराशि को या तो अन्य कुछ राज्यों में उपयोग किया जा रहा है अथवा उनको अग्रिम रूप में दिया जा रहा है, और इससे इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय विषमताएं पैदा हुई हैं। बिहार, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात 30 प्रतिशत से कम है। जबकि राष्ट्रीय औसत 72 प्रतिशत है। तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम के मामले में यह 45 प्रतिशत से कम है, और बिहार, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के मामले में यह 30 प्रतिशत से कम है।

इस प्रकार, मान लीजिए सम्पूर्ण देश के कृषि क्षेत्र के लिए अग्रिम रूप में दी गई कुल धनराशि 100 है, इस 100 में से 60 प्रतिशत राशि छः राज्यों को दी गई है। सदन यह जानकर चकित रह जाएगा कि कृषि क्षेत्र को दी गई 60 प्रतिशत धनराशि का केवल छः राज्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है—40 प्रतिशत का चार राज्यों—तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और केरल द्वारा और 20 प्रतिशत का प्रयोग गुजरात और महाराष्ट्र द्वारा किया जाता है।

देश में कृषि क्षेत्र के लिये कुल अग्रिम राशि में से 6 राज्यों को 60 प्रतिशत राशि दी गई है और वे भी ऐसे राज्य हैं जिनकी कुल ग्रामीण जनसंख्या केवल 35 प्रतिशत है। इससे सम्पूर्ण पद्धति में क्षेत्रीय असमानता पैदा हो गई है। इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

जिन छः बैंकों का हाल में राष्ट्रीयकरण हुआ है उन्होंने व्यवहारिक तौर पर 176 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है। उनकी अग्रिम राशि वार्षिक वृद्धि दर के 130 प्रतिशत से अधिक है। अब ये बैंक भारी लाभ कमा रहे हैं जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 37% लाभ कमाया है। उन बैंकों के लाभ में जिनका अभी राष्ट्रीयकरण किया गया है, अनुसूचित बैंकों के लाभ की अपेक्षा 15.4% की वृद्धि हुई है। अन्ततः सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार के राष्ट्रीयकरण करने का क्या उद्देश्य है।

मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा और वित्त मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना होगा। हमारे देश में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली काले धन में वृद्धि करने अथवा इसमें वृद्धि करने में योगदान दे रही है। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि यह कैसे हो रहा है? कोई व्यक्ति किसी बैंक में आवधिक जमा में 5 लाख रुपया जमा करना चाहता है वह सीधा बैंक के प्रबंधक के पास जाता है और रुपया मेज पर एकदम सीधे रख देता है 'ये पांच लाख रुपये हैं। मुझे आवधिक जमा की रसीद दीजिये'। श्रीमान जी, यह काला धन है जो जमा किया जाता है। आवधिक जमा की रसीद जारी कर दी जाती है। आवधिक जमा की रसीद या तो बैंक में रखी जाती है या तभी नष्ट कर दी जाती है और 3, 4 या 5 साल के बाद जब अवधि समाप्त हो जाती है और

वह व्यक्ति बैंक में जाता है और कहता है कि उसकी रसीद खो गई है और इस आशा का शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है और रसीद की दूसरी प्रति जारी करा लेता है और उस धन को प्राप्त कर लेता है । वे 5 लाख रु० कभी भी या तो बचत बैंक खाते या चालू खाते में नहीं दिखाये जाते । बैंकिंग प्रणाली से काले धन में वृद्धि करने और इसका प्रसार करने का यह एक रास्ता है ।

दूसरी पद्धति है : आप सीधे बैंक प्रबंधक के पास जाइये । आप कहिए ये पांच लाख रुपये हैं । मुझे हुंडी दे दीजिए मैं इसे बम्बई भेजना चाहता हूं । आप उन पांच लाख रु० की हूंडी बम्बई भेज देते हैं ; वह आदमी बम्बई में राशि के बिना खाते में जमा हुए भुगतान का अधिकार प्राप्त कर लेगा और आप उत्पादन शुल्क का भुगतान किये बिना, बिक्री कर का भुगतान किये बिना और अन्ततोगत्वा आयकर का भुगतान किये बिना इसको सामान भेज देते है। श्रीमान जी, इस बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से करोड़ों रुपयों की मुद्रा चलन में आ रही है और यह सब काला धन है । न तो यह बचत खाते में आता है और न ही यह चालू खाते में आता है । मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह अनिवार्य क्यों न कर दिया जाए कि जो व्यक्ति 2000 रु० या 50,000 रु० की अधिक की आवधिक जमा करना चाहता है उसे इस राशि को पहले अपने बचत बैंक खाते अथवा चालू खाते में जमा करना चाहिए और उसके बाद ही आवधिक जमा रसीद जारी की जानी चाहिए । फिर जब इसका भुगतान किया जाए तो इस का भुगतान जमाकर्त्ता के द्वारा केवल उसके खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। उस तरह से वहां उसका हिसाब रखा जा सकेगा अन्यथा हेरा-फेरी होती है । मैनेजर आप को जानता है और आप को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापों में अथवा आयकर निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा सकता है क्योंकि आप रसीद अपने घर पर नहीं रखते है। आप इसको नष्ट कर देते हैं और भुगतान के समय एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करते है और अनुलिपि जारी करा लेते हैं और उसके बाद आप उसका भुगतान ले लेते है। मुझे विश्वास है कि इस तरह से 4,000–5000 करोड़ रुपये का काला धन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से चलन में है । मैंने कुछ समय पहले भी जब मैं मंत्री था, बैंकिंग का इंचार्ज नहीं, बैंक का उद्घाटन करते हुए सार्वजनिक रूप से यह कहा था हालांकि कुछ आपत्ति की गई थी परन्तु मैंने ऐसा कहा क्योंकि मैंने उस प्रकार महसूस किया था, अब आप इन मामलों में सुधार करते हैं । परन्तु कुछ नहीं किया गया था क्योंकि दुर्भाग्य से सरकार का तथा इस सभा का भी बैंकिंग उद्योग पर नियन्त्रण नहीं है । बैंक क्या करते हैं ? रिजर्व बैंक है । स्वायत्ता के नाम पर रिजर्व बैंक जो मनमानी करता है और बैंक वही करते हैं जो असल में वे करना चाहते हैं तथा इस मापले में वित्त मंत्री बिल्कुल असहाय है । वह कुछ नहीं कर सकता है । हमने इस सभा से काफी बोर्ड के लिये दो सदस्य चुने है । हमने चाय बोर्ड, केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड तथा चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के लिये दो सदस्यों का चुनाव करवाया है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं— यह बैंकिंग व्यवसाय क्या है जहां करोड़ रुपयों का निवेश होता हैं और जो सारी अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण करता है । इस सभा का राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाना चाहिए अथवा यह सभा एक प्रस्ताव पारित क्यों न करे जिसके अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड में इस सभा के एक या दो सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके ? यह मेरा सुझाव है । इस पर विचार करना सभा का काम है । अन्ततः उन पर नियंत्रण रखने के लिए वहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

निदेशकों के संबंध में भी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि निदेशक जिनकी नियुक्ति की जाती है एक विशिष्ट क्षेत्र से आते है, जो वित्त मंत्री का मनपसंद क्षेत्र है,

और वे वित्त मंत्री के कृपा पात्र होते हैं। इन निदेशकों की नियुक्ति के मामले में कोई भी नियम विनियम तथा माप दंड नहीं अपनाया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिये यह बहुत आवश्यक है। इस बारे में कोई कसौटी निर्धारित की जानी चाहिये कोई नियम बनाये जाने तथा इस सभा को इस सम्बन्ध में विश्वास में लिया जाना चाहिए कि ये नियुक्तियां कैसे की जानी चाहिए।

तीसरे, निदेशकों को निदेशक बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिये 30 रुपये दैनिक भत्ता प्राप्त होता है। परन्तु यदि वह 30 रु० नहीं लेना चाहता है तो वह कह सकता है मैं केवल आवास चाहता हूं। तब उसे केवल 15 रु० मिलेंगे और उसे बैंक आवास मिलता है। उसे आवास कहां मिलता है? उसे आवास ताजमहल होटल या अशोक होटल में मिलेगा जिसकी लागत बैंक को प्रतिदिन 300 रु० से 400 रु० के बीच देनी पड़ती है। सरकार निदेशक को खाने और रहने और सब बातों के लिये सीधे 200 रु० या 300 रु० नहीं देती है। वह उन्हें ताज होटल तथा अशोक होटल में आवास के अतिरिक्त 15 रुपये देगी। क्या यह अनियमितता नहीं है? क्या सरकार ने इस प्रकार की अनियमितता की ओर ध्यान दिया है? इसके अतिरिक्त, उन्हे कार भी दी जाती है। निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के अपने निजी हित होते हैं। बैंक व्यवसाय के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती है। कारीगरों तथा कृषि क्षेत्र के नाम पर वे ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करते रहते हैं। मैं केवल यह कहता हूँ कि संसद द्वारा कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है। इन विशेष मामलों में निदेशकों की नियुक्ति के लिए कुछ नियम तथा विनियम बनाए जाने चाहिए। अन्यथा हम ऐसी अनियमिततायें सदा के लिए बनाये रखेंगे। हम उस आशा को पूरी नहीं करने जा रहे हैं जो इस सभा को बैंक व्यवसाय से अपेक्षित की। इस विशेष मामले में बंधा खर्च अधिक होता है। मजूरी अधिक होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप बैंकिंग प्रणाली का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं और यदि आप बेहतर सेवायें देना चाहते हैं तो प्रति 20,000 जनसंख्या के लिए एक शाखा के राष्ट्रीय औसत की बात कोन माने। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल के मामले में प्रति 45,000 जनसंख्या के लिए केवल एक शाखा है; राजस्थान के मामले में प्रति 35,000 जनसंख्या के लिए एक शाखा है। मैं कहता हूं कि उन क्षेत्रों में बैंक शाखायें खोलने के लिये लाइसेंस दिये जाने चाहिए जहां राष्ट्रीय औसत इस संख्या से भी कम आता है। अर्थात् 20000 की जनसंख्या के लिए भी एक बैंक शाखा होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसके लिये ऊपरी व्यय ज्यादा होते हैं। मेरा कहना है कि क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों को बड़े पैमाने पर विस्तार क्यों नहीं किया जाए जिससे इस प्रयोजन के लिये स्थानीय लोगों की भर्ती की जा सके। उस स्थिति में उनकी सेवाएं उपयोगी होंगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

वर्ष 1978-79 में जब मैं कार्यालय में था, सरकार ने सारे देश के लिये, विशेष तौर से गैर बैंकों वाले खण्डों के लिये 5000 और शाखाएं खोलने की स्वीकृति दी थी। वर्ष 1980-83 के तीन वर्षों में हमने पहले ही अधिक शाखाएं खोलने की स्वीकृति दी थी। समस्त बल क्षेत्रीय तथा ग्रामीण बैंकों के विस्तार पर दिया जाना चाहिये। अंत में, मैं वित्त मंत्री महोदय से यह बैंकों द्वारा ग्राहकों को की गयी सेवाओं की ओर अपना ध्यान दें। ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली

सेवा बहुत खराब है। बैंकों में कोई भी व्यक्ति ग्राहकों की ओर ध्यान नहीं देता है। इस बारे में आप ध्यान दें। उन पर और अधिक संसदीय नियंत्रण होना चाहिए तथा उनके बोर्डों में संसद सदस्य होने चाहिए। ज्यादा ग्रामीण बैंक खोले जाने चाहिये। विशेष रूप से ग्रामीण कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे और अधिक भारतीय कृषि विकास बैंक स्थापित किये जाने चाहिये। इसी प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्रों के लिये एक पृथक बैंक होना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष अथवा उससे पहले हमने देखा कि इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। मार्च, 1977 के अन्त तक कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों के लिये केवल 250 करोड़ रुपये की राशि दी गयी थी। लेकिन मार्च, 1978 में जनता सरकार ने 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1700 करोड़ रुपये कर दिया था। लेकिन इस राशि में कमी हो रही है।

जहां तक अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सरकार को यह देखना चाहिए कि बैंकों के माध्यम से काले धन को प्रोत्साहन न मिले। ऐसे निदेशकों की नियुक्ति की जानी चाहिये जो निष्ठावान, चरित्रवान और बुद्धिमान हों। इस सभा का भी उनमें एक प्रतिनिधि होना चाहिए, यदि इस प्रकार के कदम उठाये जाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उद्योगों में लगे कुल धन के 91 प्रतिशत भाग पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का नियंत्रण होता हैं और यदि सरकार अर्थ-व्यवस्था की पूर्णरूपेण नियंत्रण रखने में समर्थ है तो इसके बाद सरकार के पास कोई बहाना नहीं रह जाता है। इन टिप्पणियों तथा सुझावों के साथ मैं अपना भाषण इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि मैं इस प्रकार से बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण के लिये नहीं होना चाहिए। यदि यह अर्थव्यवस्था की भलाई के लिये है, और यदि यह देश के हित में है और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिये है तब मैं इस विशिष्ट विधेयक का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, मैं इन छः निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले ऐसा सोचा जाता था कि सरकार केवल निजी उद्योगों के विकास को ही महत्व देती है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, मुझे विश्वास है कि ये बैंक साधारण व्यक्तियों की, चाहे वे कस्बों, शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हों, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

लेकिन व्यावहारिक रूप में इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा रहा है, ऐसी हालत में वित्त मंत्री महोदय को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि इस मामले में एकरूपता बरती जा रही है। विभिन्न बैंकों में ऋण देने तथा इसके लिये जमानत लेने की नीति भिन्न-भिन्न है। यह नीति समान होनी चाहिये। एक ही बैंक में भी जैसे स्टेट बैंक में एक कस्बे में इसके लिये एक नीति है तो दूसरे कस्बे में दूसरी नीति है। अतः ऋण देने, जमानत लेने तथा लोगों को नौकरी देने के सम्बन्ध में एक ही नीति होनी चाहिए।

बैंकों द्वारा जमानत लेने के सम्बन्ध में प्रार्थी अंधकार में रहते हैं। विधि सलाहकार चाहते हैं कि कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें और जब वे दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं, तो कुछ और दस्तावेजों की मांग की जाती है। बैंक एक बार में ही अपेक्षित कागजात नहीं मानते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इस प्रक्रिया में ऋण देने में विलम्ब तथा कठिनाई होती है। ब्याज तौर से कृषकों से ब्याज

लेने की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये । कृषकों को हर तीन महीने के बाद ब्याज का भुगतान करना पड़ता है । यदि वे इसका भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो उन पर दण्ड लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यह चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है और अंततः उन्हें 24 प्रतिशत या 30 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है । अतः कृषकों को दिये गये ऋण पर ब्याज की वसूली साल में एक बार ही की जानी क्योंकि हर तीन महीने बाद ब्याज का भुगतान करने से उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा । कृषकों से लिये जाने वाले ब्याज की दर बहुत अधिक है । यह 17 प्रतिशत है । आशय यह है कि जब गरीब लोगों या ग्रामीण जनता को ऋण दिया जाये तो ब्याज की दर किसी भी हालत में 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, अकाल या सूखा पड़ने की स्थिति में तो ग्रामीण जनता को ऋण की अदायगी करना भी मुश्किल हो जाता है । ऐसी परिस्थितियों में ऋणों का भुगतान स्थगित किया जाना चाहिये तथा उनको ऋणों की अदायगी करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये ।

श्रीमान जी, अनुसूचित बैंक ग्रामीण जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं और इस कारण सरकार की कृषि विकास बैंकों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । मुझे इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन की स्थिति की जानकारी नहीं है । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कृषि विकास बैंकों की स्थापना करने का विधेयक लायें । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनता की अच्छी सेवा कर रहे हैं । चित्तुर जिले में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे चित्तुर जिले के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्वीकृति प्रदान करें। मै स्व-नियोजन योजनाओं के सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहूंगा कि यहां तक कि ग्रामीण उद्योगों के लिये भी सम्बद्ध व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिला औद्योगिक केन्द्रों के माध्यम से जाने चाहिए । अब जब वे कभी किसी विशेष व्यक्ति को ऋण देने का प्रस्ताव करते हैं तो अंततः बैंक उनके आवेदन पत्रों को रद्द कर देते हैं । आजकल जिला औद्योगिक केन्द्रों में बैंक के प्रतिनिधि होते हैं और जब कभी ये सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर ऋण देने का प्रस्ताव रखते हैं तो बैंक को ऋण देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये बशर्ते कि जमानत दी जा रही हो ।

श्रीमान जी, ग्रामीण श्रमिक बैंकों से किसी प्रकार का ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे जमानत देने को स्थिति में नहीं होते हैं । मैं चाहता हूँ कि उच्च क्षेत्र विकास योजनाओं जैसे मामलों में जहां किसानों के लिए प्रणाली में दोष के कारण या उन्हें पेश आने वाली किसी अन्य कठिनाई के कारण ऋण लेना संभव नहीं होता है सरकार जमानत दें । सरकार को कृषि मजदूरों को गारंटी देनी ही होगी । बैंकों को इस प्रकार के ऋण जारी करने चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कृषि मजदूरों के लिए अपनी स्थिति सुधारने के लिये कभी भी, किसी प्रकार का ऋण लेना सम्भव नहीं होगा । बैंकों को कृषि मजदूरों और सीमांत किसानों को ऋण जारी करना चाहिए ताकि वे भूमि खरीद सकें और ऋण के बिना उनके लिए भूमि खरीदना सम्भव नहीं है । अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अनुसूचित बैंकों को निदेश दें कि वे कृषि मजदूरों और सीमांत किसानों को भूमि खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करायें ।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों को धन आवंटन का सम्बन्ध है मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो धन आविंटत किया गया है वह अधिक नहीं है । कई राज्यों और कई क्षेत्रों में बैंक है ही

नहीं। आवंटन सात से नौ प्रतिशत तक भी नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और अधिक आवंटन किया जाये।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने अनुसूचित बैंकों के प्रबन्धकों का एक सम्मेलन बुलाया और उनसे कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कम-से-कम 40 प्रतिशत आबंटन किया जाये। इसी प्रकार से उन्हें बैंकों को यह भी निदेश देना चाहिये कि वे उदारता से ऋण दें। प्रत्येक जिले में "लीड बैंक" खुले हुए हैं। उन्होंने कुछ सर्वेक्षण किये हैं। उन्होंने कुछ स्थान निर्धारित किए हैं जहां बैंकों की शाखाएं खोली जानी हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सर्वेक्षण विस्तृत ढंग से नहीं किये गये हैं। ये दोषपूर्ण हैं। बैंक की शाखाएं किसी फार्मूला के आधार पर खोली जानी होंगी। इनके लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने होंगे। जहां बैंकों की शाखाएं नहीं है वहां बैंकों को सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देने होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। चित्तूर जिले में एक तालुक है कुप्पम। वहां समुचित बैंक सुविधाएं नहीं हैं। चित्तूर में दुग्ध-उत्पादों के एक कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को और कृषि मजदूरों को दुधारू पशु खरीदने हैं। कुप्पम और वी० कोटा के अलावा कुप्पम तालुक में कहीं बैंक नहीं हैं। अतः इस वजह से ऋण नहीं ले सकते हैं। यदि अनुसूचित बैंक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करायें तो ये लोग पशु खरीद सकेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि किसी राज्य या किसी स्थान पर बैंक शाखा नहीं है तो वहां ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। जिस नीति को अपनाने के लिए मैं कह रहा हूं वह कोई नयी नीति नहीं है। इसे कई स्थानों पर लागू किया गया है किन्तु यदि इस बारे में सभी स्थानों पर समान नीति अपनायी जाती है तो सम्भव है कि जहां बैंक नहीं हैं वहां के लोग सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण ले लें।

ग्रामीण उद्योगों के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि उनके लिए ऋण लेना कठिन होता जा रहा है। वित्त मंत्री को अनुसूचित बैंकों को ये अनुदेश देने चाहिए कि वे उदारता से ऋण दें ताकि ग्रामीण उद्योगों का विकास हो सके। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किये गये विधेयक का समर्थन करती हूं किन्तु साथ ही इसमें रह गई कुछ कमियां और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन पर भी कुछ कहना चाहती हूँ।

मेरा विचार यह है कि विदेशी बैंकों का काफी पहले राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये था। सभी जानते हैं कि ये बैंक बहुराष्ट्रीय निगमों और कुछ एकाधिकार वाले उद्योगों को अधिक छलकपट करने में कितनी अधिक सहायता करते हैं। किन्तु इनके राष्ट्रीयकरण का केवल यही एक कारण नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान सी० आई० ए० के भूतपूर्व एजेंट फिलिप एगी द्वारा लिखित पुस्तक सी० आई० ए० डायरी की ओर दिलाना चाहती हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि सी. आई. ए. ने 'फर्स्ट सिटी नेशनल सिटी बैंक' का चोरी छिपे पैसे लेने-देने और विदेशी मुद्रा की खरीद करने के लिए उपयोग किया। आजकल पूरा उत्तर-पूर्वी भारत और अनेक अन्य क्षेत्रों में असंतोष की लहर दौड़ी हुई है। अनेक लोग, दलगत विचारों से परे,

यह संदेह कर रहे हैं कि इसके पीछे सी० आई० ए० का हाथ है। अतः यह उचित समय है कि इन विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

दूसरे, मैं अपने साथियों से सहमत हूं जिन्होंने यह बात उठाई है कि 200 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः यह आवश्यक है कि सभी गैर-सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि बड़े पूंजीपति और सट्टेबाज इनका उपयोग न कर सकें; कम-से-कम इससे उन्हें ऐसा करने में रोकने की गुंजाइश तो हो जायेगी। यही नहीं, पूरे वित्तीय क्षेत्र का जिनमें निगमित साधारण वित्तीय कम्पनियां भी शामिल हैं, इसी प्रयोजन के लिए राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि सरकार विदेशी बैंकों आदि का राष्ट्रीयकरण करने में झिझक क्यों रही है।

इसके अलावा मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूं जिससे या तो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये निष्कर्षों की पुष्टि होगी अथवा कुछ नई बातें सामने आयेंगी। एक माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल ने क्षेत्रीय असंतुलन की बात उठाई थी। इस सम्बन्ध में मैं अपने राज्य—पश्चिम बंगाल—के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं। आप मुझे क्षमा करेंगे कि मैं अपने राज्य के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूं; आप मुझे यह भी न समझिये कि मैं क्षेत्रीयता में विश्वास करती हूं। ये आंकड़े मैं केवल हमारे साथी द्वारा उठाये गये मुद्दे की पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर रही हूं। 1970 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में जमा कराये गये प्रति 100 रुपयों में से 93 रुपये पश्चिम बंगाल राज्य में ही ऋणों के रूप में वितरित किये गये थे किन्तु 1977 में यह वितरण घटकर 66 रुपये रह गया। इस प्रकार हमारे राज्य को इस अवधि के दौरान प्रति 100 रुपये की जमा राशि पर 34 रुपये खोने पड़े। मैं यह मानती हूं कि जमा राशि में से कुछ औरों के पास भी जाना चाहते किन्तु क्या हमारे कंधों पर ही मुख्यतः यह भार पड़ना चाहिए? 1978 में भी पश्चिम बंगाल को अपनी जमा राशि का 65 प्रतिशत दिया गया जबकि महाराष्ट्र को उसकी जमा राशि का 76 प्रतिशत दिया गया। अतः यह अत्यावश्यक है कि इस मामले में समान वितरण हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मंत्री महोदय ने विधेयक के समर्थन में जिन खंडों का उल्लेख किया है उन पर चर्चा करूं किन्तु उन खण्डों को पूरा ज्ञान रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-निष्पादन के आधार पर वास्तव में यह दावा कर सकते हैं कि इन खण्डों को शामिल करना उचित था और क्या उनका क्रियान्वयन उचित था। मेरे विचार से ऐसा नहीं है। राष्ट्रीयकरण के कई विरोधी हैं और वो बिल्कुल राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि पूरी प्रक्रिया की ही आलोचना की जाये किन्तु सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आज भी प्राथमिकता क्षेत्र में स्थिति इतनी खराब क्यों है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले दशक में बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों में औसतन लगभग 500 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस बारे में क्या सुरक्षोपाय किये गये? यही स्थिति सामान्य रूप से पूरे उद्योग की है। लघु उद्योगों के बारे में भी स्थिति क्या है? मई 1978 तक लघु उद्योगों को दिए गए 1718 करोड़ रुपयों में से अधिकांश ऋण सरकार की नीति का लाभ उठाते हुए अमीरों द्वारा चलाए जा रहे लघु और सहायक उद्योगों ने ले लिया है।

लघु उद्योग एककों में से काफी बड़ी संख्या में उद्योग बड़े उद्योगपतियों के रिश्तेदारों और अमीर शहरी व्यापारियों द्वारा चलाये जा रहे हैं जिनके लिये लघु उद्योगों में इस प्रकार का पूंजीनिवेश और उन पर मिलने वाली रियायतें आदि शीघ्रता से धन कमाने का एक और साधन बन गया है।

अंतिम और अत्यधिक महत्वपूर्ण बात ग्रामीण ऋणों के संबंध में। न केवल ग्रामीण और अर्ध-शहरी, महानगरीय और शहरी ऋणों में अन्तर बहुत अधिक है बल्कि गांवों में भी वितरण का यह अंतर बहुत अधिक है। मेरे राज्य में ही महानगरीय-शहरी ऋणों की स्थिति देखिये। 1977 में 79.8 प्रतिशत ऋण महानगरीय-शहरी ऋण था। ग्रामीण ऋण 29.2 प्रतिशत था। अर्ध-शहरी ऋण 21.4 प्रतिशत था। किन्तु इस बहुत कम ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में भी गरीब की स्थिति क्या है ? केवल मेरे ही राज्य में नहीं अपितु देश भर में, कानपुर के एक कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान दल की रिपोर्ट को देखिये। रिपोर्ट में कहा गया है कि "उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों" के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों का 83 प्रतिशत बड़ी फर्मों द्वारा ले लिया जाता है।

ब्याज की विभेदक दर की स्कीम की क्रियान्वित में भी, इस स्कीम के अन्तर्गत, दिसम्बर 1977 और दिसम्बर 1978 में ब्याज की दर केवल 0.22 और 0.24 थीं—जो कि 1% भी नहीं है। अतः बैंकों के राष्ट्रीयकरण का असली लाभ किसे मिल रहा है ? निस्संदेह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जिन्हें अधिक धन मिल रहा है अन्यथा हम ऐसे उपायों का समर्थन नहीं करते। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में भी, उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है जिन्हें सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। यह बराबर होता रहा है; पिछले दशक से ऐसा क्यों हो रहा है ? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार का वर्ग स्वरूप है। इसलिए मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाती हूं और कहती हूं कि जब तक केन्द्रीय सरकार बड़े उद्योगों, बड़े व्यापार केन्द्रों और ग्रामीण सम्पन्न वर्ग में अपने वर्ग बन्धुओं के लिए अपनी सहानुभूति को कुछ कम नहीं करेगी तब तक यह ढर्रा नहीं बदल सकता। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन प्रश्नों पर विचार करें और उपयुक्त उपाय करें।

अभी मैं बहुत से सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि समय कम है। मैं केवल एक दो सुझाव दूंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः छोटे और सीमान्त किसानों के लिए ब्याज की विभेदक दरों के मामले में, यह गारंटी होती है। मैं समझती हूं कि जब तक ये गारंटी की—शर्तें नहीं बदली जाती तब तक यह ढर्रा बिल्कुल नहीं बदल सकता। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों के मामले में इन गारंटी की—शर्तों को कैसे बदला जा सकता है। इसके अलावा, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह जटिल प्रक्रिया लागू रही तो विभेदक दर की स्कीम कारगर नहीं होगी। हमें यह विचार करना होगा कि लघु उद्योग धन्धों के लिए सामग्री के रूप में ऋण दिया जा सकता है या नहीं।

* श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक दशक के बाद हमारे देश के छः अन्य प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता

* कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का रूपान्तरण

हूं। एक दशक पहले, चौदह महत्वपूर्ण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हमारे देशवासियों ने इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत किया था। देश के प्रत्येक कोने से लोगों ने इस पर प्रसन्नता प्रकट की थी। इन चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश के धन को लोगों की भलाई के लिए लगाया गया। अब हम इसके दूसरे चरण पर पहुंचे हैं। छः और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके हमने ग्रामीण विकास का रास्ता खोल दिया है।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में बहुत प्रगति हो रही है। जमाराशि संवर्धन—स्कीम ने भी अच्छी प्रगति की है। ग्रामीण विकास और जनता के उत्थान के लिए अनेक शाखाएं खोली गई हैं।

हालांकि राष्ट्रीयकरण के बाद काफी प्रगति हुई है, फिर भी हम इस पर ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। हमें इन बैंकों की प्रगति पर ध्यान देना होगा। आजकल बैंक लोगों को उनकी समस्यायें सुलझाने में सहायता नहीं दे रहे। लोग सहायता के लिए बैंकों के पास नहीं जा सकते। कुछ वर्षों पहले लोगों का बैंकों में स्वागत होता था। मगर यह रवैया बदल गया है। इन बैंकों के कुछ कार्मिक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य नहीं समझ सके हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर पिछले ढाई वर्षों में राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इन छ. बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण जनता का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण से तकनीकी योग्यता वाले कार्मिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था हुई। मगर पिछले ढाई वर्षों में इन योग्यता प्राप्त कार्मिकों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीयकरण से लघु उद्योग धंधे शुरू करने का प्रोत्साहन मिला। मगर कुछ रुग्ण एकक हैं। इन रुग्ण एककों में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम पहले ही मौजूद हैं। मगर मैं नहीं जानता कि इन रुग्ण एककों को रुग्ण क्यों होने दिया जाता है। यहां तक कि सौ रुपए या हजार रुपए की आवश्यकता होने पर भी वित्त की कमी के कारण, एकक रुग्ण हो जाते हैं और यह कहा जाता है कि ऐसे एककों के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम है। मगर बैंकों को आरम्भ में सहायता देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यह एकक रुग्ण न हों। समय पर ऐसे एककों को सहायता मिलने से ये एकक आत्म निर्भर होंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ एक अन्य बड़ी समस्या सामने रखना चाहूंगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास परियोजना को प्रमुखता नहीं दे रहा है। आम आदमी के लिए दस हजार रुपये से कम की नयी परियोजना शुरू की जानी चाहिए। इस परियोजना को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी से यह मेरा हार्दिक निवेदन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक शाखाए खोली गई हैं मगर सब गांवों तक उसका लाभ नहीं पहुंचा है। जहां बैंक खोले भी गए हैं, वहां ग्रामीण जनता विशेष रूप से पढ़े लिखे बेरोजगारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पढे लिखे बेरोजगार हैं। इन्हें जमाराशि को बढ़ाने के काम मे लगाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम भी शाखा खोलेगा। पहले वह उप-शाखा खोलेगा और यदि वह देखेगा कि इससे व्यापार में उन्नति हो रही है तो शीघ्र ही उप-शाखा का दर्जा बढ़ाकर शाखा बना दी जाएगी। ये बैंक उप-शाखाओं में इन पढ़े लिखे बेरोजगारों की योग्यता का इस्तेमाल वृत्तिका—स्कीम के अन्तर्गत जमाराशि

को बढ़ाने के लिये कर सकते हैं। जब इस जमाराशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी तो इन उपशाखाओं का दर्जा बढ़ाकर इन्हें शाखा बनाया जा सकता है।

महोदय, मुझे और बहुत से सुझाव देने हैं। मगर समय की कमी के कारण मैं उन सब पर चर्चा नहीं कर सकता। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी भाषा कन्नड़ में बोलने का अवसर दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अराष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार द्वारा अपने प्रबन्धाधीन लेने के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो आपने अपने संशोधन में प्रस्तुत किए हैं।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का दुःख है कि 1969 में जिन चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनमें हमारी आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। वे जमा करने के लिए अधिक राशि प्राप्त करने, अनेक शाखाएं खोलने तथा व्यापार बढ़ाने में अपनी ओर से सफल हुए हैं फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनसे वह लाभ नहीं हुआ जिसकी हमें आशा थी।

सबसे पहले, इन बैंकों से अनेक बड़े उद्योगों और बड़े व्यापारियों को लाभ पहुँचा और उन्हें अपेक्षित वित्तीय सहायता मिल गई। इन्होंने सरकार की भी सहायता की है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की राशि सरकारी बंध पत्रों और अन्य सरकारी निवेशों में लगाई गई। इससे बैंक कर्मचारियों को भी बहुत लाभ हुआ है जिन्हें किसी भी उद्योग-क्षेत्र से बेहतर वित्तीय सुविधाएं मिल रही हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि बैंकों की कार्य कुशलता और कर्मचारियों का काम बिलकुल संतोषजनक नहीं है। कर्मचारी अधिक वेतन और अधिक बोनस की मांग करते हैं मगर जहां तक काम का प्रश्न है, वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। उन्हें अपने बोनस और समयोपरि भत्ते से मतलब है मगर अपना काम वे बहुत लापरवाही से करते हैं जो आशा के अनुकूल नहीं है।

इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित था कि ये कमजोर वर्गों की सहायता करेंगे। निस्सदेह, कुछ बैंकों ने कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिए हैं किन्तु उनसे अपेक्षित सहायता नहीं मिली। वित्त मंत्री महोदय ने बैंकों में प्राप्त जमाराशि, बैंक खोली गई शाखाओं तथा अन्य बातों के आंकड़े दिए हैं अच्छा होता यदि वित्त मंत्री निम्नलिखित विवरण देते—

इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कमजोर वर्ग के कितने लोगों को ऋण दिया और कमजोर वर्ग के लोगों को दिए गए ऋण की कुल राशि कितनी है, उनमें से कितने लोगों ने उस राशि को उस काम के लिए इस्तेमाल किया जिसके लिये यह ऋण दिया गया था, उनमें से कितने लोग नियमित रूप से किस्त अदा कर रहे हैं और कितनी राशि अशोध्य हो गई है। अगर ये विवरण दिए गए होते तो, हमें यह देखने में आसानी होती कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वास्तव में कमजोर वर्ग के लोगों की कितनी सहायता की है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में कुछ विवरण देंगे कि इन बैंकों ने किस तरह कमजोर वर्गों की सहायता की है।

अनेक शाखाएं खोली गई हैं मगर उनमें से अधिकतर शहरों में खोली गई हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोली जाएं जहां ऐसी बैंक की सुविधाएं नहीं हैं।

लोग महाजनों से उधार लेते हैं। कर्नाटक राज्य में ऋण राहत अधिनियम के अधीन, उन लोगों के मामले में जो कमज़ोर वर्ग के हैं और जिनकी आय 4,800/- रुपये से कम है, ऋण माफ कर दिया जाता है। इसलिये आजकल महाजन उन्हें रुपया उधार नहीं देते। उन्होंने दूसरे व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक इन कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं। उनके पास ऋण लेने की सुविधा का कोई साधन नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए कि इन कमजोर वर्ग के लोगों को विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए ऋण सुविधाएं दी जाएं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने देखा है कि कुछ मामलों में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आटो-रिक्शा चालकों को ऋण दिये हैं।

बंगलौर में कुछ छोटे व्यापारी और फेरी वाले इन महाजनों से रुपया उधार लेते हैं। वे लोग 100/- रुपये पर प्रतिदिन 1/- रुपये के हिसाब से ब्याज अदा कर रहे थे। गणना करने पर ब्याज की यह दर 30% बैठती है। मैंने इनमें से लगभग 100 लोगों के बैंक से ऋण लेने में मदद की थी। बहुत से लोगों ने अपना कर्ज चुका दिया है। वे प्रतिदिन कुछ न कुछ बचा सकने में समर्थ हो गए हैं - यह राशि उस राशि से कम नहीं है, जो वे ब्याज के रूप में महाजनों को दे दिया करते थे। वे अब प्रसन्न हैं क्योंकि वे जीवन यापन के लिए कुछ कमाने लायक हो गये हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि उन लोगों को, जिन्हें सहायता की जरूरत है, सहायता दी जाती है, तो वे बहुत प्रसन्न होंगे, और राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सार्थक हो जायेगा।

राष्ट्रीयकरण के बाद, सबसे बड़ा दोष जो मैंने पाया वह है ब्याज की ऊंची दर लिया जाना जोकि 15 से 18 प्रतिशत है। कर की भारी दर और ब्याज की 15 से 18 प्रतिशत की ऊंची दर के कारण कोई भी उद्योग या व्यापार फल-फूल नहीं सकता और संकुचित लाभ भी अर्जित नहीं कर सकता। इसीलिए ब्याज की न्यूनतम दर निर्धारित हो सके इसके लिए कुछ न कुछ अवश्य ही किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे लोगों के मामले में जो अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं।

कर्नाटक राज्य में भूमि सुधार अधिनियम से निर्धन लोग भूमि प्राप्त होने में समर्थ हो सके हैं, किन्तु हल-बैल, कृषि उपकरण, खाद आदि खरीदने के लिए आवश्यक धन के लिए क्या किया गया है? यदि भूमि सुधार को समुचित रूप से लागू किया जाना है, तो कमजोर वर्गों को वित्तिय सहायता दी जानी चाहिए, ताकी वे उस भूमि में खेती कर सकें जो उन्हें प्रदान की गई हैं। गांव के लोगों को मकान बनाने के लिए भी जमीन दी गई है। केवल जमीन देने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसे अभिकरण भी होने चाहिए जो उन्हें मकान बनाने के लिए धन दे सकें। लगभग 7 लाख प्लाट वितरित किए गए हैं, किन्तु मुश्किल से 70,000 लोग ही मकान बना पाये हैं। अधिकांश लोगों के पास मकान बनाने के लिए पैसा ही नहीं

हैं। इसीलिए उन्हें मकान बनाने में भरसक सहायता देने के उपाय किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

इन बैंकों में से कुछ बैंकों के प्रशासन के बारे में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान उन तथ्यों की ओर दिलाना चाहूंगा जिन्हें मैं जानता हूँ। एक समय ऐसा था, जब प्रति लाख रुपये की राशि जमा करने पर जमाकर्ता के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती थी। बैंक में अपनी धन राशि जमा करने वाले बोर्ड और निगमों के मामले में उनके चेयरमैन या निदेशक को एक फिएट गाड़ी मिला करती थी। ये बैंक 10 या 10-1/2 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका समय समाप्त हो गया है, इन्हें अपना भाषण अब समाप्त करना चाहिए।

श्री टी० आर० शमन्ना : आजकल बैंक से ऋण लेने के लिए वहां कुछ प्रभाव होना आवश्यक है या कुछ रिश्वत देनी पड़ती है। ऋण देने के मामले भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

इस विधेयक में उल्लिखित छः बैंकों को अपने हाथ में लेने से पहले विदेशी मुद्रा बैंकों को अपने नियंत्रण में करने को काम के प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि से ये बैंक करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इसीलिए अन्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले इन विदेशी मुद्रा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए जो भारत में कार्य कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं। वे व्यापार, नौवहन, बीमा आदि में केवल विदेशी राष्ट्रिकों को ही सहायता देते हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद भी हम विदेशी मुद्रा बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाये हैं। सरकार को चाहिए कि अन्य देशों में विदेशी मुद्रा बैंक खोलने से पहले वे अपने देश में विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उपाय करे। अन्यथा, अन्य देशों में विदेशी मुद्रा बैंक खोलने में कठिनाई होगी। छोटे-छोटे देशों ने भी अपने देशों में स्थित विदेशी मुद्रा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। भारत जैसे देश के लिए इन विदेशी मुद्रा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना कठिन नहीं होना चाहिए। सरकार मेरे इस प्रस्ताव अर्थात् विदेशों में अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के बारे में अवश्य ही विचार करें। इससे हमारे निर्यात व्यापार में और अर्थ व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी।

हमने देखा है कि एक अध्यादेश के द्वारा छ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार का कोई प्रयोजन निहित है, क्योंकि 1969 में संसदीय चुनाव से पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा इस समय विधान सभा के तुरन्त पहले ही इन छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सत्तारूढ दल निश्चय ही यह कह सकता है कि ऐसा उन्होंने कमजोर वर्गों की भलाई के लिए ही किया गया हैं, किन्तु मेरे विचार से ऐसा केवल अधिकाधिक नोट प्राप्त करने के लिए ही किया गया है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण से जरूरत मंद लोगों को लाभ मिले। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री राष्ट्रीयकरण से देश को लाभाविन्त करने के लिए उपाय करेंगे।

इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे लोगों को ऋण दे रहे हैं जिनका कुछ प्रभाव है, या वे बैंक के कर्मचारी अधिकारियों के लिए मददगार साबित होते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते

हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब बैंकिंग बोर्ड कर्मचारियों की परीक्षा लेने पर ही भर्ती करेगा।

ऋण दिये जाने के लिए एक नीति अवश्य ही निर्धारित की जानी चाहिए ताकि शक्ति का दुरुपयोग न हो सके और समुचित ढंग से ऋण दिया जा सके।

आपने ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है जिसकी जमा राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक है। किन्तु मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं। जिन बैंकों की जमा राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उस समय जमा राशि 50 करोड़ रुपये थी, परन्तु अब आपने इसे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है। इस अवधि में निश्चय ही मुद्रा का मूल्य कम हुआ है। किन्तु फिर भी 100 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले बैंकों पर नियंत्रण करना भी बेहतर होगा। अब बडे-बडे बैंक बडी-बड़ी संस्थाओं को ही ऋण देते हैं। छोटे-छोटे बैंकों से कम आय वाले लोगों को ऋण देने के लिए कहा जाए। इसीलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे 100 करोड़ से अधिक धनराशि वाले बैंकों को भी अपने नियंत्रण में लें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों को सहायता मिलेगी।

यह आवश्यक है कि बैंक छोटे-छोटे व्यापारियों, छोटे-छोटे कृषकों, बुनकरों और अन्य प्रकार के कारीगरों को ऋण दें। अन्यथा राष्ट्रीयकरण से बैंक कर्मचारियों, सरकार तथा सत्ताधारी दल को ही लाभ होगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अपने लोगों को ही इन बैंकों का चेयरमैन और निदेशक नियुक्त कर सकती है। इसीलिए यदि बैंकों को वास्तव में जन-सामान्य का सहायक बनाना है, तो सख्त कानून बनाए जाएं ताकि वे समाज के गरीब वर्गों की सहायता कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिए गए समय के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का समर्थन करते हुए मैं बैंक के प्रशासनिक पक्ष के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने वह तारीख जिससे इन बैंकों की जमाराशि कम से कम 200 करोड़ होनी चाहिए, 14 मार्च, 1980 ही क्यों नियत की जबकि यह विधेयक 15. 4. 1980 को लागू होना था। इसी प्रकार मैं यह जानना चाहता हूँ कि 200 करोड़ रुपए को ही कम से कम जमाराशि के रूप में क्यों निर्धारित किया गया है जब कि 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कम से कम जमाराशि 50 करोड़ रुपए ही मानी गयी थी। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

मुझे आश्चर्य है कि सरकार नेशनल ग्रिंडलेज़ बैंक का राष्ट्रीयकरण करने में क्यों हिचकिचा रही है, जबकि उसके कर्मचारियों ने 90 दिन तक सरकार से यही अनुरोध करने के लिए हड़ताल किया था कि वह इस बैंक को अपने नियंत्रण ले ले। मैं नहीं सोचता कि नेशनल ग्रिंडलेज़ बैंक का राष्ट्रीयकरण करने से विदेशों में काम कर रहे भारतीय बैंकों के कार्य पर बुरा असर पड़ेगा। मैं अपने मित्र, वित्त मन्त्री महोदय को यह सलाह देना चाहता हूँ कि इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इनके सामान्य कार्यचालन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। उन्हें याद होगा कि मैंने अनेक बार भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में बढ़ रही अनुशासनहीनता के बारे में बताया है।

वहां केवल अनुशासनहीनता ही नहीं है वरन् अपराध भी बढ़ रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी हाल हीं में भारत की राजधानी दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक के एक क्लर्क ने मैनेजर को चांटा मारा जिससे ग्लानि वश वह शाखा के परिसर में ही तुरन्त मर गया। सरकार इस बात को भली भांति जानती है। अधिकारियों का घेराव करना आम प्रथा बन गई है, मानो वे अधिकारी ही इन सब बातों के लिए जिम्मेदार हों। सर्वत्र ऐसा ही हो रहा है। यह केवल किसी शाखा विशेष में ही नहीं सम्पूर्ण देश में हो रहा है।

महोदय, प्रबन्धक बोर्ड को बैंकिंग संस्था के सभी कर्मचारियों की आशाओं व आकांक्षाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। आपको कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि, प्रबन्धक बोर्ड में एक निदेशक नियुक्त करना चाहिए और प्रबन्धक बोर्ड में उसकी बात सुनी जानी चाहिए। इसी प्रकार जनता का भी एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि होना चाहिए। आजकल सभी निदेशक या तो कृषि क्षेत्र या अन्य क्षेत्र द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उनमें से 90 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी होते हैं। इसलिए कोई नहीं जानता कि वहां क्या हो रहा है। यह भी यदि कुछ संसद सदस्य भी प्रबंधक बोर्ड में मनोनीत किए जाएं तो बेहतर होगा। यह मेरा सुझाव है।

यह सभी जानते हैं आपातकाल के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत कारगर ढंग से कार्य कर रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि वे देश की सामान्य जनता के बेंक हैं। लोगों को भी यही लगने लगा था कि ये बैंक उनकी अपनी वित्तीय संस्थायें हैं। परन्तु जनता शासनकाल में बैंक निष्क्रिय हो गए। सभी इस बात को जानते हैं। आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए, वह बतायेगा कि जनता सरकार ने क्या किया (व्यवधान) आपातकाल के दौरान आम जनता ने यह महसूस किया कि बैंक उनके अपने हैं। अब इसका विपरीत है। मैं यह अनेक उदहारणों से साबित कर सकता हूं। (व्यवधान) आप मेरे भाषण में बाधा क्यों डाल रहे हैं? आम जनता को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। बैंकों के चेयरमैन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनमें लगाया गया करोड़ों रुपया उनका अपना रुपया है। और इस धन को वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ही दिया करते हैं। आजकल यह बहुत सामान्य बात है। आपको इस की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित किया गया बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम जनता सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार न होने देने के लिए आयोग तुरन्त पुनः गठित किया जाना चाहिए।

एक बार फिर मैं अपने मित्र, वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह बैंकर्स को सलाह दें कि वे सामान्य जनता का सम्मान करें। आजकल वे जनता से अच्छा व्यवहार नहीं करते। यदि कोई कृषक बैंक में जाए, तो वे पूछेंगे कि "आप यहां क्यों आ रहे हैं?" चाहे वे बैंक में धन जमा करवाए या नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं।

आपातकाल के दौरान, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जानते ही हैं, गंदी बस्ती निवासियों की झोंपड़ियां तूफान से नष्ट हो गई थीं। बैंकों के मैनेजर स्वयं वहां गए और स्वयं श्री वेंकटरामन की उपस्थिति में उन्हें ऋण दिए गए। उस धन का कुछ प्रतिशत वसूल नहीं हुआ, और इसी बात पर बैंक के अब ऋण देने से मना कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वे बहुत ऊंची दर पर ब्याज लेते हैं।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने ऋण की अदायगी कर दी है, उन्हें ऋण दिया जाए । निर्धन किसानों और लघु उद्योगों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । बैंकों के मैनेजर अब उत्साह नहीं दिखाते । अब वह उन्हें भी ऋण नहीं देते जिन्होंने पिछला ऋण चुका दिया है ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं ।

इसके अधिनियमन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत 40 प्रतिशत के अतिरिक्त लगभग 945 करोड़ रुपया और मिलेगा । सरकार द्वारा यह बहुत अच्छा व दृढ़ कदम उठाया गया है जिसका भविष्य में इस देश के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर दूरगामी प्रभाव होगा ।

विधेयक की प्रस्तावना में कई कारण दिए हुए है, और निष्कर्ष में कहा गया है कि :-

> ......संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (क) और (ग) में सिर्धारित सिद्धान्तों को प्राप्त करने की दिशा में राज्य की नीति के अनुरूप......"

संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (क) और (ग) में हमारे राष्ट्र की अवधारणा, विचारधारा और कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख है । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और समाजवाद के समुचित विकास के लिए यह राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है । जब 1969 का विधेयक 1970 में पारित किया गया, तो यह कहा गया था कि नगरों में स्थित भव्य बैंक समाज के बैंकों में परिवर्तित कर दिए जाएंगे । यह कितना सच हुआ है इसका पता राष्ट्रीयकरण से हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन पर हुए प्रभाव से लगाया जा स ता है । कृषि के क्षेत्र में हम यह देख सकते है कि हम इस देश की गरीब जनता का जीवन सुधारने के प्रयास में कहां तक प्रगति कर चुके हैं । यदि आप कृषि के क्षेत्र में ही खातेदारों और जमा धन के अनुपात को देखें आप देखेगें पायेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना आवश्यक है । एस० एफ० डी० ए०, एम० एफ० ए० एल०, आई० आर० डी० पी०, सी० पी० ए०, डी० पी० ए० पी० जैसी संस्थाओं ने इस देश के ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए भरसक प्रयत्न किया है । हमारे देश में 1969 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप यह एजेंसियां बनी हैं । इनकी शाखाओं में भी काफी वृद्धि हुई है । वे कहां पर स्थित हैं ? अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों मे हैं । 6500 शाखाएं खोलने के लिये लाइसेंस प्रदान करने की नीति के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान श्री जेम्स राय द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा । रिपोर्ट के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता । परन्तु मैं आशा करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय माननीय मंत्री समिति की सिफारिशों को ध्यान मे रखेगे । ग्रामीण क्षेत्रों के साधन शहरी क्षेत्रों में नहीं ले जाये जाने चाहिए । आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उधार जमा पूंजी अनुपात में 40 प्रतिशत की कमी हुई है । यदि यह तथ्य सच है तो इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । हमारे देश की ग्रामीण धन को शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं ले जाया जाना चाहिए । हमारी नीति यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में उधार जमा पूंजी में अनुपात बना रहे ।

श्री अग्रवाल समग्र अर्थ-व्यवस्था के विकास की बात कर रहे थे और वह कुछ आलोचना भी कर रहे थे। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अब काफी परिवर्तन हो चुका है और अब बड़े उद्योग के स्थान पर लघु उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो हम यह देखेंगे कि यह 1969 में किये गये बैंक राष्ट्रीयकरण का ही फल है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अब जीवन्त हो चुका हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन काफी सीमा तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। सुधार व उपलब्धियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है, निर्धनों के उत्थान के लिए अनिवार्य है। हाल में ही गैर-सरकारी क्षेत्रों के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद लाने की दिशा में उत्साहजनक कदम है।

वर्ष 1969 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय विद्यमान एक गम्भीर कमी का मैं उल्लेख करूंगा। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इससे अधिकतर लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों की अपेक्षाकृत धनी जनता को ही हुआ और अधिकतर जनता को इसका फायदा नहीं पहुंचा। यदि ऐसा ही हुआ है तो मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जोरदार कदम उठाए जाएं जिससे गरीबों को राष्ट्रीयकरण का लाभ पहुंचे। हमारे देश में ऐसा क्यों है कि 50 से 60 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इनमें से कई संस्थाएं निर्धनों को आवश्यक सहायता, जो उन्हें दी जानी चाहिए, नहीं दे रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसकी ओर इस माननीय सभा को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में राष्ट्रीयकरण के विरोध काफी प्रचार हो रहा है। हम जानते हैं राष्ट्रीयकरण विरोधी प्रचार के पीछे कौन व्यक्ति है और अपनी कोशिशों में वे कहां तक सफल हुए हैं, और सफल होने का प्रयत्न कर रहे हैं।

राष्ट्रीयकरण के बाद से हुई प्रगति से पता चलता है कि यह सिर्फ कल्पना है, वास्तविकता नहीं। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त हमारी बचत व निवेश में काफी सुधार हुआ है। राष्ट्रीयकरण विरोधी प्रचार के फलस्वरूप राष्ट्रीयकृत संस्थाओं में उत्पादन व लाभ कम मात्रा में हुआ है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार केवल 28 करोड़ रुपये का ही लाभ हुआ है। इसका अर्थ है, कि कुल आय की तुलना में लाभ 2.01 प्रतिशत घट गया है।

एक और यह तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा है कि मुद्रा स्फीति की दर बढ़ी है। हमारे देश में ऋण की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण है कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना। मेरा अनुरोध है कि अनिवार्य सेवाओं में होने वाली अचानक हड़तालों पर गम्भीर रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ के लिये देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्तमान सरकार को, हमारे देश में विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने की इस प्रवृति की ओर ध्यान देना चाहिए।

मेरे माननीय मित्र, श्री सतीश अग्रवाल ने कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकिंग पद्धति में काफी धोखाधड़ी व छल-कपट हो रहा है। माननीय मंत्री को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए।

खंड 2(क) के अनुसार, "बैंकिंग कम्पनी" में विदेशी कम्पनियां नहीं आती। मेरा निवेदन है कुछ विदेशी बैंक भी हमारे देश में कार्य कर रहे हैं और मैं पूछता हूं कि उनको हमारे

देश में क्या भूमिका है और अपनी इन गतिविधियों से वे हमारे देश में किस सीमा तक जा सकते हैं। हमारे देश में 39 अनुसूचित बैंक हैं। इन 39 अनुसूचित बैंकों की राष्ट्रीयकरण और अनुच्छेद 39(ख) तथा (ग) के संदर्भ में क्या भूमिका है ?

खंड 6(2) (क) में कहा गया है :

18.50 करोड़ रु० तक का नकद भुगतान। मेरा यह नम्र निवेदन है कि इससे हमारे देश में मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ेगी। मुद्रास्फीति की दर में पहले ही 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार नकद भुगतान बन्द करके इस राशि को सिक्योरिटी में क्यों नहीं डाल देती ? इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।"

अन्त में समनुरूपी नये बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी अध्याय-4 का उल्लेख है जिसमें निदेशक मंडल के बारे में खंड 7(2) है। यहां भी मैं श्री सतीश अग्रवाल से सहमत हूं कि हमें निदेशक मंडल के कार्यों और जिम्मेदारियों पर नजर रखनी चाहिए।

फिर, खंड 9, उप-खंड (3) में कहा गया है :—

"प्रत्येक समनुरूपी नए बैंक के निदेशक मंडल जो उपखण्ड (1) के अन्तर्गत बनी किसी योजना के अधीन गठित है, में यह भी सम्मिलित होंगे —

(क) कर्मचारियों और ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि ; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति जो निम्न श्रेणियों अर्थात किसान, मजदूर और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों।"

मेरा यह निवेदन है कि यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। इसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल कर इसे और अधिक व्यापक बनाया जाए। इन टिप्पणियों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, 1969 के बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और अब इन छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने इस दिशा में दूसरा कदम उठाया है। इस प्रकार इन बैंकों की कुल संख्या 20 हो गई है। अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि 1069 के बाद बैंक कर्मचारियों कितनी बार हड़ताल की है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई बार कहा है कि ये बैंक कर्मचारी, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के उच्चपदस्थ कर्मचारी भी ·········

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप विपक्ष में थे, तो आपने कुछ हडतालों का समर्थन किया होगा।

श्री राम गोपाल रेड्डी : इन्होंने हमारे देश को काफी क्षति पहुंचाई है। जनता शासन के दौरान उन्होंने काफी दिनों तक चैक क्लीयर करना बन्द रखा और इस देश की अर्थ व्यवस्था को करीब-करीब तहस-नहस कर दिया। मैं यह चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि ये लोग बार-बार हडताल न करें। श्रीमती गांधी ने कहा है कि जब तक गांव में गरीब मजदूर को कुछ थोड़ा बहुत नहीं मिलता, अच्छे वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों को कुछ और

समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैंने इस सभा के समक्ष पहले ही कहा है कि अगर 1000 रु० या इससे ज्यादा अच्छा वेतन पाने वाले लोग हड़ताल करें तो उन्हें नौकरी से बिल्कुल बरखास्त कर देना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाएगा इस देश में अनुशासन नहीं लाया जा सकता एक गरीब आदमी द्वारा अधिक वेतन के लिए किये जाने वाले आन्दोलन की बात समझा जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति 200 से 250 अथवा 300 से 350 रुपये मिलते है तो उस के साथ सहानुभूति हो सकती है लेकिन अगर कोई 1000 रु० 800 रु० वेतन पा रहा है, वातानुकूलित बैंक में बैठता है और हड़ताल करता है तो मैं तो यही कहूंगा कि यह मात्र शरारत है। इसके अलावा बैंकों को अधिकार में लेने के पश्चात, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा है। बस वह कुछ यूनियनें बना लेते हैं और फिर बैंकिंग संस्थानों से सभी प्रकार की सुविधाओं की मांग करते हैं जबकि बदले में काम बहुत कम करते हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। लोगों को बैंकों से ही रुपया लेना चाहिए लेकिन उसको वापिसी भी अवश्य करनी चाहिए। हम किसी टैंक से पानी लेते हैं, लेकिन फिर से टैंक में दुबारा पानी भरना उतना ही जरूरी है। अगर हम उसमें से पानी लेते जाएं और उसे भरें नहीं तो वह जल्दी ही खाली हो जाएगा। अगर वह लोग जिन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, बैंकों से पैसा ले लेते हैं। तो बैंक दीवालिया हो जाएगा। पहले जहां एक बैंक का दिवाला निकल जाता था तो दूसरे बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती थी। अब चूंकि ये बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में हैं, इसलिए भारत सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बैंक के कारोबार में लाभ हो जिससे कि वह कुछ धनराशि राजकोष में, कुछ शेयर धारियों और कर्मचारियों को भी दिया जा सकें। जब तक यह व्यवस्था आरंभ नहीं की जाती, कर्मचारियों को दृढ़ता पूर्वक कह दिया जाए कि वह अपनी मनमानी नहीं कर सकते और उन्हें इस देश के हितों का भी ध्यान रखना है, उन्हें देश के जीवन स्रोत—बैंकिंग संस्थानों का हित भी देखना है।

मैं आशा करता हूं कि श्री वेंकटरामन के नेतृत्व में बैंक समृद्ध होंगे। जैसा कि आपको पता है, श्री वेंकटरामन तमिलनाडु के आदर्श निर्माता कहे जाते हैं और अब उन्हें देश को समृद्ध बनाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस उपाय का समर्थन करने के लिए मैं इस सभा का आभारी हूं। ऐसे अवसर पर हर कोई पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना चाहेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा कमजोर वर्गों और ग्रामीण एवं खेतीहर लोगों के प्रति उन की सेवाओं में सुधार लाने के लिए, बहुत से सुझाव दिये गये हैं। कुछ सुझाव दिये गये कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य सम्पादन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां तक बैंकों के कार्यसम्पदान सम्बन्धी परिणामों का सम्बन्ध है, वह उपलब्ध हैं तथा अलग से मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं पड़ती। अगर आप पिछले दस वर्षों में उनके कार्यसम्पाद के बारे में देखेंगे तो यह काफी प्रशंसनीय रहा है। अगर आप शाखाओं के खोलने के बारे में जानना चाहें, तो इनकी संख्या 7000 से बढ़कर 27,000 हो गई है। इससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि इस अवधि में ग्रामीण इलाकों में खुलने वाली शाखाओं की संख्या बढ़कर 46.9 प्रतिशत, अर्ध-शहरी इलाकों में

24.6 प्रतिशत, शहरी इलाकों में 15 प्रतिशत और महानगरों में 13.5 प्रतिशत हो गई हैं। अतः हम जो ग्रामीण विकास पर बल देना चाहते हैं, इससे यह सिद्ध हो गया है कि इन बैंकों की बहुत सी शाखाएं ग्रामीण इलाकों में स्थापित कर दी गई हैं और विकसित की गई हैं।

बैंक का अन्य कार्य संसाधनों को जुटाना है। यहां भी, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यसम्पादन बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। वर्ष 1969 में 4000 करोड़ रु० की कुल जमा राशि की तुलना में.........

श्री सतीश अग्रवाल : 4,800 करोड़ रुपए।

श्री आर० वेंकटरामन : जी नहीं, 4,083 करोड़। इन राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक द्वारा जुटाई गई कुल जमा राशि बढ़कर 25,977 करोड़ रु० हो गयी है, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य सम्पादन है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। अगर आप प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दी गई सहायता अर्थात समाज के कमजोर वर्गों को दी गई सहायता के बारे में जानना चाहें तो इस क्षेत्र को 6,000 करोड़ रु० की राशि दी गई हैं और इस का विवरण इस प्रकार है : कृषि में, प्रत्यक्ष सहायता 1,997 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष सहायता 590 करोड़ रुपये ; लघु उद्योगों को 2,347 करोड रुपये ; परिवहन और अन्य कार्यों के लिए 6,000 करोड़ रुपये सहायता दी गई है। अतः मैं बताना चाहता हूँ कि जहां तक बैंकों के कार्यसम्पादन का सम्बन्ध है, यह बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। अब मैं इस वाद-विवाद के दौरान उठाये गए प्रश्नों को लेता हूँ। सबसे पहले मैं श्री सतीश अग्रवाल के प्रश्नों को लूंगा क्योंकि इन में से कुछ प्रश्नों को और बहुत सदस्यों ने भी दोहराया है।

पहला प्रश्न, जो उन्होंने पूछा है, वह यह है कि हमने 14 मार्च ही क्यों निश्चित की, जब कि हम 15 अप्रैल को उन का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे थे। कारण बहुत ही सरल है। बैंकों में जमा राशि के बारे में आंकड़े प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आप एक दिन पसले के आंकड़े प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक ऐसी अग्रिम तारीख निर्धारित करें जिस तक उन बैंकों के बारे में जिनका कि राष्ट्रीयकरण किया जाना है, सही आंकड़े मिल सकें। अतः हमने राष्ट्रीयकरण से एक महीने पहले की तारीख निर्धारित की, तथा वह सभी बैंक जिनकी जमाराशि राष्ट्रीयकरण करने से 1 महीना पहले, 200 करोड़ रु० से अधिक थी, उन को राष्ट्रीकरण योजना के अधीन लाया गया। मेरे मित्र को मालूम होगा कि जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। 19 जुलाई, 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ; लेकिन 50 करोड़ रुपये की जमाराशि का पता लगाने का दिन जून, 1969 का आखिरी शुक्रवार रखा गया था। अतः इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए ही 14 मार्च का दिन निर्धारित किया गया था। इस में कोई अन्य बात नहीं थी। दूसरा प्रश्न, जो उन्होंने उठाया है, वह यह है कि हमारे द्वारा राष्ट्रीयकरण के लिए 200 करोड़ रु० ही क्यों निर्धारित किए गए। उस समय इन बैंकों में 200 करोड़ रु० की जमा पूंजी थी और देश की समस्त जमाराशि का 91 प्रतिशत भाग हमारे वास्तविक नियंत्रण में था। हम सभी का राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते। सभी बैंकों का एक ही समय राष्ट्रीयकरण करना मुश्किल है। हम सभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए वचनबद्ध नहीं है।

श्री झारखंडे राय (घोसी)। इस समय में देश में कितने बैंक है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मै नहीं बता सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम आपको बतायेंगे कि आप किसलिए राष्ट्रीयकरण करते हैं ।

श्री भारखंडे राय : 204

श्री आर० वेंकटरामन : वर्तमान स्तर 200 करोड़ रुपये है लगभग 200 करोड़ निर्धारित करना भी बहुत संगत है । बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि किसी के साथ अनुचित भेदभाव न किया जाए । 200 करोड़ रुपये वाले बैंक का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो दूसरा बैंक जिसके पास 199 करोड़ रुपये हैं उसे अमान्य करार कर दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यही न्याय है ।

श्री वेंकटरामन : उच्चतम न्यायालय कहेगा कि अनुचित भेद-भाव किया गया है । अतः हमने कहा कि हम ऐसी राशि निर्धारित करें जिससे कि अगले व्यक्ति को कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपये कम मिले । अतः इन छः बैंकों के बाद वे बैंक आते हैं जिनके पास केवल लगभग 150 करोड़ रुपये हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केवल ।

श्री आर० वेंकटरामन : केवल, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप सभी बैंकों को एक साथ लें......

एक माननीय सदस्य : यह बीच में कौन टिप्पणी कर रहा है ।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, श्री ज्योतिर्मय बसु को इस विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं मिला ....

उपाध्यक्ष महोदय : वह तृतीय वाचन पर बोलेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने बाकायदा नोटिस दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने तृतीय वाचन के लिए अपना नाम दिया है परन्तु आप सभी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ नहीं । यह तो केवल एक अंश मात्र है ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, वे हमेशा ही सभा को अपनी उपस्थिति से अवगत कराते रहते हैं । महोदय, चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा ही अपनी उपस्थिति से अवगत कराते रहते थे । यदि वे किसी शादी में जाते तो दुल्हे को जरूर देखते और यदि किसी दाह संस्कार में जाते तो शव को अवश्य देखते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : बात यह है कि हम बहुत बड़ी संख्या में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि 10% जमाराशि अन्य प्राइवेट लोगों के पास रहे,

इसलिए उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया जिनके पास जमा पूंजी 200 करोड़ रुपये से अधिक थी।

तीसरा प्रश्न यह पूछा गया था : कि इतनी जल्दी क्या थी।

श्री झारखंडे राय : विदेशी बैंकों के बारे में विचार है।

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया इंतजार करें। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कोई मुद्दा छोड़ देते हैं। आप ही धीरज से काम नहीं ले रहे हैं......

श्री झारखंडे राय : धन्यवाद।

श्री आर० वेंकटरामन : तीसरा यह प्रश्न था कि इतनी जल्दी क्या थी। यदि यह प्रश्न किसी और सदस्य ने उठाया होता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता परन्तु यह प्रश्न एक भूतपूर्व मंत्री ने उठाया है, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं बल्कि दुख हुआ है। यह तो आप जानते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सूचना एक घंटे पहले भी उन्हें मिल जाती तो वे लेखाओं में ऐसी हेरा फेरी कर सकते थे जिससे राष्ट्रीयकरण को बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। दूसरी ओर श्री अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों से मुझे आशा थी कि वे राष्ट्रीयकरण का मामला इतना गुप्त रखने के लिए मेरी प्रशंसा करते।

अगला प्रश्न क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में है। मैं यह मानता हूँ कि क्षेत्रीय असंतुलन है। परन्तु यह क्षेत्रीय असंतुलन उन हालातों के कारण हुआ जो राष्ट्रीयकरण योजना लागू करने से पहले मौजूद थी।

उदाहरणार्थ, मैंने पश्चिम बंगाल में स्वयं देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास अन्य क्षेत्रों के बैंकों के समान नहीं हुआ है। मैंने बैंकरों की एक बैठक बुलाई और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये कि उस क्षेत्र में न केवल और अधिक शाखाएं खोली जायें अपितु ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही की जाये। प्रत्येक क्षेत्र में ग्रामीण ऋण के विस्तार करने में कुछ न कुछ रुकावट आती है। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल में खेती करने वाले लोगों के पास अपनी जमीन के मालिक होने का सही रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अधिकारों का सही रिकार्ड के बिना बैंक द्वारा ऋण प्रदान करना मुश्किल है। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। उचित रिकार्ड तैयार हो जाने पर उस क्षेत्र के लोगों को ऋण देना स्वयं हो जायेगा।

वास्तव में, मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि तथा राज्य के मुख्य-मुख्य बैंकों का एक दल गठित किया है जो यह देखेगा कि इस संबंध में अच्छे से अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। मेरे माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल ने बताया है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां असंतुलन है। मैं भी इस ओर अवश्य ध्यान दूंगा और इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। जब भी मेरे सामने ऋण वितरण में असंतुलन का मामला लाया जाएगा मैं इसे ठीक करवाऊंगा। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा है प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम लाभ अर्जित किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह कर्तव्य है और उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य है कि दिए गए कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत, ऋण अर्थात, एक प्रतिशत ऋण विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत 4% ब्याज जाये। 33.3% ऋण इस संबंध में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और देखूंगा कि बैंकों को काले धन के लेन देन से कैसे

रोका जा सकता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कार्य के लिए बैंकों का दुरुपयोग न किया जाए।

कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं जो विचाराधीन हैं। मैं इस बात के अवश्य प्रयास करूंगा कि बैंकों का इस कार्य के लिए दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है। श्री अग्रवाल, श्री डागा और श्री के० टी० कोसलराम तथा अन्य सदस्यों ने एक सुझाव यह दिया है कि बैंकों के निदेशक मंडल में संसद सदस्य लिये जाने चाहिए। इस समय निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार है; एक किसानों का प्रतिनिधि, एक शिल्पकारों का प्रतिनिधि, एक जमाकर्ताओं का प्रतिनिधि, दो श्रमिकों के प्रतिनिधि, एक कर्मचारियों का प्रतिनिधि, और एक नियोक्ताओं का प्रतिनिधि तथा 5 प्रतिनिधि जनता के जो बैंक, अर्थ-व्यवस्था, उद्योग, व्यापार आदि में विशेष ज्ञान रखते हैं। अतः मैं इस तरह के मामलों में परस्परागत नकारात्मक देने की उत्तर परिपाठी से अवगत हूं। बैंकों में संसद सदस्यों की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं उस तरह का उत्तर नहीं दे रहा हूं। में इस सुझाव की नए सिरे से जांच कराऊंगा और इस विचार पर अच्छी तरह ध्यान दूंगा।

महोदय, प्रश्न यह था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तेजी के साथ विकास नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली कांग्रेस सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक अभियान शुरू किया था परन्तु बाद में जनता सरकार ने सत्तारूढ़ होने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समझदारी को शंका की दृष्टि से देखा और उसने इनका मूल्यांकन कराना और फिर उन्हें बन्द करना चाहते थे। उस सरकार ने दंतवाला समिति की नियुक्ति की। जब तक दंतवाला समिति ने लगभग दो वर्षों बाद अपनी रिपोर्ट दे दी तब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास व्यावहारिक तौर पर रुका रहा। दंतवाला समिति अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ग्रामीण बैंक वस्तुतः लोगों के लाभ के लिए हैं और अब हम बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और हम बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करेंगे।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि भारत में विभिन्न विदेशी बैंकों की 127 शाखाएं हैं और विदेशों में हमारे बैंकों की 128 शाखाएं हैं और यदि पारस्परिकता की नीति के आधार पर हम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो हमें विदेशों में स्थित अपने बैंक भी बन्द करने पड़ेंगे। (व्यवधान)

[श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए]

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना विपक्ष के लोगों की नीति हो सकती है परन्तु हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में इस तरह का कोई वचन नहीं दिया है और हम आपका चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। हमारी नीति विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की नहीं है। मतदाताओं ने हमारी नीति का समर्थन किया है और आपकी नीति को अस्वीकार किया है और उसी तरह मैं आपकी नीति का समर्थन नहीं करना चाहता।

एक माननीय सदस्य : मेरा निवेदन है कि विदेशों में स्थिति अपनी शाखाओं को बन्द करने के लिए हम क्यों बाध्य हो यदि हमने......

श्री आर० वेंकटरामन : मैं मान्य सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि जब हमने बीमा कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया तो हमसे यह कहा गया कि हमें विदेशों में स्थित अपनी शाखाओं को बन्द कर देनी चाहिए। तब हमें बातचीत करनी पड़ी। (व्यवधान) यह संभव नहीं है। हम उस नीति के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं और, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : मैं आपसे पेरिस में स्टेट बैंक की शाखा के बारे में पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय, क्या आप हमें बतायेंगे कि पेरिस में स्टेट बैंक की शाखा का क्या हुआ। क्या आप उस शाखा को खोल सके हैं?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, हमारे देश में कार्य कर रहे ये विदेशी बैंक यहां अपनी परिसम्पत्तियों में वृद्धि करने में समर्थ हैं। इसकी तुलना में, विदेशों में कार्य कर रहे हमारे बैंकों की केवल 120 शाखाएं हैं। उनका व्यापार केवल नाममात्र का है।

श्री आर० वेंकटरामन : सरकार की नीति के विषय में मैं बार-बार बता चुका हूं। कुछ निश्चित कार्यक्रमों के आधार पर, जिनका हमने पक्ष लिया था, मतदाताओं ने हमें सत्तारूढ़ किया है। हमारी नीति विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की नहीं है, इसलिये कि हम विदेशों में कार्य कर रही अपनी बैंकों की शाखाओं को हम चलाना चाहते हैं। इसलिए हमें यह पारस्परिकता बनाए रखनी है। और मेरा विचार है कि आप इसको करने के लिए जनादेश प्राप्त करने तक की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

महोदय, अब अगला मुद्दा जो उठाया गया है वह किसानों को ऋण देने के बारे में है। यहां मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कैसे वृद्धि हुई है जो कि महत्वपूर्ण है। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय किसानों को केवल 162.33 करोड़ रुपया ऋण दिया गया और जून 1979 में यह राशि 2244 करोड़ रुपए हो गई। यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि हमने खेतीहरी की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को ऋण देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और हम सदन को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकार इस बात में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी कि किसानों को दिए जाने वाले ऋण की उत्तरोत्तर वृद्धि हो ताकि हम अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकें।

एक अन्य प्रश्न जो उठाया गया है, कि नियुक्तियों के लिए लोक सेवा आयोग सांविधिक आयोग होने चाहिए और उनकी कार्य प्रणाली आदि पर निगरानी रखने के लिए कोई अन्य निकाय भी होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है क्योंकि इस समय हमारे पास पहले ही एक क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड है और यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा प्रतीत होता है।

मैं समझता हूं उठाए गए सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है। धन्यवाद।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : एक सुझाव दिया गया था कि एक समिति इस मामले की जांच करें।

श्री आर वेंकटरामन : मैंने पहले ही कह दिया है कि इसकी जांच करने के लिए किसी भी समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं। केवल मात्र एक प्रश्न है जिस पर मैं विचार करूँगा और वह है बोर्डों में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह प्रश्न उनके दल के सदस्य द्वारा उठाया गया था। मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि वह सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे । स्वयं आपके दल के एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था कि एक हजार और इसके लगभग पाने वाले इन बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारियो को हड़ताल नहीं करनी चाहिए और यदि वे हड़ताल करते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए । मैं उस सम्बन्ध में आपका मत जानना चाहता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रत्येक सदस्य के निजी दृष्टिकोण पर टिप्पणी करने की मुझसे आशा नहीं की जानी चाहिए। यहां मैं केवल सरकार के दृष्टिकोण का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए हूं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी कृपा करके अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं । अब मैं विचार करने का प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न है :

> "कि अर्थतंत्र के शिखरों पर और नियंत्रण तथा अर्थतंत्र के विकास से सम्बन्धित आवश्यकताओं की अधिकाधिक तथा और अच्छी तरह से पूर्ति तथा जनता के कल्याण की अभिवृद्धि, संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में अधिकाधित तत्वों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य की नीति के अनुरूप करने के लिए कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों को उनके आकार, सम्पत्ति, साधन, कार्यक्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखकर अर्जित करने तथा उनका अन्तरण कराने तथा उससे सम्बद्ध या उस के आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : विचारण प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ; अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करते हैं । अब, खण्ड 2, श्री टी० आर० शमन्ना, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है......

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं और सभी मुद्दे इसमें आ गये हैं ।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं बोल चुका हूं और सदन का समय नहीं ले रहा हूं । मुझे केवल एक या दो शब्द कहने हैं ।

सभापति महोदय : दो संशोधन हैं । क्या आप इन दोनों संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ? ये दो हैं ।

श्री टी० आर० शमन्ना : वह दूसरा पेज और दूसरा खण्ड है ।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए ; खण्ड दो में आपके दो संशोधन हैं । वे हैं संशोधन संख्या 1 और संशोधन संख्या 2 । वे दोनों आपके नाम से हैं । क्या आप उन दोनों को

प्रस्तुत कर रहे हैं ? यदि हां तो कृपया आप उन्हें प्रस्तुत कीजिए । यही स्थिति है जब आपको संशोधनों को प्रस्तुत करना है ।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं दोनों संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूं, खण्ड 2 के लिए संशोधन संख्या 1 और 2 । मैं प्रस्तुत करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 2—3

"विदेशी कम्पनी के पश्चात् निम्न अन्तस्थापित करें—जिनके पास भारतीय मूल के लोगों से इकट्ठी की गई बैंक की कुल जमाराशि के पचास प्रतिशत से कम जमाराशि है ।" (1)

पेज 2, पंक्ति 12—13

"दो सौ करोड़" के स्थान पर "सौ करोड़" प्रतिस्थापित करें (2)

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । विदेशी बैंकों को इस विधेयक की परिधी से पूर्णतया बाहर रखा गया है । मैंने सुझाव दिया है कि प्रथम चरण के रूप में उन विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए जिनकी भारतीय मूल लोगों से इकट्ठी की गई जमाराशि बैंकों की कुल जमाराशि के पच्चास प्रतिशत से ज्यादा है । इसके अतिरिक्त मूल विधेयक में इस पर विचार किया गया है कि जिन बैंकों की कुल जमाराशि दो सौ करोड़ से ज्यादा है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए । मैंने यह बात कहने के लिए अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि यह सीमा घटाकर केवल सौ करोड़ रुपए कर देनी चाहिए और 100 करोड़ रुपए की जमाराशि से अधिक जमाराशि वाले बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए ।

हमारे बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों को यहां बहुत से लाभ हैं । हमारे देश की तुलना में छोटे देशों ने भी अपने यहां विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । यदि सरकार दृढ़ है तो वह विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके मामले को अच्छी तरह सम्पादित कर सकती है। देश के सर्वाधिक हित में यह अत्यावश्यक है कि हम विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें । मुझे आशा है कि देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण के हित में मंत्री महोदय मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं पहले ही इसके कारण बता चुका हूं ।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं अपने संशोधनों-संख्या 1 और 2 को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : श्री शमन्ना, क्या आप अपना संशोधन सं० 3, प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना : जी नहीं।

खण्ड 4 से 8 तक

सभापति महोदय : खण्ड 4 से 8 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 8 तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 8 तक विधेयक में जोड दिए गये।

खण्ड 9

सभापति महोदय : अब खण्ड 9। इस पर श्री शमन्ना का एक संशोधन है। क्या वह इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना : जी हां, श्रीमान्। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 7—

पंक्ति 29 के बाद यह अन्तः स्थापित किया जाये—

"(ग) एक सदस्य जो बैंककारी विधि तथा प्रणाली का विशेषज्ञ है।" (4)

पृष्ठ 7 में, अर्थात खण्ड, 9(3) में, यह कहा गया है :

"तत्स्थानी नये बैंक के, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन गठित, प्रत्येक निदेशक बोर्ड में —

(क) उस बैंक के कर्मचारियों और निक्षेपकर्ताओं के प्रतिनिधि होंगे, तथा

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो निम्नलिखित कोटियों में से प्रत्येक के अर्थात्, कृषकों कर्मकारों और शिल्पियों के, हितों का प्रतिनिधित्व करे, जो उस रीति से निर्वाचित या नाम निर्देशित किये जायेंगे जिसे स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाये।

माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि वहां बैंकिंग विशेषज्ञों सहित 5 व्यक्ति होंगे। परन्तु इन बैंकिंग विशेषज्ञों का विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। बैंकों का सही कार्य-संचालन करने के लिए विशेषज्ञ होने चाहिए। लोगों को अनुभव भी होना चाहिए। विशेष रूप से अब जब लोगों को राजनैतिक विचारों के आधार पर निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है तो यह आवश्यक है कि विशेषज्ञ होने चाहिए ; परन्तु विधेयक के खण्ड में बैंकिंग अनुभव वाले किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिला है। चेयरमैन तथा अन्य कुछ सदस्यों को बैंकिंग की जानकारी हो सकती है। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि विधेयक में विशिष्ट उल्लेख के बिना,

वास्तविक रूप से विशेषज्ञ नहीं लिए गये थे। बोर्ड में कुछ सदस्य ऐसे होने चाहिए जो अपने विषय में दक्ष हों। इसलिये मैं यह संशोधन लाया हूँ। मैं मन्त्री महोदय से इस बात का ध्यान रखते हुये इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए, निवेदन करता हूँ कि बोर्ड में विशेषज्ञों की नियुक्ति करना एक दायित्व है।

श्री आर० वेंकटरामन : बोर्ड की रचना इस विधेयक के खण्ड 9 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण योजना के अनुसार की जाती है। और राष्ट्रीयकरण योजना में मैंने पढ़ कर बताया कि किन-किन व्यक्तियों को कर्मचारियों के प्रतिनिधि माना जा रहा है आदि। अर्थशास्त्र अथवा बैंकिंग अथवा अन्य विषयों के विशेषज्ञों को शामिल किये जाने के विरुद्ध इसमें कुछ नहीं है। उस उद्देश्य के लिये अधिनियम में इसके लिए व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : श्री शमन्ना क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं अपने संशोधन को वापस नहीं ले रहा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7, पंक्ति 29 के बाद यह अन्त स्थापित किया जाए :

"(ग) एक सदस्य जो बैंककारी विधि तथा प्रणाली का विशेषज्ञ है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड-1, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु उपस्थित नहीं है। श्री रामावतार शास्त्री भी नहीं है। प्रो० रंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र वित्त मंत्री,

वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से यह राष्ट्रीयकरण कर लिया और इस बात की किसी को कानों कान भी खबर नहीं होने दी कि यह कार्य कब और कैसे किया जा रहा था आदि। उन्होने यह ऐसे कुशल ढंग से किया। मैंने पहले भी सरकार की इस उपलब्धि के कुछ दिनों बाद मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी थी। दूसरे, सरकार ने जनादेश प्राप्त करने के तुरन्त बाद यह सही कार्य किया है, और उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। मैं समझता हूं कि पहले ही विधि पुस्तिका में एक कानून है जो श्री मोरारजी देसाई के कहने पर बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के लिए पारित किया गया था। इसलिये मैं यह मानता हूं कि वे सभी बैंक उस अधिनियम के अन्तर्गत आते है जिनका अभी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है और सरकार को उनकी कार्यवाहियों को इस प्रकार नियंत्रण करना चाहिए कि वही उद्देश्य, और वही लक्ष्य पूरे हो जायें जिनकी राष्ट्रीयकरण करते समय बड़े बैंकों से आशा की गई थी। इसलिये हमें अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। इस बात पर विचार करते हुए कि सरकार अत्यधिक पूंजी एकत्र होने वाले स्त्रोतों पर नियंत्रण करने के लिए वचनबद्ध है, सरकार ने यह सही कार्य किया है और मैं उसे बधाई देता हूं।

मैं एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। मैं अपने माननीय मित्र मंत्री महोदय से यह आशा नहीं करता कि वह अपना उत्तर अभी दें परन्तु मैं चाहता हूं कि वह उन सुझावों पर विचार करें। मुझे यह जानकर हर्ष है कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को विभिन्न प्रकार के कर्जदारों से, जैसे लघु उद्योगों, लघु स्तरीय उद्योगों तथा कृषकों व खेतीहर मजदूरों से, ब्याज की विभेदक दरें वसूल करने की अनुमति है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं सरकार से ब्याज की इन दरों को और कम करने का निवेदन करूंगा। यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि श्री अग्रवाल ने सुझाव दिया था, कि ये बैंक लाभ कमाने में अन्य बैंकों के साथ अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। वास्तव में सबसे अच्छा समय वह होगा जब ये बैंक कुल मिला कर सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामाजिक संस्थाओं के रूप में 'न कोई लाभ न कोई हानि' के आधार पर काम करेंगे। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत इस बात का ध्यान रखने के लिये कुछ लाभ कमाना है कि ये बैंक अपना व्यवसाय कारगर ढंग से तथा प्रतियोगी ढंग से भी करें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन बैंकों से भारी लाभ कमाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसके विपरीत, उन्हें अपने लाभ का इस प्रकार उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए कि समय-समय पर ब्याज की दर को जो वे ले रहे हों कम करके इन तीन प्राथमिकता क्षेत्रों को फायदा पहुंचे।

ये बैंक एक निश्चित अवधि जिसके लिये वे अग्रिम धन देंगे तथा वे दरें जिन पर यह राशि दी जायेगी उस अवधि के बाद वे दंडित ब्याज वसूल में अपने माननीय मित्र से विभिन्न प्रकार के कर्जदारों के लिये विभिन्न अवधियों की संभावना पर विचार करने के लिये कहूंगा। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, कृषि उत्पादन के मौसमी स्वरूप तथा समय-समय पर किसानों के हाथ में नकदी न होने की बात को दृष्टि में रखते हुए किसानों के लिए यह अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। जिससे कि वह बैंक द्वारा लगायी गयी शर्तों के अनुसार उधार की राशि का भुगतान कर सकें।

मेरे विचार में आजकल तीन महीने या छः महीने के बाद ब्याज की दांडिक दर वसूल की जा रही है। मैं चाहता हूं कि जहां तक कृषकों का, विशेष तौर पर कृषि श्रमिकों का और उनके उपभोग ग्रहणों आदि का सम्बन्ध है वह अवधि, प्रारम्भिक अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरे, इन लोगों के लिए कोई दांडिक ब्याज नहीं होना चाहिए। समय-समय पर देश में कृषकों पर प्राकृतिक विपतियां आती रहती हैं और फसल अच्छी नहीं होती। इन परिस्थितियों में, स्थानीय सरकारों का दायित्व हो जाता है कि वे बैंकों से ऋण-स्थगन के लिए कह दें। ऋण-स्थगन करने से बैंकों को ब्याज नहीं मिलेगा। क्या बैंकों को इस सीमा तक ब्याज की हानि भुगतने देनी चाहिए ? अगला मुद्दा यह है कि इस बात की क्या गारन्टी है कि ऋण-स्थगन का आदेश देते हुए स्थानीय सरकारें पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगी। राज्य सरकारों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को होने वाली हानि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जब भी स्थानीय सरकारें, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को दिए गए ऋणों पर ऋण-स्थगन घोषित करना या उन बैंकों को होने वाली हानि का आधा भाग खुद उठाने के लिए तैयार होती है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को, कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए इस अनुरोध को मानने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यदि केन्द्रीय सरकार, इसका भार उठाने के लिए तैयार है, तो उसे बराबर-बराबर उठाया जा सकता : 33.3 प्रतिशत भारत सरकार, द्वारा 33.3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और 33.3 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। मुझे विश्वास है कि वे इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो कुछ हद तक कृषकों की सहायता की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इस बात पर गहराई से विचार किया जाए। फिलहाल जब इन लोगों पर विपत्ति आती है और ऋण-स्थगन नितान्त आवश्यक हो जाता है तो राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों असहाय हो जाती है।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रो० रंगा ने जो प्रशंसा की उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जहां तक उनके सुझाव का सम्बन्ध है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे एक पत्र में यह स्कीम लिखकर भेजें ताकि वित्त मंत्रालय इसकी जांच कर सके ; वह इसमें राज्य सरकारों की भी राय लेंगे। इसलिए, अगर कोई उपयुक्त योजना सामने आती है तो वित्त मंत्रालय उस पर ध्यान देगा। मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ·········

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मेरे विचार में, श्री रंगा का यह सुझाव कि डी०आर०आई० स्कीम में ब्याज की दरें कम कर दी जाएं, संभव नहीं हो सकेगा। उनका उद्देश्य तब पूरा होगा यदि डी० आर० आई० स्कीम के अन्तर्गत वर्तमान एक प्रतिशत की कुल अग्रिम राशि को दो प्रतिशत कर दिया जाए। वह इससे बेहतर रहेगी क्योंकि उससे अधिक लोगों को लाभ पहुंच सकेगा। ब्याज की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 या 2 प्रतिशत कर देना व्यवहार्य नहीं होगा। प्रतिशतता को बढ़ाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता सरकार ने उसे आधी प्रतिशत से एक प्रतिशत करके दुगुना किया था ; आप उसे एक प्रतिशत से बढ़ा कर दो प्रतिशत कर दीजिये।

आप की अनुमति से एक प्रश्न और......

श्री आर० वेंकटरामन सभापति महोदय, यहां कोई नहीं था। प्रो० रंगा बोले और मैंने उत्तर दे दिया। अब, अगर ये प्रश्न पूछते चले जाएंगे तो······

सभापति महोदय : यह प्रश्नकाल बन जाता है । यह उचित नहीं है । मैं अब प्रश्न सामने रखता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कम्पनी सचिव विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी सचिवों की वृत्ति के विनियमन और विकास की व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए ।"

देश के आर्थिक विकास के नियोजित कार्यक्रम के ढांचे में निगमित क्षेत्र का महत्व सब जानते हैं । इसलिए, निगमित क्षेत्र के स्वस्थ विकास के मामले को सरकार बहुत महत्व देती है ।

2. निगमित क्षेत्र के स्वस्थ विकास का एक आवश्यक अंग व्यावसायिक प्रबंध शामिल करना है । सरकार व्यावसायिक प्रबंध के विकास को विशेष महत्व देती है ताकि यह निगमित क्षेत्र समय के साथ बदलती हुई आवश्यकताओं और अर्थ-व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खंड के सामाजिक दायित्वों के अनुरूप विकसित होकर कार्य कर सके । निगमित प्रबन्ध के क्षेत्र में व्यावसायिकता लाने में कम्पनी सचिवों के व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

3. सभा के सम्मुख प्रस्तुत कम्पनी सचिव विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में प्रस्तावित विधान का संकेत दिया गया है । मैं आगे यह कहना चाहूंगा कि जब 1953 में संसद् में मूल कम्पनी विधेयक पुरस्थापित किया गया था तब अनेक अनुरोधों के जवाब में, तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद् को आश्वासन दिया था कि कम्पनी नियम प्रशासन, कम्पनी सचिवों की संस्था बनाने में सहायक होगा । वस्तुत: 1961 से ही, मेरा विभाग व्यावसायिक कम्पनी सचिवों के 4 संवर्ग के विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रहा है । इसके लिए हम परीक्षाएं लेते हैं और डिप्लोमा देते हैं जिसे भारत सरकार के दिनांक 14 अप्रैल, 1960 के संकल्प के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों के आधार पर 'गवर्मेन्ट डिप्लोमा इन कम्पनी सेक्रेटरीशिप' कहा जाता था ।

4. 1968 से, जब कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज को एक अलग संस्थान के रूप में गठित किया गया था, तब से सरकार इस संस्थान को एक स्वतंत्र लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर रही है । इस संगठन का दायित्व कम्पनी सचिव पद के लिए परीक्षाएं लेना और व्यावसायिक कम्पनी सचिवों का एक संवर्ग विकसित करना होगा जो कि कम्पनियों के हितों की रक्षा करें और साथ ही लोकहित में उपयोगी सिद्ध हो सकें ।

5. इन पिछले वर्षों में इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ने सरकार द्वारा दी गई सहायता के औचित्य को पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है। संस्थान द्वारा व्यावसायिक रूप से योग्य सचिवों के एक संवर्ग को विकसित करने के लिए किए गए निरन्तर प्रयत्नों को देखते हुए कम्पनी (सचिव की अर्हता) नियम, 1975 में यह व्यवस्था की गई कि केवल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इन्डिया के सदस्य या शिक्षावृत्ति भोगी ही 25 लाख रुपये या अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियों में अर्हता प्राप्त सचिव के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होंगे।

इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इन्डिया को कानूनी संस्था का रूप देने का प्रस्ताव कुछ समय से चर्चा का विषय रहा है। जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है दो संस्थाएं, अर्थात् चारटर्ड एकाउन्टेन्ट्स और कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स की दो समानान्तर संस्थाओं का विकास इन दोनों पेशों के सम्बन्धित अधिनियमों अर्थात चारटर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक, 1944 तथा कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1954 द्वारा विनियमित किया गया है। अतः इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज को कानूनी मान्यता देने से अब कम्पनियों के प्रबन्ध से सम्बन्धित तीन विभिन्न प्रकार के पेशों, अर्थात चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स और कम्पनी सेक्रेटरीज को सुचारु रूप से काम चलाने के लिए कानूनी मान्यता दी जाएगी। सरकार का विश्वास है कि ऐसा करने से भारत में कम्पनी क्षेत्र के कार्यकरण की नींव पक्की होगी।

इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज, जिसे अब कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव रखा गया है, के प्रशासनिक ढांचे और विधेयक के विविधि उपबन्धों के बारे में मैं विस्तार में जाना आवश्यक नहीं समझता हूं।

इस विशिष्ट अधिनियम के द्वारा हम जो कुछ प्रयास कर रहे हैं वह केवल एक ऐसे संस्थान को कानूनीमान्यता प्रदान करना है जो कम्पनी के बड़े एककों में पेशावर से प्रबन्ध की शुरुआत करने में पहले ही काफी सहायता कर चुका है। इसके अतिरिक्त 25 लाख रुपये से कम की प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियों में भी योग्य तथा प्रशिक्षित कम्पनी सेक्रेटरीज की मांग बढ़ने की आशा है तथा मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों के अनुसार कम्पनियों के दीर्घकालीन विकास के हितों में कम्पनी सचिवों का पेशा और मजबूत होगा।

संक्षेप में यह विधेयक कम्पनी क्षेत्र के पेशावर प्रबन्ध के विकास के हित में है तथा मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसे विचारार्थ लिया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कम्पनी सेक्रेटरियों के व्यवसाय के विनियमन तथा विकास के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

> "कि विधेयक को 15 जुलाई, 1980 तक राय प्राप्त करने के उद्देश्य से परिचालित किया जाये।"

इस छोटे से संशोधन का उद्देश्य यह है कि विधेयक को पारित होने से पहले 15 जुलाई, 1980 तक जनता की राय प्राप्त करने के लिए परिचालित किया जाये। मंत्री महोदय ने भी कहा है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। भारत एक विकासशील देश है तथा आजकल बहुत सी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाएं सरकारी तथा निजी क्षेत्र में ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के रूप में चल रही है। यह विधेयक भी चारटर्ड एकाउन्टेंट्स एक या कॉस्ट एकाउन्टेंट्स की लाइन पर ही बताया गया है। लेकिन दोनों में अन्तर है। इसके अतिरिक्त, हमें सेक्रेटरीज के लिए अपेक्षित कोई विशिष्ट योग्यता नहीं बतायी गई है। एक चारटर्ड एकाउन्टेंट या कॉस्ट एकाउन्टेन्ट एक से अधिक कम्पनियों में सम्बन्धित हो सकता है, लेकिन एक सेक्रेटरी केवल एक ही कम्पनी का प्रभारी होगा और वह बहुत ही कम्पनियों का प्रबंध नहीं करेगा।

सेक्रेटरी का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। एक ओर वह निदेशकों के बोर्ड का प्रवक्ता होता है और दूसरी ओर वह कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। लेखा परीक्षा करते समय वह एक स्वतन्त्र व्यक्ति होता है। प्रमाणीत लेखों के संबन्ध में उसे पूरे अधिकार होते हैं। किसी चारटर्ड एकाउन्टेन्ट को उचित नोटिस दिये बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। यदि किसी नये व्यक्ति की नियुक्ति करनी होती है तो चार्टर्ड एकाउन्टेट को यह बताते हुए नोटिस देना पड़ता है कि प्रमुख-प्रमुख व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव है तथा चारटर्ड एकाउन्टेंट कम्पनी की सामान्य बैठक में भाग ले सकता है और अपनी बात कह सकता है। लेकिन कम्पनी सेक्रेटरी कम्पनी के मामलों का पूर्ण प्रभारी होता है तथा वही इसका प्रबन्ध करता है। अतः चारटर्ड एकाउन्टेंट या कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेट से सेक्रेटरी की स्थिति भिन्न होती है। मैंने पहले भी कहा है कि एक चारटर्ड एकाउन्टेन्ट बहुत सी संस्थाओं का चारटर्ड एकाउन्टेन्ट हो सकता है लेकिन एक सेक्रेटरी प्रायः एक ही कम्पनी के मामलों की व्यवस्था करता है।

इस विधेयक का प्रारूप बेयोरे करने में वर्षों लगे हैं। पहला कम्पनी कानून सन् 1913 में बनाया गया था। बाद में इस में सन् 1936 में संशोधन किया गया और फिर इसमें सन 1956 में संशोधन किया गया। प्रारम्भ में हम प्रबन्ध एजेन्ट रखते थे जो बिना किसी जिम्मेदारी के बहुत सी बडी-बडी कम्पनियों के कार्यों की व्यवस्था करते थे। आजकल प्रबन्ध एजेंन्टों को हटा दिया गया है तथा कम्पनी व्यवस्था के सम्बन्ध में सेक्रेटरी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। विशेष तौर से जबकि बहुत सी सरकारी संस्थाओं का कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण किया जा रहा है। उसे एक बडी धनराशि की देखरेख करनी पड़ती है। एक ओर उसे निदेशकों के बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों का निष्पादन करना पड़ता है और दूसरी ओर उसे प्रबन्धकों और कर्मचारियों पर पूरी पूरी निगरानी रखनी पड़ती है। अतः यह अच्छा होगा कि आप इस सम्बन्ध विशेषज्ञों की राय ले लें। इस विषय के विशेषज्ञों की राय लेने के पश्चात एक महीने बाद विधेयक को सदन में लाया जाये। आमतौर पर सचिवों की नियुक्ति निदेशकों के बोर्ड द्वारा उनकी योग्यताओं और अनुभव आदि को देखकर की जाती है। लेकिन यहां नियुक्ति का तरीका नहीं दिया गया है। अतः मेरा विचार है कि यदि विधेयक को परिचालित किया जाता है तो सरकार एक व्यापक विधेयक लाने की स्थिति में होगी। यह कम्पनियों के हित में भी होगा।

अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करें और विधेयक को परिचालित करायें। विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात हम विधेयक को पारित करेंगे। एक महीने में कुछ नहीं होगा। अतः आप एक महीने और प्रतीक्षा कीजिए।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ राय व्यक्त करना चाहूंगा।

यह विधेयक कम्पनी अधिनियम की एम० आर० टी० पी० अधिनियम और अन्य अखिल भारतीय अधिनियमों का सम्पूरक विधेयक है।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कम्पनी अधिनियम का हवाला देकर यह कहा गया है कि :—

> "कम्पनी अधिनियम, 1956 में जिन बुनियादी विचारधाराओं को मान्यता दी दी गई है उनमें से एक यह है कि कम्पनियों के कार्यकलापों में केवल शेयरधारकों और ऐसे व्यक्तियों का ही हित नहीं रहता है जिन्हें प्रबन्ध का भार सौंपा गया हैं, बल्कि कर्मचारी उपभोक्ताओं और जनसमुदाय का भी हित रहता है।"

अतः मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के उद्देश्यों में एक उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने तथा संस्थान से ऐसे व्यक्तियों को लाने का भी है जो लाभ कमाने की प्रक्रिया के साथ ही साथ कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा भारी मात्रा में जन समुदाय के हित को भी देख सकें। यदि इस विधेयक का यही उद्देश्य है, तो आपने अन्तिम पैरा में क्या लिखा है ? मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था।

> "अतः कम्पनी सचिवों के व्यवसाय का विनियमन उसी तरीके से करने के लिए विधान बनाने का प्रस्ताव किया गया है। जैसे चारटर्ड एकाउन्टेंट्स और कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स का।"

लेकिन यहां मैं मंत्री महोदय से इस बात पर विचार करने की प्रार्थना करूंगा कि आजकल के अशान्ति के समय में जिससे हम गुजर रहे हैं, चारटर्ड एकाउन्टेंट या कॉस्ट एकाउन्टेंट के काम कम्पनी सेक्रेटरी से बिल्कुल भिन्न-भिन्न है। जबकि चारटर्ड एकाउन्टेम्ट का कार्य एक ही ढर्रे का है, कम्पनी सचिवों या कम्पनी प्रबन्धकों को अनेक जटिल संस्थाओं से निपटना पड़ता है और इन समस्याओं में एक माननीय समस्या है-कर्मचारियों और साथ ही उपभोक्ताओं की। इन्हें पूरे समाज के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को सामने लाना होना चाहिए जो वर्तमान कम्पनी प्रशासन की जटिलताओं से निपट सकें।

दूसरी बात यह है कि विधेयक के खण्ड 35 में केन्द्र सरकार संस्थान को निदेश देने और संस्थान द्वारा सरकार के आदेश न मानने पर संस्थान को भंग करने सम्बन्धी व्यापक शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मेरे विचार में ऐसा होना ही चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि इस विधेयक के द्वारा सरकार व्यापक शक्तियां प्राप्त कर रही है। इन शक्तियों का सरकार के पास होना सही है। सरकार को उत्तर-दायित्व भी स्वीकार करने चाहिए। मैं इस विधेयक से एक उदाहरण देता हूं। पृष्ठ 9, खण्ड 17 के उप-खण्ड (4) में यह व्यवस्था है कि:—

> "अनुशासन समिति पदेन सभापति से, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् के लिए नाम निर्देशित सदस्यों में से उस सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले एक

सदस्य से और परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले एक सदस्य से मिलाकर बनेगी।"

यह सही है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब इस खण्ड के उप खण्ड (5) को देखिये। इस में यह व्यवस्था है कि:—

"परीक्षा समिति सभापति या उपसभापति से, पदेन जैसा परिषद् विनिश्चय करें, और परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी।"

अनुशासन समिति में सरकार का सदस्य नाम निर्दिष्ट करती है किन्तु परीक्षा समिति में सरकार कोई सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं करती। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार शक्तियों का प्रयोग तो करना चाहती है किन्तु पाठ्यक्रम तैयार करने में और परीक्षाएं लेने के मामले में कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। सरकार का इसके प्रबन्ध में भी हाथ क्यों न हो। अतः, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में भी विचार करें।

अन्त में, मैं परिषद् के वित्तीय पक्ष के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अर्थसरकार, यह विधेयक यहां कम्पनियों के लाभ के लिए लाया गया है ताकि कम्पनियां अधिक कुशलता से तथा सक्षम रूप से कार्य कर सकें। इस प्रकार यदि इस संस्थान को चलाना है तो उसके पास धन कहां से आयेगा? खण्ड 18 में वित्त स्रोत के बारे में उल्लेख है। मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या कम्पनियों पर इस सम्बन्ध में भी जोर दिया जा सकता है कि वे अंशदान करें ताकि यह संस्थान समुचित ढग से और सुचारु रूप से चल सके। धन्यवाद।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, हम सामान्यतः इस विधेयक का समर्थन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक सभा के समक्ष इसलिए लाया गया है क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि समय आ गया है जब कि कम्पनियों के कार्यों को विनियमित किया जाना चाहिए। निगमित क्षेत्र नियंत्रण किया जाना है और कुछ नियम और उपबंध बनाये जाने चाहिए ताकि यह क्षेत्र सुचारु रूप से चल सके। इन कारणों से हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक उचित है। इसे ठीक समय पर लाया गया है। यहां तक हमारा समर्थन है किन्तु, महोदय, इसके समर्थन के साथ-साथ मैं इस पर कुछ सामान्य टिप्पणियां करना चाहता हूं। हमारे मन में कुछ आशंकाएं हैं। आप जानते हैं हमारी अर्थ-व्यवस्था का निगमित क्षेत्र अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्र में है जो कि काफी शक्तिशाली है। हमारी सरकार भी जानती है कि यह क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। हमारी अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था है। हम अनेक वर्षों से विकास की पूंजीवादी पद्धति का अनुसरण करते रहे हैं। हमने बिना नियंत्रण के गैर-सरकारी क्षेत्र को विकसित होने दिया है। अतः हम महसूस करते हैं और जेसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है, सरकार भी महसूस करती है, कि यदि निगमित क्षेत्र में समाज के हितों की सही ढंग से रक्षा करते हुए सही व्यक्तियों द्वारा नहीं काम किया जाता तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का विकास रुक जायेगा। विधेयक को पुरःस्थापित करने का एक बुनियादी कारण यह भी है।

अतः जैसा कि कामरेड सुनील मैत्रा ने कहा है, विधेयक के उपबंधों का मैं समर्थन करता हूं किन्तु यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए और यदि आप चार्टर्ड और कॉस्ट एकाउटेंन्टों की तरह का एक विधेयक लाते हैं तो वह बिल्कुल सही बात होगी क्योंकि कम्पनी-सचिवों को अनेक अन्य बातों को भी देखना पड़ता हैं। उसे मालिकों के, जो कि कर्मचारियों के और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होते हैं, हितों की रक्षा करनी पड़ती है और साथ ही कर्मचारियों को भी सम्भालना पड़ता है। अतः, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आशा है कि वह इसका उत्तर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस इच्छा को कार्यरूप देगी और विधेयक के उपबंधों का वस्तुतः क्रियान्वित किया जायेगा किन्तु मुझे भय है कि निगमित क्षेत्र विधेयक के उपबंधों का प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करेगा। मुझे इस बात की आशंका है किन्तु मैं विधेयक की सफलता की कामना करता हूं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : श्री शमन्ना ने एक ही बात को लेकर विचारार्थ प्रस्ताव पर संशोधन पेश किया है। उनका कहना है कि जहां तक किसी कम्पनी के सचिव का सम्बंध है, वह एक ही कम्पनी से सम्बद्ध होता है और इस बात में वह चार्टर्ड एकाउंटेंटों और कास्ट एकाउंटेंटों से अलग होता है। यह मानते हुए कि कम्पनी सचिव निगमित क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और यह कि उसे जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है, उनके इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पर 15 जुलाई 1980 तक जनमत जान लिया जाए, गम्भीरता से विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केवल इस आधार पर कि सचिव किसी एक कम्पनी विशेष से सम्बद्ध होता है और यह कि उसके काम को देखते हुए विधेयक पर जनमत लिया जाए संशोधन को स्वीकार करने का कोई वैध कारण नहीं है। मेरे विचार में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह अत्यंत संतोष की बात है कि विधेयक को सभी सभी सदस्यों, विशेषकर विपक्षी सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। विपक्ष के मेरे दो मित्रों श्री सुनील मैत्रा और श्री नारायण चौबे ने इसका समर्थन किया है। श्री मैत्रा ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। उन्होंने पूछा है कि क्या आशय यही है कि केवल पूर्णतः प्रशिक्षित व्यक्ति ही इस संस्थान से बाहर निकलें।

इस बात को स्वीकार करते हुये कि निगमित क्षेत्र के प्रबन्ध में कम्पनी सेक्रेटरियों को बड़ी जटिल समस्याओं का मामला करना पड़ता है, उनका विचार था कि यदि केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार किया जाना है तो ऐसे व्यक्तियों में गतिशीलता नहीं होगी। मैंने उनके द्वारा दिये गये तर्क से यही अर्थ लगाया है। यह तथ्य कि कम्पनी सेक्रेटरी निगमित क्षेत्र के प्रशासन में प्रमुख कार्यकर्ता होता है और क्योंकि उसे श्रम, प्रबन्ध तथा विभिन्न समस्याओं से निबटना पड़ता है, इसलिये मेरे विचार है यह और भी आवश्यक है कि वह एक प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और जो कुछ भी हम करना चाह रहे हैं वह पहले से ही है। इसके लिये एक संस्था भी है जो कम्पनी सेक्रेटरी की परीक्षा का आयोजन करती है तथा अभी भी जिन कम्पनियों के पास 25 लाख रुपये से अधिक पूंजी है उन्हें ऐसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नौकरी पर रखना अनिवार्य होता है। हम इस समय विद्यमान पद्धति के सांविधिक मान्यता दे रहे हैं। इसलिये इस बात को ध्यान ध्यान रखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक है कि और अधिक संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति हों। यह संभव है कि कुछ समय बाद ऐसी कम्पनियों में भी जिनकी पूंजी 25 लाख से कम है प्रशिक्षित कम्पनी सेक्रेटरी नियुक्त किये जाये।

खण्ड 16 (5) जो कि परिक्षाओं के सम्बन्ध में हैं पढ़ने से श्री मैत्रा का यह भी विचार था कि सरकार परीक्षा समिति जैसी समितियों में रहने के दायित्व को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । उसका उद्देश्य यह है कि जहां तक खण्ड 16 (5) का सम्बन्ध है सरकार उक्त संस्था के सामान्य कार्यचालन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है । परीक्षा समिति को स्वतन्त्र दर्जा दिया जाये ताकि परीक्षा समिति सहित संस्थान की स्वायत्तता बनी रहे । परीक्षा समिति में एक व्यक्ति को नियुक्त करके अथवा नामनिर्दिष्ट करके सरकार अनावश्यक आलोचना का शिकार बनेगी कि एक पूर्णतः व्यावसायिक निकाय की परीक्षा समिति के कार्यचालन में हस्तक्षेप किया जा रहा है ।

खण्ड 35 के सम्बन्ध में श्री मैत्रा यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यह एक अवशिष्ट खण्ड है जोकि सरकार प्रायः अपने लिये रखती है जिससे कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि जब अधिनियम के अन्तर्गत कार्य चालन अस्तव्यस्त हो जाने की संभावना हो तब आवश्यक निदेश जारी किये जा सकें । यह ठीक वैसी है जैसाकि निर्वाचन की भाषा में 'हेनरी आठ' खण्ड कहा जाता है, जिससे कि सरकार के पास कुछ अवशिष्ट शक्तियां रखी जा सकें ताकि अधिनियम के उपबन्धों के उचित रूप से कार्य चालन के लिये जब भी आवश्यक हो कुछ निदेश जारी किये जा सकें ।

श्री सुनील मैत्रा : मेरा अनुभव इससे कुछ भिन्न है । फिर हर बार ऐसा ही होता है और अन्ततः वह अधिकारात्मक बन जाता है ।

श्री पी० शिवशंकर : श्री मैत्रा, अपने-अपने अनुभव अलग-अलग होते हैं । खण्ड 18 को पढ़ने पर, परिषद् के वित्त के सम्बन्ध में श्री मैत्रा का विचार है कि परिषद् को अदायगी करने के लिये कम्पनियों को बाध्य किया जाना चाहिये । खण्ड 18 को पढ़ने पर मेरा विचार है कि यदि खण्ड 18 के विभिन्न उपखण्डों को लागू किया जाये तो परिषद् को पर्याप्त वित्त प्राप्त हो सकता है किन्तु यदि हमें ऐसा लगा कि परिषद् को धन की कमी हो जायेगी, तो श्री मैत्रा को मैं आश्वासन दिलाता हूं कि ऐसी स्थिति में यदि आवश्यकता हुई तो हम अवश्य ही संशोधन करेंगे । किन्तु जैसी स्थिति अब हैं हम उस बात से सन्तुष्ट हैं कि खण्ड 18 हितों को समुचित सुरक्षा प्रदान करता है तथा खण्ड 18 के द्वारा ही पर्याप्त वित्त जुटाया जा सकता है ।

मैं श्री नारायण चौबे का आभारी हूं जिन्होंने अपने इस पुस्तक की शर्त के साथ कि जो श्री मैत्रा ने कहा है, उस पर विचार किया जाना अपेक्षित है, सामान्यतया विधेयक का समर्थन किया है । मैंने श्री मैत्रा द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में अपनी बात कह दी है इसलिये में श्री नारायण चौबे द्वारा दिये गये तर्कों का पृथक रूप से उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता । यद्यपि उन्होंने विधेयक की प्रशंसा की है, तथापि उनका विचार है कि विधेयक के उपबन्धों को जिस रूप में शामिल किया गया है । उस रूप में निजी क्षेत्र उनको पूर्ण रूप से लागू नहीं होने देंगे । यह एक आशंका है । जब विधेयक संविधि पुस्तक में शामिल हो जायेगा तो यह आशंका निर्मूल हो जायेगी । यह सम्भव है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले प्रश्न कानून की उपेक्षा करने की कोशिश करें किन्तु जब कानूनी कार्यवाही की जायेगी तो उन्हें उसके परिणाम को भुगतने के लिये भी तैयार रहना चाहिये ।

इस संबंध में मैंने जो कुछ कहा उसको है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सभा में सभी पक्ष विधेयक के पक्ष में हैं, मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : श्री शमन्ना अपना संशोधन वापस ले रहे हैं अथवा उस पर जोर दे रहे हैं।

श्री टी॰ आर॰ शमन्ना (बंगलोर दक्षिण) : मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हू और तब अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री पी॰ शिवशंकर : इस सम्बन्ध में जनता की राय प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इस बारे में मैं क्या आश्वासन दे सकता हूं।

श्री टी॰ आर॰ शमन्ना : मैं विधेयक के महत्व को कम नहीं करना चाहता और न ही उसे संविधि पुस्तक में शामिल करने की आवश्यकता को कम करना चाहता हूं। मुझे केवल यही चिन्ता है कि विधेयक में ऐसे उपबन्ध शामिल नहीं किये गये हैं जो कम्पनी प्रबन्ध के हित में हों। हम इसमें अभी और सुधार कर सकते हैं। मेरा विचार है कि 6 महीने अथवा एक वर्ष के अन्दर जब हमें कुछ अनुभव प्राप्त हो जायेंगे तब माननीय मंत्री महोदय अनुभव करेंगे कि कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं और उनको ध्यान में रखते हुये, यदि आवश्यकता हुई तो कोई संशोधन लायेंगे। इस आशा के साथ मैं अपने संशोधन पर आगे कार्यवाही नहीं चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री शमन्ना को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कम्पनी सेक्रेटरी की वृत्ति के विनियमन तथा विकास की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। खण्ड 2 से 39 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 से 39 तक विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 39 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि :

"अनुसूची एक तथा अनुसूची दो विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बने हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी० शिवशंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस लिये जाने के बारे में वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : सभा को यह जानकारी देते हुये मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर रेल के दिल्ली डिवीजन में लोको रनिंग के जिन कुछ लोगों ने 7-6-80 से काम करना बन्द कर दिया था अब उन्होंने 16-6-80 की मध्यरात्रि से अपना आन्दोलन समाप्त करने का निर्णय किया है। (व्यवधान)।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह एक संक्षिप्त विधेयक है, और मुझे आशा है कि यह विवादास्पद नहीं है। अभी हाल में मालूम हुई विषमता को दूर करने के उद्देश्य से इस विधेयक द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि सभा को मालूम है बम्बई और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकारों में कई वर्षों से दोहरी प्रणाली लागू रही है। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक था कि न्यायवादी द्वारा, जो कि मूल क्षेत्राधिकारों में कार्यवाही करने का अधिकारी था अधिवक्ता को अनुदेश दिया जाए। वकालत करने वाले न्यायवादियों का एक पृथक वर्ग है जो अधिवक्ता नहीं है। दोहरी प्रणाली जो कि भारत के केवल इन्हीं दो शहरों में प्रचलित

है, के कारण काफी विवाद बढ़े हैं। अंततः संसद में न्यायवादी प्रणाली को समाप्त करने पर विचार किया गया ताकि "बार" में एकरूपता लाई जा सके और कानूनी व्यवसाय करने वालों का एक ही वर्ग अर्थात् केवल अधिवक्ताओं का वर्ग ही विद्यमान रहे।

इस उद्देश्य को कार्यरूप देने के लिए ही अधिवक्ता संशोधन अधिनियम, 1976 पारित किया गया था, जिससे न्यायवादी कहे जाने वाले वकीलों का वर्ग समाप्त हो गया है और पहले के सभी न्यायवादी अधिवक्ता बन गए।

किन्तु अधिवक्ताओं के रूप में वरियता निश्चित करते समय न्यायवादी के रूप में उनके अनुभव और प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप अनेक विषमताएं उत्पन्न हुई और अनेक वर्षों से वकालत कर रहे और अनेक वरिष्ठ योग्यता प्राप्त न्यायवादियों को ऐसे अधिवक्ताओं से कनिष्ठ कर दिया गया, जिन्होंने बहुत बाद में वकालत करना शुरू किया था, और इस व्यवसाय में उनकी प्रतिष्ठा भी कम थी।

इस विषमता के बारे में भारतीय बार काउंसिल की राय ली गई और बार काउंसिल इस बात पर सहमत हुई कि जो न्यायवादी अधिवक्ता बनाए गए हैं उन्हें कानूनी व्यवसाय में उनकी पूर्व प्रतिष्ठा के समुचित वरीयता दी जानी चाहिए।

इसलिए प्रस्तावित किया गया कि धारा 17 की उपधारा (3) में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि न्यायवादी के रूप में नाम पंजीयन कराने की तारीख के अनुरूप ही अधिवक्ता बने न्यायवादियों की वरीयता निर्धारित की जाएगी।

दूसरा संशोधन अधिवक्ताओं में प्राथमिकता से संबंधित है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, बार काउंसिल के नेता के रूप में भारत के महा न्यायवादी को अन्य सभी अधिवक्ताओं की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त है। उसके बाद अग्रता के क्रम में भारत के सालिसिटर जनरल और फिर अपर सालिसिटर जनरल आते हैं। उच्चतम न्यायालय में सरकार का काम काफी बढ़ गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुकदमों में समुचित प्रतिवाद किया जा सके, एक और द्वितीय अपर सालिसिटर जनरल की नियुक्ति आवश्यक हो गई है। द्वितीय अपर सालिसिटर जनरल की नियुक्ति की शर्तें तथा अग्रता अधिपत्र में उसकी स्थिति अपर सालिसिटर जनरल के समान ही है। उसके काम भी उनके समान ही है। इसलिए यह समुचित और आवश्यक ही है कि द्वितीय अपर सालिसिटर जनरल के पद को कानूनी मान्यता दी जाए ताकि महान्यायवादी, सालिसिटर जनरल और अपर सालिसिटर जनरल के तुरन्त बाद ही उनको प्राथमिकता दी जा सके। इसलिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 23 के संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है ताकि दूसरे अपर सालिसिटर जनरल के तुरन्त बाद और राज्यों के महा अधिवक्ताओं से पहले उन्हें प्राथमिकता मिल सके।

यहाँ यह उल्लेख करना संगत होगा कि इसी उद्देश्य से पिछली लोक सभा में भी विधेयक पुरःस्थापित किया गया था किन्तु वह व्यपगत हो गया।

इसलिए मैं सभा से ऐसी कार्यवाही करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया जाए :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री विजय कुमार यादव ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि यह जो बिल है, जिसमें कोई विवाद नहीं हो सकता, यह बात सही नहीं है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ बातों को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

न्याय जगत की जो अभी स्थिति है, चाहे वह न्याय का सवाल हो या फिर पूरे देश के अन्दर जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनकी जो स्थिति है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं पूरे देश के अन्दर न्याय के सिलसिले में प्रश्नवाचक चिह्न लगता जा रहा है। आज पूरे देश में न्याय पर पैसे का असर हो रहा है, पैरवी का असर हो रहा है, और न्याय पर राजनीतिक दबाव का असर हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यह बात बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, न्यायपालिका की दक्षता और उसकी आजादी आज पहले के मुकाबले में नहीं है। खास तौर पर शासक पार्टी का दबाव निश्चित तौर पर न्यायपालिका पर पड़ रहा है और न्याय अब उस तरह आजाद नहीं है, जिस तरह की आजादी की कल्पना हमारे संविधान ने की थी। यही वजह है कि आज देश के सामने अगर यही स्थिति रही और सरकार ने तथा खास तौर पर संसद ने इस पर गहरे तौर पर विचार नहीं किया तो न्यायपालिका पर से जनता का विश्वास उठ जायेगा और देश के अन्दर एक बहुत ही काला दिन आने वाला है। इसलिए मेरा यह स्पेसिफिक सुझाव है कि आज जो न्यायपालिका की गिरती हुई स्थिति है और उस पर जो शक-व-शुबहा बढ़ रहा है, इसमें सुधार लाने हेतु वेज-एंड-मीन्स का पता लगाने के लिए कानून के विशेषज्ञों और पार्लियामेंट के सभी दलों के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो इस पर विचार करके और इसकी निष्पक्षता और स्वतन्त्रता की गारन्टी करने के सवाल पर सुझाव दे सके।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे यहां लीगल प्रोफेशन में भी काफी गिरावट आ रही है। देश के अन्दर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, अब कानून की पढ़ाई आम तौर पर रोजगार के माध्यम के लिहाज से की जा रही है। लोअर कोर्ट्स या हायर कोर्ट्स में जो स्थिति है, वह स्थिति यह है कि चन्द लायर्स को छोड़कर चन्द एडवोकेट्स को छोड़कर ज्यादातर जो एडवोकेट्स हैं, वे रोजी रोटी के ख्याल से इस प्रोफेशन को एडोप्ट करते हैं, लेकिन वहां भी उनको निराशा होती है और वहां का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। मेरा इस सिलसिले में एक स्पष्ट सुझाव है कि उस स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिये सरकार को यह चाहिए कि लायर्स का एक पैनल तैयार करे—एडवोकेट होने की हैसियत से मुझ को भी तजुर्बा है—बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनको दस-दस साल की प्रेक्टिस के बाद कोई "ब्रीफ" नहीं मिलता। यह बात नहीं है कि उन के अन्दर एबिलिटी नहीं है, यह बात नहीं है कि उन को कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो पैरवी, पैसे और राजनीतिक दबाव की स्थिति है उसका असर उन पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पैनल तैयार किया जाय, जिस में नए और पुराने दोनों तरह के एडवोकेट्स को रखा जाय और मुकदमों के अन्दर चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों उन को निःशुल्क लीगल एड देने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले और उस पैनल के जरिये जो मुकदमे बहुत ही इनीशियल स्टेज के हों, वे नये एडवोकेट्स को मिलें और जिन में ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो, उन को पुराने एडवोकेट्स को दिया जाय, सीनियर

एडवोकेट्स को दिया जाय तथा के बदले फीस तमाम एडवोकेट्स को सरकार देने की व्यवस्था करे। अगर ऐसा किया गया तो निश्चित तौर पर इस प्रोफेशन में जो गिरावट आ रही है, उस को चेक किया जा सकता है, उस की स्थिति में सुधार हो सकता है। इस तरह से आज लायर्स के अन्दर जो गरीबी और परेशानी है, उस को भी हम दूर कर सकते हैं।

इसी सिलसिले में मेरा एक सुझाव यह भी है कि देश के अन्दर कई तरह के लोगों को पेन्शन देने की व्यवस्था की जा रही है। ओल्ड-एज पेन्शन बहुत लोगों को मिल रही है, कुछ सूबों में किसानों को पेन्शन देने की व्यवस्था की जा रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे बहुत से समाजवादी देशों में तमाम लोगों को पेन्शनकी व्यवस्था है, उसी तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि 50 वर्ष तक जो देश में कानून की सेवा करने के बाद बूढे हो जाते हैं, जब उनकी प्रेक्टिस नहीं चलती है, उन के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जाती है, उन को भी सरकार की तरफ से पेन्शन देने की व्यवस्था की जाय। मैं समझता हूँ--ऐसे लायर्स की संख्या देश में बहुत ज्यादा नहीं है और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक्सचेकर इस में खर्च नहीं होगा। मेरा यह स्पेसिफिक सुझाव है कि सरकार को इस मामले में पहल लेनी चाहिए और तमाम बूढ़े अधिवक्ताओं के लिये पेन्शन की व्यवस्था करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री ज़ेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) तथा धारा 23 (1) में किए जाने वाले इन संशोधनों का समर्थन करता हूँ।

इस संशोधित विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के दो कारण बताए हैं। पहला कारण न्याय वादियों और उनकी वरियता के बारे में है और दूसरे भाग में अपर सालिसिटर जनरल तथा न्यायालय में प्राथमिकता के उनके अधिकार का उल्लेख है। उनके भाषण में जिस बात ने मुझे आकर्षित किया वह है उच्चतम न्यायालय में होने वाले कार्य का उल्लेख। उन्होंने कहा कि चूंकि वहां काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए द्वितीय सॉलिसिटर जनरल का पद बनाने की आवश्यकता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या इससे उच्चतम न्यायालय का काम कम हो जायेगा। या इसके कारण उच्चतम न्यायालय का कितना काम कम हो जायेगा ? यदि आप विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के रिकार्ड देखें तो इस बात से आपको बहुत ग्लानि होगी कि हमारे देश में ऐसे सैकड़ों मामले विचाराधीन हैं। यदि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की यही स्थिति है तो उसके सुधार के क्या उपाय हैं ?

जहां तक मुकदमा करने वालों के लिए शीघ्रातिशीघ्र न्याय का संबन्ध है मैं अपने देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी समस्याओं पर प्रकाश डालना नहीं चाहता, क्योंकि माननीय मंत्री स्वयं ही एक अधिवक्ता रहे हैं। उन्हें इस बारे में जानकारी है फिर भी मैं उनकी जानकारी में बात लाना चाहता हूं ......

सभापति महोदय : एक मिनट, जरा सुनिए। वे वकालत करते थे, किन्तु इस समय वे वकालत नहीं करते हैं।

श्री जेवियर अराकल : धन्यवाद, महोदय। मैं एक और बात आपके विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा, और वह है न्यायालय के शुल्क के बारे में। आज के समाचार-पत्र में यह पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि माननीय मंत्री ने विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की शुल्क की ऊंची दर पर भी ध्यान दिया है। एक और बात जो मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह है दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में विलम्बकारी प्रक्रिया। यह उचित समय है जब हम सरलीकृत प्रक्रिया का पालन करना शुरू करें ताकि मुकदमा करने वालों तथा उनके उत्तराधिकारियों को अंतिम निर्णय सुनने के लिए बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। अब समय आ गया है जब हमें समाज की समाजवादी ढांचे में न्यायालय की भूमिका की पुनरीक्षा कर ही लेनी चाहिए। यद्यपि हमें ऐसी न्यायिक प्रणाली विरासत में मिली है जिसके कारण इस देश के गरीबों की शिकायतें कम हुई हैं ? किन्तु ऐसे कितने लोग हैं जो न्याय पाने के लिए न्यायालय में इतना अधिक धन खर्च कर सकते हैं ?

इसलिए मेरा निवेदन है कि अब ऐसा समय आ गया है जब हमें अपने समाज के समाजवादी ढांचे में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में पुनः विचार करना होगा। न्यायवादी का पद समाप्त कर दिया गया है और इस संशोधन द्वारा उनकी वरियता उन्हें मिल गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कितने लोग वरियता का दावा कर रहे हैं। इस अधिनियमन से जैसा कि इसमें उल्लेख है, उनकी वरियता उन्हें मिल जाएगी। मैं इसका विरोध नहीं करता। किन्तु हमें इस वर्ग के लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिये जो मुकदमा चलाने वालों के लिए रात-दिन एक करते हैं। क्या हमने इस वर्ग के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई है ? ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रो० रंगा मेरे इस प्रस्ताव से प्रसन्न नहीं है। किन्तु वकालत करने का अनुभव होने के कारण मैं ऐसे अधिकारियों को जानता हूं जो निर्धनता की रेखा से निम्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए ग्लानि हो रही है। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास भोजन खरीदने अथवा अपने बच्चों को विद्यालय भेजने तक के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि यद्यपि प्रो० रंगा संभवतः इस बात के लिए मुझसे सहमत नहीं है......

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) कृपया यह बताइये कि आपने यह अनुमान कैसे लगाया ?

सभापति महोदय : वे सहमति व्यक्त कर रही हैं।

श्री जेवियर अराकल : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे वरिष्ठ लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमें उन हजारों अधिवक्ताओं के लिए कल्याण की योजना पर अवश्य ही विचार करना चाहिये, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी योगदान दिया है और इस देश में गरीबों की उन्नति और बेहतरी के लिए संघर्ष किया है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं इस संशोधी विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। (समाप्त)

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, जैसा कि पिछले दो वक्ताओं ने कहा है, इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है और यह उसी बात की व्याख्या करता है जो कि औपचारिकता मात्र है। इसका उद्देश्य उन न्यायवादियों की वरिष्ठता की रखा रक्षा करना है जो अधिवक्ता बन गए हैं और साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि ऐडिशनल सालीसिटर जनरल को अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाये। इसलिए यह एक

सीमित विधेयक है। इसका क्षेत्र सीमित है, और इसका स्वरूप औपचारिक है। यह ठीक नहीं है कि उच्चतम न्यायालय की भूमिका महज एक रबर स्टाम्प वाली हो। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री बृहत्तर मुद्दों से भी अवगत हैं और वह इस वाद-विवाद के सारे कानूनी पहलुओं से वाकिफ हैं जैसा कि मुझसे पहले वाले वक्ता ने कहा। इस वाद-विवाद में, मैं कुछ संक्षिप्त और सामान्य टिप्पणी करना चाहूंगा जो मेरे विचार में इस बदलते समाज में बहुत आवश्यक है।

मेरी पहली टिप्पणी द्वितीय ऐडीशनल सॉलीसिटर जनरल को पूर्व-सुनवाई का अधिकार दिए जाने से संबंधित है। इससे हमारी कोई भी समस्या नहीं सुलझती है। कानूनी सहायता देने की एक और समस्या है जो उन सभी लोगों का, ध्यान आकर्षित कर रहा है जो कानूनी व्यवसाय में हैं या उसमें रुचि रखते हैं। यह भावना 1976 में सामने आई और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उन्हें कानूनी सहायता के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति अय्यर ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के पेश होने के बाद एक और समिति का गठन न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर की सदस्यता में किया गया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी गयी—वही जनता सरकार जो निर्धनों के उद्धार का दावा करती थी—परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

महोदय, यह अत्यन्त खेद का विषय है कि कानूनी सहायता के लिए वर्ष 1977-78 में केवल एक लाख रुपये आबंटित किये गए जबकि न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर ने एक करोड़ रुपये का आग्रह किया था। एक लाख रुपये के उस मामूली अनुयान में से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया। वही दोबारा 1978-79 में हुआ। एक लाख रुपया अनुदान के तौर पर दिया गया परन्तु उसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है और मुझे कहते हुए दुख होता है कि उस समय विधि मंत्रालय की कानूनी सहायता देने की कोई भी योजना लागू करने में रुचि नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विधि मंत्रालय लगातार यही कहता रहा है कि यद्यपि रिपोर्ट काफी अच्छी है परन्तु एकदम स्पष्ट नहीं है। उनका क्या तात्पर्य है जबकि न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर दोनों ने बहुत परिश्रम किया है और विषय पर बड़े विस्तार से विचार किया है तथा रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत करके अन्त में एक विधि सेवा विधेयक भी संलग्न किया है। सरकार के लिए इसे लागू करना बहुत आसान था, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अब समितियां नियुक्त करके और बहाना बनाया जा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आप सरकारी कार्यवाही में विलम्ब करना चाहते हैं तो एक समिति नियुक्त कर दीजिए। वही पिछली सरकार ने भी किया था।

महोदय, यह बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि एक राष्ट्रव्यापी और सुसंगठित कानूनी सहायता सेवा के बिना न्याय प्रणाली गरीबों की पहुंच के बाहर ही रहेगी। जब हमारी 60 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की सीमा रेखा में आती है और यदि उसके लिए कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी न्याय प्रणाली का देश की अधिकतर जनता के लिए कोई अर्थ नहीं है। महोदय, जब हम कानूनी सहायता के प्रश्न पर हैं, तो विधि मंत्री द्वारा उठाया गया न्यायपालिका को दृढ़ करने का प्रश्न भी इसी मुद्दे के अन्तर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति भगवती द्वारा दृढ़ कदम उठाने पर मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। यद्यपि न्यायमूर्ति भगवती ने सीधे ही प्रधानमंत्री को लिख कर एक असाधारण बात की है तथापि जो उन्होंने लिखा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह ऐसे न्यायमूर्ति का सुझाव है जो हमारी न्याय प्रणाली और

विधि प्रणाली में सुधार लाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कुछ विशेष कदम उठाने का सुझाव रखा था और इसके लिए उन्होंने काफी परिश्रम किया है। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी प्रधानमंत्री को लिखा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि न्यायमूर्ति भगवती के इस पत्र को लेकर बहुत शोर मचाया गया है......

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अभी और समय लेंगे ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जी हां।

सभापति महोदय : तो आप अपना भाषण कल पूरा करें। अब सदन कार्यसूची की अगली मद को लेगा। अगली मद लेने से पूर्व, संसदीय कार्य मंत्री, श्री भीष्म नारायण सिंह, कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। यह बहुत छोटा सा विधेयक है—यदि आप कुछ मिनट और दे सके तो यह विधेयक पारित हो सकेगा।

सभापति महोदय : नहीं नहीं, आधे घंटे की चर्चा अभी बाकी है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आधे घंटे की चर्चा इसके बाद ली जा सकती है। वह भी हो जाएगी, मुझे इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : क्या यह सदन का मत है ? यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार से कुछ और वक्ता भी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, जो प्रणाली हम अपनाते आए हैं वह यह है कि आप सदन का मत ले लेते हैं। यदि आप मेरे मित्र की प्रार्थना मान लें......

सभापति महोदय : मैं जानता हूं। आप भी बोलना चाहते हैं। अभी जो वक्ता बैठे हैं उन्हें भी बोलना बाकी है। मैं सोचता हूं......

श्री भीष्म नारायण सिंह : वास्तव में, कल हम रेलवे बजट ले रहे हैं। आपने पहले ही समय निर्धारित कर दिया है। कल हम सदन में रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे। यह बहुत छोटा सा विधान है। यह मेरा निवेदन है कि यदि आप थोड़ा समय और दें तो यह विधेयक पारित हो सकता है। महोदय, यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खंडवार यह वहां है। आप तीसरी बार पढ़ लें।

सभापति महोदय : क्या हम इसे पूरा करें ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, किस समय तक।

सभापति महोदय : इसके पूरा होने पर आधे घन्टे की चर्चा आएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आधे घन्टे का सारा समय खा जाएगा। अभी भी 5-32 हो चुके हैं।

सभापति महोदय : क्या आप भी बोलना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : श्री फैलीरो, आप को कितना समय चाहिए ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : तीन या चार मिनट।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया इसे सायं 5-40 तक समाप्त कर दें। मेरा यह अनुरोध है।

सभापति महोदय : मैं देख रहा हूं कि सदन ने समय बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। इस विधेयक के पारित होने पर आध घन्टे की चर्चा ली जाएगी।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : श्री फैलीरो, आप कृपया शुरू करें और भाषण समाप्त करें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं अपने निवेदन को फिर दोहराना चाहूंगा कि न्यायमूर्ति भगवती द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार ध्यान दे। जैसा कि विद्वान न्यायाधीश ने कहा है, न्यायपालिका को दृढ़ किया जाए सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। वह कदम जो सरकार उठाना चाहती है सोच समझ कर उठाए जाएं। मैं यह कहूंगा कि यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण पत्र है और इससे कानूनी व्यवसाय के लोगों में बहुत प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात कि उच्चतम न्यायालय के ही एक अन्य न्यायाधीश ने इसका खुल कर विरोध किया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : महोदय, हमें किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए इससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने उसका जिक्र नहीं किया, मैं वह बात नहीं कह रहा ......

सभापति महोदय : कृपया कीजिए भी मत।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं उनके व्यवहार पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो वास्तविक तथ्य बता रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ......

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : न्यायमूर्ति भगवती द्वारा दी गई टिप्पणियों के विरोध में कुछ क्षेत्रों के कुछ लोगों ने जो विरोध प्रकट किया है उस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए॥

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उन्होंने क्या कहा है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उन्होंने उच्चतम न्यायालय की पुनः संरचना की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्याय पालिका को दृढ़ करने को कहा है उन्होंने पिछले लम्बित मामलों को,

जो कि हजारों की संख्या में हैं, शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट किया है। यही वह मुद्दे हैं जिन पर विधि मंत्री को गौर करना है। मेरा विश्वास है कि उनको दोबारा ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह कानूनी सहायता आंदोलन के अगुआओं में से रहे हैं। सारे देश में कानूनी सहायता संगठन में उनका बहुत उच्च पद था। लेकिन महोदय, यह आवश्यक है कि मंत्रीगण व सरकार के अतिरिक्त संसद् को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। मैंने यह देखा है कि हमारे संसदीय वाद-विवाद में इन चीजों को काफी कम प्राथमिकता दी जाती है। विधि मंत्रालय की मांगों पर कभी भी यहां चर्चा नहीं होती। कानूनी सहायता के प्रश्न पर विधेयक तो पेश किए जाते हैं परन्तु वह कभी भी चर्चा के लिए नहीं आते।

इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कृपया वह इन दो मुद्दों को स्पष्ट करें। कानूनी सहायता पर विशेषतया अल्पावधि में, वह क्या करेंगे? दूसरे, उन्होंने कई बार न्यायपालिका में सुधार के लिए एक तदुद्देश्यीय दल या समिति बनाने के लिए कहा है। अब यह प्रस्ताव किस स्थिति पर है, इस प्रस्ताव की क्या विशेषताएं हैं और इसके बाद इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी? मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह कृपया इन दो प्रश्नों पर प्रकाश डाल कर हमें जागरूक करें। धन्यवाद।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पढ़ी जाने वाली पत्रिका 'दि इकोनोमिस्ट' ने कुछ घटनाओं के बाद भारतीय न्यायपालिका का जिक्र किया है—इनके बारे में कि मेरे मित्र श्री फलीरो ने अभी चर्चा की, पत्र लिखा जाना और मामले वापस लेना। पत्र ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ की कठपुतली है। यह मैं नहीं कह रहा; यह लन्दन से प्रकाशित होने वाला 'दि इकोनोमिस्ट' कह रहा है।

एक माननीय सदस्य : और आप उन लोगों और उन के मत में विश्वास करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह विश्व मत है। आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ··· (व्यवधान)। मैं उन सज्जन के आचरण की जांच करने नहीं जा रहा। मुझे केवल उस सज्जन की अज्ञानता पर खेद है कि इस व्यवस्था में, कोई भी समाज के कमजोर वर्गों के उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। इन सज्जन को इस छोटी सी बात का पता नहीं है। उन्हें यही उम्मीद है कि क्योंकि अब अमुक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण आ गया है अतः इस देश में मनुष्यों की सभी परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार की बातें मैं सहन नहीं कर पाता ······ (व्यवधान। मैं अपने जीवन में भूतपूर्व एटार्नी—जनरल, स्व० श्री नीरेन डे की लोकतंत्र में रहने के अधिकार के बारे में कही गई उक्ति भूल नहीं सकता। हम लोकतंत्र का स्वांग भरते हैं। न्यायालय में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मनुष्य को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई सिपाही उसे गोली मारना चाहता हैं और अगर वह अपने ऊपर लगाए गए अभियोग तथा गोली मारे जाने के कारण को जानना चाहता है, तो उसे नहीं बताया जाता ······ (व्यवधान)। उनके तर्क की मुख्य बात यही थी।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : क्या यह विधेयक की सीमा के भीतर है? (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए; उन्होंने पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करने का वचन दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज, इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अपितु गुण्डा गर्दी का राज है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। प्रशासक वर्ग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को अवज्ञा दण्डाभाव के कारण कर रहे हैं। मुझे एक मामले का पता है; जब एक व्यक्ति ने एक जिला कलेक्टर को बताया कि उसने न्यायालय की अवमानना की है; तो उसने जवाब दिया : अगर आप मेरे खिलाफ अवमानना का मामला दायर करोगे तो मैं तुम्हें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार कर लूंगा।" इस प्रकार के बहुत से मामले मौजूद हैं ...... (व्यवधान)। आइए हम लम्बित मामलों की संख्या के बारे में जानें। विधि मंत्री जी, क्या आप हमें उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में बकाया पड़े हुए मामलों की जानकारी देंगे ? न्याय में देर करना न्याय न देने के बराबर है—वह इसे भूल गए हैं। अंग्रेजों की सभी बुरी बातों को उन्होंने अंगीकार कर लिया है और न्याय प्रणाली उनमें से एक है। हमारे देश में मुकदमा लड़ना सबसे महंगा पड़ता है। मैं चार जिलों की जेलों में रहा हूं। मुझे अभी किसी अमीर आदमी को जेल की सजा काटते देखना है। जेलें तो गरीबों और राजनीतिक विरोधियों के लिए हैं। असली अपराधियों के लिए वह थोड़े बनी हैं।

बार-बार यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सर्किट बैंचें होनी चाहिएं। कुम्भकोणम, गुजरात अथवा डिब्रूगढ़ में रहने वाला कौन व्यक्ति दिल्ली आकर उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसे अपना घर-बार बेचना पड़ेगा और वह पैसा उन बड़े-बड़े वकीलों की जेबों में जायेगा जिनकी संख्या बहुत अधिक है।

इसके अलावा मैं यह सुझाव भी दे रहा हूं कि जेलें न्यायपालिका के अधीन लाई जाएं। अगर आप आंकड़े देखें तो पता लगेगा कि जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या अपराधियों की संख्या से कहीं ज्यादा है। विचाराधीन कैदी उनकी हिरासत में नहीं रह सकते जोकि मुकदमें में एक पार्टी है। समस्त जेल प्रणाली को न्यायपालिका के अधीन लाने के लिए यह कारण पर्याप्त है। मैं सुझाव देता हूं कि वर्तमान प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए सर्व-दल संसदीय समिति का गठन किया जाए ताकि देश और इस सभा को हमारी असलियत का पता चल सके। इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का क्षेत्र काफी सीमित है। जैसा कि मैंने पहले अपने भाषण में बताया है इसके केवल दो पहलू हैं तथा माननीय सदस्यों ने उन विषयों को बहस के लिए चुना है जोकि आमतौर पर संशोधी-विधेयक से बाहर के है।

संभवतः उन्होंने सोचा कि ये मेरे मंत्रालय की अनुदानों की मांगें हैं। जिससे कि किसी भी विषय पर बहस की जा सकती है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं उनमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन एक पहलू पर लगता है श्री बसु ने 'इकोनोमिस्ट' को रट लिया है। उनकी जानकारी के लिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध एक भी मामला न्यायालयों से इसलिए नहीं लिया गया कि वह प्रधान मंत्री बन गई हैं। मैं यह कहने वाला पहला व्यक्ति था कि कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी; और

उन्होंने उस बारे में मेरा समर्थन किया था। अगर इससे संकेत मिलता हो, इससे न केवल न्यायपालिका में हमारी आस्था अपितु इसकी स्वतंत्रता का भी स्पष्ट संकेत मिलता है। अगर उनके 'इकोनोमिस्ट' में अलग बात कही गई है, तो वही उनको समझते रहें।

श्री बसु ने उच्च न्यायालयों के आदेशों की अवज्ञा के बारे में भी बहुत ही व्यापक टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम इस सीमा तक बढ़ गए हैं कि हम लोगों को इस बात की धमकी देते हैं कि हम उन्हें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन श्री बसु को कम-से-कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम निरस्त किया जा चुका है। अतः जो कुछ भी है, उसकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। इससे यही जाहिर होता है कि उनका वक्तव्य में कितनी सच्चाई है। (व्यवधान)

आमतौर पर सभी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। श्री यादव ने न्यायपालिका कानूनी व्यवसाय और न्यायालयों के स्तर में गिरावट के बारे में कुछ कहा है ; और उन्होंने कानूनी सहायता प्रदान किये जाने और वकीलों को पेंशन देने का आग्रह भी किया है। विधेयक के सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा क्योंकि इस का क्षेत्र बहुत सीमित है। श्री अराकल और श्री फलीरो, जिन्होंने कानूनी सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया है, सहित विभिन्न सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। श्री अराकल केवल यह जानना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में दूसरे अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के पद का निर्माण करके किस प्रकार बकाया मामलों को कम किया जा सकेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि द्वितीय अतिरिक्त सालिसिटर जनरल का पद 4 या 5 वर्ष पहले बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि हम इस स्तर पर इस पद का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय की बैंचों में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। मुख्य न्यायाधीश को मिला कर, सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीशों की संख्या 18 है ; और अक्सर 5 से 6 बैंचें गठित की जाती है। अतः एटार्नी जनरल, सालिसिटर जनरल, अतिरिक्त सालिसिटर जनरल और द्वितीय अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के पद भी आवश्यक हैं ताकि वे न विभिन्न बैंचों के सम्मुख उपस्थित हो सकें। सभा को. बकाया मामलों के बारे में चिन्ता तथा कानूनी सहायता के प्रश्न पर जिस धीमी गति से हम कार्य कर रहे हैं उससे भी मैं अवगत हूं। कानूनी सहायता के प्रश्न पर, शायद मैं शीघ्र ही सभा के समक्ष उपस्थित होऊंगा। यह मामला अभी अन्तिम चरणों में है, जिसमें न केवल देश के सभी भागों के लिए एक समान योजनाएं बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है, अपितु उनके क्रियान्वयन के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एक बहुत ही छोटी समिति का गठन किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति भगवती होंगे। वे केवल निर्देश को अन्तिम रूप दे रहे हैं। जब से न्यायमूर्ति भगवती गुजरात में थे तभी से उन्हें इस आंदोलन के जन्म देने वाला माना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें इस समिति की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव किया था। मैं इस समिति के सदस्यों और इसके निर्देश पदों को अंतिम रूप दे रहा हूं, उसके बाद शायद मैं सभा के समक्ष विवरण देने के लिए आऊंगा। अतः इस बारे में मुझे वास्तव में गहरी चिंता है तथा सदस्यों द्वारा कानूनी सहायता और बकाया मामलों के प्रति व्यक्त की गई चिंता की मैं निस्संदेह रूप से प्रशंसा करता हूं। मैंने उन्हें नोट कर लिया है। न्याय व्यवस्था में अन्य कमजोरियां भी हैं। उन सब की जानकारी मुझे है तथा हम अवश्य ही, सही समय पर सही कदम उठाने के लिए विचार करेंगे न कि श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार गलत समय में सही कदम उठायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खंड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"खण्ड कि 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक में खण्ड 2 और 3 जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड, 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक विधेयक पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा

सीमेंट उद्योग सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यकारी दल

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : जहां तक मुझे याद है इससे पहले देश में सीमेंट का ऐसा अकाल मैंने कभी नहीं देखा और इसके लिए मैं इन मंत्री महोदय पर आरोप लगाता हूं

कि सरकार तथा बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा रचे गये एक षड्यन्त्र के कारण ऐसा हुआ है। यह कुछ नहीं सिर्फ ए०सी०सी०, टाटा, बिरला और ऐसे ही कुछ अन्य निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े व्यापारियों के सामने हथियार डाल देना है ।.आज वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का 88.34 प्रतिशत निजी क्षेत्र के हाथ में है और यह 28½ वर्ष या 30½ वर्ष कांग्रेस शासन तथा 2½ वर्ष जनता शासन की असंतुलित योजना का परिणाम है। जनता पार्टी ने कांग्रेस के सिद्धान्तों का तथा कांग्रेस पार्टी ने जनता के सिद्धांतों का अनुसरण किया। आज अधिष्ठापित क्षमता का 88.34 प्रतिशत निजी क्षेत्र के हाथ में है। 1982 में कुछ योजनाएं लागू करने के बाद भी सीमेंट उत्पादन की 75 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता निजी के हाथों में रह जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि सत्ताधारियों ने ऐसा किन कारणों से किया क्षेत्र जबकि सीमेंट की अधिकतर खपत पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में है और परन्तु पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र सीमेंट का उत्पादन अधिक करते हैं। पूर्वी क्षेत्र में 3,36,4000 टन की खपत तथा 3,64,000 टन की कमी है, उत्तरी क्षेत्रों में 5,36,3000 टन की खपत तथा 2,65,6000 टन की कमी है। कांग्रेसी साथियों आप एक अद्‌भुत योजना लागू कर रहे हैं। पश्चिमी में क्या हाल है। वहां 4,33.8000 टन की खपत है और 1,46,000 टन सीमेंट फालतू है; दक्षिणी क्षेत्र में 4,67,0000 टन की खपत है और 2.40,3000 टन सीमेंट फालतू है। क्या कोई बता सकता है कि उपभोक्ता को सीमेंट लेने के लिए इतना अधिक भाड़ा क्यों देना पड़ता है; पंजाब जैसे राज्य में तो यह भाड़ा 150 रुपये प्रति टन तक देना पड़ता है। यह एक अदभुत योजाना है। अब छठी योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कुछ अजीव किस्म के व्यापारियों तथा बुद्धिजीवियों ने इन योजनाओं को बनाकर लागू किया है। सीमेंट को उपभोक्ता तक पहुंचने में औसतन 500 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता जोकि सबसे अधिक है। उपभोक्ता को इसके भाड़े, उधार का ब्याज लिए पैसे और रास्ते में हुई सीमेंट की चोरी का दण्ड भुगतना पड़ता है। डा० चानना एक अर्थशास्त्री हैं और उन्हें हमें बताना चाहिए कि 10 वर्ष पूर्व ऐसा क्यों किया गया था और यह स्थिति कैसे बिगड़ी और इसका क्या परिणाम निकला? इसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ी तथा वाहनों में अधिक पैट्रोल, डीजल खर्च हुआ जिसके लिए हमें आयात पर निर्भर करना पड़ता हैं। हम संकट पैदा कर रहे हैं। रुकावटें डाली जा रही हैं और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चोरबाजारियों का सबसे बड़ा हाथ है। चोरबाजारिये फल-फूल रहे हैं तथा अन्य लोगों के लिए बनावटी संकट पैदा किया जा रहा है। सीमेंट के एक बोरे का फैक्टरी मूल्य 5 रुपये तथा नियंत्रित मूल्य 25 रुपये है परन्तु काले बाजार में इसका मूल्य 50 से 100 रुपये तक है तथा इसका भी 10-15 प्रतिशत कम होता है। मिलावट? उसमें कोई भी चीज मिलाई जा सकती है। आज यह स्थिति है। 195 लाख टन उत्पादन हुआ था। असलियत में कमी नहीं है। मांग 220 लाख टन है। 25 लाख टन की कमी है। फिर भी सत्ताधारी दल कुछ फैक्टरियों में जानबूझ कर उत्पादन को 20 प्रतिशत रखे हुए हैं। क्यों? पूंजीपति जानते हैं; यदि चारों ओर से मेरे ऊपर अनेक खर्च आ पड़ें तो इनके लिए मेरे पास एक बोरा नोट होने चाहिएं और यह काम बनावटी कमी पैदा करके किया जा सकता है और यदि हम 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किये बिना उतना अधिक कमा सकते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पूंजीपतियों का उद्देश्य केवल अनुचित लाभ कमाना होता है। 100 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग से जितना उन्हें लाभ प्राप्त होता उससे अधिक उन्हें 80 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग से प्राप्त हो जाता है। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इस संकट तथा आज इस सीमेंट के अकाल के लिए बड़े-बड़े व्यापारी तथा सत्ताधारी दल जिम्मेदार है।

दो रुग्ण संयंत्र हैं : जयपुर उद्योग तथा डालमिया दादरी। इनकी अधिष्ठापित क्षमता 12 लाख टन प्रतिवर्ष है। क्या मंत्री महोदय सदन को बताएंगे कि उनके विभाग इन संयंत्रों के लिए कौनसे प्रभावशाली कदम, यदि कोई हों, उठाए हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनुलाभ के लिए शाम को बाहर का टूर दिखाते हैं। हम यह ठीक-ठीक जानना चाहते हैं इस सीमेंट के धंधे में कौन फल-फूल रहा है, लाभ का बंटवारा कैसे किया जाता है, उद्योग भवन और कारखाने के बीच लाभ का बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है। फैक्टरियों द्वारा सीमेंट का अधिकतम उत्पादन करवाने तथा उन्हें बेकार न पडे रहने के लिए आपने कौनसे कदम उठाए हैं। डालमिया दादरी 8 वर्ष पहले 1973 में रुग्ण हो गई थी। मुझे पता लगा है कि इसका मालिक बिस्कुट उद्योग जोकि एक कम लागत और अधिक लाभ का उद्योग है, केलिए यहां 2 करोड़ रुपये निकाल ले गया।

उद्योग मंत्री महोदय, यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरुद्ध जांच कर रहा है क्योंकि उन्होंने धोखा-धडी की है। फिर वहां कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा है। उतरी भारत में और हिमाचल, राजस्थान, विशेषतया हिमाचल में, कच्चे माल और चूना पत्थर भण्डार है। परन्तु पिछले 10 वर्षों में केवल दो संयंत्र लगाए गये हैं — राजबन और उदयपुर। ऐसा क्यों हैं? अन्य संयंत्र लगाने के लिए कौन मना करता है? इसकी जांच होनी चाहिए। पिछले पांच वर्षों में मुश्किल से कोई संयंत्र लगाया गया होगा। पूर्वी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, केवल एक सीमेंट संयंत्र लगाया गया है हालांकि वहां और संयंत्र लगाने की काफी गुंजाइश है। असम और अरुणाचल प्रदेश नए संयंत्र लगाने के लिए बार-बार दबाव डाल रहे हैं। कुछ नहीं किया गया है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे कि उनके अनुरोध तथा आग्रह को क्यों नहीं माना गया। पुरुलिया में चूना पत्थर तथा जयंतिया पहाडियों में डोलोमाइटिक के बड़े-बड़े भंडार है। अध्ययन से पता चला है कि समपरिष्करण से चूना पत्थर को अच्छे कच्चे माल में बदला जा सकता है। आर्थिक सहायता देकर इसकी आसानी व्यवस्था की जा सकती है। उन क्षेत्रों से सीमेंट लाने माल भाड़े के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसका समायोजन इस कार्य के लिये किया जा सकता है और यह एक बहुत ही अकलमंदी का काम होगा। जो पैसा सीमेंट को 500 किलोमीटर ले जाने में खर्च किया जाता है उस पैसे को पत्थर चूना के प्रयोग के लिए खर्च किया जा सकता है। डा० चानना, यहां पैसे का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आपके पास पर्याप्त परिवहन व्यवस्था नहीं है और आपको आयात पर निर्भर करना पड़ता है। इस वर्ष तेल का बिल 7000 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा। निर्यात से जो पैसा हम कमाते हैं और निर्यात के लिए जो काफी आर्थिक सहायता देते हैं वह सब उनकी जेब में चला जाता है।

उन दो परियोजनाओं के लिए 'बेंच स्केल' परीक्षण किये गये हैं। इन्हें सफल पाया गया। डा० चानना कृपया सदन को बताएं कि आपने इसके लिए पेटन्ट ले लिया है कि नहीं। कृपया हमें बताएं कि 'बेंच स्केल' परीक्षण, जोकि सफल रहा, करने के बाद, पेटन्ट लेने के बाद आप इसका वाणिज्य और उद्योग के लिए उपयोग क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्या जैनियों ने आपको मना किया है? क्या जे० आर० डी० टाटा और बिरला ने आपको मना किया है? यदि आप मात्रा बढ़ा देते है तो वे सीमेंट 75 रुपये बोरा और 15 प्रतिशत कम नहीं बेच सकेंगे। क्या ऐसा है? यह क्या है? कृपया इसके बारे में सदन को बताएं।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, बडे पैमाने पर सीमेंट की कालाबाजारी हो रही है।

कालाबाजारी इतनी बढ़ गई है कि मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस सदन के किसी भी सदस्य से पूछें कि क्या सीमेंट की कालाबाजारी नहीं हो रही है। सीमेंट के बोरे वजन में कम होते हैं। मैं जानता हूँ कि टाटा ग्रुप के ही अन्दर उनका अपना पत्र व्यवहार चला था जिसमें टाटा ग्रुप तथा अन्य ग्रुपों ने ए० सी० सी० के लोगों को बताया था कि उन्होंने बोरों का वजन किया था और वे वजन में कम पाये गये थे। इस सम्बन्ध में टाटा घराने की प्रतिष्ठा की कहानी का कई बार भंडाफोड़ हो चुका है। सीमेंट वजन में ही कम नहीं है बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। मंत्री महोदय निडर होकर बिना कुछ छिपाये साफ-साफ बताएं कि क्या आपने 15% तक रोड़े, फलाई एश, सिलिका जैसे "पोसोलानिक एडिटिव" की अनुमति नहीं दी थी? क्या यह सच नहीं है कि सीमेंट में रोड़ मिलाने की अनुमति दी गई थी? इसी वजह से आज आपको लाल रंग की कभी पीले रंग की सीमेंट मिल रही है। ईटों का चूरा और चूने के पत्थर की मिट्टी तक मिलाई जा रही है। यही कारण है कि कुछ ही दिन पहले कर्नाटक में बहुमंजलीय भवन गिर गया जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गयीं। आज इस देश में सीमेंट का मामला स्थायी रूप से एक बड़ा गोल-माल बन गया है। इसके अलावा उसकी पैकिंग भी दोषपूर्ण होती है, बोरों में से सीमेंट निकलता रहता है। ऐसा जान-बूझकर किया जाता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सभा को यह बतायें: आपने पुराने और नये बोरों के अनुपात के बारे में निर्देश दिया है। लेकिन आपने यह कहीं नहीं बताया कि एक पुराने बोरे को कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रश्न का अपने पास कोई जवाब नहीं है: सीमेंट कारखाने आपके निर्देशों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए आपके पास क्या कार्यान्वियन व्यवस्था है? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः सब कुछ सीमेंट उत्पादकों पर निर्भर है। कृपा करके हमें यह बताइये कि सीमेंट के कुल उत्पादन में से सीमेंट निर्माता कितने प्रतिशत सीमेंट को खुले बाजार में खास-खास उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं अर्थात् सामान्यतः चोर-बाजारी कर सकते हैं। आपने इसको इजाजत दी है। हमें उसकी प्रतिशतता बताइये। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूर्वी क्षेत्र—पश्चिम बंगाल—के साथ किस प्रकार पक्षपात किया गया है:—

राज्य का नाम	1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (करोड़ में)	फैक्टरी मजदूरों की दैनिक औसत सं० (हजार में)	1980 की पहली तिमाही में अबंटित सीमेंट की मात्रा (मैट्रिक टनों में)
पश्चिम बंगाल	4.43	870	2.86 लाख
गुजरात	2.67	527	3.30 लाख
महाराष्ट्र	5.04	1069	4,35,600 लाख
आंध्र प्रदेश	4.35	394	3.03 लाख
तमिलनाडु	4.12	499	3.08 लाख

पहले आयातित सीमेंट सप्लाई के लिए पश्चिम बंगाल को दिया जाता था क्योंकि उसके पास सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है। पता नहीं इसे अब क्यों बंद कर दिया गया है। सीमेंट फैक्टरियों से सीमेंट को ढोने के लिए पर्याप्त वैगन न होने की मौजूदा स्थिति में आयातित सीमेंट के आबंटन से काफ़ी मदद मिल सकती है। मैं सभापति महोदय से इस अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा उस सभी का उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय से कहा जाए।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : महोदय, आज की चर्चा के लिए माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह यह है कि प्रश्न संख्या 332 का मेरा उत्तर संतोष जनक नहीं है। मेरे ख्याल में माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्रश्न और उत्तर दोनों को वह स्वयं तैयार करें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं है। जब कभी भी मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है तो उसे अपने उत्तर के लिए तथ्य दर्शाने वाले आंकड़ों पर "आश्रित रहना पड़ता है। अतः उनके प्रश्न संख्या 332 के सभी उत्तर सही थे और आकड़ों पर आधारित थे। इन सबको मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके द्वारा पूछी गई समस्त जानकारी प्रश्न संख्या 332 के उत्तर में दी गई हैं।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे भी दिलचस्प हैं, यद्यपि उनका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अत्यन्त दिलचस्प मसले को उठाया है। उदाहरण के लिए, पहला मुद्दा सीमेंट उद्योगों के आबंटन तथा उनकी आयोजना का है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि 33 वर्षों में उन्होंने उन 3 वर्षों को भी सम्मिलित किया है, जिस समय की सरकार के वह सदस्य थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं उसका सदस्य नहीं था।

श्री चरणजीत चानना : उनके प्रति आपकी सहानुभूति थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके प्रति मेरी सहानुभूति उसी प्रकार थी, जैसा कि आपकी पार्टी ने चरणसिंह सरकार का समर्थन किया था।

सभापति महोदय : अतः उन्हें समर्थक कहा जायेगा।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने इस अवधि के दौरान सीमेंट उद्योग की स्थापना के स्थल का प्रश्न उठाया है हालांकि इन स्थलों को पहले ही निश्चित किया जा चुका है।

पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी भागों में, सीमेंट उद्योग के स्थलों के बारे में उल्लेख करते समय उन्होंने अपने भाषण में भी परस्पर विरोधी बातें कही हैं। मैं माननीय सदस्य से केवल इतना आग्रह करूंगा कि वे अपने भाषण को देखें और उसमें कही गई परस्पर विरोधी बातों को ठीक करें

अब मैं उनके डिवीजन की बात करता हूं जहां पर जैसा कि उन्होंने कहा है कि सीमेंट उद्योग का 88.33 प्रतिशत भाग निजी क्षेत्र में है। दुर्भाग्यवश यह सत्य नहीं है। अगर वह चाहें, मैं उन्हें आंकड़े भी बतला सकता हूं। .02 मिलियन मीटरी टन की अधिष्ठापित क्षमता में से 2 मिलियन मीटरी टन की कार्यक्षमता वाले उद्योग निजी क्षेत्र में हैं तथा स्वीकृत क्षमता में से……

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज कितना उत्पादन हो रहा है ?

श्री चरणजीत चानना : यहां दो बातें हैं । एक तो अधिष्ठापित क्षमता है तथा दूसरी स्वीकृत क्षमता है । माननीय सदस्य इस बारे में अधिक अच्छा जानते हैं क्योंकि इनको आर्थिक ज्ञान अत्यन्त उच्च कोटि का है ।

नई स्वीकृत क्षमता में से, अर्थात् 28.8 मिलियन मीटरी टन में से, 9.17 मिलियन मीटरी टन सरकारी क्षेत्र में है । यह नई क्षमता का 30 प्रतिशत से भी अधिक बैठता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह उत्पादन कब शुरू होगा ।

श्री चरणजीत चानना : योजना बीते हुए कल के लिए नहीं बनाई जाती अपितु सर्वदा आने वाले कल के लिए तैयार की जाती है । इनके मित्रों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को दूर करने के पश्चात् उत्पादन शीघ्र शुरू होने वाला है ।

माननीय सदस्य ने ढुलाई की बाधाओं तथा अन्य बाधाओं की बात कही है । जहां तक सीमेंट उद्योग का सम्बन्ध है, वर्षा के अतिरिक्त इसमें सबसे बड़ी बाधा कोयला खानों में व्याप्त स्थिति तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्या है जिसके बारे में माननीय सदस्य बेहतर जानते हैं । बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की हम मरम्मत कर रहे हैं ।

जहां तक सीमेंट उत्पादन का सम्बन्ध है, केवल यही एक ऐसा उद्योग है जहां क्षमता का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है । माननीय सदस्य ने बहुत दिलचस्प बातें कही है । हम निजी क्षेत्र को महत्व देना नहीं चाहते । किन्तु सदस्य की बात सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा है, जोकि ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो कम-से-कम सिद्धान्त रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वास रखती है । उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की अच्छी बातों का जिक्र न करके उसके बुरे कार्य-निष्पादन की आलोचना की है ।

पश्चिम बंगाल राज्य, जहां से वो चुनकर आये हैं, वहां क्या हो रहा है ? वस्तुतः उन्हें अपना दिल टटोलकर देखना चाहिये कि वहां क्या हो रहा है । अब हम राज्य के सहयोग से सारी अर्थव्यवस्था को दुरस्त करने में लगे हुए हैं ।

सभापति महोदय : और आप दिल टटोलने के कार्य में इनकी सहायता करने जा रहे हैं ।

श्री चरणजीत चानना : सीमेंट उद्योग में सबसे बड़ी बाधा चाहे वो सीमेंट उद्योग हो अथवा निजी क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी उद्योग हो—ऊर्जा की बाधा रही है, जिसमें कोयले तथा बिजली की सप्लाई सम्मिलित है । इसी उद्योग में वस्तुतः क्षमता से कम उपयोग, जोकि पहले केवल 13 से 20 प्रतिशत के बीच था, वस्तुतः अब बढ़ गया है । आज स्थिति यह है कि क्षमता का 67 प्रतिशत उपयोग हो रहा है । अब क्षमता का उपयोग कम है । यदि आप अन्य उद्योगों की औसत को लें, तो हो सकता है यह आपको आकर्षक लगे, परन्तु जहां तक सीमेंट उद्योग का सम्बन्ध है, क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत तक भी पहुंचा है । यदि आप निजी क्षेत्र पर दोषारोपण लगायें, तो मैं इसके समर्थन में प्रस्तुत इस आशय के उदाहरणों का स्वागत करूंगा कि वे अपने कारखानों में क्षमता के कम उपयोग को और बढ़ाते जा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सीमेंट की कमी और कालाबाजारी के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री चरणजीत चानना : मैं आपके प्रश्नों का एक-एक करके उत्तर दूंगा। मैंने बाधाओं के बारे में चर्चा की हैं। अब हमें यह देखना है कि हम वर्षा से उत्पन्न बाधाओं को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। हम और आप साथ बैठकर इस पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं—22 मीटरी टन, 95 मीटरी टन तथा 25 लाख मीटरी टन का अन्तर—वे पुराने हैं। आइये हम आज की प्रमुख संभावनाओं तथा वर्तमान स्थिति पर विचार करें। अन्तर इससे कहीं ज्यादा है जोकि आपने बताया है और हम उस अन्तर की खाई को पारने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं (व्यवधान) आंकड़ों की जादूगरी में माननीय सदस्य का जवाब नहीं है। आंकड़ों की जादूगरी बड़ी दिलचस्प चीज़ है किन्तु मैं उसका सहारा लेने नहीं जा रहा हूँ।

माननीय सदस्य ने सीमेंट फैक्टरी की दो इकाइयों की बात की है। जो कुछ भी वह कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। वस्तुत: हम इन मामलों में संजीदगी से राय ले रहे हैं। जो कुछ हमें विरासत में मिला है, उसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। प्रश्न समय का हैं और स्थिति ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य कालाबाज़ारी की बात करते हैं। मैं समझता हूं मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं कि उन अधिकांश राज्यों में जहां हमारे दल की सरकारें हैं, हमने उन राज्यों की सरकारों के मुख्य मंत्रियों से इस ओर ध्यान देने के लिए कह दिया है। माननीय सदस्य को यह तो मालूम ही होगा कि सीमेंट की खुदरा बिक्री की व्यवस्था राज्यों के नियंत्रण में है। आपको सीमेन्ट की आबंटन प्रणाली का तो ज्ञान होगा ही।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उसका आधार क्या है ? आप राज्यों के बीच भेदभाव क्यों करते हैं ?

श्री चरणजीत चानना : मैं तो आपके आंकड़ों को ठीक करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, यदि आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो आप अपने संबंधित मंत्री से पूछिए जो मेरे पास आये थे ······

श्री ज्योतिर्मय बसु : टेलेक्स ।

श्री चरणजीत चानना : मैं आपको वह पत्र भी दिखाता हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपको उसकी तारीख भी बताता हूं। वे मंत्री महोदय मेरे पास आये और मैंने यह प्रबन्ध किया कि उनको सीमेंट आबंटित हो। आप इसके बारे में उनसे पूछिए और पता लगाइये कि जो इस सभा में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुझसे सम्पर्क स्थापित किया गया उस समय पश्चिम बंगाल सरकार के सामने उसके परिवहन की समस्या थी। यही बात मेरा मंत्रालय भी कह रहा है। हमने एक सीमेंट फैक्टरी को आबंटन पत्र ही नहीं दिया अपितु इसके परिवहन की व्यवस्था की। अत: मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको देख लें। तो भी यदि सीमेंट के आबंटन के बाद तथा हमारे द्वारा उसके लादान की व्यवस्था किये जाने के बाद भी आपके सामने कोई समस्या आये तो कोई भी राज्य सीमेंट की समस्या लेकर हमारे पास बड़ी खुशी से आ सकता है। मैं एक उदाहरण दूंगा—जम्मू तथा कश्मीर से 10,000 टन सीमेंट का आबंटन उस समय किया गया जब उनके सामने इसकी समस्या थी। हमारे यहां सीमेंट की ज़रूरत वाले

राज्यों की हमने श्रेणियां बना रखी हैं और देश का कोई भी राज्य इस सूची से बाहर नहीं है। जब भी कोई आपातकालीन जरूरत होती है, तो हम उस राज्य को सीमेंट की सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए हम बाढ़ की रोकथाम संबंधी कार्यों के लिए हम सीमेंट देते हैं।

उन्होंने वजन में कमी तथा खराब पैकिंग की बात कही। ऐसी स्थिति के लिए हम आवधिक जांच करते हैं। सीमेंट अनुसंधान संस्थान से इसके लिए कहा गया है और कुछ कारखानों के साथ हम इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। अन्य मामलों में भी हम यथा समय कार्यवाही करेंगे।

जहां तक मिश्रण और लाल रंग का संबंध है, वह तो उन्होंने अपने भाषण को लच्छेदार बनाने के लिए कहा है। वस्तुत: सीमेंट में ऐसा कोई रंग नहीं होता। सरकार जिन चीजों व मिश्रण की इजाजत दे रही है वह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्यक्षम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह क्या है, कृपया बतायें।

श्री चरणजीत चानना : क्या आप फार्मूला जानना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उसमें ईंट सिलिका आदि कितना प्रतिशत होता है।

श्री चरणजीत चानना : ऐसा नहीं है। कई तरह के परिवर्तन तथा मिश्रणों की इजाजत दी गई हैं जो सीमेंट अनुसंधान संस्थान के परीक्षणों तथा रिपोर्टों पर आधारित है। इस प्रकार जब तक आप यह न पूछें कि कितनी ईंटें किस भट्टी से आती हैं, मैं कुछ बता नहीं सकूंगा।

सभापति महोदय : इस समय वह सब कुछ नहीं बताया जा सकता। हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री चरणजीत चानना : मैं केवल इतना कहूंगा कि किसी यूनिट विशेष को मिश्रण मिलाने की इजाजत है किन्तु वह तकनीकी परीक्षण तथा तकनीकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

माननीय सदस्य ने सीमेन्ट उत्पादकों को दिये जाने वाले सीमेन्ट की प्रतिशतता की बात की है। वे अपने उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत सीमेन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और वह भी अपने इस्तेमाल के लिए। वे सीमेन्ट नियंत्रण की अनुमति बिना जरा सा भी सीमेन्ट नहीं बेच सकते।

जहां तक अन्य प्रतिशतता का संबंध है मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है जिसको उन्होंने काला-बाजारी की संज्ञा दी है। इसके बारे में तो वह ही बेहतर जानते होंगे। मैं तो यह कह सकता हूं कि समस्त अत्यावश्यक वस्तुओं में जो काला बाजारी बढ़ी थी, वह अब कम हो रही है। जब वह बिल्कुल खत्म हो जायेगी तो हम इसकी बात करेंगे।

मैंने उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय सिमेंट की कितनी भारी कमी है उसका सबूत यही है कि दिल्ली ही में सिमेंट के सवाल को ले कर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं क, ख, करके कुछ सवाल पूछना चाहता हूं · · · ·

सभापति महोदय : आप प्रश्न ही पूछें।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने यही कहा है कि सीमेंट की कितनी भारी कमी है उसका उदाहरण दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा हैं कि यहां प्रदर्शन हो रहे है। मैंने केवल इसका जिक्र ही किया है और अब मैं सवाल कर रहा हूं।

(क) मेरा सवाल यह है कि क्या यह बात सही है कि पटना में गंगा नदी पर जो सड़क पुल बन रहा है वह सिमेंट की कमी की वजह से अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है ? अगर यह बात सच है तो सरकार वहां सिमेंट की व्यवस्था करने के लिए कौन सी कारंवाई कर रही है ?

(ख) हमारे देश के लिये वार्षिक सीमेंट की आवश्यकता कितनी है और हम कितना उत्पादन कर रहे हैं और जो कमी है, उसको पूरा करने के लिये सरकार ने कौनसी योजना बनाई है ;

(ग) क्या यह बात सच है कि शाहाबाद इंडस्ट्रीज ट्रस्ट के स्वामित्व में रोहतास जिले में एक-चूना-पत्थर की खान थी जो 1971 से बन्द है जिसकी वजह से एक हजार कर्मचारी बेकार हैं ? अगर यह बात सच है तो क्या सरकार इसके बारे में जांच-पड़ताल कर के उचित कार्यवाही करेगी ; और

(घ) सभापति महोदय, आप और हम सभी जानते हैं कि सीमेंट की चोरबाजारी बडे पैमाने पर हो रही है, राज्य सरकार इसमें क्या करती है, यह भी सभी जानते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कारगर तरीका सरकार ने ढूंढ निकाला है जिससे सीमेंट की चोरबाजारी को रोका जा सके ?

यह मेरे सवाल है, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, मैंने जिस सफाई के साथ सवाल पूछे हैं, उसी सफाई के साथ जवाब दें ।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में जयपुर उद्योग प्रतिवर्ष 22 लाख टन सीमेंट उत्पन्न करता है और हमारी मांग हर वक्त 10 लाख टन की होती है । लेकिन राजस्थान को सीमेंट केवल 3,4 लाख टन ही मिलती है। यह कहां तक सही है कि अगर पंजाब में गेहूं पैदा होता है तो पंजाब के लोग तो भूखे मरें और दूसरी स्टेट्स को दिया जाये ? हमारे यहां इतनी सीमेंट पैदा होती है और हमारे यहां की सीमेंट की जितनी मांग है, उसकी आधी भी पूरी नहीं होती, तो यह कहां तक उचित है ?

श्री चरणजीत चानना : शास्त्री जी, आपने जो पटना ब्रिज के बारे में प्रश्न पूछा है, मैं आपकी इन्फार्मेशन के लिये बताना चाहता हूं कि यह पुल जब तक हमारी सरकार थी, तब तक

बनता रहा, उसके बाद पुल क्यों नहीं बना, यह आपको पता है। यह पुल बनना बन्द हो गया था। उसके बाद हमने 6 हजार टन सीमेंट इसके लिये एलाट किया है।

सभापति महोदय : बनना बन्द ही हो गया है या डैमेज भी हो गया है ?

श्री चरणजीत चानना : दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि सीमेंट की डिमांड कितनी है। 1980-81 में यह 27.99 मिलियन टन है। जैसी कंडीशन्स अभी है, उसमें इसकी प्रोडक्शन 22 मिलियन टन है। लेकिन जिस प्रकार से पावर में कट वगैरा होते हैं, उससे हो सकता है कि एक-आध मिलियन टन प्रोडक्शन घट सकता है या थोड़ी सी पोजीशन इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन जो एक्सपैक्टेड प्रोडक्शन है वह 22 मिलियन टन है।

इसके अलावा हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वह 2 मिलियन टन है।

तीसरा सवाल जो रोहतास मिल के बारे में पूछा है आप क्वेश्चन कर दीजिये, वह बता दूंगा, मेरे पास अभी इन्फार्मेशन नहीं है।

चोरबाजारी के लिये मैं जवाब दे चुका हूं कि किस प्रकार से आप पुलिस को इन्फार्म कर सकते हैं, इसके बारे में तो एक कानून है।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब हमारी सरकार बन गई है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से चोरबाजारी कम हो सकती है। जो चोरबाजारी की कर्व ऊपर चली गई थी, उसे हम नीचे लाते हैं, इसके लिये थोड़ा ठहरिये ।

माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में कहा है। सब स्टेट्स को जो क्वोटा दिया जाता है, उसके लिए तीन फार्मूले हैं। स्टेट्स से पूछ लिया जाता है कि उन्हें कौन सा फार्मूला सूट करता है और उसी हिसाब से उन्हें क्वोटा दिया जाता है। माननीय सदस्य इस बारे में राजस्थान सरकार से दोबारा फैसला करा लें। मेरा ख्याल है कि डैटा से पता चल जायेगा कि उनकी स्टेट का सीमेंट का गैप क्या है। अगर वह ऐवेरेज से अलग हो, तो वह हमें जरूर बतायें।

श्री मूलचन्द डागा : हमने 12 लाख टन सीमेंट मांगा था, लेकिन 4 लाख टन दिया गया।

श्री चरणजीत चानना : मैं इसका डैटा देता हूं। क्वार्टरली एलोकेशन एज ओरिजिनली फिक्स्ड इन जुलाई, 1978 : 141,000 टन, क्वार्टरली एलोकेशन एज रेज्ड फ्राम अप्रैल, 1979: 155,000 टन क्वार्टरली एलोकेशन एज रेड्यूस्ड फ्राम जनवरी, 1980—एज दे एग्जिस्ट टुडे : 124,000 टन।

श्री मूल चन्द डागा : हमने मांगा है 12 लाख टन। हम खुद सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। आप हमसे ले लेते हैं, लेकिन हमें देते नहीं हैं।

श्री चरणजीत चानना : जो क्राइटेरियन माननीय सदस्य दे रहे हैं, अगर दूसरी स्टेट्स भी इसको अपना लें, तो एक स्टेट कहेगी कि कोयला तो हम बनाते हैं, और कहीं न भेजो। हमने तो सारे देश की बात सोचनी है। इसमें आपकी मांग की बात नहीं है। मांग एक फार्मूले पर बेस्ड होती है और वहीं मांग होती है। अगर मांग का क्राइटेरियन यह होगा कि फैक्टरी आपकी स्टेट, या एक्स, वाई. जेड स्टेट में है, और वहीं पर सब माल कनज़्यूम किया जायेगा, तो उस हिसाब से दिल्ली को तो एक बोरी भी नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : सभा स्थगित होती है। कल ग्यारह बजे फिर समवेत होगी।

6.28 म०प० तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 1 जून, 1980 27 ज्येष्ठ, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रण : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद